# हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 मार्च, 2020

खण्ड–1 अंक–9

अधिकृत विवरण

सील

विषय सूची

मंगलवार, 3 मार्च, 2020

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण को हरियाणा विधान सभा परिसर में प्रवेश की अनुमति न देने से संबंधित मामला उठाना

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा राजकीय मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारंगपुर, चण्डीगढ़ के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

सदन के कार्य में परिवर्तन

अतारांकित प्रश्न को सूचीबद्ध करने से संबंधित मामला उठाना

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(i) हाल ही में वर्षा और ओलावृष्टि के कारण फसलों की हुई क्षति के संबंध में

वक्तव्य–

उप–मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

(ii) अमृत योजना के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य विभाग की बजाय शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में।

वक्तव्य–

गृह मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

विभिन्न मामले उठाना

वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

सदन का समय बढ़ाना

वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

सदस्यगण को लैपटॉप उपलब्ध करवाने से संबंधित सूचना

वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

विधान कार्य–

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नम्बर–1) बिल, 2020
(ii) दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2020
(iii) दि हरियाणा स्टेट हॉयर एजुकेशन काउंसिल (अमैंडमैंट) बिल, 2020

बैठक का समय बढ़ाना

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(iv) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियॉज (अमैंडमैंट) बिल, 2020
(v) दि हरियाणा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमैंडमैंट) बिल, 2020
(vi) दि प्रोहिबिशन ऑफ चाईल्ड मैरिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2020
(vii) दि हरियाणा ग्रुप–डी इम्पलाईज (रिक्रूटमैंट एंड कंडीशंज ऑफ सर्विस) (अमैंडमैंट) बिल, 2020

बैठक का समय बढ़ाना

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(viii) दि हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमैंट अथॉरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2020

बैठक का समय बढ़ाना

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

# हरियाणा विधान सभा

## मंगलवार, 3 मार्च, 2020

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चन्द गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

————————

## तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

## तारांकित प्र□न संख्या–204

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अमित सिहाग, सदन में उपस्थित नहीं थे।)

---

## To Install Solar Energy Lights

***337. Shri Mohan Lal Badouli :** Will the New and Renewable Energy Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install solar energy lights in the streets of Kundli village?

**बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह)** : नहीं श्रीमान जी।

**श्री मोहन लाल बड़ौली** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं जो हमारे ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे भारत वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। आज के समय में आम आदमी के लिए बिजली की आपूर्ति में सौर ऊर्जा एक अह्म भूमिका निभा रही है। इसके उपयोग से किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलता है। इससे हम प्राकृतिक संसाधनों के हो रहे दोहन पर भी काफी हद तक रोक लगाने में सफल होते नजर आ रहे हैं। जिसका श्रेय सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग को जाता है। मैं हमारी प्रदेश सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वर्ष 2019–2020 के दौरान सरकार ने 334 गौशालाओं में 1606 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयन्त्रों की स्थापना के लिए सराहनीय परियोजना शुरू की है और वर्ष 2020–2021 में सरकार की 200 अन्य गौशालाओं में भी ऐसे ही सौर ऊर्जा संयन्त्रों को स्थापित करने की योजना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा राई बड़े औद्योगिक व शैक्षिणक क्षेत्रों में से एक है इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या राई विधान सभा के कुंडली गांव में सौर ऊर्जा से संचालित लाईटें लगाने का प्रावधान या योजना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि कोई इस तरह का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं भी है तो मैं माननीय अक्षय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र राई में सौर ऊर्जा से संचालित लाईटें लगवाने हेतु विचार करें ताकि वहां के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या से निजात पाया जा सके।

**श्री रणजीत सिंह** : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाए ताकि पारम्परिक ओवरसिज के यूज को कम किया जा सके इसलिए हम सौर ऊर्जा को आरम्भ कर रहे हैं। जहां इसकी डिमांड की जा रही है वहां हम दे रहे हैं। माननीय सदस्य के क्षेत्र से हमारे पास अभी तक किसी का आवेदन नहीं आया है। इसमें हमने यह किया है कि हम इसको कोमर्शियल एजेंसी को न देकर डिस्ट्रिक्ट पंचायतें, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायतों को दिया जाए। इसके लिए जहां–जहां मांग की है वहां–वहां हम उपलब्ध करवा रहे हैं।

**श्री मोहन लाल बड़ौली** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा के सेरसा गांव की पंचायत की तरफ से इसके लिए एक प्रस्ताव आया है। जिसमें उनके पास अपना फंड भी है, जमीन भी है। वह पंचायत अपनी जमीन में ही 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा का प्लांट लगाकर पूरे गांव की बिजली आपूर्ति करना चाहती है और जो बिजली बचेगी वह सरकार को भी दे सकते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए।

**श्री रणजीत सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे पास पंचायत की तरफ से प्राप्त होगा तो उस पर हम तुरंत विचार करेंगे।

.....

## तारांकित प्र□न संख्या–295

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद, सदन में उपस्थित नहीं थे।)

.....

## Human Trafficking

*** 348. Shri Ishwar Singh :** Will the Home Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the cases of Human trafficking and the sale purchase of human organs has been increased in State; if so, the year-wise details of the cases registered in State from the year 2012 till date together with the steps taken by the Government for prevention of human trafficking in State; and

(b) the total number of minor girls and boys victimized in human trafficking in above mentioned cases together with the detail thereof?

**Home Minister (Shri Anil Vij) :** Sir, a statement is placed on the Table of the House.

## Statement

Sir,

No case regarding sale purchase of human organs has been registered in the State. The number of cases registered regarding human trafficking has registered a decrease to 17 in 2019 as compared to 24 cases registered in 2018. The table below shows that between 2015 and 2016, these cases had come down from 23 to 15 but then increased to 24 in 2018 before coming down again in 2019. Year-wise detail of the cases registered regarding human trafficking and data related to minor girls and boys victimized in these cases from the year 2012 to 12.02.2020 is as under:-

**Details of human Trafficking Cases**

| Years | Number of Cases registered regarding human trafficking | Total Number of minor girls and boys victimized in human trafficking | Detail of victim minors | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Girls | Boys |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 13 | 5 | 5 | 0 |
| 2014 | 13 | 8 | 7 | 1 |
| 2015 | 23 | 8 | 6 | 2 |
| 2016 | 15 | 4 | 4 | 0 |
| 2017 | 20 | 9 | 8 | 1 |
| 2018 | 24 | 19 | 10 | 9 |
| 2019 | 17 | 6 | 3 | 3 |
| 2020 (upto 12.2.2020) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **128** | **59** | **43** | **16** |

**The steps taken by the Government for prevention of human trafficking in the State include the following:-**

1. **Anti-Human Trafficking Units (AHTUs):-** Seven Anti Human Trafficking Units (AHTUs) have been created in the State of Haryana. These Units are part of State Crime Branch, Haryana and are located at Panchkula, Gurugram, Faridabad, Madhuban (Karnal), Hisar, Bhiwani and Rohtak. The objectives of AHTUs are (i) prevention of human trafficking (ii) rescue missing children (iii) rescue of beggar children (iv) rescue of children from labor (v) action against illegal placement agencies & (vi) rescue girls from prostitution. Also, cases of missing children are being investigated by these units. Good work done in AHTUs is rewarded from time to time to motivate officials.

2. **Child Welfare Police Officer:-** In pursuance of Section 107 of the Juvenile Justice Act, Child Welfare Police Officers have been appointed in every police station of the State.

3. **Special Juvenile Police Unit:-** In compliance of the provisions of Sub Section (2) of Section 107 of the Juvenile Justice Act, Special Juvenile Police Unit has been constituted in every district of the State of Haryana. These units are being supervised by Deputy Superintendent of Police/Assistant Commissioner of Police.

4. **Track the Missing Child Portal:-** The National Informatics Centre (NIC) has developed a national portal namely "Track the Missing Child" in which not only data of 'Missing Children' but also of 'Traced Child/Found Child' is being maintained properly. The Police Department is also using this portal and all entries regarding missing and found children are being made. This portal is very helpful for tracking the missing children.

5. **Khoya-Paya Portal:-** This portal is an initiative to provide a platform to the public to share the details of missing/found children at large.

6. **Standard Operating Procedure:-** The Standard Operating Procedure (SOP) has been circulated to all the concerned in order to assist the Police, Child Welfare Committee and Juvenile Justice Board in dealing with the cases of missing and found/recovered children. The objective of the SOP is to put in place a set of guidelines while dealing with cases of missing children and to work in coordination with stakeholders and respond with urgency with respect to issues of missing children. The SOP has been forwarded to all the police units for strict compliance.

7. **Display Board:-** Directions have been issued to all the Commissioners of Police and District Superintendents of Police in the State to put up display boards at a prominent place in every Police Station containing the names, designations and contact numbers of the Child Welfare Police Officers and in-charge of the District Special Juvenile Police Unit.

8. **Special Operations to rescue the missing children:-** Special Operations/campaigns to rescue missing children are being launched in the State from time to time. Eight such operations have been launched in the State from the year 2015 to 2019. Besides, a month long operation is also going on from 01.02.2020 and 625 missing children have been rescued as on 15.02.2020 during this campaign.

**श्री ईश्वर सिंहः** अध्यक्ष महोदय, यदि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हरियाणा प्रदेश में मानव तस्करी की घटनायें बहुत ज्यादा हुई हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो 28 लड़कियां वर्ष 2018 में गायब हुई थी उनमें से अब तक कितनी बरामद हुई हैं तथा ये लड़कियां अब किन हालात में हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि लड़कियों की गुमशुदगी के संबंध में जो एफ.आई.आर्ज. दर्ज की गई थी, क्या वे आज भी स्टैंड करती हैं या कैंसिल हो गई है?

**श्री अनिल विजः** अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि किस–किस सन में कितने–कितने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसिज हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, अब तक Number of cases registered regarding human trafficking की संख्या 128 है जबकि वर्ष 2018 में कुल 24 केसिज रजिस्टर्ड हुए थे।

**श्री ईश्वर सिंहः** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि कितनी गुमशुदा लड़कियां बरामद हुई हैं?

**श्री अनिल विजः** अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल में अर्थात जनवरी, 2014 से लेकर 2019 तक 11973 बच्चे reported as missing to the police authorities. This includes 5458 boys and 6515 girls and out of this district police including railway police were able to trace 9441 children. Thus, 78.9% of all missing children were traced out by the police and restored to their parents. This includes 4322 boys and 5119 girls. This shows that the Haryana Police has played an important role in tracing out missing children and uniting them to their parents.

**श्री ईश्वर सिंहः** अध्यक्ष महोदय, मानव तस्करी से जुड़ा हुआ एक सरोगेसी मदर का मुद्दा भी है जिसके बारे में आज तक सैंटर या स्टेट यह नहीं जान पाये हैं कि इसको लीगल साइड में रखें या इल्लीगल साईड में रखें। सरोगेट मदर्ज जो अपने कोख में बच्चे पैदा करती हैं उनका मानव तस्करी से सीधा संबंध होता है। आज हरियाणा के बड़े–बड़े शहरों में सरोगेसी सैंटर खुलते जा रहे हैं। अकसर देखने में आता है कि सरोगेट मदर अपनी गरीबी के कारण इस कार्य के लिए सहमति प्रकट कर देती हैं तो इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह क्राइम नहीं है? क्या यह मानव तस्करी का एक हिस्सा नहीं है? यदि है, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई है और इसको अब तक इल्लीगल डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया है? मैं अति गंभीर विषय के इस मुद्दे पर माननीय मंत्री जी से जवाब जानना चाहता हूँ।

**श्री अनिल विजः** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सरोगेट सैंटर बाकायदा तौर पर परमिशन वगैरह लेकर ही इस कार्य को लीगली तौर पर करते हैं। आज पूरे विश्व में सरोगेसी सैंटर खुले हुए हैं और उसी तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी सरोगेसी सैंटर्ज खुले हुए हैं। अतः मैं समझता हूँ कि सरोगेट सैंटर्ज में जो सरोगेट मदर संबंधी कार्य होता है इसको किसी भी सूरत में मानवी तस्करी के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

**श्री ईश्वर सिंहः** अध्यक्ष महोदय, यह कार्य लीगल कैसे हो सकता है? अभी परसों ही सैंटर गवर्नमैंट ने इस संबंध में बिल पेश किया है जोकि अभी तक पास ही नहीं हुआ है तो इस प्रकार सैरोगेट सैंटर का कार्य लीगल कैसे हो गया? (विघ्न)

**Shri Anil Vij:** Speaker Sir, it is entirely different question. This cannot be connected with human trafficking.

**श्री ईश्वर सिंहः** अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सरोगेसी सैंटर्ज अथोराइज्ड हैं। जब सैंटर अथोराइज्ड है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सैरोगेसी सैंटर का काम लीगल है और दूसरा जब सैंटर में इस बाबत बिल ही पास नहीं हुआ है तो इसको लीगल कैसे माना गया है? मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इसको क्लीयर करे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, अभी प्रश्न काल चल रहा है उसके बाद आप अपनी बात रख लेना।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, गम्भीर विषय है इसलिए मुझे अभी अपनी बात रखनी बहुत जरूरी है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** ठीक है, आप अपनी बात रखिए।

.....

## इंडियन ने□ानल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण को हरियाणा विधान सभा परिसर में प्रवे□ा की अनुमति न देने से संबंधित मामला उठाना

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे साथ ऐसा काम हुआ, जब हम विधान सभा में आ रहे थे तो हमें विधान सभा की परिसर में पार्किंग के पास गेट पर ही रोक लिया गया। हरियाणा के इतिहास में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। विधान सभा में विपक्ष के विधायकों ने बहुत बार प्रदर्शन भी किए हैं लेकिन ऐसा व्यवहार कभी भी पहले नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, किसके आदेश से यह काम हुआ है, इस बात का हमें मालूम नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, मैंने आदेश दिया हुआ है कि कोई भी माननीय सदस्य पोस्टर और फट्टियां वगैरह साथ लेकर विधान सभा के परिसर में न आये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, यह मैटर विशेषाधिकार हनन का है। हमें विधान सभा में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमें पता है कि पोस्टर्ज एवं फट्टियां विधान सभा में नहीं ला सकते और हम भी नहीं लेकर आये, लेकिन हमें विधान सभा में आने से पहले ही गेट पर रोक दिया गया कि यह किस प्रकार का आदेश है? (शोर एवं व्यवधान)

**चौधरी आफताब अहमद** : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ गलत गलत किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिक** : अध्यक्ष महोदय, यह तो तानाशाही है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, हमें पार्किंग के पास रोककर ठीक नहीं किया गया। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट में सांसद विरोध के रूप में महात्मा गांधी के स्टैच्यु के सामने खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) हमें तो पार्किंग में ही रोक दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, पार्किंग में नहीं रोका गया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिक** : अध्यक्ष महोदय, आप इस बात की इन्क्वॉयरी करवा लें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र जून** : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमें पार्किंग में ही रोगा गया था।

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, आप इस बात की इन्क्वॉयरी क्यों नहीं करवाते। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, मैंने सिर्फ पोस्टर्ज और फट्टियां विधान सभा परिसर में न लाने के ऑर्डर किए हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में हमारा कोई भी सदस्य पोस्टर और फट्टी लेकर नहीं आया है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ऐसा व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) विधान सभा की गरिमा का हमें भी पता है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम के तहत कोई भी माननीय सदस्य पोस्टर और फट्टी वगैरह लेकर विधान सभा परिसर के अन्दर नहीं आ सकता है। (शोर एवं व्यवधान) विधान सभा की सीमा वहां तक निर्धारित है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती किरण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे साथ गलत हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट की सीमा कहां तक है और सांसद हमेशा महात्मा गांधी के स्टैच्यू तक विरोध प्रदर्शन में खड़े होते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, आप पहले यह पता कर लीजिए कि हमें कहां पर रोका गया था। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, आप एक बार हमारे साथ चलें और देखें कि क्या वह स्थान विधान सभा की परिधि में आता है, वहीं पर हमें रोका गया। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भारत भूशण बत्तराः** अध्यक्ष महोदय, आप एक बार चैक कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, पहली बात तो यह है कि यह कोई पहली बार नहीं रोका गया है। (शोर एवं व्यवधान) यह हाउस हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के तहत ही चलता है। (शोर एवं व्यवधान)

**आवाजें** : तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, मैं बाहर वाली पार्किंग की बात कह रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, बाहर की पार्किंग में तो कोई भी नहीं रोकता है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, हमें वहीं पर रोका गया था। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, आप एक बार चैक करवा लें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, आप लोगों को विधान सभा के परिसर में ही रोका गया है। (शोर एवं व्यवधान)

**आवाजें** : तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिक** : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे लिखित आदेश दिखा दीजिये ।

**श्री अध्यक्ष** : मलिक साहब, लिखित आदेश की जरूरत नहीं है । इस किताब में सब कुछ लिखा है । अब या तो आप इसे पढ़ लीजिए या आप सुन लीजिए । मैं इसे पढ़कर सुना देता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, आपके कहने से इंटरप्रटेशन नहीं होगी । इस किताब में जो लिखा है वह आपको पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें लिखी हुई बातों का हमें अच्छी तरह से पता है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जयवीर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह विधायकों के साथ अन्याय है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : जयवीर सिंह जी, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है । अतः मेरा आप सब से निवेदन है कि सदन को प्रेसिडन्ट्स के मुताबिक चलने दें और माननीय सदस्यों की सदन में जो सीमाएं हैं आप उनको न लांघे । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, आप हमें विधान सभा का नक्शा दिखा दीजिए कि विधान सभा का परिसर कहां तक है ? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, जहां पर आम नागरिकों के विधान सभा में प्रवेश करने के लिए पास बनाया जाता है वहां तक हरियाणा विधान सभा की सीमा है ।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, हमें पार्किंग में रोका गया है । वहां से तो पंजाब के विधायक भी आते हैं । अगर हम पंजाब के हाउस में जाएंगे तो क्या आप हमें वहां भी रोकेंगे ? (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी विधान सभा में हमें बैनर सहित आने से रोकें, वह हमें मंजूर है । ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार इस तरह का विरोध किया है बल्कि हमसे पहले भी इस तरह के विरोध होते रहे हैं और हमने भी किए हैं लेकिन वहां पर विरोध करने पर किसी ने नहीं रोका । (शोर एवं व्यवधान)

**गृह मंत्री (श्री अनिल विज)** : अध्यक्ष महोदय, आज ये अपने समय को भूल गए हैं । ये अपने समय में हमें तो अन्दर भी नहीं आने देते थे । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, हमने इनको कभी भी नहीं रोका था । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज** : अध्यक्ष महोदय, हमें तो विधान सभा के परिसर में भी इंट्री करने नहीं दिया जाता था । यह बड़े अफसोस की बात है कि आज इनकी याद्दाश्त बिल्कुल खत्म को गई है ।

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, मैंने अभी फाइल मंगवाई है । मैं आपको रिकॉर्ड देखकर जानकारी दूंगा कि वहां पर कितनी बार पहले भी रोका गया है । आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाएं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज** : अध्यक्ष महोदय, आपने इनको बिल्कुल ठीक जगह पर रोका है । ये भी हमको वहीं पर रोकते थे । आपने इनको ठीक जगह पर रोका है इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं । (शोर एवं व्यवधान) आप अनुशासनप्रिय व्यक्ति हैं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, हम अनुशासनप्रिय हैं मगर हमारे साथ आज जो ज्यादती हुई है वह बर्दाश्त नहीं की जा सकती । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज** : अध्यक्ष महोदय, इनको ऐसे रोकने पर ही समझ आएगी कि ये अपने समय में विपक्ष के सदस्यों के साथ कैसा बर्ताव करते थे ? (शोर एवं व्यवधान) जैसी करनी वैसी भरनी । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, मैं स्वयं कह रहा हूं कि मैंने स्टाफ को केवल यह कहा था कि बैनर, पोस्टर, फट्टी के साथ किसी भी सदस्य को हरियाणा विधान सभा के परिसर में प्रवेश नहीं करने देना । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विज** : अध्यक्ष महोदय, हमने यह सब भुगता हुआ है । जैसी करनी वैसी भरनी । (शोर एवं व्यवधान)

**(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य वैल में आकर अध्यक्ष महोदय से हरियाणा विधान सभा सचिवालय के परिसर के स्पष्टीकरण और उसमें प्रवेश करने के बारे में तर्क–वितर्क करने लगे ।)**

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, सदन में हम अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे । हरियाणा विधान सभा सचिवालय के परिसर को अच्छी तरह से परिभाषित किया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) सीमा हर बार तय नहीं होती और न ही सीमा तय करने के लिए हर बार ऑर्डर किया जाता । (शोर एवं व्यवधान) मैंने किसी भी माननीय सदस्य की एंट्री बैन नहीं की है । सभी बातों की जानकारी होने के बावजूद भी आप उनका पालन नहीं करते

हैं । (शोर एवं व्यवधान) यह बिल्कुल गलत है । (शोर एवं व्यवधान) पंजाब विधान सभा सचिवालय ने अपने परिसर में माननीय सदस्यों के लिए क्या दिशा–निर्देश दिए हुए हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ।

**श्री अनिल विज :** अध्यक्ष महोदय, हमने यह सब भुगता हुआ है । जैसी करनी वैसी भरनी । आज इनको रूल के मुताबिल ही रोका गया है जोकि अच्छी बात है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, विधान सभा के परिसर की सीमा तय की हुई है और मैंने यही कहा है कि विधान सभा के परिसर में कोई भी माननीय सदस्य होर्डिंग/बैनर लेकर नहीं आएगा। प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

**चौधरी आफताब अहमदः** अध्यक्ष महोदय, हमें विधान सभा के परिसर से पहले ही रोक दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में एक ऑर्डर कर दें कि सदस्य कहां तक होर्डिंग/बैनर लेकर आ सकते हैं ? (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** बतरा जी, मेरे पास ऑर्डर की एक कॉपी है जिसमें सभी बातें लिखी हुई हैं।

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, पंजाब में माननीय सदस्यों को विधान सभा परिसर में भी होर्डिंग/बैनर लाने से रोका नहीं जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** गीता जी, पंजाब विधान सभा में क्या रूल्ज हैं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। यहां के रूल्ज के हिसाब से आर्डर जारी किए हुए हैं।

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों को विधान सभा के परिसर में नहीं आने दिया गया। उन्हें पहले ही बाहर रोक दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** विधान सभा के परिसर की जो सीमा तय की हुई है। उससे आगे कोई भी माननीय सदस्य होर्डिंग/बैनर लेकर नहीं आ सकता।

**चौधरी आफताब अहमदः** अध्यक्ष महोदय, पहले भी माननीय सदस्य होर्डिंग/बैनर लेकर आते रहे हैं, परन्तु हमें पार्किंग के बाहर रोक दिया गया।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, पहले किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** बतरा जी, पहले के बारे में मुझे पता नहीं है कि क्या होता था ? लेकिन कोई भी माननीय सदस्य हरियाणा विधान सभा के प्रिमाइसिज में होर्डिंग/बैनर लेकर नहीं आ सकता। यह बात रूल्ज में लिखी हुई है।

**श्रीमती गीता भुक्कल:** अध्यक्ष महोदय, हमारा विरोध यह है कि हमें अन्दर ही नहीं आने दिया गया। होर्डिंग/बैनर रखने की बात पर हमें रोका नहीं जा सकता। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यों के हकों पर किसी को डाका डालने का अधिकार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भारत भूषण बतरा:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के साथ जो व्यवहार किया गया, वह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** बतरा जी, मैं रूल्ज पढ़कर सुना देता हूं। सभी पढ़े–लिखे सदस्य हैं और आपको विधान सभा के रूल्ज की भी जानकारी है। आप संबंधित रूल्ज को पढ़ लें कि Speaker can change any decision.

**श्रीमती किरण चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, सरकार तानाशाही कर रही है क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भारत भूषण बतरा:** अध्यक्ष महोदय, लोक सभा का यही प्रोसीजर होता है कि लोक सभा के गेट तक होर्डिंग/बैनर लेकर जा सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। लोक सभा का भी यही प्रोसीजर है कि कोई भी माननीय सदस्य प्रिमाइसिज में होर्डिंग/बैनर लेकर नहीं आ सकता।

**श्रीमती गीता भुक्कल:** अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों के साथ अन्याय किया गया है।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री चिरंजीव राव:** अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** चिरंजीव जी, किसी भी माननीय सदस्य के साथ अन्याय नहीं हुआ।

**चौधरी आफताब अहमद:** अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। (विघ्न)

**शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार में भी माननीय सदस्यों को होर्डिंग/बैनर लेकर विधान सभा के परिसर में नहीं आने दिया जाता था। पिछले 5 सालों में भी कोई भी माननीय सदस्य होर्डिंग/बैनर लेकर विधान सभा के परिसर में नहीं आया। (शोर एवं व्यवधान)

**मोहम्मद इलियास:** अध्यक्ष महोदय, पंजाब विधान सभा के माननीय सदस्य भी वहां के विधान सभा परिसर में होर्डिंग/बैनर लेकर आते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, आप इसके बारे में रूलिंग दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** बतरा जी, मैं रूलिंग ही बता रहा हूं।

**मोहम्मद इलियासः** अध्यक्ष महोदय, हम एक चीज क्लीयर करना चाहते हैं कि जब पंजाब विधान सभा के माननीय विधायक विधान सभा के परिसर में होर्डिंग/बैनर लेकर आ सकते हैं तो why not MLA's of Haryana ?

**श्री अध्यक्षः** इलियास जी, होर्डिंग/बैनर लेकर कोई भी माननीय सदस्य विधान सभा के परिसर में नहीं आ सकता। सभी माननीय सदस्य हर रोज आते हैं, परन्तु विधान सभा के प्रिमाइसिज में कोई भी माननीय सदस्य होर्डिंग/बैनर लेकर नहीं आता। वैसे तो माननीय सदस्य प्रत्येक दिन विधान सभा में आते रहते हैं, परन्तु आज होर्डिंग/बैनर लेकर प्रिमाइसिज में आये थे, इसलिए रोका गया था।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि हमें विधान सभा परिसर के बाहर रोका गया तो इस पर हमने संबंधित ऑफिसर्ज को कहा कि क्या आपके पास यहां पर रोकने के लिए स्पीकर साहब के आदेश हैं, परन्तु उनके पास कोई आदेश नहीं था। हमें बिना आदेश के कोई भी विधान सभा परिसर में आने से नहीं रोक सकता है। उन्होंने बताया कि उनके पास आदेश नहीं है। हमने कहा कि आप इस बारे में स्पीकर साहब का राईटिंग में आदेश दिखा दें, परन्तु उनके पास कोई लिखित आदेश नहीं था, इसलिए बगैर आदेश के कोई भी विधान सभा परिसर के अन्दर आने से नहीं रोक सकता। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, मैं पिछले आदेश दिखा रहा हूं। पहले भी इसी तरह से माननीय सदस्यों को विधान सभा के प्रिमाइसिज में होर्डिंग/बैनर के साथ आने से रोका जाता था।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, पहले ऐसा नहीं होता था। आप विधान सभा के रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डैक्ट ऑफ बिजनेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, मैं रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डैक्ट ऑफ बिजनेस की किताब दिखा रहा हूं, लेकिन आप उसको देखने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इसी के मुताबिक सदन की कार्यवाही चल रही है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में पहले ही आदेश दिये जाने चाहिए थे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, अगर आप अपने प्रदर्शन की जानकारी मुझे पहले देकर आते तो मैं उस बारे में आदेश जरूर करता लेकिन आपने मुझे ऐसी कोई जानकारी लिखित में नहीं दी। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप बता दीजिए कि मुझे आपके किस सदस्य ने लिखकर इस बारे में जानकारी दी है? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात की जानकारी गवर्नमैंट को दी थी और सभी अखबारों में इस बात की खबर भी छपी है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भारत भूशण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इस बात के आदेश दिए हैं? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी, मैंने इस बात के आदेश दिए हैं। मुझे किसी भी सदस्य ने लिखकर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के तहत कोई भी सदस्य पोस्टर और फट्टी वगैरह लेकर विधान सभा परिसर के अन्दर नहीं आ सकता है। हुड्डा साहब, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। विधान सभा की सीमा पहले से ही निर्धारित है। जहां पब्लिक इंट्री प्वॉयंट बनाया गया है वहां पब्लिक को रोका जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, हम कोई आम पब्लिक नहीं हैं। हम तो पब्लिक के नुमाईंदे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, कोई भी सदस्य पोस्टर और फट्टी वगैरह लेकर विधान सभा परिसर के अन्दर नहीं आ सकता। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा**: अध्यक्ष महोदय, क्या आपने हमें रोकने के लिए आदेश दे रखे थे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, मैंने बिल्कुल आपको रोकने के आदेश दिए थे और मैं आज भी यह आदेश देता हूं कि कोई भी सदस्य पोस्टर और बैनर वगैरह लेकर विधान सभा सीमा के अन्दर नहीं आ सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, अगर आपने इस बात के आदेश दे रखे थे तो हमने विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों को पूछा कि आपके पास अध्यक्ष महोदय के आदेश की कॉपी है? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, अगर आप इस बारे में पहले मुझे जानकारी दे देते तो मैं उसके आदेश आपको लिखित में जरूर देता और आपने मुझे ऐसी कोई जानकारी लिखित में नहीं दी। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री जगबीर सिंह मलिक** : अध्यक्ष महोदय, सबको धरना–प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मलिक साहब, हम भी इस बात को मानते हैं लेकिन इस विधान सभा सत्र के दौरान भी पहले प्रदर्शन हुए हैं और विधायकों को बाहर भी रोका गया है। हमारे लिए कानून व्यवस्था बनाये रखना बहुत जरूरी है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भारत भूशण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, हम विधान सभा की सीमा में कोई लाउड–स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे फिर भी हमें रोका गया। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, हम वहां पर कोई आगजनी या हिंसा नहीं कर रहे थे।

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, आज सरकार गुंडे बदमाशों को तो रोक नहीं पा रही है और जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको रोका जाता है, इस प्रकार से सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रखी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : गीता जी, हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के तहत कोई भी सदस्य पोस्टर और फट्टी वगैरह लेकर विधान सभा परिसर के अन्दर नहीं आ सकता है। इसलिए हमने आपको रोकने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, आप हमें हरियाणा विधान सभा की सीमा के बारे में बता दें और इसकी अधिसूचना भी दिखा दें। (शोर एवं व्यवधान) इस प्रकार की तानाशाही प्रदेश में नहीं चलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, आप एक बार मेरे चैम्बर में आकर इस बारे में बात कर लेना। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, हमारे हितों की रक्षा आपके हाथ में है और आपने ही हमारे हितों की रक्षा करनी है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कंवर पाल** : हुड्डा साहब, जब अध्यक्ष महोदय ने यह बात कह दी है कि आप चैम्बर में आकर बात कर लें तो यह विषय यहीं खत्म हो जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमारे हितों की रक्षा करेंगे या नहीं? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हुड्डा साहब, मैं आपके हितों की रक्षा बिल्कुल करूंगा और की भी जा रही है। अब आप अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, ठीक है ।

.....

## तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

## To Give Relief in Penalty

***147**. **Shri Aseem Goel :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is fact that penalty of Rs. 50/day is imposed on legal heirs who could not get the land transferred within the prescribed period of 3 months after the death of owner in municipal bodies of state; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to give relief in above said provision togetherwith the details thereof ?

**Home Minister (Shri Anil Vij) :** No, Sir.

**श्री असीम गोयल** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर भू–स्वामियों की मृत्यु के उपरांत जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं वो तीन महीने की निश्चित अवधि के अंदर अगर उस सम्पत्ति को अपने पास ट्रांसफर नहीं करवाते तो 50/– रूपये रोजाना की दर से अभी एक नये रूल के तहत जुर्माना लगने लगा है। इसके अंदर कई तरह की खामियां हैं। मान लीजिए किसी के कानूनी वारिश विदेश में रहते हैं या किसी की सम्पत्ति को लेकर कोई कानूनी झगड़ा है और किसी की वसीयत चैलेंज हो गई है या बैंक का लोन है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कई ऐसी सम्पत्तियां हैं जिनको 10–10 साल से ट्रांसफर नहीं करवाया गया है। उन पर 50/– रुपये रोजाना की दर से लगभग 18 हजार रूपये से ऊपर का जुर्माना हर साल का उन

सम्पत्तियों के कानूनी वारिशों को देना पड़ेगा। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले में सरकार साल की एक निश्चित राशि जुर्माने के तौर पर फिक्स करके आम जनता को राहत देने की कृपा करे।

**श्री अनिल विज** : स्पीकर सर, पहली बात तो मैं यह बताना चाहूंगा कि जो क्वैश्चन में तीन महीने की अवधि लिखी हुई है वह लीगल हेयरस का जो एक्ट है उसमें वह अवधि 6 महीने है। यह 6 महीने का प्रावधान इसलिए रखा हुआ है ताकि हाउस टैक्स की प्रॉपर रिकवरी हो सके। अगर वह मालिक by virtue of legal heirs बनता है तो सरकार टैक्स किस से रिकवर करे। उसने म्युनिसिपल कमेटी को इंफार्म करना है कि मैं इसका लीगल हेयर हूं और अगर प्रॉपर्टी खरीदी या बेची गई है तो उसके लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि इस मामले में जो निश्चित अवधि है वह 6 महीने है। मेरा यह भी कहना है कि इसकी कोई और इंटैंशन नहीं है। केवल मात्र इंटैंशन यही है और सम्बंधित एक्ट में बाकायदा तौर पर इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान है ताकि जो टैक्स की रिकवरी है वह सम्पत्ति के कानूनी हकदार से की जा सके।

**श्री असीम गोयल** : अध्यक्ष जी, अभी अम्लाबा के अंदर कई ऐसे केसिज आये तो मैंने वहां पर जो लोकल कमिश्नर है उससे इस बारे में बात की थी। उसने यह रास्ता निकाला कि तीन महीने से एक साल तक के लिए 2 हजार रूपये जुर्माना है, एक साल से पांच साल की अवधि तक अगर कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करवाता है तो पांच हजार रूपये जुर्माना है और अगर किसी व्यक्ति ने पांच साल से अधिक समय तक सम्पत्ति को अपने नाम नहीं करवाया है तो उसको 10 हजार रूपये जुर्माना देना होगा। मंत्री जी ने जो कहा कि कई बार सम्पत्तियां ऐसे ही बिक जाती हैं। इनकी वह चिंता वाजिब है लेकिन मैं मंत्री जी से एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनमें इसके प्रति जागरूकता नहीं है और ऐसे–ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है उनको 20–20 साल हो गये हैं और उन्होंने अपनी सम्पत्ति को अभी तक ट्रांसफर नहीं करवाया है। आज की तारीख में वे लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि वे लगभग तीन–तीन और चार–चार लाख रूपये का जुर्माना भरकर अपनी सम्पत्तियों को अपने नाम ट्रांसफर करवायें। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह की एक टैम्परेरी व्यवस्था अम्बाला नगर निगम में की गई है कोई ऐसी व्यवस्था पूरे प्रदेश भर में एक जागरूकता अभियान चलाकर कर दी जाये ताकि जिन लोगों ने 15–15 और 20–20 साल अपनी सम्पत्तियां ट्रांसफर नहीं

करवाई हैं वे अपनी सम्पत्तियों को अपने नाम ट्रांसफर करवा लें। आने वाले एक निश्चित समय के बाद वे चाहे इस स्लैब को लागू कर दें।

**श्री अनिल विज** : स्पीकर सर, यह तो सम्बंधित एक्ट का प्रावधान है और जो व्यवस्था अभी लागू है जब तक एक्ट में कोई तब्दीली न की जाये तब तक वह as per relevant Act ही लागू है।

.....

## पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा राजकीय मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारंगपुर, चण्डीगढ़ के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल)** : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में पंजाब विधान सभा के पूर्व विधायक सरदार अजीत इंदर सिंह मोफर और हरियाणा विधान सभा के पूर्व विधायक श्री जाकिर हुसैन सदन की कार्यवाही को देखने के लिए विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आज सदन में राजकीय मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारंगपुर, चण्डीगढ़ के अध्यापकगण तथा विद्यार्थी दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है।

.....

## तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

## Second Language Status of Punjabi Language

***195. Shri Shishpal Singh :** Will the Education Minister be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Punjabi language has status of second language by the Government in State; and

(b) If so, the total number of offices using Punjabi Language in the State?

**eq[;ea=h ¼Jh euksgj yky½ % ¼d½ ,oa [k½** Jheku th] iatkch Hkk"kk dks fuEufyf[kr mn~ns’;ksa ds fy, nwljh Hkk"kk ds :i esa vf/klwfpr fd;k x;k gS %&

¼d½ jkT; ljdkj rFkk blds d;kZy;ksa }kjk iatkch Hkk"kk esa izfrosnuksa dks xzg.k djuk rFkk

¼[k½ iatkch Hkk"kk rFkk iatkch lkfgR; dks c<+kok nsuk A

**श्री कंवर पाल** : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों आदि के प्रमुखों से अनुरोध किया है कि वे पंजाबी भाषा में प्राप्त आवेदनों, प्रतिवेदनों व अन्य पत्राचार का रिकॉर्ड रखें एवं उनके जवाब भी पंजाबी में ही दिये जाएं। इस आशय की समेकित मासिक रिपोर्ट भी देते रहें।

**श्री शीशपाल सिंहः** सर, इसमें मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि पंजाबी भाषा कितने कार्यालयों में उपायोग हो रही है तथा जो प्रतिवेदन पंजाबी भाषा में प्राप्त होते हैं उनका उत्तर देने के लिए क्लैरिकल की कितनी पोस्ट्स जनरेट हुई हैं? जो पत्र या प्रतिवेदन पंजाबी भाषा में आता है उसको हम रिकॉर्ड में तो रख लेते हैं लेकिन उसका उत्तर पंजाबी भाषा में नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की है, क्या पंजाबी भाषा के पद सृजित किये गये हैं?

**श्री कंवर पालः** अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जवाब दिया है कि हमने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को लिखा है कि यदि कोई भी इस प्रकार का पत्राचार होता है उसका रिकॉर्ड भी रखना और उसका जवाब भी पंजाबी भाषा में ही देना है। उसके लिए जो भी आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था करेंगे।

**श्री शीशपाल सिंहः** अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं है?

**श्री कंवर पालः** अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो व्यवस्था नहीं है लेकिन हमने ऐसे आदेश पारित कर दिये हैं।

**श्री शीशपाल सिंहः** अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा एक निवेदन है कि हमने पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है। आपने अपने जवाब में लिखा है कि पंजाबी भाषा तथा पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देना है। हम अंगेजी भाषा में प्राप्त पत्रों का जवाब भी अंग्रेजी में दे देते हैं जबकि अंग्रेजी भाषा को तो दूसरी भाषा का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अभी तक पंजाबी की क्लैरिकल पोस्ट्स नहीं हैं इसलिए पंजाबी की क्लैरिकल की पोस्ट्स जनरेट करवाई जायें।

**श्री कंवर पालः** अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपने जवाब में यही कहा है कि हमने अब आदेश दिये हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए।

**श्री शीशपाल सिंहः** अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि मंत्री जी ने जो आदेश जारी किये हैं उनको प्रैक्टिकली लागू करवा दिया जाए।

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, इथे असी पंजाबी लैंग्वेज दी गल कर रहे सी। मंत्री जी ने जवाब दीता है कि हुण असी आदेश दित्ते ने। पंजाबी जेड़ी साड्डी बोली है, साड्डी भाषा है, लैंग्वेज है, शुरू तों ही हरियाणे विच पंजाबी नू असी दूजे नम्बर दा दर्जा दित्ता होया है। असी जोर दे रहे हां संस्कृत ते, उर्दू ते वी दे रहे हां भावें नूंह दी गल होए। साड्डे कई जिले ऐदा दे ने जित्थे पंजाबी बोलदे ने ते साड्डे स्कूलां च वी पंजाबी पढ़ाई जांदी है। मैं तुहाडे माध्यम तों मंत्री जी तों एै गल पुछणी चांहदीं हां कि जदों साड्डी कांग्रेस दी सरकार सीगी, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी साड्डे चीफ मिनिस्टर सीगे, सारे चाहे मंत्री जी सीगे, चाहे मुख्यमंत्री जी सीगे बाहर असी हिन्दी, अंग्रेजी ते पंजाबी च उन्हां दे नां ते डैजिगनेशन लिखे होए सी। साड्डी पंजाबी साहित्य अकैडमी जेड़ी बहुत ही वधिया ढंग दे नाल कम कर रही सी। उन्हांने कई वार मैनु लिट्रेचर पेजा ते मैंनू भी वेख्या है। उन्हां ने तां ते क, ख, ग इत्यादि ते वी बहुत वधिया कम कित्ता सी। होंण साड्डे प्राह ने प्रश्न पूछ्या कि तुसी कर की रहे हो ते मंत्री जी ने ऐ कह्या कि हुंण असी आदेश दित्ते हैंगे। आदेश तां पहले तों ही दित्ते होये सी। सरकार ने 6 सालां च पंजाबी नू वधाण वास्ते कित्ता की है? की असी पंजाबी साहित्य अकाडमी दे अवार्ड दे रहे हैंगे, की असी जेड़े स्कूलां इस लैक्चरर लगाणे सीगे, किन्नी पंजाबी दी पोस्टां नू असी क्रिएट कित्ता है? ऐ साड्डी बड़ी पुराणी मंग रही है कि असी पंजाबी दे लैक्चरर भर्ती करिए क्योंकि ऐ पंजाबी साड्डे हरियाणा दी दूजी लैंग्वेज हैगी है। मेरा आप दे माध्यम तो इक अनुरोध है, असी गल कर रहे हां संस्कृत यूनिवर्सिटी दी, जे पंजाबी साड्डी दूजी बोली हे तां असी क्यों ना असी एक पंजाबी यूनिवर्सिटी या पंजाबी नूं वधाण वास्ते कोई चेयर क्यों नी स्थापित करदे हैगे? मेरा तां केवल इक ही कहणा है कि पहले तों ऐ आदेश हैंगे ने कि असी हिन्दी दे नाल, इंगलिश दे नाल–नाल पंजाबी जेड़ी दूसरी भाषा है ओनू प्रमोट करण। सानू मंत्री जी दसण कि किन्नी पोस्टां असी क्रिएट कितियां ने क्योंकि कुरूक्षेत्र च सिरसा च? खास तौर ते पेहवा, कुरूक्षेत्र, सिरसा ते शाहबाद इच जेड़ा सिरसा दा एरिया है उन्हां तो पहले बी बड़ी मांगां आइयां सी कि सानु उत्थे पंजाबी कम्पलसरी करनी चाहिदी है। क्योंकि चंडीगढ़ विच वी सैकेंड लैंग्वेज या तो पंजाबी है या संस्कृत है जेड़ी असी स्कूलां विच पढ़ांदे हां । मेरा ऐ अनुरोध है कि तुसी

ऐ दस्सो कि हरियाणा विच असी पंजाबी नू प्रमोट करण वास्ते आज तक कित्ता की की है?

**श्री शीशपाल सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं तुहाडे राहीं भैण गीता भुक्कल जी नूं कहणा चाहंदा हां कि मैं मंत्री जी दे ऐस जवाब तों संतुष्ट हां कि इनां ने कह दित्ता कि असी अज तक पंजाबी भाषा वास्ते हाले तक कुछ नहीं कित्ता, हुण करांगे। हुण कर दोगे तां भी तुहाडा बहुत–बहुत धन्यवाद।

**श्री भाम□ोर सिंह गोगी** : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इतना काम जरूर किया है कि जहां पंजाबी पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां से पंजाबी टीचर्स को हटाकर वहां भेज दिया जहां पंजाबी पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हैं। यह ऑन रिकॉर्ड है।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : गोगी जी, आपके कहने से इस बार हमने बजट में पंजाबी भाषा को स्पैशली एन.एस.क्यू.एफ. में डाला है।

**श्रीमती गीता भुक्कल** : अध्यक्ष महोदय, पंजाब एस.जी.पी.सी. चल रही है। हरियाणा के बारे में भी यह बात हुई थी कि हरियाणा में भी सैप्रेट एस.जी.पी.सी. बनाएंगे। ताकि एस. जी.पी.सी. के खजाने में दूसरी चीजों के लिए जो पैसा आया है उसका हरियाणा में भी फायदा होवे।

**श्री कंवर पाल** : अध्यक्ष महोदय, गीता भुक्कल जी ने जो साईन बोर्ड की बात की है उसमें हमने भी निर्णय लिया है कि साईन बोर्ड और माईलस्टॉन पर हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखा जाएगा। दूसरी बात गीता भुक्कल जी ने कहा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था। मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार के समय में कितने जवाब पंजाबी भाषा में दिये गये थे। गीता जी, आपकी सरकार ने तो यह व्यवस्था नहीं की थी लेकिन हम यह व्यवस्था अब शुरू करने जा रहे हैं। जो आपने कहा है उसकी व्यवस्था हमने की है और हम पंजाबी भाषा में भी जवाब देंगे। अगर कोई सदस्य पंजाबी में प्रश्न करेगा तो हम उसका जवाब पंजाबी में ही देंगे।

.....

## To Check the under Ground Water

***179. Smt. Nirmal Rani:** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the under-ground water of villages Bari, Lalheri

Kalan, Lalheri Khurd, Rajlu Garhi and Bhogipur of Ganaur Constituency has been contaminated; if so, the reason thereof togetherwith the steps taken by the Government to check the said problem?

**@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : नहीं, श्रीमान।

**श्रीमती निर्मल रानी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि गन्नौर निर्वाचन क्षेत्र के गांव बड़ी, लल्हेड़ी कलां, लल्हेड़ी खुर्द, राजलू गढ़ी तथा भोगीपुर का भूमिगत जल दूषित हो गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

**डॉ. बनवारी लाल** : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बड़ी गांव की जनसंख्या 6648 व्यक्ति थी और वर्ष 2020 की जनगणना के अनुसार 7711 व्यक्ति है। इस गांव की जलापूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रति दिन है। इस गांव में बड़ी जलापूर्ति की योजना 31.03.1996 में चालू की गई थी और 3 नलकूपों द्वारा इसकी सप्लाई की जा रही है। इसी तरह से लल्हेड़ी कलां में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या 1705 व्यक्ति थी और वर्ष 2020 की जनगणना के अनुसार 2012 व्यक्ति है। इस गांव की जलापूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रति दिन है। इस गांव में बड़ी जलापूर्ति की योजना 31.08.1995 में चालू की गई थी और 3 नलकूपों द्वारा इसकी सप्लाई की जा रही है। इसी तरह से लल्हेड़ी खुर्द में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या 1138 व्यक्ति थी और वर्ष 2020 की जनगणना के अनुसार 1345 व्यक्ति है। इस गांव की जलापूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रति दिन है। इस गांव की जलापूर्ति 2 नलकूपों द्वारा की जा रही है। इसी तरह से राजलू गढ़ी में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या 1821 व्यक्ति थी और वर्ष 2020 की जनगणना के अनुसार 2112 व्यक्ति है। इस गांव की जलापूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रति दिन है। इस गांव की जलापूर्ति 3 नलकूपों द्वारा की जा रही है। इसी तरह से भोगीपुर में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या 4426 व्यक्ति थी और वर्ष 2020 की जनगणना के अनुसार 5134 व्यक्ति है। इस गांव की जलापूर्ति 55 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रति दिन है। इस गांव में बड़ी जलापूर्ति की योजना 31.03.2008 में चालू की गई थी और 3 नलकूपों द्वारा इसकी सप्लाई की जा रही है। इसी तरह से गांव लल्हेड़ी कलां, लल्हेड़ी खुर्द,

---

@ Reply given by the Co-operation Minister

राजलू गढ़ी तथा भोगीपुर के भू–जल की नियमित रूप से जांच की गई है। इन गांवों में पानी पीने योग्य है जिसकी भौतिक व रसायनिक जांच की रिपोर्ट भी विभाग के पास है।

**श्रीमती निर्मल रानी** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मेरा सवाल है कि जो पानी दूषित हुआ है उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। गांव बड़ी इंडस्ट्रीयल एरिया में जो कैमिकल की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनका रिवर्स बोर किया हुआ है जिनका गन्दा पानी नीचे जमीन में जा रहा है। मेरे पास उन सारी फैक्ट्रियों का पूरा ब्यौरा है कि कहां–कहां क्या हो रहा है इसलिए उसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए क्योंकि पानी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आगे चलकर वहां पानी की कोई फैक्ट्री लग जाएगी। वहां पानी की सप्लाई तो दे दी गई है लेकिन जो ग्राउंड वाटर दूषित हो रहा है उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

**डॉ. बनवारी लाल** : अध्यक्ष महोदय, अभी लैबोरेट्री की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तो वहां का पानी दूषित नहीं हो रहा है और पीने लायक है लेकिन फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो उस पर हम कार्यवाही करेंगे।

**श्रीमती निर्मल रानीः** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरी इस बात का भी जवाब दें कि हमारे यहा जिन गांवों का मैंने अभी जिक्र किया था, जब यहां पर बोर करके पानी निकाला जाता है तो वह गुलाबी रंग का पानी निकलता है। इस गंदे पानी की वजह से इन गांवों में हर पांचवी मौत कैंसर और काला पीलिया जैसी भयानक बीमारियों की वजह से हो रही है। इन गांवों का अगर सर्वे करवाया जाये तो पायेंगे कि यहां पर हालात बहुत गम्भीर बने हुए है।

**श्री बनवारी लालः** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की चिंता के मद्देनज़र इनको आश्वस्त करता हूँ कि हम इन गांवों में जो वस्तुस्थिति चल रही है, उसकी जांच करवाकर यथासंभव प्रभावी कदम उठायेंगे।

**श्री धर्म सिंह छोक्करः** अध्यक्ष महोदय, सदन में मेरा आज तक कोई प्रश्न नहीं लगा है और मुझे सिर्फ सप्लीमैंटरी क्वैशचन पूछने के लिए कहा जाता है जिसका न तो कोई स्पेसिफिक उत्तर मिलता है और न मेरे द्वारा कही गई किसी बात को नोट ही किया जाता है। (विघ्न)

**श्री अध्यक्षः** छोक्कर जी, विधान सभा में प्रश्न देने के संबंध में जो नियम है वह यह है कि सैशन प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व प्रश्न विधान सभा में प्राप्त हो जाने

चाहिए। आपने देरी से अपने प्रश्नों को भेजा है जिसकी वजह से कल प्रश्न सिलेक्ट करने के लिए जो ड्रा निकाला गया, उसमें आप के प्रश्नों को स्थान नहीं मिला। आपके प्रश्न बहुत लेट आए हैं और विधान सभा की नियमावली के हिसाब से 15 दिन की समयावधि को पूरा नहीं करते थे इसलिए इनको ड्रॉ में भी शामिल नहीं किया गया। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री धर्म सिंह छोक्करः** अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहता। अगर मुझे आपकी तरफ से सप्लीमैंटरी क्वैशचन पूछने की इजाजत भी दे दी जाये तो मेरा काम चल जायेगा।

**श्री अध्यक्षः** छोक्कर जी, सप्लीमैंटरी क्वैशचन का क्या मतलब? अगर आप नियत समयावधि के अंदर अपने प्रश्न विधान सभा में भेजेंगे तो आपके प्रश्नों को भी लगाया जायेगा।

**श्री धर्म सिंह छोक्करः** अध्यक्ष महोदय, ठीक है आगे से इस चीज का पूरी तरह से ध्यान रखा जायेगा। अब मैं जमीनी पानी के पूर्ववर्ती प्रश्न पर ही आधारित अपना सप्लीमैंटरी क्वैशचन पूछना चाहूंगा। हमारे यहां एक चुलकाना गांव है जिसकी आबादी लगभग 20000 के करीब है। इस गांव को टच करते हुए एक शराब की फैक्ट्री लगी हुई है। इस फैक्ट्री से जो कैमिकल युक्त पानी निकलता है वह सारा पानी बोर करके जमीन में छोड़ दिया जाता है। इस गांव के साथ लगते 10 गांवों में कैंसर व काला पीलिया के 700–700, 800–800 पेशैंट्स मिल जायेंगे। इस समस्या के बारे में माननीय सदस्या श्रीमती निर्मल रानी ने भी बताया है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में जवाब चाहता हूँ कि क्या इस फैक्ट्री को शिफ्ट किया जायेगा या कोई अन्य प्रावधान किए जायेंगे, कृपया करके मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें।

**डॉ. बनवारी लालः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है, उसकी जांच करवाकर समस्या को दुरूस्त करवा दिया जायेगा।

.....

## To Solve the Problem of Drinking Water

***165. Shri Neeraj Sharma :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the steps taken by the Government to solve the problem of drinking water in ward No. 1,3,5,6,7,8,9,10 of N.I.T. Faridabad?

**Urban Local Bodies Minister (Shri Anil Vij) :** Sir, there are 248 tubewells supplying drinking water for Ward No's 1,3,5,6,7,8,9,10 of NIT Constituency. Drinking water for Ward No's 1 & 3 is also being supplied through Ranney Well System Situated in Village Mothuka and in Ward No's 5,6,7,8,9 & 10 through the Ranney well situated in villages Manjhawali & Dadasia. The existing gap will be bridged by commissioning of 26 new tube wells installed under JUNNURM scheme before may, 2020.

**श्री नीरज शर्मा:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में मेरे प्रश्न में वर्णित जो 8 वार्ड्ज हैं, इनको कितने एम.एल.डी. पानी दिया जा रहा है? माननीय मंत्री जी ने अभी जिस प्रकार बताया कि इन एरियॉज में पानी का जो गैप बनेगा उसे वर्ष 2020 तक भरने का काम किया जायेगा, के परिपेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि सी.एम. अनाउंसमेंट न. 18416 के तहत 9 करोड़ 28 लाख रूपये सैंग्शन हुए थे लेकिन प्राप्त केवल 8 करोड़ रूपये ही हुए थे, इस घोषणा में यह मैंशन था कि एन.आई.टी.–86 में 100 ट्यूबवैल्ज को लगाया जायेगा लेकिन यहां पर अभी तक मात्र 8 ट्यूबवैल्ज ही लगे हैं बाकी ट्यूबवैल्ज बड़खल तथा बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ही लगे हैं। इसी तरह सी.एम. अनाउंसमेंट न. 11152 के तहत 4 करोड़ रूपये की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हुई जिसके अगेनस्ट मेरे विधान सभा क्षेत्र को अभी तक 50 लाख रूपया ही मिला है। इसी प्रकार पीने के पानी के लिए सी.एम. अनाउंसमेंट न. 20974 के तहत 1 करोड़ 73 लाख रूपये की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हुई जिसके अगेनस्ट हमें अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, यह सब बताने के पश्चात् मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमें कितना एम.एल.डी. पानी मिल रहा है तथा जो यह पानी दिया जा रहा है, सरकार कितनी जनसंख्या को ध्यान में रखकर इस पानी की आपूर्ति करने का काम कर रही है और यदि इसमें जो गैप बनेगा, इस गैप को सरकार कैसे भरने का काम करेगी साथ ही माननीय मंत्री जी से यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि जब वे अपना जवाब दें तो उसमें हमारे सिर्फ 8 वार्डों का ही जिक्र करें।

**श्री अनिल विज:** अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने अपने 8 वार्डों में दिए जा रहे पानी के बारे में पूछा है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि इन 8 वार्डों में 54 एल.एल.डी. पानी मिलना चाहिए जिसके अगेनस्ट अभी इनको 38.62 एम.एल.डी. पीने का पानी दिया जा रहा है और जो गैप है वह 15.62 एम.एल.डी. का बनता है। इस गैप को सरकार 26 न0 ट्यूबवैल्ज लगाकर पूरा करने का काम करेगी।

**श्री नीरज भार्मा:** अध्यक्ष महोदय, यह पानी का महत्वपूर्ण सवाल है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वहां पर जरूरत 54 एम0एल0डी0 पानी की है। सरकार का संकल्प तकरीबन 135 एम0एल0डी0 पानी देने का है। अध्यक्ष महोदय, 54 एम0एल0डी0 पानी का मतलब माननीय मंत्री महोदय ने हमारी जनसंख्या तीन या साढ़े तीन लाख ही आंकी है जो सत्य नहीं है। अभी हमारे प्रदेश में 125 दिन पहले ही विधान सभा के चुनाव हुए हैं, इन आठ वार्डों में 189 चुनावी बूथ थे, जिसकी वोट की संख्या लगभग 1.99 लाख थी। हमारे यहां कच्ची कॉलोनियां बनी हुई हैं और बहुत से लोगों के वोट भी नहीं बने हुए हैं। मेरे हिसाब से वहां की आबादी 7–8 लाख है। हरियाणा सरकार के नियम के मुताबिक 7–8 लाख की आबादी के लिए हमें 95 एम0एल0डी0 पानी की आवश्यकता है। हमारे यहां पांच हजार तो पशुधन हैं, इसके लिए वहां हमें पांच एम0एल0डी0 पानी की अतिरिक्त आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, 25 हजार की आबादी ऐसी है, जिसकी वोट तो फरीदाबाद शहर में है, वे चाहे आशियाना के ई0इब्ल्यू0एस0 के फ्लैट्स में रहते हों, चाहे वे डुआ कॉलोनी के फ्लैट्स में रहते हों, पानी तो हमारा जा रहा है। उसके लिए भी वहां चार एम0एल0डी0 पानी की अतिरिक्त आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्र में पानी का कोई भी प्रोविजन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सब्जी मण्डी में तकरीबन 10 हजार लोग सुबह–सुबह आते हैं, उनके लिए भी कोई भी एक्स्ट्रा पानी की व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहूँगा कि मेरे इलाके में पानी की एक बूंद की भी वेस्टेज नहीं है। हम लोग गरीब बस्ती के लोग हैं, इसलिए हमारे यहां कोई फुव्वारें वगैरह भी नहीं लगे हुए हैं और न ही हमारे यहां कोई भी स्विमिंग पूल है, जिसके लिए हम पानी की डिमाण्ड कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो पानी हमें पीने के लिए मिल रहा है, क्या वह टैस्टिंग होकर आता और पीने लायक है? मैं तो कहता हूँ कि पहले उस पानी की प्रयोगशाला में जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रैनीवैल के बारे में कहना चाहता हूँ कि लाइन नं0 3 जिससे हमें 20 एम0एल0डी0 पानी आ रहा है और वह लाइन अपनी फुल कैपेसिटी में चल रही है। पहले रैनीवैल लगाए थे तो कुएं में पानी 15 फीट पर था और आज पानी 80 फीट तक पहुँच गया है। दो साल के बाद तो पानी ही नहीं बचेगा। अध्यक्ष महोदय, उस 20 एम0एल0डी0 पानी में से सेक्टर 9,10 और 11 में भी जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें 110 एम0एल0डी0 पानी की आवश्यकता है। हमें मंत्री जी यह बता दें कि हमें 110 एम0एल0डी0 पानी में से कितना एम0एल0डी0 पानी कब तक मेरे क्षेत्र को दे देंगे। जिससे हम अपनी जनता का विश्वास दिलाएं कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। कल हमारे यहां पार्षदों की मीटिंग थी और

उस मीटिंग में केवल पानी का ही मुद्दा उठाया गया था। आज की तारीख में मेरे इलाके में पानी टैंकरों से आ रहा है तो गर्मी के मौसम में पानी की क्या स्थिति होगी? इस बात का अंदाजा स्वयं सदन लगा सकता है। अध्यक्ष महोदय, नगर निगम कोई भी आंकड़ें माननीय मंत्री तक सही तरीके से नहीं पहुँचाता है। जो आंकड़ें नगर निगम माननीय मंत्री जी को बताता है, माननीय मंत्री जी वही आंकड़ें सदन के पटल पर रख देते हैं। हमने रात के दो–दो बजे बुस्टरों पर जाकर देखा है। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : शर्मा जी, आप सप्लीमैंट्री पूछने की बजाय इसके बहाने अपना भाषण दे रहे हैं।

**श्री नीरज भार्मा**: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमें यह बता दें कि हमारे इलाके को 110 एम0एल0डी0 पानी कब देंगे?

**श्री अनिल विज**: अध्यक्ष महोदय, विभाग की कैलकुलेशन के मुताबिक जितनी माननीय सदस्य के इलाके में पानी की शॉर्टेज थी, उसका जवाब दे दिया गया है। पानी की शॉर्टेज के लिए 26 टयूबवैल का काम हमने शुरू कर दिया है और इस शॉर्टेज को दूर करेंगे। माननीय सदस्य विभाग के आंकड़ें के बारे में कह रह हैं कि गलत हैं, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि हम इस बात का दोबारा से सर्वे करवा लेंगे।

**श्री कुलदीप वत्स** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले बादली क्षेत्र को म्यूनिसिपल कमेटी बनाने की घोषणा की थी।

**श्री अध्यक्ष**: वत्स साहब, आप सिर्फ पानी के विषय को लेकर सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। यह अलग प्रश्न है।

.....

## Bio-Degradable Carry Bags

***350. Shri Ghanshyam Dass Arora :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide subsidy to manufacturing units producing bio-degradable carry bags in State; if so, the details thereof?

**Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) :** No, Sir, there is no such proposal under consideration of the Government at present.

**श्री घन□याम दास अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि हम जैविक रूप से गलनशील पदार्थ जैसे जूट, कपड़ा आदि के बने हुए कैरी बैग उपलब्ध नहीं करवायेंगे तो पॉलिथिन के कैरी बैग और पॉलिथिन से बना हुआ प्रचुर मात्रा में दूसरा सामान का प्रयोग प्रदूषण, स्वास्थ्य और पशुओं के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। यदि सरकार जैविक रूप से गलनशील पदार्थ से बने सामान का उपायोग नहीं करेगी और नष्ट होने वाले कैरी बैग के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का काम नहीं करेगी तो हम किस प्रकार से पॉलिथिन के कैरी बैग रोक पायेंगे?

**श्री दुश्यंत चौटालाः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक गंभीर विषय उठाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय, पॉलयूशन कट्रोल बोर्ड और स्थानीय शहरी निकाय विभाग द्वारा भी नोटिफिकेशन निकाली गई है कि पॉलिथिन के बैग आदि का यूज हरियाणा प्रदेश में बंद किया जाए। हमारी सरकार ने यह पहल की है कि प्रदेश में सरकारी संस्थाओं को प्लास्टिक की बोतल से पूरी तरह से मुक्त किया जाए । जहां तक बायो–डीग्रेडेबल बैग्स की बात है हम सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को रीयूजेबल (पुनः प्रयोज्य) बैग्स बनाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं । इसके अलावा इंडस्ट्रियल पोलिसी में इंटरप्राजिज प्रमोशन पोलिसी के तहत अगर कोई इस तरह के रिसाइकल सब्सटैंस (पदार्थ का पुनर्नवीनीकरण) को युटीलाइजेशन के लिए यूनिट सैट अप करता है तो हम उसको जी. एस.टी. में सब्सिडी और टैक्नीकल असिसटैंस देते हैं । इसके अतिरिक्त उसे स्टाम्प ड्युटी का रिफंड देते हैं और सी.एल.यू. चार्जिज में भी वेव ऑफ आदि करते हैं । अतः हमारा प्रयास है कि प्रदेश में इस तरह की यूनिट सैट अप हों जो रीसाइक्लिंग (पुनरावृत्ति करना) को बढ़ावा दे रही है ।

**श्री घनश्याम दास अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सदन में उन्होंने रिसाइकलिंग की बात की है इसका मतलब है कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि प्रदेश में पॉलीथीन के कैरी–बैग और पॉलीथीन का दूसरा सामान प्रयोग हो रहा है । क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हमारे प्रदेश में पॉलीथीन की इकाइयों से पॉलीथीन बैग और पॉलीथीन के अन्य सामान को बनाना ही बंद कर दिया जाए तथा साथ–साथ यह भी प्रबंध कर दिया जाए कि हमारे प्रदेश से बाहर किसी दूसरे प्रदेश में बना हुआ पॉलीथीन का सामान यहां पर आकर बिकता है तो उसको भी रोका जाए । क्या इस तरह के कदम उठाने की सरकार की कोई योजना है ?

**श्री दुष्यन्त चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्लास्टिक की बात की है । यह केवल बैग्स में युटीलाइज नहीं होता है बल्कि इसका अनेकों जगहों पर यूज होता है। इसकी युटीलाइजेशन क्रेट्स (टोकरा) और बहुत–से अन्य सब्सटैंसिज में होती है । जहां तक बैग्स की बात है हम पहले ही कह चुके हैं कि हम सैल्फ हैल्प ग्रूप्स जो जूट और कपड़े के बैग को बनाने का काम करते हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है उसके अनुसार हमारे अधिकारी आने वाले समय में इस विधान सभा के पटल पर भी किसी भी तरह का प्लास्टिक से बना हुआ सामान न रखें ।

**श्रीमती किरण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि माननीय सदस्य ने अपने सवाल में कहा कि प्लास्टिक बैग्स जहां पर बनते हैं, जो उनका बेस है, जहां पर ये मैनूफैक्चर होते हैं उन यूनिट्स को बंद कीजिए । अतः माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय बतायें कि ये उनको बंद कर रहे हैं या नहीं ?

**श्री दुष्यन्त चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है उसके जवाब में मैं बताना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी पब्लिक इंट्रस्ट में प्लास्टिक को पूरी तरह से केवल एक लिमिटेड माइक्रॉन से नीचे तक बंद किया है । यह माननीय सदस्या के संज्ञान में है । अतः हम उनको कम्पलीटली बंद नहीं कर सकते।

**श्रीमती किरण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि माननीय उप–मुख्य मंत्री महोदय इस पर अंकुश लगा रहे हैं या नहीं ?

**श्री दुष्यन्त चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट द्वारा 20.8.2013 में एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसके तहत शहरी क्षेत्र में प्लास्टिक युटीलाइजेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था । इंडस्ट्रियल डिपार्टमैंट ने हरियाणा प्रदेश में एक निश्चित माइक्रॉन लैवल से नीचे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाना कंप्लीटली बैन कर रखा है । अगर माननीय सदस्या के ध्यान में ऐसी कोई इंडस्ट्री रन हो रही है या इल्लीगल तरीके से चल रही है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि उनकी जानकारी वे हमारे साथ भी शेयर करें । हम उस पर प्रतिबंध लगवा देंगे ।

**श्रीमती किरण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि हरियाणा में कुछ हो ही नहीं रहा है ।

.....

## To Construct Rest House

***5. Shri Laxman Singh Yadav** : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct rest house of P.W.D. in Jatusana of Kosli constituency; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

**Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : (a)** & (b) No, Sir.

**श्री लक्ष्मण सिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में आई.टी.बी.पी. का एक ट्रेनिंग सैंटर और एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है । वहां पर रेलवे स्टेशन पर भी कोई विश्राम गृह नहीं है । अगर माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे जाटूसाना में यह सुविधा दे दें तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा । इसके अलावा इसी विभाग से संबंधित मेरा माननीय मंत्री जी से एक और प्रश्न है । मेरे हल्के के गांव गुरावड़ा में एक अंडरपास की जरूरत है । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : यादव जी, यह प्रश्न विश्राम गृह से संबंधित है और आप अंडरपास से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हो जोकि एक अलग प्रश्न है ।

12:00 बजे

**श्री दुष्यन्त चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में बताना चाहूंगा कि सरकार की पोलिसी है कि 20 किलोमीटर के दायरे में यदि एक विश्राम गृह है तो वहां पर कोई दूसरा विश्राम गृह नहीं बनाया जाएगा । मैं बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी जिले में कुल 3 विश्राम गृह हैं । एक विश्राम गृह जाटूसाना में है जो 12 किलोमीटर की दूरी पर है, एक विश्राम गृह नाहड़ में है जो 19 किलोमीटर की दूरी पर है और एक विश्राम गृह रेवाड़ी में है। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जाटूसाना में पी. डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) विभाग की ऐसी कोई जमीन नहीं है जिसके ऊपर विश्राम गृह बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने रेलवे की जमीन पर विश्राम गृह बनाने की बात की है। चूंकि रेलवे विभाग की जमीन पर विश्राम गृह बनाने का विषय केन्द्रीय सरकार से संबंधित है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि रेवाड़ी में रेलवे का विश्राम गृह बने। अगर वहां पर पैसेंजर इनपुट है तो माननीय रेल मंत्री जी को प्रस्ताव भेज सकते हैं जिस पर वे विचार कर लेंगे।

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

————————————————

**नियम 45 (1) कि अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर**

**To Level The Play Ground Of School**

***137. Shri Amarjeet Dhanda :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to raise the level of play ground of Government School in village Igrah of Julana Assembly Constituency; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

**शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल)** : नहीं, श्रीमान जी।

.....

**Details of Old Age Pension Scheme**

***317. Shri Bharat Bhushan Batra :** Will the Minister of State for Social Justice and Empowerment be pleased to state-

(a) the district wise details of the old age pension beneficiaries in State whose pension has been stopped by the Government during the period from 01.07.2018 to 31.01.2020;

(b) whether it is a fact that demand of arrears has been made by the Government from the old age pension beneficiaries mentioned in at (a) above; and

(c) the eligibility criteria for getting old age pension in State together with the details thereof?

**सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता राज्य मन्त्री (ओम प्रका□ा यादव)** : महोदय, (क) राज्य में 01.07.2018 से 31.01.2020 की अवधि के दौरान जिनकी वृद्वावस्था पैंशन बन्द कर दी गई थी, जिलावार संख्या निम्नानुसार हैः–

| क्र0स0 | जिले का नाम | न0 |
|---|---|---|
| 1 | अम्बाला | 97 |
| 2 | भिवानी | 49 |
| 3 | चरखी दादरी | 71 |
| 4 | फरीदाबाद | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **फतेहाबाद** | **2** |
| **6** | **गुरूग्राम** | **17** |
| **7** | **हिसार** | **42** |
| **8** | **झज्जर** | **65** |
| **9** | **जीन्द** | **7** |
| **10** | **कैथल** | **12** |
| **11** | **करनाल** | **10** |
| **12** | **कुरूक्षेत्र** | **18** |
| **13** | **महेन्द्रगढ** | **451** |
| **14** | **मेवात** | **4** |
| **15** | **पलवल** | **10** |
| **16** | **पंचकुला** | **46** |
| **17** | **पानीपत** | **7** |
| **18** | **रेवाडी** | **449** |
| **19** | **रोहतक** | **291** |
| **20** | **सिरसा** | **3** |
| **21** | **सोनीपत** | **28** |
| **22** | **यमुनानगर** | **15** |
| | **कुल** | **1696** |

(ख) हॉ, श्रीमान जी। सरकारी अधिसूचना संख्या 656–SW(4)-2018 दिनांक 08.05.2018 के अनुसार 31.03.2018 तक पहचान किए गए मामलों में आवेदक द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर स्वीकृत पैंशन की वसूली, ब्याज के बिना एक मुश्त के रूप में की जानी है। यदि वह यह राशि जमा करने की स्थिति में नही है तो यह प्रतिमाह दी जाने वाली पैंशन के 50 प्रतिशत के बराबर की मासिक किश्तों में वसूल की जायेगी।

(ग) एक व्यक्ति वृद्वावस्था सम्मान भते के लिए पात्र है, यदि–

i) वह 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु का होः

ii) वह हरियाणा राज्य का अधिवासी और मूल निवासी हैः तथा

iii) पति/पत्नी समेत उसकी वार्षिक आय 2,00,000/– रूपये से अधिक ना हो।

किसी भी सरकार या स्थानीय/वैधानिक निकाय या किसी भी सरकार या स्थानीय/वैधानिक निकाय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त किसी भी संगठन से पैंशन प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

## The Status of Dadupur Nalvi Canal

***71. Shri Ram Karan** : Will the Chief Minister be pleased to state the status of Dadupur Nalvi Canal togetherwith the details thereof?

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : श्रीमान जी, विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

## विवरणी

दादुपुर नलवी सिंचाई योजना की अवधारणा 1985 में इस धारणा पर आधारित थी कि सतलुज यमुना लिंक के पूरा होने के साथ रावी ब्यास में हरियाणा का पूरा हिस्सा उपलब्ध होगा और दादुपुर से निकलने वाले पक्के चैनलों में यमुना नदी से सम्पूर्ण वर्ष 590 क्यूसिक जल छोड़ते हुए, जिला यमुनानगर, कुरूक्षेत्र तथा अम्बाला की भूमि सिंचित की जा सकेगी। यमुना के जल में कमी की क्षतिपूर्ति अतिरिक्त रावी ब्यास जल से मूनक हैड पर की जानी थी जो सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से राज्य द्वारा प्राप्त किया जाना था।

सतलुज यमुना लिंक नहर पूरी न होने के कारण वर्ष 2004 में सम्पूर्ण नहर प्रणाली को कच्चा रखने व खरीफ सिंचाई के प्रयोजन को पूरा करने व जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए केवल खरीफ अवधि के दौरान जल पहुंचाने का निर्णय किया गया था। अक्तूबर, 2005 के दौरान स्कीम के पुनर्विचार के बाद, अस्सी के दशक के आखिर में अधिकृत 190.085 एकड़ भूमि सहित कुल 2247.53 एकड़ भूमि की जरूरत थी।

वर्ष 2004 उपरांत इस स्कीम के लिए कुल 830.10225 एकड़ भूमि अधिकृत की गई थी, जो केवल मुख्य चैनल जैसे कि शाहाबद फीडर, शाहाबद रजवाहे तथा नलवी रजवाहे के निर्माण के लिए थी। बाकी की लगभग 1227.3427 एकड़ भूमि रजवाहों तथा माईनरों के निर्माण के लिए थी, भू–स्वामी किसानों द्वारा विरोध के कारण अधिकृत नहीं की जा सकी क्योंकि वे इन चैनलों के निर्माण के लिए अपनी भूमि देने के लिए इच्छुक नहीं थे जो केवल खरीफ मौसम (वर्षा ऋतु) के दौरान पानी लाते, जब उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं होती ।

कुल परियोजना भूमि की आधी से अधिक का अधिग्रहण न होने के कारण योजना पूर्ण रूप से निष्फल हो गई थी क्योंकि सिंचाई के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के लिए रजवाहों तथा माईनरों के लिए भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी ।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सी0ए0जी0) ने वर्ष 2011–12 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सोशल जनरल एवं इकोनोमिक सैक्टर (गैर सार्वजनिक सैक्टर उपक्रम) पर वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 3 में अवलोकन किया, जिसमें कहा गया कि परियोजना की उपयोगिता के बारे में विभाग का उत्तर ठोस नहीं था क्योंकि नहर से सिंचाई प्रदान करने की परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सका और इसलिए यह योजना निष्फल प्रतिपादित मानी गई।

इसलिए हरियाणा के महाअधिवक्ता की कानूनी राय ली गई जिन्होंने सूझाव दिया कि भूमि को डिनोटिफाई किया जाए और भूमि मालिकों को वापिस कर दिया जाए। 27.09.2017 को कैबिनेट ने मंजूरी दी कि भूमि को इस शर्त के साथ वापिस किया जाए कि भूमि के मालिकों को जो मुआवजा मिला था वे उसे ब्याज के साथ वापिस करेंगे।

दादूपुर नलवी सिंचाई योजना की 824.71 एकड़ भूमि को सरकारी अधिसूचना संख्या 2/107/2017–1आई0डब्ल्यू0 दिनांक 03.08.2018 के द्वारा डिनोटिफाई किया गया था और 5.39225 एकड़ भूमि को सरकारी अधिसूचना संख्या 2/107/2017–1आई0डब्ल्यू0 दिनांक 11.12.2018 के द्वारा डिनोटिफाई किया गया।

दिनांक 25.06.2019 को कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई और विचार–विमर्श किया गया, जिसमें मूल भूस्वामियों और उनके कानूनन उत्तराधिकारियों को उक्त भूमि को वापिस करने के सरकार के निर्णय करने के बारे में सूचित करने का निर्णय लिया गया। मूल मालिक या उनके कानूनन उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति/सांत्वना राशि (solatium) छोड़कर भुगतान की गई कुल राशि, जैसा कि हर मामले में अलग–अलग है, वापिस करेंगे, जोकि मूल मुआवजे की प्राप्ति की दिनांक से 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर के साथ बनता है।

सरकार ने उन भूस्वामियों किसानों के लिए भी साधारण ब्याज माफ करने का फैसला किया है, जो सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद उसके उपयोग या क्षति के लिए मुआवजे का दावा नहीं करते हैं।

इस संबंध में सरकार ने आदेश के रूप में सरकारी अधिसूचना संख्या 2/107/2017–1आई0डब्ल्यू0 दिनांक 01.07.2019 जारी की गई और हरियाणा सरकार के राजपत्र में संख्या नं0 28–2019 चण्डीगढ़, मंगलवार, 09 जूलाई, 2019 (आषाढ़ 18, 1941 साका) को प्रकाशित की गई।

———————

## To Replace the Old Pipe Lines

***310. Shri Subhash Sudha** : Will the Chief Minister be pleased to state–

(a) whether it is fact that the old water supply pipe lines and sewerage pipe lines in Sector 2, 3 and 13 of Kurukshetra City are in dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government. to replace the said pipe lines togetherwith the time by which these are likely to be replaced?

**eq[;ea=h ¼euksgj yky½ %** Jheku th] lnu ds iVy ij ,d oDrO; j[kk x;k gSA

## fooj.k

Jheku]

eq[; iz'kkld] g'kfoizk }kjk i= Øekad 735 fnukad 27-06-1989 }kjk 373-78 yk[k :i;s ds fy, Lohd`r vkdyu ds varxZr lsDVj**&**3 dq:{ks= esa tykiwfrZ dh ykbusa yxHkx 30 lky igys o"kZ 1990**&**91 esa yxkbZ xbZ FkhaA gkykafd] le; chrus ds lkFk ekStwnk tykiwfrZ ikbi ykbuksa ¼,-lh-@lh- vkbZ- ikbiykbuksa½ ds gzkflr gksus dh laHkkouk gSA xSl daiuh }kjk Hkwfexr xSl ikbZi ykbusa fcNkus ds nkSjku Hkh ekStwnk tykiwfrZ ykbusa {kfrxzLr gqbZ gSaA ykbuksa dh vko’;d ejEer dj nh xbZ gS vkSj orZeku esa dq:{ks= ds lsDVj&3 esa fjlko ugha ik;k x;k gSA

dq:{ks= ds lsDVj&2 vkSj 13 dh ekStwnk tykiwfrZ iz.kkyh esa dksbZ cMh fjlko ;k leL;k ugha gSA fu;fer rkSj ij {ks= dk fujh{k.k fd;k tk jgk gS rFkk fjlko ik, tkus ij mldh ejEer rqjar djok nh tkrh gSA fQygky lsDVj&2 vkSj 13 dq:{ks= esa tykiwfrZ dks ysdj dksbZ f’kdk;r ugha gSA

dq:{ks= ds lsDVj&2] 3 vkSj 13 dh lhojst ykbusa Bhd ls dke dj jgh gSA lhoj ykbuksa dh lkef;d lQkbZ vko’;drk ds vuqlkj djok nh tkrh gSA

lsDVj&3 dq:{ks= dh vkarfjd ,-lh-@lh- vkbZ- ikbiykbuksa ds izfrLFkkiu ds fy, ;FkkFkZ esa ,d izLrko gSA yxHkx 416-10 yk[k :Ik;s dk ,d vkdyu vuqeksnu dh izfØ;k esa gSA dk;Z vkcaVu ls tqMs+ lHkh vko’;d vuqeksnu izkIr gksus ds 12 eghuksa ds Hkhrj dk;Z dks iw.kZ dj fy, tkus dh laHkkouk gSA

---

## Construction of Bye-Pass

***44. Shri Mewa Singh :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct any Bye-Pass for Ladwa City; if so, the details thereof togetherwith the time by which it is likely to be constructed ?

**उप मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला)** : नहीं, श्रीमान जी।

.....

## Details of Defaulting Mining Contractors

***13. Smt. Kiran Choudhry** :Will the Mines and Geology Minister be pleased to state whether any Government dues are pending against any of the mining contractors in State; if so , the details thereof togetherwith the details of penalty imposed on such defaulters ?

**परिवहन मंत्री (श्री मूल चंद भार्मा)** : श्रीमान जी, प्रश्न का जवाब सदन के पटल पर रखा है।

### ब्यौरा

खनिज रियायत धारकों (खनन ठेकेदारों/पट्टेदारों) द्वारा अदा की जाने वाली ठेके की राशि/भाटक तथा अन्य भुगतान एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है जो कि मासिक किश्तों में अदा की जाती है। खनन ठेकेदारों/पट्टेदारों के विरूद्ध परिचालन अवधि के दौरान व इससे पहले के सरकारी बकाया का विवरण अनुलग्नक क/1 व क/2 में दिए गए हैं।

यदि सरकारी देय राशि अदा करने में देरी/दोष होता है तो राशि ''हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012'' के नियम 56 (6) के प्रावधानानुसार ब्याज सहित वसूली जाती है। यदि खनिज रियायत धारक बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसका खनन कार्य नियम 56 (7)(ii) के अनुसार निलम्बित कर दिया जाता है तथा रियायत क्षेत्र से खनिज का प्रेषण रोक किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि खनिज रियायत धारक खनन निलंबित करने के बावजूद भी राशि अदा करने में असफल रहता है तो नियम 56 (7)(vi) के प्राधनानुसार खनन ठेका/पट्टा रद्द कर दिया जाता है। खनन ठेका/पट्टा रद्द करने के बाद बकाया राशि भू राजस्व के रूप में रियायत धारकों व/या उसके जमानतियों से वसूल की जाती है। वर्ष 2015 से अब तक कुल 26 खनन ठेके/पट्टे सरकारी राशि अदा न करने के कारण रद्द किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 05 खनन ठेके/पटटे सरकारी राशि अदा न करने के कारण निलम्बित पड़े हैं।

अनुलग्नक क/1

## चालू खानों की तरफ खनन अवधि के दौरान की बकाया राशी (31.12.2019 तक)

| क्रम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेकै/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य के दौरान की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| चरखी दादरी | | | | | | | | | |
| 1. | पिचोपा कलां-2 | मैसर्स पाईनीर पार्टनरस | 16.465 | 10 | 11.04.2017 | 20.06.2017 | 00 | 00 | |
| 2. | असावरी | श्री दाता राम | 7.05 | 10 | 15.06.2018 | 25.07.2018 | 00 | 00 | |
| 3. | झौजू कलां | मैसर्स एम0एस0के0 जे0बी0 | 8.65 | 10 | 10.03.2017 | 02.08.2017 | 0.10 | 0.02 | |
| 4. | अटेला कला | मैसर्स एम0एस0के0 जे0बी0 | 16.07 | 12 | 03.01.2015 | 03.07.2015 | 0.18 | 0.47 | |
| 5. | पिचोपा कलां-1 | मैसर्स सैनिक माईनिंक एंड अलाईड सर्वसिज लिमिटिड | 26 | 10 | 03.01.2015 | 01.05.2015 | 4.60 | 4.16 | |
| 6. | मनकावास–2 | मैसर्स यूनाईटिड माईनिंग कार्पोरेशन | 20.995 | 12 | 28.03.2017 | 19.04.2017 | 4.75 | 1.24 | माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 32194 ऑफ 2018 में अन्तरिम आदेश दिनांक 17.12.2018 द्वारा पट्टेधारक को 1,74,95,833/– की बजाय 1,38,37,454/– प्रतिमाह देने के आदेश पारित किये। आदेश दिनांक 04.04.2019 द्वारा राज्य को वार्षिक भाटक में कमी बारे अन्तिम फैसला लेने के निर्देश दिये। जिसके विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। |

| क्रम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य के दौरान की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | पिचोपा कलां-3 | मैसर्स जय दादा दोहला स्टोन माईन्स | 15.455 | 10 | 11.04.2017 | 20.06.2017 | 6.11 | 1.84 | |
| 8. | मनकावास–1 | मैसर्स केडेन इन्वैस्टमैन्ट प्राई0लि0 | 16.055 | 10 | 11.04.2017 | 27.12.2017 | 8.32 | 3.35 | |
| 9. | रामलवास | मैसर्स केडेन इन्फा इन्जिनिरिंग प्राई0लि0 | 14.355 | 10 | 12.04.2016 | 22.06.2016 | 8.97 | 2.21 | |
| 10. | खेड़ीबत्तर–2 | मैसर्स ए0एस0डी0 आर0के0सी0 जे0बी0 | 41.05 | 12 | 05.10.2016 | 13.12.2016 | 9.30 | 4.48 | |
| भिवानी | | | | | | | | | |
| 11. | डाडम | मैसर्स गोवर्धन माईन्स एंड मिनरल्स | 92.12 | 10 | 04.12.2018 | 04.12.2018 | 19.63 | 0.63 | |
| 12. | खानक | एच0एस0आई0आई0डी0 सी0 | 2.58 | 20 | 03.01.2015 | 21.12.2016 | 1.70 | 0.24 | |
| महेन्द्रगढ़ | | | | | | | | | |
| 13. | अमरपुर जौरासी | मैसर्स मुनीर एन्टरप्राईजिज | 9.01 | 10 | 03.01.2015 | 01.02.2016 | 1.05 | 0.95 | |
| 14. | नारनौल | मैसर्स ए0एन0ई0 इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 | 5.01 | 12 | 03.01.2015 | 06.05.2015 | 2.24 | 0.40 | |
| 15. | बखरीजा–1 | मैसर्स मदान एसोसिएटस | 15.59 | 10 | 24.07.2016 | 20.09.2016 | 10.50 | 5.10 | पटटेधारक ने याचिका 3122 आफ 2018 में दिनांक 10.01.2019 को माननीय उच्च न्यायालय से 1.43 करोड़ प्रमिमाह की ब्जाह 43 लाख प्रतिमाह जमा कराने के आदेश प्राप्त कर लिये। इसके बाद दिनांक 04.04.2019 द्वारा राज्य को |

| कम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य के दौरान की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | वार्षिक भाटक में कमी बारे अन्तिम फैसला लेने के निर्देश दिये। जिसके विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। |
| 16. | बखरीजा–2 | मैसर्स तिरूपति विनियोग प्राई0लि0 | 25.545 | 10 | 24.07.2016 | 09.08.2016 | 13.72 | 4.21 | पटटेधारक ने याचिका 14659 आफ 2019 में दिनांक 28.05.2019 को माननीय उच्च न्यायालय से 2.13 करोड़ प्रमिमाह की ब्जाह 1.60 करोड़ प्रतिमाह जमा कराने के आदेश प्राप्त कर लिये। राज्य ने उक्त आदेश 14.11.2019 को निरस्त करवा दिये। परन्तु पट्टेधारक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से दिनांक 13.01.2020 को फिर से अन्तरिम राहत प्राप्त कर ली। |
| 17. | बखरीजा–4 | मैसर्स ग्रेडिएंट बिजिनस कंसल्टिंग प्रा0लि0 | 32.505 | 10 | 29.07.2016 | 15.09.2016 | 18.80 | 6.10 | |
| पंचकूला | | | | | | | | | |
| 18. | कीरतपुर ब्लाक पीकेएल बी 5 व 6 | मैसर्स बरवाला रायल्टी कंपनी | 5.425 | 7 | 09.06.2016 | 30.09.2016 | 7.64 | 1.40 | |
| 19. | गोरखनाथ ब्लाक पीकेएल बी 1 व 2 | श्री नसीब सिंह | 5.275 | 7 | 09.06.2016 | 30.09.2016 | 7.78 | 1.82 | |
| 20. | नटवाल ब्लाक | मैसर्स विष्ण एन्टरप्राईजिज | 7.875 | 9 | 20.08.2018 | 10.10.2018 | 8.99 | 0.63 | |

| कम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य के दौरान की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21. | चरनिया | श्री गणेश रायल्टी कंपनी | 5.97 | 10 | 16.06.2018 | 29.06.2018 | 1.96 | 0.20 | |
| अम्बाला | | | | | | | | | |
| 22. | अम्बाला यूनिट 1 | मैसर्स एन्थिया प्रापर्टिज प्राई0लि0 | 82 | 8 | 03.01.2015 | 14.12.2015 | 201.28 | 85.72 | ठेकेदार ने सरकारी राशी अदा नहीं की अतः उसका खनन कार्य दिनांक 23.02.2018 को सस्पैंड कर दिया गया। ठेकेदार ने उसके विरूद्ध यह कहते हुए प्रतिवेदन दायर किया कि माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों की वजह से वह मैकेनिकल माईनिंग नहीं कर सका तथा उसको दिया गया क्षेत्र कम है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.11.2018 द्वारा सस्पैंशन आदेश निरस्त कर दिये तथा ठेकेदार को 25 लाख प्रतिमाह की राशी की अदायगी पर ठेका चलाने की अनुमति दे दी। मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है। राज्य ने अन्तरिम आदेशों के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। |
| 23. | डडयाणा ब्लाक अम्बाला 8 | श्री देवेन्द्र शर्मा | 0.875 | 7 | 25.07.2018 | 21.01.2019 | 0.59 | 0.50 | |
| यमुनानगर | | | | | | | | | |
| 24. | नंगला रागडान | मैसर्स तिरूपति अर्थ एंड प्रौजेक्ट वकर्स प्रा0लि0 | 4.99 | 9 | 16.06.2018 | 16.04.2019 | 00 | 0.61 | |

| क्रम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य के दौरान की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25. | गुमथला साउथ वाईएनआर 17 | मैसर्स एलीट माईनिंग कार्पोरेशन | 4.595 | 9 | 30.11.2016 | 26.04.2017 | 00 | 0.45 | |
| 26. | नगली ब्लाक | मैसर्स एम0पी0 ट्रेडर्स | 4.015 | 10 | 20.10.2017 | 26.04.2018 | 00 | 0.75 | |
| 27. | पोबारी ब्लाक वाईएनआर बी–11 | मैसर्स डवैल्पमैंट स्ट्रैटिज़ इण्डिया प्रा0लि0 | 3.83 | 9 | 19.06.2016 | 09.12.2016 | 0.48 | 0.14 | |
| 28. | गुमथला उत्तर ब्लाक 16 | श्री जोगिन्द्र सिंह | 7.415 | 7 | 19.06.2016 | 26.12.2016 | 0.99 | 0.44 | |
| 29. | बेलगढ़ दक्षिण ब्लाक वाईएन आर बी–2 | मैसर्स मुबारिकपुर रायल्टी कंपनी | 19.635 | 9 | 19.06.2016 | 09.12.2016 | 4.08 | 1.63 | |
| 30. | गलौरी वाईएनआर बी 39 | श्री कंवलजीत सिंह बत्तरा | 2.015 | 8 | 25.05.2017 | 08.08.2017 | 0.34 | 0.10 | |
| 31. | बीड़ टापू वाई एनआर बी 6 | मैसर्स रूट एंड जरनी | 5.025 | 7 | 19.06.2016 | 18.03.2017 | 1.05 | 0.46 | |
| 32. | मंडौली घग्गर पूर्व ब्लाक वाई एनआर बी 3 | मैसर्स जे0एस0एम0 फूड्स प्राई0लि0 | 3.305 | 10 | 19.06.2016 | 18.06.2017 | 1.00 | 0.15 | |
| 33. | मंडौली घग्गर पश्चिम ब्लाक वाई एनआर बी 4 | मैसर्स जे0एस0एम0 फूड्स प्राई0लि0 | 4.205 | 7 | 19.06.2016 | 18.06.2017 | 1.31 | 0.19 | |

| क्रम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य के दौरान की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 34. | मलिकपुर खदर ब्लाक वाईएन आर बी 28 | श्री कर्ज सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह | 4.595 | 8 | 14.09.2016 | 15.06.2017 | 0.96 | 0.29 | |
| 35. | पिपली माजरा ब्लाक वाईएन आर बी 29,30 31 | श्री परमजीत सिंह | 3.615 | 7 | 14.09.2016 | 15.06.2017 | 1.13 | 0.19 | |
| 36. | देवधर वाई एन आर बी 24 | मैसर्स नर्दरन रायल्टी कंपनी | 8.705 | 8 | 19.06.2016 | 12.08.2016 & 7.12.2016 | 2.72 | 1.56 | |
| 37. | खेहलीवाला वाईएनआर बी 21 व 22 | मैसर्स दिल्ली रायल्टी कंपनी | 7.375 | 8 | 19.06.2016 | 11.08.2016 & 7.12.16 | 4.22 | 1.24 | |
| 38. | कनालसी वाई एन आर बी 5 | मैसर्स पी0एस0 बिल्डटैक | 4.085 | 9 | 15.09.2016 | 27.01.2017 | 2.04 | 1.09 | |
| 39. | बेगमपुर वाईएन आर बी 37 | मैसर्स यमुना इन्फ्रा डवैल्पर्स प्राई0लि0 | 10.405 | 8 | 19.06.2016 | 16.09.17 | 4.41 | 0.77 | |
| 40. | लापरा वाईएन आर बी 10 | मैसर्स अपार माईन्स मैनेजमैन्ट सर्वसिज प्राई0 लि0 | 13.66 | 7 | 27.06.2016 | 21.12.2017 | 0.28 | 0.31 | |
| 41. | यमुनानगर यूनिट 2 | मैसर्स आस्टीन एक्सकेवेशन एंड माईनिंग प्राई0 लि0 | 24.16 | 8 | 03.01.2015 | 19.10.2016 | 27.80 | 6.62 | |
| 42. | एमटी करेडा ब्लाक | मैसर्स कंवलजीत सिंह बत्तरा | 3.525 | 7 | 20.10.2017 | 24.04.2018 | 2.05 | 0.44 | |

| कम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य के दौरान की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43. | धनौरा | मैसर्स जे0पी0वाई कन्सोरशियम प्रा0लि0 | 6.795 | 10 | 19.06.2018 | 16.09.2018 | 4.14 | 0.75 | |
| 44. | भूड कलां | मैसर्स गंगा यमुना रायल्टी कंपनी | 3.65 | 7 | 12.04.2016 | 16.06.2016 | 8.98 | 3.75 | |
| 45. | भूड माजरा | मैसर्स गंगा यमुना रायल्टी कंपनी | 2.93 | 7 | 19.06.2016 | 12.08.2016 | 6.91 | 2.98 | |
| करनाल | | | | | | | | | |
| 46. | करनाल यूनिट 4 | मैसर्स जय यमुना जी डवैल्पर्स | 56.65 | 8 | 03.01.2015 | 31.08.15 | 118.08 | 44.47 | ठेकेदार को जब सरकारी राशी अदायगी न करने पर नोटिस दिया गया तो उसने उसके विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह कहते हुए याचिका दायर की कि उनके द्वारा कुछ हिस्से की ई0सी0 बारे व कम्पनसेशन बारे दिये गये प्रतिवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने, याचिका संख्या 10046/2017 में पहले निर्देश दिये कि बिना नोटिस दिये व प्रतिवेदन पर फैसला लिए कोई कार्यवाही न की जाए। उनके प्रतिवेदन को रद्द करने पर उन्होंने उसके विरूद्ध सरकार के समक्ष अपील दायर कर दी तथा याचिका नं0 28036 आफ 2018 भी उच्च न्यायालय में दायर कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 31.10.2018 द्वारा उनकी अपील पर बिना पैसे जमा करवाए विचार करने को कहा। ठेकेदार ने 5,90,10,417/– रूपये प्रति माह की |

| क्रम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य के दौरान की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | बजाए रूप्ये 3 करोड़ देने का वचन दिया। याचिका 12083 आफ 2016 तथा याचिका 10046 आफ 2017 का दिनांक 13.02.2019 को निपटान करते हुए राज्य को निर्देश दिये कि ठेकेदार की ठेका राशी कम करने की अपील पर फैसला लिया जाए। |
| पानीपत | | | | | | | | | |
| 47. | पानीपत यूनिट 3 | श्री जय करण | 47 | 9 | 03.01.2015 | 29.08.2015 | 192.12 | 66.79 | सरकारी राशी की अदायगी न करने पर ठेके को दिनांक 04.07.2017 को निलम्बित कर दिया। ठेकेदार को नदी तल में मैनूअल माईनिंक की अनुमति प्रदान की गई थी तथा बाहर के क्षेत्र में मैकैनिकल माईनिंग की ई0सी0 दी गई थी। उन्होंने नदी तल में मैकेनिकल माईनिंग के लिए संशोधित ई0सी0 देने बारे आवेदन किया। ई0ए0सी0 ने हालांकि नदी तल में सैमी मैकेनाईजड माईनिंक की अनुमति दे दी परन्तु बाहरी क्षेत्र से माईनिंग न करने की सिफारिश की। ठेकेदार ने इस वजह से ठेके की राशी में कमी करने बारे अनुरोध किया तथा उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 29742 आफ 2018 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.11.2018 द्वारा आवेदन पर फैसला लेने के लिए कहा। मामला महाधिवक्ता |

| कम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य के दौरान की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | हरियाणा के पास सलाह के लिए भेजा गया तथा अन्तिम निर्णय के लिए लम्बित है। |
| सोनीपत | | | | | | | | | |
| 48. | टिकोला यूनिट 1 | मैसर्स डीएसपी एसोसिएटस | 9.07 | 9 | 02.01.2016 | 14.05.2018 | 10.58 | 5.40 | |
| 49. | बेगा/चन्दौली/ पबनेरा यूनिट | मैसर्स एलरोन कन्सलटैन्टस (ईण्डिया) प्रा0लि0 | 9.52 | 8 | 15.01.2016 | 05.02.2016 | 24.31 | 8.25 | |
| 50. | ग्यासपुर रसूलपुर | मैसर्स अल्टीमेट ग्रुप | 6.1325 | 8 | 21.04.2016 | 06.07.2016 | 13.06 | 5.54 | सरकार की बिना अनुमति के हक बेचने की वजह से ठेके को निलम्बित कर दिया गया है। |
| 51. | टिकोला 2 | मैसर्स आनन्द सिंह एंड कंपनी | 9.2 | 9 | 21.01.2016 | 15.04.2016 | 24.37 | 6.95 | |
| 52. | असदपुर | मैसर्स जैलकोवा बिल्डिकोण प्रा0लि0 | 11.04 | 10 | 02.01.2016 | 16.09.2017 | 22.72 | 4.25 | |
| | | | | | | Total | 818.34 | 292.23 | |

अनुलग्नक क/2

## चालू खानों की तरफ खनन शुरू होने से पहले की बकाया राशी

| कम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य शुरू करने से पहले की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| चरखी दादरी | | | | | | | | |
| 1. | पिचोपा कलां-2 | मैसर्स पाईनीर पार्टनरस | 16.465 | 10 | 11.04.2017 | 20.06.2017 | 3.20 | 1.83 |
| 2. | असावरी | श्री दाता राम | 7.05 | 10 | 15.06.2018 | 25.07.2018 | 0.76 | 0.18 |
| 3. | झौजू कलां | मैसर्स एम0एस0के0 जे0बी0 | 8.65 | 10 | 10.03.2017 | 02.08.2017 | 3.48 | 2.05 |
| 4. | अटेला कला | मैसर्स एम0एस0के0 जे0बी0 | 16.07 | 12 | 03.01.2015 | 03.07.2015 | 00 | 00 |
| 5. | पिचोपा कलां-1 | मैसर्स सैनिक माईनिंक एंड अलाईड सर्वसिज लिमिटिड | 26 | 10 | 03.01.2015 | 01.05.2015 | 8.53 | 8.72 |
| 6. | मनकावास–2 | मैसर्स यूनाईटिड माईनिंग कार्पोरेशन | 20.995 | 12 | 28.03.2017 | 19.04.2017 | 0.23 | 0.14 |
| 7. | पिचोपा कलां-3 | मैसर्स जय दादा दोहला स्टोन माईन्स | 15.455 | 10 | 11.04.2017 | 20.06.2017 | 3.93 | 2.22 |
| 8. | मनकावास–1 | मैसर्स केडेन इन्वैस्टमैन्ट प्राई0लि0 | 16.055 | 10 | 11.04.2017 | 27.12.2017 | 10.12 | 5.85 |
| 9. | रामलवास | मैसर्स केडेन इन्फ्रा इन्जिनिरिंग प्राई0लि0 | 14.355 | 10 | 12.04.2016 | 22.06.2016 | 2.47 | 1.90 |
| 10. | खेड़ीबत्तर–2 | मैसर्स ए0एस0डी0 आर0के0सी0 जे0बी0 | 41.05 | 12 | 05.10.2016 | 13.12.2016 | 7.72 | 4.89 |
| भिवानी | | | | | | | | |
| 11. | डाडम | मैसर्स गोवर्धन माईन्स एंड मिनरल्स | 92.12 | 10 | 04.12.2018 | 04.12.2018 | 21.19 | 4.45 |

| कम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य शुरू करने से पहले की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12. | खानक | एच0एस0आई0आई0डी0 सी0 | 2.58 | 20 | 03.01.2015 | 21.12.2016 | 5.06 | 3.74 |
| महेन्द्रगढ़ | | | | | | | | |
| 13. | अमरपुर जौरासी | मैसर्स मुनीर एन्टरप्राईजिज | 9.01 | 10 | 03.01.2015 | 01.02.2016 | 9.71 | 9.17 |
| 14. | नारनौल | मैसर्स ए0एन0ई0 इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 | 5.01 | 12 | 03.01.2015 | 06.05.2015 | 1.64 | 00 |
| 15. | बखरीजा–1 | मैसर्स मदान एसोसिएटस | 15.59 | 10 | 24.07.2016 | 20.09.2016 | 2.42 | 1.72 |
| 16. | बखरीजा–2 | मैसर्स तिरूपति विनियोग प्राई0लि0 | 25.545 | 10 | 24.07.2016 | 09.08.2016 | 1.06 | 0.77 |
| 17. | बखरीजा–4 | मैसर्स ग्रेडिएंट बिजिनस कंसल्टिंग प्रा0लि0 | 32.505 | 10 | 29.07.2016 | 15.09.2016 | 4.04 | 2.88 |
| पंचकूला | | | | | | | | |
| 18. | कीरतपुर ब्लाक पीकेएल बी 5 व 6 | मैसर्स बरवाला रायल्टी कंपनी | 5.425 | 7 | 09.06.2016 | 30.09.2016 | 2.06 | 1.43 |
| 19. | गोरखनाथ ब्लाक पीकेएल बी 1 व 2 | श्री नसीब सिंह | 5.275 | 7 | 09.06.2016 | 30.09.2016 | 1.25 | 0.78 |
| 20. | नटवाल ब्लाक | मैसर्स विष्ण एन्टरप्राईजिज | 7.875 | 9 | 20.08.2018 | 10.10.2018 | 3.85 | 2.68 |
| 21. | चरनिया | श्री गणेश रायल्टी कंपनी | 5.97 | 10 | 16.06.2018 | 29.06.2018 | 1.54 | 0.96 |
| अम्बाला | | | | | | | | |
| 22. | अम्बाला यूनिट 1 | मैसर्स एन्थिया प्रापर्टिज प्राई0लि0 | 82 | 8 | 03.01.2015 | 14.12.2015 | 77.90 | 74.63 |
| 23. | डडयाणा ब्लाक अम्बाला 8 | श्री देवेन्द्र शर्मा | 0.875 | 7 | 25.07.2018 | 21.01.2019 | 0.43 | 0.11 |

| कम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य शुरू करने से पहले की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| यमुनानगर | | | | | | | | |
| 24. | नंगला रागडान | मैसर्स तिरूपति अर्थ एंड प्रौजेक्ट वकर्स प्रा0लि0 | 4.99 | 9 | 16.06.2018 | 16.04.2019 | 4.19 | 1.02 |
| 25. | गुमथला साउथ वाईएनआर 17 | मैसर्स एलीट माईनिंग कार्पोरेशन | 4.595 | 9 | 30.11.2016 | 26.04.2017 | 1.54 | 0.96 |
| 26. | नगली ब्लाक | मैसर्स एम0पी0 ट्रेडर्स | 4.015 | 10 | 20.10.2017 | 26.04.2018 | 3.39 | 0.84 |
| 27. | पोबारी ब्लाक वाईएनआर बी–11 | मैसर्स डवैल्पमैंट स्ट्रैटिज़ इण्डिया प्रा0लि0 | 3.83 | 9 | 19.06.2016 | 09.12.2016 | 2.05 | 1.43 |
| 28. | गुमथला उत्तर ब्लाक 16 | श्री जोगिन्द्र सिंह | 7.415 | 7 | 19.06.2016 | 26.12.2016 | 3.85 | 2.68 |
| 29. | बेलगढ़ दक्षिण ब्लाक वाईएन आर बी–2 | मैसर्स मुबारिकपुर रायल्टी कंपनी | 19.635 | 9 | 19.06.2016 | 09.12.2016 | 9.27 | 2.86 |
| 30. | गलौरी वाईएनआर बी 39 | श्री कंवलजीत सिंह बत्तरा | 2.015 | 8 | 25.05.2017 | 08.08.2017 | 00 | 00 |
| 31. | बीड़ टापू वाई एनआर बी 6 | मैसर्स रूट एंड जरनी | 5.025 | 7 | 19.06.2016 | 18.03.2017 | 3.75 | 2.52 |
| 32. | मंडौली घग्गर पूर्व ब्लाक वाई एनआर बी 3 | मैसर्स जे0एस0एम0 फूड्स प्राई0लि0 | 3.305 | 10 | 19.06.2016 | 18.06.2017 | 2.59 | 1.73 |
| 33. | मंडौली घग्गर पश्चिम ब्लाक वाई एनआर बी 4 | मैसर्स जे0एस0एम0 फूड्स प्राई0लि0 | 4.205 | 7 | 19.06.2016 | 18.06.2017 | 3.29 | 2.20 |
| 34. | मलिकपुर खदर ब्लाक वाईएन आर बी 28 | श्री कर्ज सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह | 4.595 | 8 | 14.09.2016 | 15.06.2017 | 3.46 | 2.15 |

| कम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य शुरू करने से पहले की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 35. | पिपली माजरा ब्लाक वाईएन आर बी 29,30 31 | श्री परमजीत सिंह | 3.615 | 7 | 14.09.2016 | 15.06.2017 | 2.72 | 1.69 |
| 36. | देवधर वाई एन आर बी 24 | मैसर्स नर्दरन रायल्टी कंपनी | 8.705 | 8 | 19.06.2016 | 12.08.2016 & 7.12.2016 | 1.28 | 0.94 |
| 37. | केहलीवाला वाईएनआर बी 21 व 22 | मैसर्स दिल्ली रायल्टी कंपनी | 7.375 | 8 | 19.06.2016 | 11.08.2016 & 7.12.16 | 1.25 | 0.78 |
| 38. | कनालसी वाई एन आर बी 5 | मैसर्स पी0एस0 बिल्डटैक | 4.085 | 9 | 15.09.2016 | 27.01.2017 | 1.50 | 1.00 |
| 39. | बेगमपुर वाईएन आर बी 37 | मैसर्स यमुना इन्फ्रा डवैल्पर्स प्राई0लि0 | 10.405 | 8 | 19.06.2016 | 16.09.17 | 12.92 | 8.01 |
| 40. | लापरा वाईएन आर बी 10 | मैसर्स अपार माईन्स मैनेजमैन्ट सर्वसिज प्राई0 लि0 | 13.66 | 7 | 27.06.2016 | 21.12.2017 | 20.26 | 11.95 |
| 41. | यमुनानगर यूनिट 2 | मैसर्स आस्टीन एक्सकेवेशन एंड माईनिंग प्राई0 लि0 | 24.16 | 8 | 03.01.2015 | 19.10.2016 | 44.23 | 38.30 |
| 42. | एमटी करेडा ब्लाक | मैसर्स कंवलजीत सिंह बत्तरा | 3.525 | 7 | 20.10.2017 | 24.04.2018 | 1.81 | 0.75 |
| 43. | धनौरा | मैसर्स जे0पी0वाई कन्सोरशियम प्रा0लि0 | 6.795 | 10 | 19.06.2018 | 16.09.2018 | 00 | 00 |
| 44. | भूड कलां | मैसर्स गंगा यमुना रायल्टी कंपनी | 3.65 | 7 | 12.04.2016 | 16.06.2016 | 0.65 | 0.50 |
| 45. | भूड माजरा | मैसर्स गंगा यमुना रायल्टी कंपनी | 2.93 | 7 | 19.06.2016 | 12.08.2016 | 0.43 | 0.31 |
| करनाल | | | | | | | | |
| 46. | करनाल यूनिट 4 | मैसर्स जय यमुना जी डवैल्पर्स | 56.65 | 8 | 03.01.2015 | 31.08.15 | 37.30 | 32.35 |

| कम सं0 | खान का नाम | ठेकेदार का नाम | सालाना ठेके/ भाटक की राशी | ठेके/ पट्टे की समयावधि | ठेके/ पट्टे के समय की शुरूआत की तारीख | खान कार्य शुरू करने की तारीख | ठेके/ पट्टे की तरफ खनन कार्य शुरू करने से पहले की बकाया राशी | देय ब्याज की राशी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| पानीपत | | | | | | | | |
| 47. | पानीपत यूनिट 3 | श्री जय करण | 47 | 9 | 03.01.2015 | 29.08.2015 | 30.70 | 29.82 |
| सोनीपत | | | | | | | | |
| 48. | टिकोला यूनिट 1 | मैसर्स डीएसपी एसोसिएटस | 9.07 | 9 | 02.01.2016 | 14.05.2018 | 2.04 | 1.29 |
| 49. | बेगा/चन्दौली/ पबनेरा यूनिट | मैसर्स एलरोन कन्सलटैन्टस (ईण्डिया) प्रा0लि0 | 9.52 | 8 | 15.01.2016 | 05.02.2016 | 0.54 | 0.45 |
| 50. | ग्यासपुर रसूलपुर | मैसर्स अल्टीमेट ग्रुप | 6.1325 | 8 | 21.04.2016 | 06.07.2016 | 1.29 | 0.98 |
| 51. | टिकोला 2 | मैसर्स आनन्द सिंह एंड कंपनी | 9.2 | 9 | 21.01.2016 | 15.04.2016 | 1.81 | 1.47 |
| 52. | असदपुर | मैसर्स जैलकोवा बिल्डिकोण प्रा0लि0 | 11.04 | 10 | 02.01.2016 | 16.09.2017 | 18.83 | 12.59 |
| | | | | | | | **389.53** | **292.67** |

## To Check the Release of Contaminated Water

***366. Shri Lakshman Napa:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that contaminated water of factories is released in the Ghaggar river due to which Hepatitis C and Hepatitis B etc. disease has been spreading in Ratia Assembly Constituency; and

(b) If so, the action taken by the Government to check the release of contaminate water in Ghaggar river?

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : महोदय, एक कथन सदन के पटल पर रखा गया है।

### विवरण

श्रीमान जी, हेपेटाइटिस–बी, हेपेटाइटिस–सी और हेपेटाइटिस–डी दूषित जल के द्वारा नही फैलते है। लेकिन हेपेटाइटिस–ए और हेपेटाइटिस–ई मानव मल व मुख से मुख्यतः दूषित जल के माध्यम से प्रसारित होते है। रतिया ब्लॉक में वर्ष 2018 में हेपेटाइटिस–ए के 5 मामले और वर्ष 2019 में 6 मामले पाए गए थे । रतिया में घग्गर नदी के आसपास बीमारी का कोई प्रकोप नहीं पाया गया है।

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा यू.टी. चंडीगढ़ के राज्यों ने घग्गर नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कार्य योजना तैयार की है तथा घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं।

राज्य सरकार ने कार्य योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य स्तरीय और जिलाधीश के नेतृत्व में जिला स्तरीय कार्य बलों का गठन किया है।

औद्योगिक इकाइयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है तथा सभी उल्लघनों के लिए दण्डिक कार्यवाही की जाती है जैसे कि उद्योग को बन्द करना तथा न्यायालय में अभियोजन चलाना। नए सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट व कॉमन एफल्यूऐंट ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाए जा रहे हैं। अंततः घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले कस्बों व शहरों में सीवेज नेटवर्क डाला जा रहा है।

.....

## To Provide Necessary Equipments in Veterinary Polyclinic

***28. Shri Chiranjeev Rao :** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleas to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Ultrasound Machine, X-Ray Machine, Hydraulic Table and other necessary equipments in Veterinary Polyclinic in village Saharanwas of district Rewari; and

(b) if so, the time by which the abovesaid equipments are likely to be provided in the said polyclinic?

**कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल)** : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इन मुख्य उपकराणों की आपूर्ति अगले वित्त वर्ष 2020–21 में की जाएगी।

.....

## To Provide the Canal Based Drinking Water

***220. Shri Ram Niwas :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the canal based drinking water in Narwana City; and

(b) if so, the time by which the above said proposal is likely to be materialized togetherwith the details thereof?

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** :

(क) नहीं, श्रीमान् जी। नरवाना शहर मे दो नहरी आधारित वाटर वर्क्स पहले से ही मौजूद है।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर लागू नही है।

.....

## To Promote Bird Sanctuary

***192. Shri Kuldeep Vats :** Will the Forest Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to promote Bhindawas Bird Sanctuary of district Jhajjar at the world level?

**□ाक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल)** : हां, श्रीमान जी। हम आर्द्रभूमियों पर रामसर संधि के तहत इसका पदनाम रामसर साइट के रूप में करवाने की प्रक्रिया में हैं।

.....

## अतारांकित प्र□न उत्तर

### To Set Up a Sub-Division Level Office of Irrigation

**75. Smt. Naina Singh Chautala :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a sub-division level office of irrigation department in Badhra Sub Division togetherwith the details thereof?

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : नहीं, श्रीमान जी।

.....

### To Construct Water Works

**76. Smt. Naina Singh Chautala:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct water works in village Rambas of Badhra Assembly Constituency; if so, the time by which the said water works is likely to be constructed?

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : नहीं,जी।

.....

### To Connect the Water Works of Datauli with Satnali Feeder

**77. Smt. Naina Singh Chautala :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to connect the water works of village Datauli with Satnali feeder of Badhra Constituency; if so, the time by which it is likely to be connected?

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : हाँ गांव दतौली के जलघर को सतनाली फीडर से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है तथा 31.07.2020 तक पूरा होने की संभावना है।

.....

### To Setup PHCs

**84. Shri Lakshman Napa :** Will the Health Minister be pleased to state-

**(a)** whether it is fact the construction work of Public Health Centres (PHC) in the villages Mehmra, Nagpur, Hasingad and Aharwan in Ratia constituency have been completed;

(b) if so, the time by which the said Public Health Centres are likely to be sent functioning?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज)** : हां, श्रीमान जी।

(क) श्रीमान जी, इस सम्बन्ध में, विधानसभा क्षेत्र रतिया के अंतर्गत गांव मेहरमा, नागपुर, हसिगंद तथा अहरावान में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पहले से ही पूर्ण हो चुका है।

(ख) सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है।

.....

## To Ply Buses on Local Routes

**87. Shri Nayan Pal Rawat** : Will the Transport Minister be pleased to state-

(a) the number of buses plied on local routes in Prithla Assembly Constituency togetherwith the details of routes; and

(b) the number of new buses proposed to be plied an local routes in Prithla Assembly Constituency ?

**परिवहन मंत्री (श्री मूल चन्द भार्मा) :**

(क) श्रीमान जी, पृथला विधान सभा क्षेत्र में लोकल मार्गों पर 25 बस सेवाओं का संचालन करवाया जा रहा है। इन मार्गों की सूची निम्न प्रकार से हैः

| क्र0 संख्या | मार्गों का नाम | बसों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | पलवल से सोलडा वाया मोहना | 1 |
| 2 | पलवल से बागपुर वाया मोहना | 1 |
| 3 | पलवल से नगलिया वाया मोहना | 1 |
| 4 | पलवल से बल्लभगढ वाया पृथला | 4 |
| 5 | होड़ल से वाई.एम.सी.ए. फरीदाबाद वाया पृथला | 2 |
| 6 | होड़ल से जी.पी.एस. फरीदाबाद वाया पृथला | 1 |
| 7 | होड़ल से बल्लभगढ वाया पृथला | 7 |
| 8 | बहीन से बल्लभगढ वाया पृथला | 2 |
| 9 | हसनपुर से बल्लभगढ वाया पृथला | 1 |
| 10 | उटावड़ से बल्लभगढ वाया पृथला | 3 |
| 11 | मिंडकोला से बल्लभगढ वाया पृथला | 1 |
| 12 | पुन्हाना से बल्लभगढ वाया पृथला | 1 |

(ख) श्रीमान् जी, इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि लोकल मार्गों पर पहले से ही 25 बस सेवाओं का संचालन करवाया जा रहा है तथा 04 बसें विशेष तौर पर छात्राओं के लिए ही संचालित हैं।

.....

## Complaint Received at C.M. Window.

**85. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the complaints received on C.M. window from April, 2019 till to date togetherwith the details of action taken by the Government on these complaints?

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

### विवरण

अप्रैल, 2019 से आज तक सी0एम0 विण्ड़ों पर प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा तथा सरकार द्वारा इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

| क्रमांक नं0 | जिला | कुल पंजीकृत संख्या | कुल निपटान | विचाराधीन |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अम्बाला | **4883** | **3518** | **1365** |
| 2. | भिवानी | **9098** | **6936** | **2162** |
| 3. | चण्ड़ीगढ़ | **759** | **532** | **227** |
| 4. | चरखी दादरी | **2168** | **1596** | **572** |
| 5. | फरीदाबाद | **7702** | **6022** | **1680** |
| 6. | फतेहाबाद | **4664** | **3168** | **1496** |
| 7. | गुरुग्राम | **5959** | **3767** | **2192** |
| 8. | हिसार | **10196** | **7138** | **3058** |
| 9. | झज्जर | **4346** | **3379** | **967** |
| 10. | जीन्द | **6415** | **4427** | **1988** |
| 11. | कैथल | **7618** | **5623** | **1995** |
| 12. | करनाल | **6361** | **4912** | **1449** |
| 13. | कुरुक्षेत्र | **5002** | **3839** | **1163** |
| 14. | महेन्द्रगढ़ | **4750** | **2812** | **1938** |
| 15. | मेवात | **3257** | **2202** | **1055** |
| 16. | पलवल | **5682** | **4075** | **1607** |
| 17. | पंचकूला | **3071** | **1979** | **1092** |
| 18. | पानीपत | **6210** | **4587** | **1623** |
| 19. | रेवाड़ी | **5961** | **4254** | **1707** |
| 20. | रोहतक | **7718** | **5429** | **2289** |
| 21. | सिरसा | **8773** | **6219** | **2554** |
| 22. | सोनीपत | **5215** | **3777** | **1438** |
| 23. | यमुनानगर | **8110** | **5965** | **2145** |
| **कुल** | | **1,33,918** | **96,156** | **37,762** |

## To Setup a Paddy Straw Factory

**83. Shri Lakshman Napa** : Will the Agriecutlure and Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a rice mill cotton factory and oil Mill had been set up by the HAFED in Ratia but now these factories have been closed; if so, the reasons thereof; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a paddy staw factory at the places of the above said factories togetherwith the details thereof?

**सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल)** : (क) सर, यह एक तथ्य है कि हैफेड ने वर्ष 1981–82 में रतिया में एक राईस मिल और एक जिनिंग और कपास बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की थी। जिनिंग मिल और कपास बीज प्रसंस्करण संयंत्र को वर्ष 2000–2001 में बंद कर दिया गया था। इस इकाई का व्यवसाय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि सरकारी संस्थानों जैसे नैशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन, तामिलनाडू टैक्सटाईल कारपोरेशन, स्पिनफैड ओडिशा, आदि, जो इसी इकाई से कपास की गांठे खरीद रहे थे ने खराब वित्तीय स्थिति के कारण खरीददारी बन्द कर दी थी। इस यूनिट को निजी क्षेत्र में की गई बिक्री का पैसा ना आने की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ा।

रतिया में हैफेड राईस मिल को वर्ष 2018 से एक निजी मिलर को पट्टे (लीज) पर दे दिया गया है।

(ख) नहीं सर।

.....

## सदन के कार्य में परिवर्तन

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट पर जवाब और इसके साथ बजट अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान आज तय है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि चूंकि बहुत से माननीय सदस्य बजट पर चर्चा में भाग लेने से वंचित रह गये हैं, इसलिए अधिक से अधिक सदस्यों को बजट पर चर्चा का समय देने के लिए यदि सदन की सहमति हो तो आज केवल बजट अनुमानों पर ही चर्चा कर ली जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट अनुमानों पर जवाब और बजट अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान कल करवा ली जाए।

**आवाजें:** ठीक है, जी।

**श्री अध्यक्षः** ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट अनुमानों पर जवाब और बजट अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान कल दिनांक 4.3.2020 को किया जाएगा।

.....

## अतारांकित प्रश्नों को सूचीबद्ध न करने से संबंधित मामला उठाना

**श्री शमशेर सिंह गोगीः** अध्यक्ष महोदय, मैंने एक छोटा सा अनस्टार्ड क्वैश्चन धान के घोटाले के बारे में पूछा था कि उसकी इन्कवायरी में क्या बातें निकल कर आयी हैं ? विभाग द्वारा मेरे संबंधित सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि विभाग को मेरे सवाल का जवाब देने का आदेश करें।

**श्री अध्यक्षः** गोगी जी, मैं चैक करवा लूंगा कि आपके सवाल का जवाब क्यों नहीं आया ? आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा।

**श्री शमशेर सिंह गोगीः** अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

.....

## ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप जीरो ऑवर शुरू करवा दें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा जी, आज 2 कॉलिंग अटैंशन मोशंज लगे हुए हैं, इसलिए पहले उन पर चर्चा की जाएगी।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, आप पहले जीरो ऑवर शुरू करवा लें ताकि हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों को अपनी–अपनी बात रखने का मौका मिल सके।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा जी, पहले कॉलिंग अटैशन मोशंज पर चर्चा होगी। उसके बाद समय बचेगा तो उसको जीरो ऑवर में ले लेंगे।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार द्वारा 75 प्रतिशत आरक्षण हरियाणा के बेरोजगार युवकों को देने बारे, राज्य में बढ़ते हुए नशे के इस्तेमाल के बारे, ओवरलोडिंग द्वारा पनप रहे भ्रष्टाचार के बारे, आवारा पशुओं के उचित प्रावधान बारे, ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट करने से बचाने बारे, धान खरीद में हुए भ्रष्टाचार के संबंध बारे और अरावली क्षेत्र में अवैध गतिविधियों जैसे कि माईनिंग, अवैध निर्माण आदि गतिविधियों को रोकने बारे कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिये हुए हैं। उनका क्या फेट है ?

**श्री शमशेर सिंह गोगीः** अध्यक्ष महोदय, हमें भी अपनी बात कहने के लिए मौका दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** शमशेर जी, ये कॉलिंग अटैंशन मोशंज आपकी पार्टी के सदस्यों द्वारा ही दिये हुए हैं, जिन पर आज चर्चा करवा रहे हैं।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कल जवाब देंगे तो उनके जवाब देने से पहले हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों को बोलने के लिए समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ?

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, बजट पर चर्चा तो आज ही करवाएंगे।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बजट पर रिप्लाई देने के लिए कल का समय दिया है।

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, कल तो माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पर रिप्लाई देंगे इसलिए बजट पर चर्चा तो आज ही समाप्त करवा लेंगे। कल तो बहुत सारे बिल्ज पास किये जाने हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने रिप्लाई देना था, परन्तु अब रिप्लाई देने के लिए कल का समय तय कर दिया है ताकि आज माननीय सदस्यों को बजट पर बोलने का समय मिल जाए।

**श्री भारत भूषण बत्तराः** अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज डबल सीटिंग करवा लें ताकि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाए।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, आज 2 कॉलिंग अटैंशन मोशंज पर चर्चा करवाने के बाद तो बजट पर चर्चा के लिए समय ही नहीं बचेगा।

**श्री भारत भूषण बत्तराः** अध्यक्ष महोदय, आज 2:30 बजे के बाद तो सैशन ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए आज आप डबल सीटिंग करवा लें।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्य अभी तक बजट पर अपनी बात नहीं रख पाए हैं, इसलिए कल भी बजट पर 5–10 सदस्यों से चर्चा करवा लें। इसके लिए भी समय तो आप ही देंगे।

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, कॉलिंग अटैंशन मोशंज पर चर्चा पूरी हो जाने के बाद भी अगर समय शेष रहेगा तो बजट पर भी चर्चा करवा लेंगे। अगर कल भी समय रहेगा तो बजट पर चर्चा करवा लेंगे। मुझे बजट पर चर्चा करवाने में कोई दिक्कत नहीं है।

**श्रीमती किरण चौधरीः अ**ध्यक्ष महोदय, मैंने अरावली के मुद्दे के ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था, जोकि बहुत ही अहम मुद्दा है। उसका क्या फेट है ?

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, आप जिस विषय की बात कर रही हैं, उसके ऊपर सदन में कई बार डिस्कशन हो चुकी है। पहले के सैशन में भी अरावली के मुद्दे पर चर्चा

की गयी थी, इसलिए अगर एक ही विषय पर बार–बार चर्चा करते रहेंगे तो बाकी दूसरे विषय छूट जाएंगे।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अरावली में अवैध खनन किया जा रहा है। इसमें पी.एल.पी.ए. एक्ट को अमैंड करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी बातों पर बोलने के लिए समय दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, यह नामंजूर कर दिया है।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मैंने 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अलग–अलग विषयों पर दिये हैं। क्या वे सभी नामंजूर कर दिये गए हैं ?

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, आपका अरावली के विषय पर दिया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया है।

**श्रीमती किरण चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके अतिरिक्त 5–7 और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विभिन्न घोटालों के बारे में दिये थे। उनका क्या फेट है ?

**श्री अध्यक्षः** किरण जी, उनका फेट आपको बाद में बता दिया जाएगा।

————————————————

(i)

**ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–**

**हाल ही में वर्षा और ओलावृष्टि के कारण फसलों की हुई क्षति के संबंध में**

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, मुझे श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक, तथा अन्य 7 विधायकों (सर्व श्री सुभाष गांगोली, मेवा सिंह, श्रीमती शैली, शमशेर सिंह गोगी, जगबीर सिंह मलिक, श्रीमती गीता भुक्कल तथा नीरज शर्मा ) के द्वारा हाल ही में वर्षा तथा ओला वृष्टि के कारण फसलों की हुई क्षति के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–19 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। अब श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढें। हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73(2) के तहत इस ध्यानाकर्षण सूचना पर 4 अन्य हस्ताक्षरी सदस्य सप्लीमैंटरी प्रश्न पूछ सकते हैं और इसके बाद संबंधित मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

**श्री सुरेन्द्र पंवार :** अध्यक्ष महोदय, मैं और श्री सुभाष गांगोली, विधायक, श्री मेवा सिंह, विधायक, श्रीमती शैली चौधरी, विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक व श्री नीरज शर्मा, विधायक इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलवाना चाहते हैं। हाल

ही में हुई एक बारिश ने सोनीपत जिले की सरसों, जौ और गेंहू की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसान परेशान हैं। बारिश होने के कारण खेतों में पानी भर गया। गोहाना उपमंडल के कई गांवों में ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश ने सोनीपत–गोहाना नैशनल हाइवे पर बिधल, जोली, लाठ, बिलबिलान, सरगथल, दोदूआ, जसराना, आंवली गांव में गेंहू, सरसों व सब्जी की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है।

हाल ही में ओलावृष्टि और बारिश ने लाडवा ब्लॉक कुरूक्षेत्र जिले के 23 गांवों के 306 किसानों की 652 एकड़ भूमि पर गेंहू की फसल को नुकसान पहुंचाया है। ओलावृष्टि और बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित गांव निवारसी, सुल्तानपुर, गुढ़ा, सोंटी, हलालपुर, डूगारी, लोहारा, जोगी माजरा, दबाखेड़ा, गुढ़ी, बिरसोंटी, भल्लारी, घोलराए बाकली और लगभग 10 अन्य गांव शामिल है। दूसरी तरफ लाडवा ब्लॉक के 13 गांवों के आलू, टमाटर और सरसों भी प्रकृति के प्रकोप से प्रभावित हैं।

इसलिए हम मांग करते हैं कि क्षतिग्रस्त फसलों का तत्काल आकलन किया जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजे का भुगतान किया जाए।

**वक्तव्य–**

## उप मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

**उप मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला)** : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। सरकार भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जब कभी भी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलों को कोई नुकसान होता है तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उनके नुकसान की जिस सीमा तक संभव हो भरपाई की जाये।

सरकार द्वारा सूखा, धूल भरी आंधी, भूकम्प, आग, शार्ट–सर्किट से लगी आग, आसमानी बिजली, बाढ, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, शीत लहर/पाला, लू तथा कीटों द्वारा हमले इत्यादि ऐसे मामलों में मुफ्त राहत, फसल खराबा, पशुपालन सहायता, मत्स्य पालन सहायता, हस्तशिल्प/हस्तकरघा, आवास, आग के मामलों में व्यक्तिगत सम्पत्ति का नुकसान के लिए राज्य आपदा राहत कोष से शीघ्र सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.06.2019 द्वारा धूल भरी आंधी, बिजली स्पार्किंग, आसमानी बिजली और लू इत्यादि को स्थानीय आपदाएं घोषित किया गया है तथा इनसे हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

बाढ/खेतों में पानी भर जाने अथवा खड़ा रहने पर, आग बिजली स्पार्किंग, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी आदि के कारण फसल को हुए नुकसान पर राज्य सरकार के मुआवजा देने बारे मानदण्ड भारत सरकार के मुकाबले अधिक लचीले हैं। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि से कहीं अधिक है। भारत सरकार द्वारा 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान होने पर 13500/– रुपये प्रति हैक्टेयर (5466/– रुपये प्रति एकड़) प्रदान किए जाते हैं तथा उपरोक्त अनुसार प्रत्येक किसान को केवल 5 एकड़ की फसल के नुकसान तक सहायता प्रदान की जाती है। जबकि राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत या उससे अधिक खराबा होने पर 12000/– रुपये प्रति एकड़, 50 प्रतिशत से अथवा इससे अधिक लेकिन 75 प्रतिशत तक खराबा होने पर 9500/– रुपये प्रति एकड़ तथा 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक खराबा होने पर 7000/– रुपये प्रति एकड़ मुआवजा प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार फसल को नुकसान की स्थिति में प्रत्येक हिस्सेदार को कम से कम 500/– रुपये का मुआवजा देती है। प्रत्येक किसान को उस द्वारा बीजे हुए क्षेत्र में केवल 5 एकड़ तक की फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। मानदण्डों अनुसार 25 प्रतिशत से कम फसल को नुकसान होने पर कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है। 25 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक फसल के नुकसान का मुआवजा एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि तथा राज्य सरकार के मानदण्डों अनुसार तय मुआवजा राशि के अंतर की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

वर्ष 2014–15 से अब तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, भारी वर्षा, आग, ओलावृष्टि, कीटों द्वारा हमले और शीत लहर/पाला से फसल को नुकसान होने पर किसानों को 2695.54/– करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।

**जिला सोनीपत और कुरूक्षेत्र में ओलावृश्टि और वर्शा के कारण गेंहू, सरसों और सब्जियों की खड़ी फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग बारे।**

अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि माह जनवरी, 2020 के दौरान जिला सोनीपत और कुरूक्षेत्र में वर्षा और ओलावृष्टि की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई थी, तदानुसार संबंधित जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट मंगवाई गई थी। उपायुक्त, सोनीपत की रिपोर्ट के दृष्टिगत दिनांक 16.01.2020 को हुई ओलावृष्टि तथा भारी वर्षा से खड़ी फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करके दिनांक 20.01.2020 को विशेष गिरदावरी के आदेश जारी किए गए थे। उपायुक्त, सोनीपत की रिपोर्ट अनुसार विशेष गिरदावरी में गोहाना तहसील के गांव बीघल, जौली, लाठ, बिलबिलान, सरगथल, जसराना, आंवली, भैंसवाल कलां व सोनीपत तहसील के गांव दोदवा में खड़ी फसलों को कोई नुकसान होना नहीं पाया गया। फिर भी, उपायुक्त, सोनीपत को ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान बारे दिनांक 20.01.2020 को पुनः निरीक्षण करने बारे निर्देश दिए गए। उपायुक्त, सोनीपत से पुनः प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक 16.01.2020 को हुई ओलावृष्टि तथा भारी वर्षा के कारण उक्त गांवों में मौके पर की गई गिरदावरी अनुसार रबी फसल को कोई नुकसान होना नहीं पाया गया।

उपायुक्त, कुरूक्षेत्र की रिपोर्ट अनुसार तहसील लाडवा के 13 गांवों क्रमशः गादली, निवारसी, दबखेड़ा, हलालपुर, प्रहलादपुर, जलालुद्दीन माजरा, गुढ़ा, सुलतानुपर, बहलोलपुर, भालड़, धनौरा, जाटान, धांधला तथा भालड़ी में सरसों, आलू और टमाटर की फसलों को 494 एकड़ में नुकसान 20 प्रतिशत से कम है जो मुआवजा दिए जाने संबंधित निर्धारित मानदण्डों से कम है। दिनांक 13.01.2020 को वर्षा/ओलावृष्टि के कारण कुरूक्षेत्र जिले की शेष तहसीलों में रबी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह कहना चाहूंगा कि सोनीपत और कुरूक्षेत्र जिलों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उसके बारे में माननीय सदस्य ने जो स्थान बतायें हैं। मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि प्रदेश में दिनांक 16.1.2020 को ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हो गई थी, उनके लिए डी.सी., सोनीपत को दिनांक 20.01.2020 को एक पत्र लिखकर स्पैशल गिरदावरी करने के आदेश जारी किए थे और दोबारा भी स्पैशल गिरदावरी करने के लिए आदेश दे दिए हैं। माननीय सदस्य ने सोनीपत जिले के स्थानों के बारे में जिक्र किया है, मैं उसके बारे में इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उसकी पहली रिपोर्ट में अब तक ज्यादा नुकसान की पुष्टि नहीं हो पाई है। जहां तक कुरूक्षेत्र की बात है तो मैं इनको रिपोर्ट अनुसार बताना चाहूंगा कि 13 गांवों की 494 एकड़ जमीन में सरसों, आलू और टमाटर की फसलों का 20 प्रतिशत से कम का नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी सरकार इस मामले में गंभीर है। सरकार ने स्पैशल गिरदावरी करने के दो बार आदेश दे दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दादरी, बाढ़डा और रेवाड़ी के क्षेत्रों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हो गई थी उसकी और अभी हाल ही में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं, उनकी भी स्पैशल गिरदावरी करने के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में इससे पहले भी ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें खराब हुई थीं जिसमें हमारे नूंह, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी का इलाका शामिल था, उसमें भी सरकार ने 25 करोड़ 35 लाख रुपये देने के आदेश दे दिए हैं। जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर्ड नहीं थे उनको भी सरकार ने तुरन्त मुआवजा रिलीज करने के आदेश भी दे दिए हैं।

**श्री सुरेन्द्र पंवार** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उप–मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोनीपत जिले से पहली रिपोर्ट में अब तक ज्यादा नुकसान की पुष्टि नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो विभाग की तरफ से रिकॉर्ड दिया गया है, उस हिसाब से सोनीपत जिले के किसानों की कितने एकड़ फसलें खराब हुई हैं और सरकार ने उन किसानों को अब तक कितना मुआवजा दिया है?

**श्री दुश्यंत चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास सोनीपत जिले के किसानों की खराब हुई फसलों की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके अंदर सोनीपत और गोहाना तहसील के कुछ गांवों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है और जो स्पैशल गिरदावरी की रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर दिनांक 20.1.2020 को डी.सी. को रिअसैस करने के लिए कहा है और जैसे ही इसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जायेगी तो मैं माननीय सदस्य के साथ सांझा कर लूंगा।

**श्री सुरेन्द्र पंवार** : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी इसकी कोई समय सीमा तो बता दें क्योंकि किसान तो मुआवजे के लिए परेशान होता रहता है और उसको डी. सी. ऑफिस के धक्के भी खाने पड़ते हैं। हमें सिर्फ यह आईडिया हो जाये कि इसकी कब तक रिपोर्ट आने की संभावना है?

**श्री दुश्यंत चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में थी तो उस वक्त ऐसी कोई सुविधा किसानों को उपलब्ध नहीं करवाई जाती थी लेकिन हमारी सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिस दिन ओलावृष्टि होगी और ओलावृष्टि के तीन दिन बाद लोकल लैवल पर एजेंसी अपनी तरफ से रिपोर्ट बना लेती है और वह एजेंसी सरकार को 10 दिन में रिपोर्ट दे देती है। जहां स्पैशल गिरदावरी का सवाल है तो आज

के दिन पूरा रैवेन्यू विभाग सेंसेक्स में निहित है और हम प्रयास कर रहे हैं कि एक महीने के अंदर टाईम बाउंड मैनर में इसको पूरा करवा दिया जायेगा।

**श्री जगबीर सिंह मलिक** : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जिन गांवों का जिक्र मैंनअ अपने कालिंग अटैंशन मोशन में किया है उन गांवों में मैं खुद भी गया था। मेरे खुद के गांव में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि हुई है। एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की यह रिपोर्ट थी कि वहां पर बहुत सी जगहों पर ओलावृष्टि से 75 प्रतिशत नुक्सान हुआ है। क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री महोदय के पास है या ये इस नुक्सान की भरपाई के लिए रेवेन्यू डिपार्टमैंट की रिपोर्ट को आधार मान रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इंडीविजुअल नुक्सान की भरपाई भी की जायेगी?

**श्री दुष्यंत चौटाला** : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य खुद खेती भी करते हैं और इनको खेती के बारे में नॉलेज भी है। जब इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो रेवेन्यू डिपार्टमैंट डिप्टी डॉयरैक्टर, एग्रीकल्चर और उनकी टीम को भी साथ लेकर रिपोर्ट बनाता है। जहां तक माननीय सदस्य के क्षेत्र की बात है जब ओलावृष्टि हुई थी तो उस समय फसल प्राईमरी स्टेज पर थी और उसकी वजह से ओलावृष्टि का जो गेहूं की फसल के ऊपर ज्यादातर नुक्सान होना था वह सामने नहीं आया। उसके बावजूद भी हमने एक महीने के बाद जब फसल राईपिंग और प्राईमरी स्टेज के बीच में आ जाती है तो उसके बीच के समय में भी मॉनीटर करवाया है कि अगर अभी भी क्रॉप लॉस है तो उसके अंदर भी नॉर्म्ज के अनुसार यदि 25 परसैंट से ज्यादा का क्रॉप लॉस है तभी जाकर के सरकार उसका मुआवजा दे सकती है। हमने फिर भी स्पैशल गिरदावरी को दूसरी बार असैस करने के लिए इसीलिए कहा है कि आज के दिन इनके क्षेत्र के अंदर अगर माननीय सदस्य को लगता है तो मैं चाहूंगा कि ये लोकल अधिकारियों से चर्चा कर लें और जल्द से जल्द वे अपनी रिपोर्ट हमें भिजवा दें क्योंकि माननीय सदस्य ने अभी यह मांग रखी थी इसलिए हम भी 30 दिन के अंदर टाईम बाउण्ड मैनर में आवश्यक मुआवजे का भुगतान करवा देंगे।

**श्री जगबीर सिंह मलिक** : स्पीकर सर, मैंने इंडीविजुअल भुगतान के बारे में भी सवाल पूछा था मुझे यह भी बताया जाये कि इंडीविजुअल भुगतान किया जायेगा या नहीं किया जायेगा? क्योंकि फसल बीमा योजना वाले कह देंगे कि 70 परसैंट का नुक्सान नहीं हुआ है।

**श्री दुष्यंत चौटाला** : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो इंडीविजुअल भुगतान की बात कर रहे हैं उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि अगर कभी भी गिरदावरी होगी तो पूरे के पूरे गांव की होगी और उसके अंदर एक–एक हाउसओल्ड को मुआवजा दिया जाता है। किन्हीं दो को छोड़कर मुआवला नहीं दिया जा सकता।

**श्री जगबीर सिंह मलिक** : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा हूं कि यह भी कहा जाता है कि जब पूरे गांव की फसल का 70 परसैंट नुक्सान होगा तभी मुआवजा दिया जायेगा, उससे कम में नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : मलिक साहब, जो मुआवजा दिया जायेगा वह निर्धारित नॉर्म्ज के हिसाब से ही दिया जायेगा।

**श्री मेवा सिंह** : अध्यक्ष महोदय, लाडवा हल्के के 14 गांवों में जो नुक्सान बताया गया है मेरा यह कहना है कि 14 गांवों में नुक्सान नहीं हुआ बल्कि जो उनके साथ लगते 25 गांवों में भी भारी नुक्सान हुआ है। मैं खुद उन गांवों में गया। आलू, सरसों, टमाटर की फसल का तो बड़ा भारी नुक्सान हुआ है। उप मुख्यमंत्री जी ने केवल मात्र 20 परसैंट ही नुक्सान बताया है। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि सरसों और टमाटर की फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसी प्रकार से आलू की फसल में भी 50–60 परसैंट से ज्यादा का नुक्सान हुआ था। उस समय सरसों की फसल तो पककर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और वह सारी की सारी झड़ चुकी थी। इसी प्रकार से टमाटर की फसल भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में दोबारा से अधिकारियों की राय लेकर के प्रभावित किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाये। उनकी फसल के नुक्सान को 20 परसैंट बताकर उनको टाला न जाये।

**श्री दुष्यंत चौटाला** : अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने गांव बताये हैं उनके अंदर गादली, निवारसी, दबखेड़ा, हलालपुर, प्रहलादपुर, जलालुद्दीन माजरा, गुढ़ा, सुल्तानपुर, बहलोलपुर, भालड़, धनौरा जाटान, धांधला तथा भाल्ड़ी इत्यादि। ये लाडवा विधान सभा क्षेत्र के 13 गांव हैं जिनके अंदर 20 परसैंट क्रॉप डैमेज हैं। अध्यक्ष जी, अगर माननीय सदस्य को लगता है कि साथ वाले क्षेत्र के भी अगर कोई एडीशनल गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हैं तो ये उनके बारे में मुझे लिखित रूप में सूचना भिजवा दें मैं उनको भी असैस करवा लूंगा।

**श्री मेवा सिंह** : अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से यह कहना है कि इन्होंने जो 20 परसैंट के नुक्सान की बात कही है वह ठीक नहीं है क्योंकि सरसों,

टमाटर और आलू की फसल में बड़ा भारी नुक्सान हुआ है। सरसों और टमाटर की फसल तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है। मेरा इनसे यही अनुरोध है कि दोबारा से अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करके किसानों के नुक्सान की भरपाई की जाये। इनके पास जो अब 20 परसैंट के नुक्सान की रिपोर्ट आई है वह पूरी तरह से गलत है।

**श्री दुष्यंत चौटाला :** अध्यक्ष जी, अगर माननीय सदस्य इस रिपोर्ट को गलत कहते हैं तो मैं रि–असैस करवा लेता हूं और अगर 20 परसैंट से नुक्सान ज्यादा होगा तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जायेगा। नॉर्म्ज के मुताबिक सरकार द्वारा 25 परसैंट से कम के नुक्सान पर मुआवजा नहीं दिया जाता। दोबारा असैसमैंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो निर्धारित नॉर्म्ज के हिसाब से 25 परसैंट से ज्यादा के नुक्सान का जो मुआवला बनेगा वह जल्दी से जल्दी देने का काम किया जायेगा।

**श्रीमती शैली :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मेरे नारायणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के भी बहुत से गांवों में ओलावृष्टि और बरसात के कारण किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। उनको कितना मुआवजा दिया जायेगा और कब तक दे दिया जायेगा?

**श्री दुष्यन्त चौटालाः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि उपायुक्त, अम्बाला की तरफ से आई रिपोर्ट में इस प्रकार का कोई भी इंसीडेंट वहां पर रिपोर्ट नहीं किया गया है।

**श्रीमती शैलीः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नारायणगढ़ में ओलावृष्टि और बरसात से लगभग 2300 एकड़ सरसों की फसल का नुकसान हुआ है।

**श्री दुष्यन्त चौटालाः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि दिनांक 29.02.2020 को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें इनके क्षेत्र का नाम नहीं है। अगर 29.02.2020 के बाद का कोई इंसीडेंट हो तो ये मुझसे शेयर कर सकती हैं।

**श्रीमती शैलीः** अध्यक्ष महोदय, मैं वह रिपोर्ट माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को भिजवा दूंगी।

**श्री शमशेर सिंह गोगीः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यहां पर हाउस में सभी बातें हो गई हैं। जब भी किसान की फसल खराब होती है, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो स्पैशल गिरदावरी करवाई जाती है। अभी दो दिन पहले भी बहुत जबरदस्त बरसात हुई है और गेहूं पकने को आ रहा है तथा किसानों की

गेहूं की फसल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो मैन्युअल गिरदावरी करवाई जाती है और हमारे पास आज तक सिस्टम भी यही है। उस सिस्टम में ही बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन है क्योंकि ये किसान नेता हैं इसलिए किसानों की फसल के नुकसान की जो भी गिरदावरी हो वह सैटेलाईट के माध्यम से हो ताकि उसमें गड़बड़ करने की गुंजाइश न रहे। जो मैन्युअल गिरदावरी होती है उसमें तो गिरदावर कुछ भी लिख देते हैं। जो नुकसान मेरे खेत में होता है वह किसी दूसरे के खेत में दिखा देते हैं। इसलिए इस पूरे सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि किसानों की फसल के हुए नुकसान की समय पर और सही ईमानदारी से भरपाई हो सके।

**श्री दुष्यन्त चौटालाः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सैटेलाईट के माध्यम से गिरदावरी करवाने का सुझाव दिया है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार वैब–हेलरिस के माध्यम से सैटेलाईट रिपोर्ट को भी मॉनिटर करती है। अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक जगह बतायेंगे तो जो लाल डोरा मुक्त गांव करने वाली ऐजेन्सी हमारे पास अभी भी उपलब्ध है जो ड्रोन के माध्यम से भी सर्वे कर रही है, उसके माध्यम से सर्वे करवा देंगे। माननीय सदस्य को स्पेसिफिकली जहां भी लगता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस प्रोप्रली नहीं हो सकता है तो मुझे बताएं। हम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया से भी उसकी मॉनिटरिंग करवा लेंगे। हम भी प्रयासरत हैं कि मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो और मैक्सिमम आई.टी. इंटरफेरेंस हो जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपीडाइट हो कर आगे बढ़ें। इसी प्रयास के साथ हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 75 गांव इस बजट में चुने हैं जिनको हम लाल डोरा मुक्त करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से जहां तक सर्वे की बात है तो जो फसल बीमा योजना के तहत ऐजेन्सीज हैं उनको भी सरकार की तरफ से लिखित आदेश दिये गये हैं कि आप ड्रोन के माध्यम से भी निरंतर सर्वे करवाते रहें।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने लाल डोरा का जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि यह लाल डोरा मुक्त गांव किस नियम के तहत किया जा रहा है? क्या सरकार की तरफ से इसके लिए कोई कानून सदन के पटल पर लाया गया है या लाया जा रहा है? गांव में लाल डोरा नं. 1 एंट्री होती है। जो पुराना कानून है उसके तहत भी लाल डोरा में रजिस्ट्रियां होती हैं। तो क्या उप मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि गांवों को लाल डोरा मुक्त किस कानून के तहत किया जा रहा है?

**श्री दुष्यन्त चौटालाः** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह विषय ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित है लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने लाल डोरा के इस विषय के बारे में पूछना चाहा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरे ख्याल से तो लाल डोरा के अन्दर की रजिस्ट्रियां नहीं होती है। लाल डोरा अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और उसमें गांव की एक पेराफेरी बनाई गई थी जिसके अन्दर पंचायती जमीन पर लोगों की रिहाइशें थी, कब्जे थे। हमने पहली बार रेवेन्यू एक्ट में चेंज करके पंचायत को यह अधिकार दिया है कि वह जिसका कब्जा जहां है अगर म्यूचअल अंडरस्टैंडिंग से सारा गांव सहमत होता है तो यह काम हो सकता है। करनाल के सिरसी गांव में निरंतर एक महीने तक उपायुक्त और उनकी टीम बैठी जिसने एक–एक कॉर्नर को कली डालकर मार्क किया तथा ड्रोन से उसका सर्वे करवाया। अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं तो हम इनको प्रैजैन्टेशन भी दिखा देंगे कि किस मेहनत के साथ उपायुक्त, कानूनगो और पटवारी ने उस गांव को लाल डोरा मुक्त किया है। अगर हुड्डा साहब चाहते हैं तो हम रोहतक के भी पांच गांव को इसके तहत टेकअप कर लेंगे।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इनकी लाल डोरा मुक्त की यही डेफिनेशन है कि जो पंचायत की जमीन में बैठे थे उनकी डिमार्केशन कर दी? लाल डोरा तो पूरी बसासत का होता है, बस्ती का होता है और उसमें जितने भी मकान बने हुए हैं और उनके मालिक हैं तो उनकी रजिस्ट्रियां होती हैं। ऐसा कौन सा गांव है जिसमें मकान नहीं बिकते और रजिस्ट्री नहीं होती है? गांव में मकान भी बिकते हैं और रजिस्ट्री भी होती हैं। लाल डोरा मुक्त आप खाली पंचायत की जमीन के लिए कर रहे हैं या और कोई मकसद है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये किस कानून के तहत गांव लाल डोरा मुक्त कर रहे हैं मुझे उसकी जानकारी दें।

**श्री दुश्यंत चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है मैं उनको दुरूस्त करना चाहूंगा कि बस्तियां जो भी हैं वे गांव से बाहर हैं। लाल डोरा तो वह था जो सांझे खाते के अन्दर गांव के रेवैन्यु रिकॉर्ड में पंचायत को जाता है। अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष को स्पैसिफिकली डिटेल चाहिए तो मैं इनको वह सारी डिटेल भिजवा दूंगा।

**श्रीमती गीता भुक्कल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जनवरी में व 29 फरवरी और 1 मार्च को प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश व ओलावृष्टि हुई है। उसकी भी गिरदावरी करवा ली जाए। पिछली बार भी गिरदावरी में हमारे झज्जर क्षेत्र के साथ अनदेखी हुई है । उस समय भी हमारे क्षेत्र में न गिरदावरी की गई और न ही किसी किसान को मुआवजा मिला था। उस समय भी मेरी विधान सभा क्षेत्र के गांव गोरिया, खानपुर कलां, खानपुर खुर्द और बहू के किसान दुःखी होते घूमते रहे। (विघ्न) मैं भी इसमें हस्ताक्षरी हूं इसलिए प्रश्न पूछना मेरा राईट है। इसमें मेरा अनुरोध है कि 29 फरवरी और 1 मार्च को जो ओलावृष्टि और बारिश हुई है। उसको भी गिरदावरी में शामिल कर लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है जी।

**श्री भाम□ार सिंह गोगी**: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सुझाव है।

**श्री अध्यक्ष** : गोगी जी, आप कोई प्रश्न तो पूछते नहीं है केवल सुझाव ही देते हैं।

**श्री भाम□ार सिंह गोगी** : अध्यक्ष महोदय, क्या सुझाव देना बुरी बात है?

**श्री अध्यक्ष** : गोगी जी, आप प्रश्न पूछिये ये समय सप्लीमैंट्री पूछने का है। सुझाव देने का नहीं है।

**श्री भाम□ार सिंह गोगी** : अध्यक्ष महोदय, बात सुझाव की नहीं है, बात सुधार की हो रही है। मेरा उप मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध है कि जैसे सैंटरल गवर्नमैंट द्वारा किसानों की फसल का बीमा किया जा रहा है क्या वह किसान की मर्जी से किया जाएगा या फिर उस पुराने डर्रे पर ही चलेगा कि किसान की फसल का 70 प्रतिशत नुकसान होगा तभी पैसे मिलेंगे।

**श्री दुश्यंत चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा है । उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि यह फसल बीमा योजना जब से बनी थी उस दिन से लेकर आज तक इसमें किसान की मर्जी ही चली है। किसान अगर लिखित में बैंक में जाकर दे देता है कि मेरी फसल का बीमा किया जाए तभी उसकी फसल का बीमा होता है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भाम□ार सिंह गोगी** : अध्यक्ष महोदय, किसानों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके खातों से फसल बीमा के नाम से कब पैसा कट गया। ––– (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : गोगी जी, आप बहस न करें। यह तो सप्लीमैंट्री चल रहा है।

**श्री दुश्यंत चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, जितने सदस्य यहां बैठे हैं उन सभी को मैं इसकी इनीसियल कॉपी दे दूंगा। मैं इसको इसलिए कलैरिफाई करना चाह रहा हूं कि पहले बैंक जिन किसानों के के.सी.सी. बने हुए थे वह उनको रजिस्टर्ड कर लेते थे लेकिन अब उसके अन्दर भी कलैरिफिकेशन दे दी है कि इसमें किसान की अपनी मर्जी होगी। जब यह योजना आई थी उस समय भी कानून के अन्दर यह जगह थी कि अगर कोई किसान यह लिख कर दे दे कि मेरे इस खसरा नं. के ऊपर फसल बीमा नहीं होनी चाहिए तो उस किसान को एग्जैम्प्ट कर दिया जाता था।

## (ii)

## अमृत योजना के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य विभाग की बजाय भाहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भारत भूषण बतरा, विधायक, तथा अन्य चार विधायकों श्रीमती गीता भूक्कल, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री सुरेन्द्र पवार, विधायक एवं राव दान सिंह, विधायक द्वारा अमृत योजना के अर्न्तगत लोक स्वास्थ्य विभाग के बजाए शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–30 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। अब श्रीमती गीता भुक्कल हस्ताक्षरी होने के नाते से अपनी सूचना पढ़ें क्योंकि हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम–73(2) के तहत इस ध्यानाकर्षण सूचना पर चार अन्य हस्ताक्षरी सदस्य सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके बाद संबंधित मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, मैं तथा श्री भारत भूषण बतरा, श्री आफताब अहमद, श्री सुरेन्द्र पंवार तथा राव दान सिंह, विधायक अमृत योजना के तहत किये जाने वाले कार्यों को जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा न करवा कर स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कराये जाने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं किः–

(1) अमृत योजना भारत सरकार के द्वारा पेयजल, मलजल और नाली व नालों का निर्माण करने की योजना बनाई गयी थी तथा हरियाणा राज्य को राज्य में इन कार्यों को करने के लिए अनुमानित लागत 2,565 करोड़ रूपया आवंटित किया गया था। इस

योजना के अन्तर्गत जो Policy भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों के लिए बनाई गयी उसमें अमृत योजना के तहत कार्यों के Execution का कार्य और जिम्मेवारी उनके रख रखाव की भी उसके लिए एक NODAL AGENCY बनाई गयी। हरियाणा में ये सभी कार्य जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा करवाए जाते रहे हैं।

(2) Haryana Govt. (Allocation) Rule 1974 के अनुसार पेयजल सप्लाई, Sewerage, Drainage के कार्य और रख रखाव जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाया जाना दर्शाया गया है, न कि स्थानीय निकाय निकाय विभाग (ULB) द्वारा।

अमृत योजना के तहत किये जाने वाले कार्यों को ईरादतन जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा न करवा कर तत्कालीन मंत्री स्थानीय निकाय ने इस कार्य को तथा अमृत योजना के तहत सभी कार्यों को स्थानीय निकाय विभाग को आवंटित करा दिया। प्रोजेक्ट का पारूप (DPR/DNIT) बिना किसी सर्वे के हिसाब से quantity को बढ़ा कर टेण्डर अमाउंट बढ़ा दिया जिसकी वजह से काम की अलोटमेंट के बाद अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों और निर्देशों में भी फेर–बदल कर दिया गया।

DI Pipe (Ducktile Iron Pipe) जो कि पेयजल योजना के लिए बिछाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष DI Pipes के लिए High Power Purchase Committee और सभी Department जिनकी आवश्यकता रहती है निश्चित अवधि के लिए DI Pipes खरीदे जाते हैं। स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा जो जाल साजी कर घोटाला किया गया उसमें तत्कालीन मंत्रीगण इसके लिए उत्तरदायी हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि High Power Purchase Committee और Rate Contrat होने के बावजूद ठेकेदारों से 30–45 प्रतिशत above Rate पर DI Pipe लिए गए।

पांच नगर निगम और एक नगर परिषद में जब इस तरह से 39.31 करोड़ को गोलमाल रहा तो अनुमान लगाइए कि बाकी बचे पांच नगर निगम व अन्य स्थानीय निकाय को मिलाकर जिसमें 22 शहर शामिल हैं तो कितना बड़ा घोटाला होगा ?

सामान्यतः यह पाया गया है कि जन स्वास्थ विभाग और हरियाणा विकास प्राधिकरण द्वारा जो सीवर लाइन विछाने के लिए जो टेण्डर लगते हैं वो लगभग टेण्डर अमाउंट से

below जाते हैं परन्तु स्थानीय निकाय विभाग ने अमृत योजना के अन्तर्गत जो टेण्डर लगाये वो लगभग 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत above लगे हैं।

अमृत योजना के तहत जो Sewarage Water Treatment Plant लगे हैं उसमें भी कमोबेश यही स्थिति है। 2015–16 में 40 MLD Sewarage Plant on SBR Technology, Hissar में गिरधारी लाल अग्रवाल Contractors Pvt. Ltd. ने Sewarage Plant लगाया। जिसकी किम्मत 29,74,92,249 रूपए थी। जिसका निर्माण जन स्वास्थ्य विभाग ने करवाया। Municipal Corporation Karnal ने 50 MLD का STP Plant on SBR Technology अमृत योजना के तहत लगवाया जिसकी किम्मत 72.45 करोड़ रूपए आई। इन दोनों कार्यों के मध्य में 30%–150% का अंतर है। जो कि अपने आप में बताता है कि किस तरह का गोलमाल रहा ?

Sewarage के लिए Central Govt. से 1539 करोड़ रूपए आये सभी कार्य DNIT जिसमें High Purchase Committee ds Fix Rate थे। 10 प्रतिशत रेट पहले ही बढ़ा कर फिक्स कर दिए बाद में फिर Negotiation के समय 25 प्रतिशत तक रेट बढ़ा दिए गए जिससे कि सरकार के खजाने को तकरीबन 385 करोड़ का चुना लगाया गया और इस तरह से DI Pipe, Water Supply के बारे तकरीबन 200 करोड़ रूपए का चुना लगाया गया। कुल प्रोजेक्ट कोस्ट 2565 करोड़ का लगभग एक चौथाई हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसकी फौजदारी कार्यवाही करके State Vigilance IGP Rank/ CBI की सौंपी जाए। मेरा आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस बारे में सदन के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करें और जैसा कि ऊपर निवेदन किया गया है कार्यवाही की जाए।

श्री भारत भूषण बत्रा, विधायक, श्रीमती गीता भूक्कल, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक एवं श्री राव दान सिंह, विधायक द्वारा रखा गया ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 30-जी दिनांक 03.08.2020 के लिए स्वीकृत है

(श्री अनिल विज) शहरी स्थानीय निकाय विभाग मंत्री द्वारा विवरण

मैं हरियाणा विधान सभा के माननीय सदस्यों श्री भारत भूषण बतरा, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री आफताब अहमद, श्री सुरेंद्र पंवार एवं श्री राव दान सिंह का अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन ( अमृत ) के तहत हरियाणा के बुनियादी ढांचे के विकास से सम्बन्धित अहम मुददे को उठाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

- मैं अपने माननीय सहयोगियों को बताना चाहुंगा कि भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन ( अमृत ) नामक एक नई योजना की शुरूआत जून, 2015 में की गई।
- शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भारत सरकार के शहरी और आवासन मंत्रालय से हरियाणा राज्य के लिए 2565.74 करोड़ रु की पहली तथा अंतिम राज्य वार्षिक कार्य योजना (एस.ए.ए.पी) दिनांक क्रमशः 26.11.2015 और 15.03.2017 को अनुमोदित करवाया गया था।
- अमृत दिशानिर्देशों के खण्ड संख्या 8.1 के अनुसार, परियोजना का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाना है। अमृत के कार्यों में जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज से संबंधित कार्यों के अलावा पार्क और शहरी परिवहन का विकास, जी.आई.एस. मैपिंग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग में विभिन्न सुधारों (Reforms) को प्राप्त करने का कार्य भी शामिल है।
- अमृत दिशानिर्देशों के खण्ड संख्या 10 के अनुसार, एक स्टेट हाई पावरड स्टीयरिंग कमेटी (SHPSC) का गठन हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ए.सी.एस.–पी.एच.ई.डी, ए.सी.एस.–पी.डब्लयू.डी, बी.एंड.आर, ए.सी.एस.–वित्त, ए.सी.एस.–पर्यावरण, ए.सी.एस.–आवास, ए.सी.एस–परिवहन, ए.सी.एस.–वन और MoHUA के प्रतिनिधि को सदस्यों के रूप में सम्मिलित करते हुए किया गया था। अभी तक SHPSC की 12 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, जिसमें 2433.64 करोड रूपये की DPRs को स्वीकृति दी जा चुकी है।

- अमृत दिशानिर्देशों के खण्ड संख्या 11 के अनुसार, एक स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी (SLTC) का गठन प्रशासनिक सचिव–शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अध्यक्षता में ई.आई.सी–पी.एच.ई.डी, ई.आई.सी.–सिंचाई, एम.डी.–एच.वी.पी.एन, डी.यू.एल.बी, सी.ऐ.–एच.एस.सी.बी, डी.जी.–टी.एंड सी.पी, डी.जी.–ट्रांसपोर्ट, विशेष सचिव–वित्त विभाग, विशेष सचिव–राजस्व विभाग और CPHEEO-MoHUA के प्रतिनिधि को सदस्यों के रूप में सम्मिलित करते हुए किया गया था। अभी तक SLTC की 37 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, जिसमें 2106.67 करोड रू की राशि की DNIT को मंजूरी दी जा चुकी है तथा 2530.94 करोड रू की राशि के 48 कार्यों को अनुमोदित किया जा चुका है ।
- अधिनियम 1992 के 74 वें संशोधन के अनुसार, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नगरपालिकाओं की जिम्मेदारी है। इसी प्रावधान को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम–1973 व हरियाणा नगर निगम अधिनियम–1994 की धारा 66–ए और 42 के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ यह भी बताया जाना उचित होगा कि भारत के संविधान के प्रावधान, व्यापारिक नियमों के आबंटन सहित अन्य सभी कानून/नियमों का स्थान ले लेते हैं
- तदनुसार, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनाक 22.06.2017 को पी.एच.ई.डी. और यू.एल.बी. विभाग की अंतर मंत्री स्तर पर हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अमृत परियोजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाएगा। समांतर रूप से भारत सरकार मे इस परियोजना का कार्यान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- अमृत के दिशानिर्देशों की अनुपालना में, राज्य सरकार द्वारा अमृत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा शहरी आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (HUIDB) को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
- दिनांक 22.06.2017 को अंतर मंत्री स्तर पर हुई बैठक में, यह निर्णय भी लिया गया कि नगर निगमों की जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज सेवाओं को अमृत परियोजना के पूरी होने से पहले शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा ले लिया जाएगा। हाल में, फरीदाबाद, गुरूग्राम, सोनीपत तथा करनाल के शहरी क्षेत्रों की जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं की देखभाल सम्बन्धित नगर निगमों द्वारा की



[redacted]

जा रही है। शेष 6 नगर निगमों में भी यही सेवाएं समय अनुसार ग्रहण कर ली जाएंगी।

- उपरोक्त तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि अमृत परियोजना का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा करवाये जाने का निर्णय दिशानिर्देशानुसार था और इसका कार्यान्वयन जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (PHED) द्वारा करवाया जाना कानूनी प्रावधानों की अवहेलना होता।
- डी.पी.आर/डी.एन.आई.टी. को तैयार करवाने तथा प्रोजेक्ट डिवेलपमैंट और मैनेजमेंट कनसल्टैंट (PDMC) का कार्य अलग–अलग अनुबंधों के माध्यम से मै० वाप्कोस लिमिटेड को आबंटित किया गया था। मै० वाप्कोस लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है जोकि जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है व इसे भारत और अन्य देशों में इस प्रकार की बड़ी परियोजनाओं को संभालने का काफी अनुभव प्राप्त है।
- मै० वाप्कोस लिमिटेड द्वारा डीपीआर तैयार करने के उपरांत, इनको संबधित नगर निगमों/परिषदों के आयुक्त/जिला उपायुक्त के मूल्यांकन के लिए भेजा जाता था। DPR की प्रति पी.एच.ई.डी को उनकी टिप्पणियों के लिए भी भेजी जाती थी। प्राप्त होने वाली टिप्पणियों पर विचार किया जाता था तथा उन्हें DPRs में शामिल किया जाता था।
- सभी निविदाएं ई–टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की गई और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया गया था ताकि पात्र फर्मों की व्यापक और प्रतिस्पर्धी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

*मैं माननीय सहयोगियों को सूचित करना चाहूंगा कि भारत सरकार के शहरी और आवासन मंत्रालय द्वारा अमृत परियोजना के कार्यान्वयन में दैनिक और कुल प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली विकसित की गई है। वर्ष 2017 में, हरियाणा 36 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में 29 वें स्थान पर था और नवम्बर, 2019 में हरियाणा ने 12 वीं रैंक हासिल की। वर्तमान में, हरियाणा 16 वें स्थान पर है।*

**श्रीमती गीता भुक्कल** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी लिखित जवाब पढ़ने का प्रयास किया है । मैं बताना चाहूंगी कि इसमें हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन करके पूछा था कि आप इसमें क्या कार्रवाई करेंगे और कब तक करेंगे ? न केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि विधान सभा के पटल पर और बाहर भी हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री बलराज कुण्डू ने उनको सारा रिकॉर्ड सौंपा था और माननीय मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि हम जांच करवाऐंगे । मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिनकी आत्मा को आज दुख हो रहा होगा । उनके नाम से (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) अमरूत योजना शुरू की गई थी । इस योजना में बहुत बड़ा घोटाला और घपला हुआ है । मैं अनुरोध करूंगी कि इसकी टाइमलाइन बता दें और इसके बाद जो जांच करवायेंगे उनकी कंपलायंस रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रख दें । इसमें अमरूत योजना अटल जी के नाम से शुरू की गई आज उनको दुख हो रहा होगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला और घपला हुआ है ।

**श्री अनिल विज** : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य श्री बलराज कुण्डू ने इससे मिलती–जुलती कुछ शिकायतें दी थी और मैंने उनको जांच करवाने का आश्वासन भी दिया था । उसके लिए हमने श्री अमित अग्रवाल, आई.ए.एस., डायरैक्टर जनरल, अर्बन लोकल बाडीज की अध्यक्षता में एस.आई.टी. गठित कर दी थी । इसके अलावा इसमें हरियाणा पुलिस हाउसिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर एज ए मैम्बर, श्री ए.के. पाहवा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट एज ए मैम्बर, श्री सूरजभान बूरा, रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.), एज ए मैम्बर शामिल किये गये हैं । मैंने उनको इसके लिए एक महीने का समय दिया है कि आप इसके अंदर–अंदर हमें रिपोर्ट सब्मिट कर दें । मैं सदन में खड़े होकर यह बताना चाहता हूं कि उसके तहत जो भी दोषी पाया जाएगा हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे । मैं पुनः कहना चाहता हूं इसमें जिस किसी के भी खिलाफ अनियमितताएं पाई जाएंगी हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। I am known for that. Sir, I repeat it.

**श्री बलराज कुंडू**: अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय पर एक बात रखना चाहता हूं, इसलिए मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए।

**श्री अध्यक्षः** कुंडू जी, आपका इस प्रस्ताव में नाम नहीं है, फिर भी यदि आपका इससे संबंधित कोई सप्लीमैंटरी है तो पूछ लें।

**श्री बलराज कुंडू:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे मेरे द्वारा दिये गये विषय से संबंधित मामले की जांच करवाएंगे। मुझे उनकी जांच और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है । इन पर मुझे कभी भी कोई शंका नहीं हो सकती। मैं इसके अतिरिक्त 2 बातें और पूछना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर ई–टैंडरिंग की बात मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में कही है। ई–टैंडरिंग में सेम नेचर ऑफ वर्क्स हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग में हुआ है। इसमें हमारे जिन अधिकारियों ने संबंधित वर्क्स के लिए जो क्राइटेरिया बनाया है, उनकी मिशालें हैं। इसलिए इसमें संबंधित दोनों वर्क्स को जरूर मिलाया जाए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि संबंधित वर्क्स का क्राइटेरिया बनाने में कितनी बड़ी धांधली कर रखी है? इसमें पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में कितने टैंडर आये हैं और यू.एल.बी. में कितने टैंडर्ज आये हैं? उनको चैक किया जाए। अदरवाईज, ई–टैंडरिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि इन्होंने एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया हुआ है और उसमें वे कान्ट्रैक्टर ही फीड हैं जिन्होंने उस समय के मंत्री और अधिकारियों के साथ अंदरूनी कार्य किया है। इसकी क्लीयरटी तब होगी जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग के वर्क्स का क्राइटेरिया मैच किया जाएगा। उससे सभी चीजों की क्लीयरटी हो जाएगी। मैं एक बात और बताना चाहूंगा जिसको मैं अभी पढ़ भी रहा था। जैसा पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि डिफरैंट टाईप ऑफ वर्क्स हिसार और करनाल जिले का है, परन्तु ये सेम नेचर ऑफ वर्क्स हैं।

**श्री अध्यक्ष:** कुंडू जी, आप केवल संबंधित विषय पर ही अपनी सप्लीमैंटरी पूछे।

**श्री बलराज कुंडू:** अध्यक्ष महोदय, इसमें विभाग द्वारा रिप्लाई में बताया गया है कि हिसार और करनाल जिले के जो वर्क्स के टैंडर जारी किये गये हैं, उनमें सेम टैक्नोलॉजी से वर्क्स किये जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस समय कहा था कि दोनों वर्क्स की अमाउंट्स में डिफरैंस है, वह उनकी टैक्नोलॉजी में बहुत बड़ा अन्दर होने के कारण है। यह बात विभाग द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट में है कि संबंधित दोनों वर्क्स सेम टैक्नोलॉजी से किये जा रहे हैं, परन्तु अमाउंट में जस्ट डबल हैं। मैं माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी को अपना आदर्श मानता हूं। मुझे उनसे उम्मीद है कि वे संबंधित घपले की जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय मंत्री श्री

अनिल विज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संबंधित मामले की जांच करने के लिए एस.आई.टी. गठित की है।

.....

## विभिन्न मामले उठाना

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ होगा ।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा**: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि बजट पर चर्चा करवाने से पहले आप पहले जीरो ऑवर शुरू करवा लें।

**श्री अध्यक्ष**: हुड्डा साहब, अगर आपका कोई इशू हो तो आप उसके बारे में बता दें।

**श्री वरुण चौधरी**: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट अंबाला का सारा रिकार्ड अलमारी समेत गायब हो गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय होम मिनिस्टर श्री अनिल विज साहब से अनुरोध है कि इस सुशासन संकल्प वर्ष में संबंधित मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें 100 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान अनुमानित है। वहां पर 111 दुकानें बनाकर उनका ऑक्शन होना था, परन्तु उन दुकानों की जगह एक प्राईवेट मॉल को लाभ पहुंचाने के लिए रास्ता बनाकर दे दिया गया है। इससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई थी, परन्तु उसको अनट्रेसेबल कहकर बन्द कर दिया गया। इसमें किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि संबंधित मामले की इन्कवायरी करवायी जाए।

**गृह मंत्री (श्री अनिल विज)**: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, उसकी सारी छान–बीन करवायेंगे और उसकी जांच भी करवा देंगे।

**श्री चिरंजीव राव**: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात रखना चाहूंगा। जैसा कि आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि कोरोनावायरस का पहला केस दिल्ली में डिटैक्ट हो गया है। हम दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में हैं, इसलिए हमारी सरकार की कोरोनावायरस से फाईट करने के लिए क्या तैयारी है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इसके बारे में पूछना चाहता हूं।

**श्री अनिल विज**: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी तक हरियाणा प्रदेश में 943 लोग चाईना से आये हैं। इसके लिए गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने गाईडलाईंज बनायी हुई हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त चाईना से जो भी यात्री आते हैं, उनके लिए 2 इशूज और जोड़ दिये हैं। इसमें अब एयरपोर्ट पर ही चाईना से आने वाले यात्रियों को फार्म भी भरना पड़ता है। इसके लिए एयरपोर्टस पर हैल्थ डिपार्टमैंट की टीमें भी बैठी हैं। अभी तक वहां से 943 लोग आये हैं जिनमें से 15 की हॉस्पिटेलाईजेशन हुई है। इनमें कोरोनावायरस के थोड़े से सिमटम्स पाये गये हैं। इसके खांसी–जुकाम के ही सिमटम्स होते हैं। खांसी–जुकाम के सिमटम्स से पेनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि खांसी–जुकाम तो वैसे भी हो जाता है। हमने संबंधित पेशैंट्स को आइसोलेशन वार्डों में रखा है और पूरे हिन्दुस्तान में सिर्फ पुणे में एक ही लैब है और उस लैब में इनके सैंपल भेजे गये थे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने अभी तक जितने भी सैंपल भेजे थे उन सभी सैंपल की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, सभी अस्पतालों में इसकी व्यापक व्यवस्था भी की गई है और सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं।

**श्रीमती गीता भुक्कल** : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है और सभी न्यूज पेपर्ज और डब्ल्यू.एच.ओ. ने भी इस बात की चिंता व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, यह कोरोना वायरस चाइना के अलावा इरान में या दूसरी कंट्रीज में भी फैल चुका है, भारत में कल के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना वायरस के सिम्टम आ गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना और पूछना चाहती हूं कि इस कोरोना वायरस के क्या सिम्टम हैं और इससे बचने के लिए क्या–क्या प्रिकॉशन करने चाहिएं। सरकार की तरफ से हमें जो ये टैब दिए गए हैं, ये कब इम्पोर्ट किए गये और इस पर मेड इन चाइना भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये टैब चीन के वुहान शहर से आये हैं और उस पर दिसम्बर की डेट भी लिखी गई है। सरकार ने इन टैब्ज के माध्यम से इस बार का बजट भी पेश किया है। Speaker Sir, this is a very serious matter to be taken. I am very serious also. इस टैब के बारे में पूछा गया तो कहा गया कि इस टैब को अभी मत खोलो क्योंकि यह वुहान शहर से आये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि इस कोरोना वायरस की सभी कंट्रीज अपनी–अपनी लैब्स से जांच करवा रही हैं। मैं समझती हूं कि यह हमारे लिए भी बहुत चिंता का विषय है। हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारा हरियाणा प्रदेश भी घिरा हुआ है। हमारे यहां मल्टी नेशनल कम्पनीज बहुत हैं और हमारे यहां पर कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इस कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या प्रीकोशनरी मैयर लें, इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने क्या–क्या तैयारियां की हैं? जैसा

कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि पूरे भारत में पुणे में सिर्फ एक ही लैब है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने आइसोलेशन सैंटर कहां–कहां पर बनाये हैं और हमारे हरियाणा प्रदेश के एयरपोर्ट के नजदीक जैसा गुरूग्राम या फरीदबाद एडजॉइनिंग एन.सी. आर. का क्षेत्र है वहां पर सरकार इसको इमरजैंसी की तरह टेक–अप करे क्योंकि जो रिपोर्ट्स पूरे वर्ल्ड वाइड आई हैं, उसमें बताया गया है कि more than 60% of the countries इस कोरोना वायरस के खतरे में हैं और बहुत सारे देशों ने अपनी–अपनी फोरन विजिट भी कैंसिल कर दी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि मैंने कल इस बारे में पता किया था कि एयर टिक्ट्स के 90 प्रतिशत रेट कम हो गये हैं। जिन लोगों ने बाहर जाने के लिए एयर टिकट की बुकिंग करवा रखी थी, उन्होंने भी टिकट कैंसिल कर दी हैं, जिनकी नैशनल और इंटरनैशनल कांफ्रेंस निश्चित थी उनकी भी ज्यादातर टिकट कैंसिल कर दी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस विषय है और हमें इस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बतायें कि प्रदेश के अस्पतालों में कहां–कहां आइसोलेशन वार्ड बनाये हैं और इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी लोगों को क्या–क्या मैयर प्रीकोशन लें? अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहती हूं कि सरकार की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को टैब दिए गए हैं, इस बारे में भी थोड़ा क्लेरिफाई कर दें कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये टैब 100 प्रतिशत डिस्काउंट पर सरकार को मिल गये हों और हम लोगों के लिए भी दिक्कत खड़ी हो जाये?

**श्री अनिल विज** : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार भी इस बात को मानती है कि इसके लिए वर्ल्ड वाइड चिंता की जा रही है। मैं माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहूंगा कि इस कोरोना वायरस के ये भी फैक्ट हैं कि अभी तक इसकी कोई मैडिसन नहीं आई है जो इस पर प्रिवेंटिव हो सके। इसका सिम्प्टोमेटिक तरीके से ट्रीटमैंट किया जाता है। जो सिंप्टम्स पेशैंट्स में नजर आते हैं उनके आधार पर ही इसकी जांच की जाती है। अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने कहा है कि इस बारे में क्या–क्या प्रिकॉशन बरती जायें? मैं बहन जी को बता तो दूंगा परन्तु हुड्डा साहब मेरी बात का बुरा मान जायेंगे। इस कोरोना वायरस से बचने का एक ही तरीका है और वह यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के टच में न आये और हैलो न करें, नमस्ते करें। सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करें। अध्यक्ष महोदय, इसका एक ही तरीका है और कोई अन्य तरीका नहीं है, जिससे बचा जा सके। हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार हम हैलो न करके दूर से नमस्ते करें।

**श्रीमती गीता भुक्कल :** स्पीकर सर, मेरा इस मामले में यह कहना है कि हम जो भी दवाईयां मंगवा रहे हैं वे चाईना से मंगवा रहे हैं। हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको हम लोग जनरल मैडीसन इस्तेमाल करें। अभी हमारा वहां से जो इम्पोर्ट होता है मेरी आपसे काईण्डली रिकवैस्ट है कि इस तरह की जो जैनरिक मैडीसंज हैं उनको अभी फिलहाल हम इम्पोर्ट न करें। जो भी हमारे चाईना से ऑर्डर्ज हैं उनको अगर थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है।

**श्री अनिल विज :** स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि इस सारे के सारे मामले को गवर्नमैंट ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छे ढंग से मॉनीटर कर रही है। यह वॉयरस बिना ह्युमन बॉडी के किसी ऑब्जैक्ट पर कितने दिन तक रह सकता है, कितने दिन तक जा सकता है अभी तक इसकी कोई स्टडी रिपोर्ट नहीं है इसलिए अभी इसके बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता है। इस मामले में गवर्नमैंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा चिंतित है। डॉ. हर्ष वर्धन, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मीडिया को एड्रैस किया है और बताया है कि इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर क्या–क्या उपाय किये जा रहे हैं। स्पीकर सर, एक बात श्रीमती गीता भुक्कल जी ने बजट वाले दिन सभी माननीय सदस्यों को वितरित किये गये टैबलेट्स के प्रयोग के बारे में भी कही थी। इस बारे में मेरा इनसे और पूरे सदन से यही कहना है कि टैबलेट्स के उपयोग से कोई डरने वाली या चिंता वाली बात नहीं है। जिस दिन ये टैबलेट्स हमें मिले हैं मैं खुद उसी दिन से उसका यूज कर रहा हूं। मैंने सारे का सारा बजट भाषण टैबलेट पर ही पढ़ा था।

**श्री अभय सिंह चौटाला :** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक चीज जानना चाह रहा था। अभी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई कि बहुत सारी मैडीसंज made in China हैं। हमारे देश के अंदर जितनी भी दवाईयां बनती हैं उनका 70 परसैंट सॉल्ट चाईना से आता है। जिस तरह के आज के हालात हैं अगर कुछ देर और लम्बे समय तक यही हालात बने रहे तो जो सॉल्ट हम चाईना से मंगवाकर मैडीसंज तैयार करते हैं जो पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी सबसे सस्ती मैडीसन के रूप में मानी जाती हैं। अगर कल को वह सॉल्ट वहां से हमारे यहां पर नहीं आयेगा तो हमारे यहां पर एक अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। पिछले दिनों एक अखबार की रिपोर्ट आई थी उसमें यह लिखा था कि हमारे पास मैडीसंज का अप्रैल के महीने तक का ही स्टॉक उपलब्ध है। उसके बाद अगर हमें नई मैडीसन के लिए सॉल्ट

की आवश्यकता पड़ी तो उसे यू.एस.ए. से मंगवाना पड़ेगा और यू.एस.ए. से जो सॉल्ट आयेगा उसकी कीमत चाईना वाले सॉल्ट से सौ गुणा ज्यादा होगी। इस प्रकार से आने वाले समय में सभी दवाईयों बहुत ही ज्यादा महंगी हो जायेंगी। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए उनके विभाग द्वारा क्या तैयारी की गई है? केवल कोरोना की ही नहीं बल्कि सभी दवाईयों के रेट्स अप्रत्याशित रूप से बढ़ जायेंगे। हमारे यहां पर ओ.पी.डी. में जो दवाईयां दी जाती हैं कल वे अगर महंगी हो जायेंगी तो उस स्थिति में उन मरीजों को उसी रेट के ऊपर क्या दवाईयां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जायेंगी। मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि इससे आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आयेंगी।

**श्री अनिल विज** : स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इस बारे में केन्द्र सरकार पूरी तरह से स्टडी कर रही है और बहुत चिंतित भी है। इससे चाईना का जो एक्सपोर्ट है वह भी काफी हद तक गिर गया है क्योंकि लोग वहां से कोई सामान भी नहीं मंगवाना चाहते हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर जो भी नीति बनेगी हरियाणा सरकार द्वारा भी उसके अनुसार ही आगे की कार्यवाही कर ली जायेगी। वैसे कहा जाता है कि because India being a tropical country और इसमें टैम्परेचर काफी हाई रहता है। अभी इसके बारे में भी बताया जा रहा है कि शायद जो वर्ल्ड में हाई टैम्परेचर वाली कंट्रीज हैं उनमें इसका अफैक्ट कम हो। ऐसा अभी बताया जा रहा है लेकिन दावे से अभी कोई ऐसी बात भी नहीं कही जा रही है क्योंकि यह एक नया वॉयरस है और अभी तक इसकी कोई वैक्सिन भी नहीं बनी है। सरकार इसके इंतजाम के लिए प्रयासरत है। जैसा मैंने बताया कि इस समय इसकी एक वैक्सिन है और वह है हाथ जोड़कर अभिवादन करना।

**श्री कुलदीप वत्स** : स्पीकर सर, मैंने यहां पर सदन में कुछ दिन पहले एक क्वैश्चन उठाया था जो हरियाणा प्रदेश के धौलीदारों और बूटीमारों की जमीन से सम्बंधित था। (विघ्न) इस सम्बन्ध में कानून में क्या लिखा है मैं उसे सदन में बताना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : वत्स जी, राम कुमार गौतम जी के क्वैश्चन पर इस बारे में सदन में डिटेल्ड डिस्कशन हो चुकी है और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका डिटेल्ड रिप्लाई भी दिया जा चुका है। यह कोई एमरजैंसी का विषय नहीं है कि जिसे आप जीरो ऑवर में उठायें। आप कृपया करके बैठ जायें।

**श्री कुलदीप वत्सः** अध्यक्ष महोदय, मेरा पिछली बार इस बारे में एक प्रश्न भी लगा था कि धौलीदारों को जो जमीन दी गई थी उसको सरकार वापिस ले रही है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** कुलदीप जी, इस बारे में एक डिटेल्ड रिप्लाई हाउस में सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। यह कोई इमरजेंसी विषय नहीं है। इसका रिप्लाई पहले हाउस में हा चुका है। यह डिस्कस हो चुका है और फिर आप इसको जीरो आवर में उठा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप वत्सः** अध्यक्ष महोदय, वह रिप्लाई गलत था तथा डिटेल में भी इसका रिप्लाई नहीं आया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** कुलदीप जी, आदरणीय उप–मुख्यमंत्री जी ने इसका डिटेल्ड रिप्लाई हाउस में दे दिया है। इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और यह कोई इमरजेंसी का विषय नहीं है। यह विषय पहले ही तीन बार हाउस में डिस्कश हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप वत्सः** अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में इसको पंजायत की जमीन बताया था। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यह जमीन 1862 में दी गई थी और पंचायतें 1952 में अस्तित्व में आई हैं। उन गरीब लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। आज मैं पूरे एक्ट और प्रूफ के साथ आया हूं। मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** कुलदीप जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं लेकिन बार–बार एक ही विषय को उठा कर आप हाउस का समय खराब न करें। बजट पर बहुत से सदस्यों को बोलना है आप भी अपनी बात बजट पर रख सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप वत्सः** अध्यक्ष महोदय, यह मेरा इश्यू है मैं इसके बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। यह बहुत जरूरी विषय है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** कुलदीप जी, केवल यही विषय नहीं है बल्कि और भी बहुत से विषय हैं। इसके बारे में मंत्री जी विस्तृत जवाब दे चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप वत्सः** अध्यक्ष महोदय, अगर मैं आपके समक्ष यहां हाउस में न बोलूं तो मैं कहां बोलूं? आप मुझे बता दीजिए कि मैं कहां पर बोलूं? जो रिप्लाई दिया गया है उसमें मुझे मिसगाइड किया गया है और 7 बिरादरी जिनमें ब्राहम्ण, जांगड़ा ब्राहम्ण, प्रजापत

तथा बाल्मीकि इत्यादि जातियां इसमें शामिल हैं। आप मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दीजिए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** ठीक है, आप दो मिनट में संक्षेप में अपनी बात कह लीजिए।

**श्री कुलदीप वत्सः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि उप–मुख्यमंत्री जी ने अपने लिखित जवाब में यह कहा था कि यह पंचायती जमीन थी जो धौलीदारों को दी गई थी और सरकार यह जमीन धौलीदारों को नहीं दे सकती है। मैं बताना चाहता हूं कि पंचायत तो वर्ष 1952 में बनी हैं और यह जमीन धौलीदारों को वर्ष 1862 में दे दी गई थी। वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने इसको एक बहुत अच्छे पढ़े–लिखे तरीके से एक्ट बना कर लागू किया था। उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ कर ही इसको लागू किया होगा? उसमें धौलीदार, भौंडीदार, मुकररदार, बूटीदार तथा प्रजापत इत्यादि 8–10 समाज के लोगों को यह जमीन दी गई थी। इस बारे में एक धौलीदार के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आया है कि उपहार में दी गई जमीन को गिरवी नहीं रखा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है क्योंकि उसका उपहार एक विशेष समाज द्वारा दिया गया है। उपहार लेने वाला अगर यह जमीन वापिस करता है तो यह जमीन उपहार देने वाले पुराने मालिक के पास ही जायेगी। पंचायत लैंड की बात जहां तक है तो पंचायतें तो 1952 में आई हैं। हाई कोर्ट की इस जजमैंट में पेज नम्बर 1 पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। मैं ये सभी दस्तावेज प्रूफ के साथ दे सकता हूं। यह 6–7 समाजों की जमीन है, यह पंचायत की जमीन नहीं है। मैं अगर डिटेल में बताऊंगा तो इसमें बहुत समय लगेगा लेकिन मैं आज सभी प्रूफ लेकर आया हूं।

**श्री अध्यक्षः** कुलदीप जी, उप–मुख्यमंत्री जी आ गये हैं, आप ये सभी दस्तावेज उनको दिखा दीजिए।

**श्री कुलदीप वत्स :** अध्यक्ष महोदय, मैं उनको भी दिखा दूंगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम गरीबों के साथ न्याय करते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार से गरीबों की जमीन वापिस ली जा रही हैं। इस प्रकार से तो जो 100–100 गज के प्लाट पंचायती जमीन पर कांग्रेस सरकार में गरीबों को दिये गये थे या किसी संस्था को जो पंचायती जमीन दी हुई है उसको भी सरकार वापिस ले लेगी। आज मैं उप–मुख्यमंत्री जी को कानूनी रूप से पूरे दस्तावेज दिखाता हूं ताकि ये पढ़ सकें।

**श्री अध्यक्षः** कुलदीप जी, आप ये सभी दस्तावेज उप–मुख्यमंत्री जी को दिखा दीजिए।

**शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल)** : अध्यक्ष महोदय, वह जमीन किसी व्यक्ति ने नहीं दी है। धौलीदार को जो जमीन दी गई है वह जमीन पंचायत की तरफ से दी गई है।

14:00 बजे

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्ट हरियाणा विधान सभा द्वारा पास किया गया था, यह उन लोगों के लिए था जिनको धौली की जमीन मिली हुई थी। उसमें चाहे हमारे ब्राहम्ण भाई थे या प्रजापत भाई थे चाहे कोई भी था। हमने वर्ष 2011 में जो एक्ट बनाया था उसमें कोई एम्बीग्यूटी नहीं थी। वर्ष 2018 में सरकार इसमें जो संशोधन लेकर आई है वह इसलिए लेकर आई है ताकि इन लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया जा सके। मैं वर्ष 2011 के एक्ट का सैक्शन 6 पढ़ कर सुनाता हूं जिसमें लिखा हुआ है–

> "(6) If the ownership of any plot or building within the Abadi Deh is claimed then the possession over the plot or site or building shall have to be proved by the Dholidar, Butimar, Bhondedar or Muqararidar, as the case may be, on the basis of housing tax, ration card, telephone bill, water charges or any other relevant document."

और साथ ही साथ मैं सैक्शन(4) के सब सैक्शन(2) के बारे में भी बता देता हूं–

> "(5)The compensation in respect of Shamilat Land or Panchayat land shall be payable to Gram Panchayat is concerned."

जो कम्पनसेशन Dholidar, Butimar, Bhondedar or Muqararidar, को ने देना है वह पंचायत में चला जाएगा। पहले सारी शामलात जमीन पंचायत में vest हो गई लेकिन उसका अधिकार तो खत्म नहीं हुआ। कोई ambiguity नहीं है। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि जिन लोगों का उस जमीन पर हक बन चुका है उन लोगों के साथ ये भारी ज्यादती हो रही है इसलिए सरकार इस एक्ट को वापिस ले। सरकार इसमें जो अमेंडमैंट लाई थी उसको फिर से ठीक करके उस जमीन पर उन लागों को उनका हक देने का काम करें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप वत्स** : अध्यक्ष महोदय, ––– (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कुलदीप जी, उप मुख्यमंत्री जी इस बात को क्लीयर कर रहे हैं।(शार एवं व्यवधान)

**उप मुख्यमंत्री(श्री दुश्यंत चौटाला)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत डिटेल्ड तरीके से आज अपना पक्ष रखा है। पहले मैं यह डैफिनेशन दोबारा पढ़ दूं । The term

'Dholi' is described, as per the Punjab Settlement Manual, as deathbed gift of a small plot of land to a Brahmin. यह धौली की डैफिनेशन है। जो आज की बात नहीं है। इसी तरह से Bhonda is given to some secular services/duties of watchman and messenger. जो गांव के अन्दर बैठता है। इसके बाद Bhumidar: bring jungle land under cultivation. उसके साथ–साथ मुकार्रीदार होता है जो मालिक मुआवजे का काम देखता है। ये चार डैफिनेशंज पंजाब सैटलमैंट manual में है। जबकि माननीय सदस्य उस समय की पंचायतों पर भी अंगुली उठाने का काम कर रहे हैं। हुड्डा साहब, ने एक फैक्ट रखा कि उस समय पंचायतें एग्जिस्टैंस(अस्तित्व) में नहीं आई थी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे 10 साल तक इस सदन के नेता रहे हैं और इनके राज में वर्ष 2011 में यह एक्ट आया था। उस एक्ट के अन्दर कहीं डिस्क्राईब्ड नहीं है कि पंचायत ACT लैंड के अनुसार वह लैंड उनको दी जाए। दो साल बाद इन्होंने जो रूल्ज एण्ड प्रोसीजर ले डाउन किया उसके अन्दर यह अमेंडमैंट के स्वरूप लाने का काम किया है क्योंकि रूल्ज के अन्दर इन्होंने इस एक्ट को थोड़ा घूमा करके दिया है। मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा। हुड्डा साहब, आपके एक्ट के बाद जो लैंड ट्रांसफर हुई है उसके अन्दर 92 एकड़ जमीन तो व्यक्तिगत तौर पर ट्रांसफर हुई है और 1245 एकड़ जमीन जिसमें रोहतक के अन्दर 343 एकड़, पलवल के अन्दर 314 एकड़, नूंह के अन्दर 110 एकड़ और सबसे ज्यादा जो हैरानी की बात है वह यह है कि गुरूग्राम के अन्दर 237 एकड़ जमीन ट्रांसफर की गई है। अगर आप कहते हैं तो हम इन सभी का रेवैन्यु डाटा निकाल लेते हैं कि यह जमीन किस–किस को ट्रांसफर हुई है। इसमें आपने किस–किस को बेनिफिट पहुंचाने का काम किया है। धौली लेने वाले किसी भी आदमी को यह लैंड ट्रांसफर नहीं हुई है। आपने इस एक्ट के अन्दर अपने चुनिन्दा लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। हमने किसी भी व्यक्तिगत तौर पर दान की हुई धौली की जमीन को वापिस लेने का कोई प्रोविजन नहीं बनाया है । उस एक्ट में जो अमेंडमैंट आई थी उसके बाद केवल मात्र यही रखा गया कि रूल्ज के अन्दर जो पंचायत शब्द लिखा हुआ है उसमें कोई व्यक्ति पंचायत की जमीन को व्यक्तिगत तौर से डैथबैड पर बैठकर दान में नहीं दे सकता है इसलिए यह प्रोविजन लाया गया है।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्यमंत्री जी, से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सारा एक्ट पढ़ें। उसमें लिखा है कि जो 20 साल से उस जमीन के धौली दार हैं, बुटीदार हैं या मुकार्रीदार हैं वे उस जमीन के हकदार हैं। उप मुख्यमंत्री जी आप किसी से सलाह लें । मैं सरकार को फिर से यह कह रहा हूं कि आपकी जो इंटरपैटेशन है मैं

समझता हूं कि उसमें उन लोगों को वह जमीन देने की आपकी नीयत भी रही होगी। हम तो यह कहते हैं कि उन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए इसलिए आप इस एक्ट में दोबारा से अमेंडमैंट लेकर आएं।

**श्री दुश्यंत चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा कि वे आज सदन के अन्दर अप्रुव कर दें कि हम इस पूरे मामले की एक बार इंकवायरी करवा लेते हैं कि इसमें चुनिन्दा लोगों को फायदा मिला है या नहीं मिला है। हुड्डा साहब, आप बोलिए। आप कहो तो हम इसकी इंकवायरी करवा लेते हैं। 1245 एकड़ अर्थात 3 कनाल और 18 मरले जमीन दी गई है क्या वह जमीन धौलीदार लोगों को मिली है? हम तो यह चाहते हैं कि आप यह मानिये कि इसकी इंकवायरी करवाईये । हम इसकी इंकवायरी करवा लेंगे।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, जो ये अमेंडमैंट लेकर आए हैं उसकी इनको अभी राष्ट्रपति से एसेंट नहीं मिली है। अभी तो इस अमेंडमैंट को प्रेजीडैंट ऑफ इण्डिया ने एसेंट भी नहीं दी है। It is pending with the President of India. जिस दिन यह एसेंट मिल जाएगी तो यहां क्या होगा आप देख लेना। आप जो यह गिना रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और आप इसको वापिस लोगे। यह बहुत कॉम्प्लीकेटिड मामला है। आप जो यह वर्ष 2018 का अमेंडमैंट लेकर आए हैं उसकी अभी एसेंट नहीं मिली है।

**श्री दुश्यंत चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष कहें तो हम इस पूरे की इंकवायरी करवा लेंगे।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि जब तक इस पर एसेंट मिले उससे पहले हमारे सुझाव व अपने सुझाव पर इस अमेंडमैंट को वापिस लें क्योंकि जो एक गरीब आदमी है धौलीदार है और जो सैंकड़ों साल से उस जमीन पर काबीज हैं। हमने अपनी सरकार के समय में उनको मालिकाना हक देने का काम किया था। उनको वह मालिकाना हक मिलना चाहिए।

.....

## वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुररारम्भण होगा। डॉ. कमल गुप्ता जी आप अपनी बात रखिए। (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. कमल गुप्ता (हिसार):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप वत्स:** अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि डॉ. कमल गुप्ता जी अपनी बात रखे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** देखिये, बजट अनुमानों पर चर्चा शुरू हो गई है। आप बाद में अपनी बात रख लेना। अभी आप प्लीज बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप वत्स:** अध्यक्ष महोदय, बाद में नहीं मुझे अभी अपनी बात रखने का मौका दिया जाये।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** कुलदीप जी, ऐसे नहीं होता। आप बाद में अपनी बात रख लीजिए। अभी बजट पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अतः प्लीज आप बैठिए।(शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप वत्स:** अध्यक्ष महोदय, डॉ. कमल गुप्ता बाद में अपनी बात रख सकते हैं। मैं उनसे पहले खड़ा हुआ था इसलिए मुझे अपनी बात रखने दी जाये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** कुलदीप जी, आप ठीक नहीं कर रहे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप वत्स:** अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** कुलदीप जी, आप ठीक नहीं कर रहे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप वत्स:** अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** कुलदीप जी, आप ठीक नहीं कर रहे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप वत्स:** अध्यक्ष महोदय (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** कुलदीप वत्स की कोई भी बात रिकॉर्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान) गुप्ता जी आप अपनी बात रखें।

**डॉ. कमल गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, इस बजट में मुझे गांधी जी के समाजवाद की कल्पना राम राज्य पर आधारित नजर आती है। (शोर एवं व्यवधान) इस देश के महान विचारक पंडित दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद एवं अंतोदय की विचार धारा की झलक भी नजर आती है। (शोर एवं व्यवधान) हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री

मनोहर लाल जी जिनका मूल मंत्र है कि हरियाणा एक हरियाणवी एक व सबका साथ–सबका विकास वाली अवधारणा की मनोहर प्रवृत्ति की महक इस बजट में झलकती है।

**श्री कुलदीप वत्सः** अध्यक्ष महोदय, *** (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कुलदीप वत्सः** अध्यक्ष महोदय, ***(शोर एवं व्यवधान)

**(इस समय श्री कुलदीप वत्स वैल में आ गए और अपने विषय को लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क–वितर्क करने लग गए)**

**श्री अध्यक्षः** कुलदीप जी, आप ठीक नहीं कर रहे। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए।(शोर एवं व्यवधान) कुलदीप जी, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यह विधान सभा का सदन है और इसमें सदन की गरिमा बनाये रखें। (शोर एवं व्यवधान) गुप्ता जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

**डॉ. कमल गुप्ताः** अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करने में सभी लोगों से चाहे वे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वे विशेषज्ञ हों या चाहे फिर वह हमारी जनता हो सबकी राय व मार्गदर्शन से इस बजट को तैयार करने का काम किया है। इस बजट में सभी दिशाओं अर्थात सभी क्षेत्रों का बराबर ध्यान रखा गया है। सभी दिशाओं के संदर्भ में मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा किः–

**दसों दिशाओं में जाएं–दल बादल से छा जाएँ।**
**उमड़–घुमड़ कर हर धरती को– नन्दन वन सा सरसाएँ।**

अध्यक्ष महोदय, इस बजट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार करने से पहले जनता की, विशेषज्ञों की, जन प्रतिनिधियों की सभी तरह की सलाह ली और उसके पश्चात ही इस बजट को तैयार किया अर्थात यह बजट जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा तैयार किया गया एक अति महत्वपूर्ण बजट है जिसमें सभी वर्गों का अर्थात किसानों, व्यापारियों, महिलाओं, मजदूरों तथा गरीबों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस बजट की खास बात यह है कि यह बजट लैवल ऑफ कांफिडेंस से भरा हुआ है। बजट का काम केवल पैसे का हिसाब या बांटना ही नहीं होता है। अर्थव्यवस्था को संचालित करना बजट की पूर्ण निशानी होता है। यह बजट किस प्रकार से अच्छा है, इस बात को मैं आंकड़ों के हिसाब से माननीय सदन के सामने रखना चाहूंगा। हरियाणा का यह बजट 142343 करोड़ रूपये का बजट है। इसके साथ ही सदन की जानकारी के लिए यह भी

———————————————————————————

*** चेयर के आदे□ानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

बताना चाहूंगा कि जैसाकि सब जानते हैं पंजाब, हरियाणा से बहुत बड़ा है उसका भी बजट अभी पेश हुआ है जोकि मात्र 151000 करोड़ रूपये का है। मात्र 10000 करोड़ रूपये का इन दोनों प्रदेशों के बजट में फर्क है और यह भी इस वजह से है क्योंकि पंजाब का एरिया, उसकी पॉपुलेशन और अन्य दूसरी चीजें देखी जायें तो वे हरियाणा के मुकाबले हर क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे हैं। अब मैं जी.डी.एस.पी./जी.डी.पी. पर बात करूंगा। जी.डी.पी. किसी बजट के लैवल को मापने का एक मापदंड होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2014–15 की बात बताता हूँ उस समय भारत देश की जी.डी.पी. 123 लाख करोड़ थी जबकि हरियाणा की जी.एस.डी.पी. 4.4 प्रतिशत थी अर्थात भारत देश में हरियाणा की जी.एस.डी.पी. 3.6 परसेंट के मजबूत स्तर पर थी। लेकिन वर्ष 2020–21 में इण्डिया की जी0डी0पी0 204.42 लाख करोड़ रुपये हो गई। हरियाणा की जी0डी0पी0 9 लाख 39 हजार करोड़ रुपये हो गई। अध्यक्ष महोदय, कहां तो यह वर्ष 2014–15 में 3.6 प्रतिशत थी और अब 4.5 प्रतिशत हो गई। जबकि हरियाणा का एरिया 1.34 प्रतिशत है और जनसंख्या 2.09 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, 4.5 प्रतिशत जी0डी0पी0 होना मैं समझता हूँ कि यह बजट की कामयाबी की निशानी है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यह बजट बहुत ही अच्छा है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि वर्ष 2024–25 में इण्डिया की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डालर हो जिसको अगर मैं हिन्दुस्तानी रूपये में बात करूँ तो 355 लाख करोड़ रुपये और हरियाणा की जनसंख्या देश की जनसंख्या की 2.09 प्रतिशत है उस हिसाब से उसका हिसाब लगाया जाये तो हरियाणा की जी0डी0पी0 7.42 लाख रुपये बनती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2024–25 में जो पूरी इण्डिया की जी0डी0पी0 होगी उसके हिसाब से जो टारगेट है वह तो हमने पहले ही एचीव कर लिया है। क्योंकि हमारी जो परपोज्ड जी0डी0पी0 है वह 9 लाख 39 हजार करोड़ रुपये है। मैं यह भी सदन को बताना उचित समझता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के राज में न जाने कितना रेवेन्यू एक्सपैंडिचर 'हरियाणा नं0 1' के विज्ञापन पर खर्च कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपके माध्यम से सदन को जी0डी0पी0 के आंकड़ें बताए हैं, उस हिसाब से कहां से हरियाणा नं0 1 पर था। मैं वर्ष 2014–15 में हरियाणा की अगर ग्रोथ रेट की बात सदन को बताना चाहूं तो उस समय इण्डिया की जो ग्रोथ रेट थी उससे काफी कम थी। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है, इण्डिया की ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा है। वर्ष 2014–15 में हरियाणा की ग्रोथ रेट 6.6 प्रतिशत थी और आज हमारी

ग्रोथ रेट 7.75 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हरियाणा नं0 1 तो आज है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कागजों में हरियाणा नं0 1 बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक्सपैंडिचर किया था। वर्ष 2004 में 8 प्रतिशत से ज्यादा रेवेन्यू रिसिट्स मिली थी और वर्ष 2008–09 में कांग्रेस पार्टी ने दिल खोलकर खर्च किया और रेवेन्यू रिसिट्स 6 प्रतिशत से नीचे आ गई। अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को सदन में बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिलता तो इनको आर0एस0एस0 एक मुद्दा मिल जाता है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के लोग इतने ज्यादा इटली प्रेमी हो गए हैं कि इनको हर वक्त आर0एस0एस0 ही नजर आता है। हर समय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण आर0एस0एस0 की बातें करते रहते हैं। (शोर एवं व्यवघान)

**श्रीमती गीता भुक्कल** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवघान)

**चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी सीमा लांघ रहे हैं। (शोर एवं व्यवघान)

**आवाजें** : भारत माता की जय। भारत माता की जय।

**मौ0 इलियासः** अध्यक्ष महोदय, *** ।

**श्री दीपक मंगलाः** अध्यक्ष महोदय, मौ0 इलियास जी ने जो अनपार्लियामैंट्री शब्द कहें हैं, उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। (शोर एवं व्यवघान)

**श्री अध्यक्षः** ठीक है, मौ0 इलियास जी ने जो अनपार्लियामैंट्री शब्द कहें हैं, उनको नोट न किया जाये। (शोर एवं व्यवघान)

**श्रीमती किरण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के बारे में माननीय सदस्य गलत बयानबाजी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवघान)

**डॉ0 कमल गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, आर0एस0एस0 ने तो देश जोड़ने का काम किया है। (शोर एवं व्यवघान)

**श्री महीपाल ढाण्डाः** अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने तो देश का बंटवारा किया है। (शोर एवं व्यवघान)

———————————————————

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया है।

**श्री जगबीर सिंह मलिक** : अध्यक्ष महोदय, आज आर0एस0एस0 ने तो सब जगह कब्जा कर रखा है। (शोर एवं व्यवघान)

**आवाजें** : भारत माता की जय। भारत माता की जय। (शोर एवं व्यवघान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवघान)

**शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल)** : अध्यक्ष महोदय, हम तो आर0एस0एस0 प्रेमी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण इटली प्रेमी नहीं है, इस बात को भी ये सदन में करें। (शोर एवं व्यवघान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, कल जो मुद्दा शुरू हुआ था, माननीय सदस्य ने उसका जवाब दिया है। (शोर एवं व्यवघान) यदि विपक्ष के माननीय सदस्यगण इसी तरह से प्रश्न करेंगे तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी उसी भाषा में जवाब देंगे। (शोर एवं व्यवघान)

**डॉ. कमल गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, मैं आर.एस.एस. के बारे में बताना चाहता हूं । हमें गर्व है कि हम आर.एस.एस. से संबंध रखते हैं । आर.एस.एस. हमारी मां है । हमें इस बात का गर्व है कि हम आर.एस.एस. के बेटे हैं । (शोर एवं व्यवधान) हमें गर्व है कि हम आर.एस.एस. से संबंध रखते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मलिक साहब, आर.एस.एस. की बात कल आप लोगों ने ही शुरू की थी । कल आप और कादियान साहब इस बारे में जब बात कर रहे थे तो उस समय आपने इन बातों को एक्सपंज करने के लिए नहीं कहा । (शोर एवं व्यवधान) मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप प्लीज बैठ जाइये । मेरा निवेदन है कि दोनों तरफ से कोई भी माननीय सदस्य कंट्रोवर्शियल स्टेटमैंट न दे । इससे सदन में विरोध होता है । (शोर एवं व्यवधान) अगर विपक्ष के सदस्य ऐसी बात शुरू करेंगे तो सत्ता पक्ष के सदस्य उसके खिलाफ बोलेंगे और अगर सत्ता पक्ष के सदस्य ऐसी बात शुरू करेंगे तो विपक्ष के सदस्य उसका विरोध करेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

**डॉ. कमल गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, मैं आर.एस.एस. के बारे में बताना चाहता हूं । मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय आर.एस.एस. से संबंध रखते हैं । आर.एस.एस. में ऐसे हजारों प्रचारक हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर रखा है । वे लोग तन समर्पित, मन समर्पित होते हैं और आर.एस.एस. के लोगों का देश को जोड़ने और राम मन्दिर को बनाने में अहम योगदान है । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : गुप्ता जी, आप सम अप कीजिए ।

**डॉ. कमल गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, अब मैं हरियाणा की पर कैपिटा इनकम की बात करता हूं । यह बजट बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है । यदि जी.डी.पी. को पॉपूलेशन से डिवाइड किया जाए तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी । (Per Capita Income= GDP/Population.) वर्ष 2014–15 में इण्डिया की पर कैपिटा इनकम 86,700 रूपये और हरियाणा की 1.47 लाख रुपये थी । उस समय हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इण्डिया की पर कैपिटा इनकम से लगभग पौने दो गुना ज्यादा थी लेकिन आज वर्ष 2019–20 में इण्डिया की पर कैपिटा इनकम 1.35 लाख रूपये है और हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 2.64 लाख रूपये है । अब हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इण्डिया की पर कैपिटा इनकम से लगभग लगभग दो गुना ज्यादा है । आप देखिये कि इसमें कितना अंतर है । आप देखिये कि विपक्ष के नेता ने प्रदेश पर 10 साल राज किया और उसके बाद उन्होंने हरियाणा को इस पॉजीशन में पहुंचाया और हमने केवल 5 साल में हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया है । अब मैं फिस्कल डैफीसिट यानी राजकोषीय घाटा की बात करना चाहूंगा । **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए ।)** (विघ्न)

**डॉ0 कमल गुप्ताः** उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के समय में फिस्कल डेफीसिट 2. 86 प्रतिशत दिखाया गया था और जो 27,000 करोड़ रुपये बिजली का घाटा था। उस घाटे पर चुपी साध ली, इसलिए संबंधित घाटे को कौन दिखाएगा ? अगर हम उस घाटे को भी एड कर लें तो फिस्कल डेफीसिट वर्ष 2014–15 में 6 प्रतिशत को क्रॉस कर जाता है। 14 वें वित्त आयोग की रिकमैंडेशन में 3 प्रतिशत की सीमा है। **(घंटी)** अगर 6 प्रतिशत का फिस्कल डेफीसिट दिखा दिया तो मैनेजमैंट कहां पर गयी ? इस तरह की मैनेजमैंट तो इनके द्वारा 10 वर्ष राज करने के दौरान थी। कांग्रेस पार्टी का राज वर्ष 2004–05 में आया था और मैं वर्ष 2014–15 की बात कर रहा हूं। आज वर्ष 2019–20 में हमारा फिस्कल डेफीसिट 2.82 प्रतिशत है। **(घंटी)**

**श्री उपाध्यक्षः** डॉ0 साहब, आपके बोलने का टाईम पूरा हो गया है, इसलिए आप कन्कल्यूड करें।

**डॉ0 कमल गुप्ताः** उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त डैट लायब्लिटी के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें 14 वां वित्त आयोग कहता है कि अगर आपका ऋण 25 प्रतिशत से कम है तो आपका बजट विदईन लिमिट है। कांग्रेस पार्टी के समय में वर्ष 2014–15 में डैट लायब्लिटी 16.2 प्रतिशत दिखायी गयी थी। अगर उसमें 27,000 करोड़ रुपये और एड कर लें तो डैट लायब्लिटी 25.25 प्रतिशत बनती है। आज हमारी सरकार के समय में डैट

लायब्लिटी 2.82 प्रतिशत है। आज हमारी जी.डी.पी. 9,39,000 रुपये है। यहां पर मैं सुझाव भी देना चाहूंगा कि वर्ष 2020–21 के बजट पर डैट लायब्लिटी 21.26 प्रतिशत प्रपोज की है। यानी यह लगभग 1,98,000 करोड़ रुपये है। अगर 14 वें वित्त आयोग को देखें तो उसके हिसाब से 25 प्रतिशत का इमेजिन करें तो वह अमाउंट 2,35,000 करोड़ रुपये बनती है। यानी कि आज भी हरियाणा सरकार 37,000 करोड़ रुपये और ऋण ले सकती है।

**श्री उपाध्यक्षः** डॉ0 साहब, आपके बोलने का टाईम पूरा हो गया है, इसलिए आप कन्कल्यूड करें।

**डॉ0 कमल गुप्ताः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में भी कोई बड़ी चीज बनायी जानी चाहिए। जिस प्रकार से गुजरात में सरदार पटेल की विश्व की सबसे उंची मूर्ति बनायी गयी है। हमारी सरकार उससे भी उंची मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की कुरूक्षेत्र में बनाकर टूरिज्म में रेवेन्यू रिसीट बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त दूसरा सुझाव यह है कि दुबई में बुर्ज खलिफा बिल्डिंग की तर्ज पर हिसार में कोई उसी तरह की बिल्डिंग न बनाई जाए। हिसार जिला आगे आने वाले समय में it is going to be a well connected city with the whole country and with the whole world. क्या वहां पर दुबई की बुर्ज खलिफा बिल्डिंग से ऊंची ईमारत नहीं बना सकते ? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

**श्रीमती किरण** चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दुबई की बुर्ज खलिफा बिल्डिंग की तर्ज पर उंची ईमारत बनाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें बनाने से कौन रोक रहा है?

**डॉ0 कमल गुप्ताः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इससे जो रेवेन्यू आएगा, उससे प्रदेश को लाभ होगा। **(घंटी)** मैं उसी रेवेन्यू के इन्तजाम के लिए ये बातें बता रहा हूं।

**श्री शमशेर सिंह गोगीः** उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** गोगी जी, आप डिस्टर्ब न करें। प्लीज, आप बैठ जाएं।

**डॉ0 कमल गुप्ताः** उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त तीसरी बात यह है कि विदेशों में ट्रांसपोर्ट पानी के जरिए किया जाता है। पानी से ट्रांसपोर्ट का खर्चा 8 प्रतिशत आता है और रोड्ज से ट्रांसपोर्ट का खर्चा 20 प्रतिशत आता है। इस प्रकार हम यह 12 प्रतिशत का गैप दूर कर दें तो हमारे प्रदेश को बहुत लाभ होगा। विदेशों में समुंद्र को काटकर जमीन बना दी और जमीन को काटकर समुंद्र बना दिया। हमें भी अपने प्रदेश के लिए

इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात सोचनी पड़ेंगी। मैं यह विजन दे रहा हूं कि सरकार को इस प्रकार की बातें सोचनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्षः** डॉ0 साहब, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

**डॉ0 कमल गुप्ताः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के आंकड़ों पर ही बोलूंगा। असली बात जिससे बजट का मापदण्ड पता चलता है कि पर ईयर वाईज रेवेन्यू डेफीसिट कितना है? रेवेन्यू डैफिसिट का मतलब रैवेन्यू एक्सपैंडीचर माईंस रेवेन्यू रिसीट्स होता है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी सीधी सी बात यह है कि साल में कितना खर्चा किया और कितना कमाया, मैंने इस बात का यहां पर जिक्र किया है। इसी तरह से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2008–09 में जो रेवेन्यू रिसीट्स थी वे 6 प्रतिशत से भी नीचे चली गई थी जबकि इनको 8 प्रतिशत से ऊपर की रेवेन्यू रिसीट्स मिली थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में हमारा राजस्व घाटा 1.64 प्रतिशत तथा प्रभावी राजस्व घाटा 0.75 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे ही हमारा बजट और डिवैल्पमैंट के कार्य होते रहे तो आने वाले तीन–चार सालों में यह जीरो प्रतिशत हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक हरियाणा प्रदेश के इतिहास में ऐसा भी पहली बार होगा कि हमारा रैवेन्यू डैफिसिट है वह सरप्लस हो जायेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : डॉ. साहब, आपको बोलते हुए काफी टाईम हो गया है इसलिए आप अपनी स्पीच लिखकर दे दीजिए।

**डॉ. कमल गुप्ता** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अतिरिक्त कुछ मांगों के बारे में कहना चाहता हूं कि हिसार जिले में एलिवेटिड रोड बनाया जाये, रेलवे क्रांसिंग के जो कार्य हैं वे भी पूरे किए जायें, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को शीघ्र बनाया जाये, अमरूत के अलावा 17 किलोमीटर की पाइप लाइन को 23 करोड़ रुपये की लागत से जल्दी से जल्दी बनवाने का काम किया जाये। वहां पर मेडिसिटी अस्पताल का 300–400 एकड़ भूमि पर बनाने का काम किया जाये और हमारे पास आई.एम.टी. बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है इसलिए वहां पर इसको जल्दी से जल्दी बनाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा नया बस स्टैंड बनाने का काम किया जाये और नया अस्पताल भी बनाने का काम किया जाये। इसी तरह से हमारे शमशान घाट में एल.पी.जी. का भी प्रावधान किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम किया जाये और हाई क्वालिटी एजूकेशन देने पर विचार किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे हिसार जिले में 4 यूनिवर्सिटिज हैं और इनमें से 2 यूनिवर्सिटिज

में हाई क्वालिटी एजूकेशन देने पर विचार किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इतनी बात कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने वित्त मंत्री के तौर पर जो बजट पेश किया है वह हमारे प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा बजट है। मैं इस बजट की बहुत तारीफ करते हुए अपना स्थान लेता हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

**श्री भाम□ोर सिंह गोगी** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया जाये। मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : गोगी जी, आप हाउस की कार्यवाही को ऐसे बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते । प्लीज आप बैठ जायें। मैंने आपको बोलने के लिए अलाउ नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भाम□ोर सिंह गोगी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : गोगी जी, आप इस तरह से हाउस की कार्यवाही को बाधित न करें। प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) आप ऐसे बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप अमित जी का टाईम खराब कर रहे हो। अमित जी आप अपनी बात कहना शुरू करें।

**श्री अमित सिहाग** : गोगी जी, प्लीज आप बैठ जायें मुझे बोलने दीजिए।

**श्री भाम□ोर सिंह गोगी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अमित सिहाग (डबवाली)** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में हमारे प्रदेश का युवा नशे और बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। आज हम अगर किसान की बात करें तो किसान सही मायने में फसल में बढ़ती लागत और घटते भाव के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट से यह बात स्पष्ट हो गई है कि हरियाणा सरकार कर्जे के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। पिछले 5 वर्षों में हरियाणा सरकार पर कर्ज 280 प्रतिशत बढ़कर 3 गुणा हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि कर्जा विकास की गति और आमदनी को बढ़ाने के लिए लिया जाता है, बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए कर्जा नहीं लिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत

ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा हरियाणा प्रदेश पहले रोजगार देने में नम्बर वन पर हुआ करता था लेकिन आज के दिन यह बेरोजगारी में नम्बर वन पर है। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सहयोगी दल है वह जनता से वायदा करता है कि आज की तारीख में रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण हरियाणा के युवाओं का होना चाहिए वहीं यह सरकार आये दिन वायदा खिलाफी करते हुए सरकारी नौकरियों में अधिकतम रोजगार हरियाणा से बाहर के युवाओं को देने काम करती है। सरकार कहती है कि अगले दो सालों के अंदर तकरीबन 1.25 लाख नये रोजगार देने का काम करेगी मगर यह भूल जाती है कि आज की तारीख में 20 लाख युवा–युवतियां बेरोजगार हो गये हैं, इसके क्या कारण है? उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस महान सदन में नशे से संबंधित प्रश्न पूछा था कि सरकार नशे की समस्या पर मुकदर्शक बनकर बैठी है, क्या इसके यही कारण हैं कि सही मायने में युवा नशे का आदि बना रहे और रोजगार न मांगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस कारण से सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? मैं समझता हूं कि इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात दूसरी क्या हो सकती है? आज की तारीख में हरियाणा की जवानी को नशे से बचाने के लिए सरकार ने बजट के अंदर कोई खास प्रावधान नहीं किया है। सरकार कर्जे पर कर्जा तो लेती जा रही है परन्तु नशा मुक्ति केन्द्र खोलने के लिए सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है और इस बारे में हम प्रश्न पूछते हैं तो केवल मात्र उनका जवाब ''नो सर'' में होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि नशे के खिलाफ इस लड़ाई में नशे से बचने के लिए एक खास फण्ड का प्रावधान किया जाये। जिसक माध्यम से हर ब्लॉक स्तर पर नशा मुक्ति केन्द्र खोलने के लिए और ओ.एस.टी. सैंटर खोलने के लिए धन मुहैया करवाया जा सके। खास करके सरकार जो शराब की बिक्री से कर की वसूली करती है उसमें से कुछ प्रतिशत पैसा इस नशे के खिलाफ लड़ाई के लिए होना चाहिए। इसी प्रकार बेरोजगारी से लड़ने के लिए हरेक जिले के स्तर पर एक मास्टर इण्डस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। हमारा जो डबवाली और सिरसा का क्षेत्र है वे कृषि आधारित क्षेत्र है। कृषि आधारित क्षेत्र होने के बावजूद भी यह बात पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे खुद के विधान सभा हल्के डबवाली से जो एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज हैं वो पिछले कुछ महीने और सालों से राजस्थान और पंजाब सरकार की नीतियों को देखते हुए राजस्थान या पंजाब में पलायन कर गई हैं। एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज़ आज हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी जरूरत हैं। राजस्थान सरकार का जो इस बार का बजट आया है उसमें सरकार ने यह घोषणा

की है कि अगले सात सालों के लिए एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज की मार्किट फीस को पूरी तरह से माफ किया जायेगा। एस.जी.एस.टी. में भी कटौती की गई है। डिप्टी स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से भी यही निवेदन है कि आज की तारीख में डबवाली और सिरसा क्षेत्र को इकोनॉमिकली बैकवर्ड जोन घोषित करके वहां पर एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट होता है वह आत्म प्रशंसा के लिए नहीं अपितु आत्म चिंतन के लिए होना चाहिए और उसमें चिंतन इस बात का हो कि जब मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री महोदय यह कहते हैं कि कर्ज तो कैपीटल एक्सपैंडीचर को बढ़ाने के लिए लिया जाता है और वहीं इस बजट में कैपीटल एक्सपैंडीचर 1534 करोड़ घटा है। चिंतन इस बात का कि रेवेन्यू डैफीसिट 3351 करोड़ रूपये बढ़ा है इस बजट के अंदर इसका चिंतन करना चाहिए। चिंतन इस बात का भी करना चाहिए कि जहां हम किसानों की आमदनी को दुगुना करने की बात करते हैं मगर वहीं पर कृषि विकास दर वर्ष 2016 की तुलना में 7.9 प्रतिशत से घटकर 4.5 प्रतिशत हो गई है। सरकार को इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि जहां पर सरकार "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" का नारा देती है वहीं पर आज 193 गैंग रेप के केसिज के साथ हरियाणा प्रदेश गैंग रेप कैपीटल ऑफ इंडिया के रूप में कुख्यात होता जा रहा है। सरकार को इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ का दम भरने वाली ये सरकार तकरीबन 800 स्कूल बंद कर चुकी है और आने वाले समय में 1000 स्कूल और बंद करने जा रही है। सरकार को इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि जिस गाय को हम मां का दर्जा देते हैं आज की तारीख में वो गाय जब सड़कों पर बेसहारा घूमती हुई दिखाई देती है तो हम कुछ नहीं करते। सरकार को इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि जगह–जगह कचरे के ढेर दिखाई देते हैं पर स्वच्छ हरियाणा और स्वच्छ भारत हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। सरकार को इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी सरकार की गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन का काम करते हैं उनके भले के लिए हम इस बजट में कोई खास प्रावधान नहीं करते हैं। सरकार को इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि 24 घंटे बिजली देने और लास्ट माईल कनैक्टिविटी देने की बात सरकार करती है वहीं पर बजट के अंदर तकरीबन 43 परसैंट हम बिजली के बजट में कटौती करते हैं और इसी प्रकार से 35 परसैंट ट्रांसपोर्ट के बजट में भी कटौती की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि यह सबसे पहली आवश्यकता थी कि इस बजट में सरकार इन सभी गम्भीर समस्याओं को स्वीकर करके कोई व्यापक रूपरेखा तैयार करके

उसका ब्यौरा देती। उपाध्यक्ष जी, अंत में, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा और अपनी कुछ डिमाण्ड्ज भी आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। हम कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सिज में 10 में से एक जवान हरियाणा प्रदेश का है यह बात हम बड़े गर्व से और छाती ठोक कर कहते हैं। मगर आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जब हमारे प्रदेश का कोई जवान शहीद हो जाता है तो सरकार द्वारा उसके परिवार को 50 लाख रूपये सम्मान राशि दी जाती है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बात बताना चाहूंगा कि किसी भी जवान के शहीद होने के बाद दिल्ली प्रदेश की सरकार द्वारा आज की तारीख में एक करोड़ रूपये की धनराशि सम्मान स्वरूप दी जाती है इसलिए हरियाणा सरकार को भी इस सम्मान राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रूपये कर देना चाहिए। मैं सबसे पहले यह मांग रखना चाहूंगा। मेरी दूसरी मांग यह है कि जब हम कृषि के लिए कहते हैं कि सिंचाई सही मायने में आज की तारीख में किसान की जीवन रेखा है। अगर हमारी नहरें ही जर्जर हालत में होंगी तो किस तरीके से नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जा सकेगा? मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि जब प्रदेश की नहरें ही जर्जर हालत में होंगी तो नहरों के अंतिम छोर पर पानी कैसे पहुंचाया जा सकेगा। मेरे हल्के के अंदर बहुत सी माईनर्ज जैसे चोरमार, ओटा, जाण्डवाला सब–माईनर, मुन्नावाली गुरूसर, मठ, भारूखेड़ा, आशाखेड़ा, तेजाखेड़ा, चौटाला और डिस्ट्रीब्यूटरीज डबवाली व लोहगढ़ इनको जल्द से जल्द रिमॉडल करवाने की आवश्यकता है। मैंने पहले सत्र में भी मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक बात रखी थी कि कालुआना खरीफ चैनल को बनवाने की जो हुड्डा साहब की सरकार ने मंजूरी दी थी और जिसके लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए सैक्शन 4 की नोटिफिकेशन भी हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी वह काम नहीं हुआ और सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं इसलिए मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कालुआना और तिगरी खरीफ चैनल को जल्द से जल्द बनवाया जाए। अगर घग्गर का पानी सही मायने में किसानों को मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे तो किसान सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री जी की वाहवाही करेंगे। बजट में मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है जिसके तहत पुराने खालों के पुनर्वास के लिए समय सीमा घटाई है। 20 साल से 15 साल की है और मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही है लेकिन उसमें दो कंडीशन लगाई गई हैं। एक तो किसान को 25 प्रतिशत पैसा देना पड़ेगा और दूसरा 75 प्रतिशत से ज्यादा वह

खाला खराब होना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये दोनों कंडीशन किसान के हित में नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि यह 25 प्रतिशत पैसा भी सरकार दे और इस 75 प्रतिशत की कंडीशन को घटा कर 50 प्रतिशत करने का काम करें। हमारे एरिया में सरसों की खरीद शुरू होने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे हरियाणा की मांग है और मैं भी मांग करता हूं कि जहां–जहां पर हमारे गेहूं की खरीद के लिए परचेज सैंटर बने हुए हैं वहां पर सरसों की भी खरीद कराई जाए ताकि किसानों को उसका फायदा मिले। यह सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि किसानों की फसलों का डायरेक्ट पैसा उनके खातों में डाला जाए। मैं एक बात नहीं समझ पाया कि सरकार की मंशा क्या है? सही मायने में सरकार बैंकों की रिकवरी ऐजेंट के रूप में काम करना चाहती है। आढ़तियों के पेट पर तथा मजदूरों के पेट पर लात मार कर सरकार क्या चाहती है? सही मायने में आढ़ती किसान के लिए जब भी आवश्यकता होती है खड़ा दिखाई देता है। आज की तारीख में इस तानेबाने को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सही मायने में आज किसान को भी एक हक मिलना चाहिए कि वह फैसला ले कि मेरी फसल का पैसा मेरे अकाउंट में डलेगा या मेरे आढ़ती के अकाउंट में डलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो–तीन बातें और रखना चाहता हूं। एक मैं न्याय की गुहार रखूंगा। हमारे जे.जे.पी. के वरिष्ठ सदस्य दादा रामकुमार गौतम जी ने ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी को अपर ऐज में एस.सी. कैटेगरी की तरह ही छूट प्रदान करने के लिए बात रखी थी। उस समय उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि महाराष्ट्र और गुजरात का पहले डाटा निकलवा लिया जाए कि वहां पर भर्ती के लिए मैक्सिमम ऐज कितनी है और कितनी छूट प्रदान की जाती है तो इस पर विचार कर लिया जायेगा। मैं वे आंकड़े देना चाहता हूं। गुजरात में पुलिस की भर्ती के लिए मैक्सिमम ऐज लिमिट 33 वर्ष है और उसमें ई.डब्ल्यू.एस. के लिए 5 साल की छूट प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में पुलिस के लिए अपर ऐज लिमिट 25 वर्ष है तथा ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी को 5 साल की छूट प्रदान करने के बाद यह उम्र 30 वर्ष हो जाती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि गुजरात और महाराष्ट्र की तरह हरियाणा में भी पुलिस भर्ती के लिए ई.डब्लयू.एस. कैटेगरी को अपर ऐज लिमिट में 5 साल की छूट प्रदान की जाए। उसके साथ ही साथ मैं यह भी मांग करना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसके लिए सभी कर्मचारी पिछले अढ़ाई साल से आपसे गुहार लगा रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी फरवरी में जो दूसरे ज्यूडिशियरी पे कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें ज्यूडिशियरी ने यह बात रखी है। उसमें उन्होंने खुद की पेंशन के बारे में यह

सुझाव रखा है कि यह जो नई पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) है यह हमारे लिए लाभदायक नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है। जब यह पुरानी पेंशन उनके कर्मचारियों के लिए लाभदायक है तो यह हमारे कर्मचारियों के लिए लाभदायक कैसे नहीं है? आपकी सरकार में उप–मुख्यमंत्री श्री दुष्यन्त चौटाला ने भी पार्लियामैंट में एम.पी. के तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में यह बात रखी थी कि सरकार इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है इसलिए इसको जल्द से जल्द लागू करवाया जाए। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार हर घर में नल देने की बात तो कह रही है लेकिन 200 लीटर की पानी की टंकी देने की बात नहीं की जा रही है। इसी प्रकार से 100–100 गज के प्लाट जहां पर वह नल लगेगा उसकी बात नहीं की जा रही है। हमारे बहुत सारे लोग ढाणियों में रहते हैं उनके लिए भी पानी और बिजली की व्यवस्था की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

**श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद)** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। परसों मुख्यमंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें बहुत सारे आंकड़े दर्शाकर कहीं न कहीं यह दिखाने की कोशिश की गई कि इस बजट से हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। अगर इतना ही अच्छा बजट था तो आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि जो बजट रखने वाले लोग थे उनमें से कोई एक सदस्य भी यहां पर नहीं बैठा है। यहां सदन में न वित्त मंत्री है, न संसदीय कार्य मंत्री है और न स्वास्थ्य मंत्री है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभय जी, मंत्री जी दलाल साहब यहां बैठे हैं और श्रीमती ढ़ांडा जी भी यहां बैठी हैं।

**श्री अभय सिंह चौटाला** : उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों पहली बार मंत्री बने हैं और राज्य मंत्री हैं। इससे यह लगता है कि विधान सभा में सरकार का भी इंट्रस्ट नहीं है कि किसी सदस्य की बात को ढ़ंग से सुना जाए। इस बजट में सरकार ने जहां अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास किया है उन कमियों और खामियों के बारे में कोई सदस्य खुलकर बताए तो मंत्री जी उसको नोट करके उन कमियों व खामियों को दूर करने का काम करें। यहां जिन लोगों को बैठा रखा है इनमें से एक भी इस बात का जिम्मेवार नहीं है क्योंकि जिस भी सदस्य ने मेरे से पहले बात रखी है वह भी नोट नहीं हुई और मैं भी जो बात कहूंगा शायद वह भी रिकॉर्ड नहीं होगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभय जी, सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं।

**श्री अभय सिंह चौटाला** : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक नई बात और सीख गये। जो बजट वर्ष 2020–2021 रखा गया है उसमें दिखाया गया है कि 1.98 करोड़ रुपये का तो प्रदेश पर कर्ज है। पिछला जो कर्जा लिया हुआ था उस कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए सरकार ने फिर से नया कर्जा लेने का काम किया है। यह पैसा कहीं खर्च करने के लिए नहीं है। यह पैसा केवल और केवल ब्याज कैसे चुकाया जाए उसके लिए सरकार ने इतना बड़ा कर्ज लेने का काम किया है। सरकार ने 1,98,700 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है जो इस बजट में दर्शाया गया है। इसमें 1,30,868 करोड़ रुपये तो कर्जा है। सरकार द्वारा जब भी कोई कर्जा लिया जाता है तो उस कर्जे से विकास के कामों को गति देकर रेवैन्यू बढ़ाने का काम किया जाता है। रेवैन्यू बढ़ाकर सरकार उस कर्ज को ब्याज सहित चुकता करने के लिए यह पैसा सरकार अपने खाते में डालने का काम करती है। यहां तो बड़ी अजीब बात है कि जो पिछला बजट था उस में 1,76,832 करोड़ रुपये कर्जा था और अब इस वर्ष इस कर्जे में 21,868 करोड़ रुपये और बढ़ौतरी हो गई है जिससे प्रदेश के ऊपर और बोझ बढ़ गया है। यहां डॉ. कमल गुप्ता भी सरकार की बड़ाई कर रहे थे कि आज हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम सबसे ज्यादा है और सरकार ने प्रदेश के आम नागरिक की आमदन को बढ़ाने का काम किया है। अब वे चले गये हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में सरकार द्वारा जो पर कैपिटा इन्कम दर्शाई गई है वह 2,83,000 रुपये है लेकिन हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी गांव में बसती है। जहां पर मल्टी नेशनल कंपनीज हैं और लोगों की तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं, वहां की इंकम को दिखाकर सरकार ने अपनी कमियों और खामियों को छिपाने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट में दर्शाया गया है कि 1 लाख 30 हजार करोड़ रूपये का कर्जा लिया गया है, अगर इसको प्रदेश के पर पर्सन के हिसाब से डिवाइड किया जाये तो प्रत्येक आदमी और यहां तक कि जो बच्चा हरियाणा में पैदा होगा है वह भी अपने साथ 80 हजार रूपये का कर्जा लेकर पैदा होगा। इस बात को सरकार द्वारा छिपा लिया गया और गुड़गांव और फरीदाबाद में जहां मल्टी नैशनल कंपनीज हैं तथा बड़ी–बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इन एरियॉज की इंकम को बजट में दिखाकर व इसे सदन में बताकर यहां पर मेजें थपथपवाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपना जवाब दें तो यह भी जरूर बतायें कि जो शेष हरियाणा की 70 प्रतिशत आबादी है उसकी इंकम कितनी है? उपाध्यक्ष महोदय हरियाणा की जो यह शेष 70 प्रतिशत आबादी है इसकी आमदनी 50 हजार रूपये से भी कम की है और उसके लिए भी सरकार द्वारा कहा जाता है कि इनकी इंकम सालाना 2

लाख 83 हजार रूपये है जबकि वास्तव में इनके पूरे परिवार की कमाई साल की 50 हजार से ज्यादा नहीं बनती है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल के कार्यकाल में 130868 रूपये का कर्जा लिया गया था और इस बार के बजट में कुल 142343 करोड़ रूपये की राशि दिखाई गई है। अतः जो कर्जा दिखाया गया है और जो बजट की कुल राशि है इससे प्रदेश में ऐसे हालत बन जायेंगे कि विकास की दृष्टि से हमारा प्रदेश पूरे भारत वर्ष में सबसे पीछे आकर खड़ा होकर रह जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक बुक आती है जिसमें पूंजीगत खर्च को दर्शाया जाता है। इस बुक में 17666 करोड़ रूपये का पूंजीगत खर्च दिखाया जा रहा है जबकि इस वर्ष यह पूंजीगत खर्च 14413 करोड़ रूपया दिखाया गया है। पिछले बजट में यह पूंजीगत खर्च ज्यादा था और इस वर्ष के बजट में यह पूंजीगत खर्च कम दिखाया गया है और कम भी कोई थोड़ा नहीं है बल्कि 3253 करोड़ रूपये की राशि इस बजट में पूंजीगत खर्च में कम दिखाए गए हैं अर्थात इस वर्ष के बजट में पूंजीगत खर्च 23 प्रतिशत कम दिखाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो बजट पढ़ा गया जो और सदन में उस बजट पर सत्ता पक्ष के हमारे साथियों ने जो चर्चा की, वह चर्चा केवल उन्हीं प्वॉयंट्स पर हो रही है जोकि इन सदस्यों को पेपर पर लिखकर दी जा रही है। सदन में आकर जिस तरह से बजट के बारे में लिखी हुई बड़ी–बड़ी बातों को सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा कहलवाया जा रहा है इससे एक चीज बिल्कुल क्लीयर हो जाती है कि कहीं न कहीं हाउस को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि सभी माननीय सदस्यों को बजट में दर्शाई गई सभी बातों को जरूर पढ़ लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि क्या सही मायने में सरकार का बजट समाज के सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने जा रहा है या नहीं। शिक्षा का जहां तक सवाल है, इस विषय पर विधान सभा में पिछले पाँच वर्ष से लगातार सरकार में बैठे लोग बड़ी–बड़ी चर्चा करते आ रहे है और शिक्षा के स्तर में सुधार संबंधी अपने प्रयासों पर बड़ी–बड़ी मुहर लगाने का काम तो ये लोग बखूबी करते हैं लेकिन असल में प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं करवा पाये है और यही कारण है कि आज प्रदेश में शिक्षा का स्तर काफी गिर चुका है। आज की तारीख में भी प्राइमरी, मिडल तथा हाई स्कूल स्तर के लगभग 40000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश में शिक्षकों के 40 हजार के करीब पद खाली पड़े हों तो स्वयं अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन स्कूलों में जाकर किस प्रकार से हमारे बच्चे एजुकेशन ले सकेंगे। सरकार द्वारा ग्रामीण अंचल के लोगों को बढ़ावा देने की बात की जाती है लेकिन गरीब आदमी का कैसे उत्थान हो, इस बात का जिक्र बजट में नहीं है।

वास्तव में आज प्रति व्यक्ति आय घट गई है। कोई भी बच्चा शिक्षित न हो, इसके लिए सरकारी स्कूल्ज बंद हो रहे हैं। सरकार ने रोजगार के ऊपर एक पॉलिसी बनाई थी और अपने आप को यह साबित करने के कोशिश की थी कि पर्ची और खर्ची बंद कर दी है। सरकार ने कहा था कि मैरिट के आधार पर नौकरियां देंगे। मैंने मैरिट का आधार पूछा था, मुझे बताया गया था कि 10वीं में इतने प्रतिशत अंक, बी0ए0 आदि में इतने प्रतिशत अंक और एम0ए0 या पी0एच0डी0 आदि में इतने प्रतिशत अंक आदि है, जिसको नौकरी पाने का एक आधार माना है और उसी के आधार पर सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। जब ग्रामीण आंचल में सरकारी स्कूल्ज में अध्यापक ही नहीं होंगे तो फिर गांव का बच्चा किसी भी कक्षा में 40 प्रतिशत से ज्यादा अंक नहीं ले पायेगा। वह ग्रामीण बच्चा प्राइवेट स्कूल्ज में पढ़ने वाले बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए शिक्ष के क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। केवल और केवल इन आंकड़ों को किताबों में दर्शा कर अपनी कमियां और खामियों को दबाने की बजाये खुलकर सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि आज हरियाणा का शिक्षा का स्तर अच्छा होने की बजाए गिरता ही जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्ष में लगभग 1000 राजकीय स्कूल्ज बंद हो गए हैं। लगभग 300 वरिष्ठ माध्यमिय विद्यालयों में विज्ञान की कक्षाएं बंद हो चुकी हैं। यह हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात है जब बच्चा 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में जायेगा, यदि वह साईंस का विषय लेना चाहता है तो नजदीक के स्कूल में साईंस का विषय न होने की वजह से उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कई किलोमीटर जाना पड़ेगा। सरकार ने एक नारा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का दिया हुआ है लेकिन हमारी बेटियों को विज्ञान का विषय वाले स्कूल में पढ़ने के लिए लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हमारी बेटियों को स्कूल में जाने के लिए समय पर बस नहीं मिलती और इसलिए वे समय पर स्कूल नहीं पहुँच पाती। उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल्ज में जो कक्षाएं बंद हो चुकी हैं उनको माननीय शिक्षा मंत्री जी को फिर से शुरू करवानी चाहिए। सरकार को जिन स्कूल्ज में अध्यापकों की कमी हैं वहां पर नई भर्ती करके उस रिक्त स्थान को पूरा करना चाहिए। ताकि ग्रामीण आंचल में रहने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्तमान में लगभग 3300 उच्च विद्यालय हैं। 1600 के करीब मुख्याध्यापक व प्रधानाचार्य के पद रिक्त पड़े हुए हैं। लगभग 50 प्रतिशत के करीब स्कूल्ज में हैड मास्टर और प्रिंसिपल नहीं है। इस प्रकार से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के नेता से कहूँगा कि जब वे अपनी रिप्लाई दें तो इस बात का जरूर

जिक्र करें कि जो हरियाणा प्रदेश के स्कूल्ज में अध्यापकों की कमी हैं और स्कूल्ज में मुख्याध्यापक और प्रिंसिपल के पद रिक्त हैं उनको कब तक भरने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। हमें पांच साल पहले भी पूर्व शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा के द्वारा यही आश्वासन दिया गया था लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब से कोई भी हल नहीं निकल सकता। प्रश्न काल के समय तो गैलरी में बैठे सरकार के ऑफिसर्ज मंत्री जी को पर्ची बनाकर दे देते हैं और वही जवाब माननीय मंत्री जी सदन में दे देते हैं।

**[ाक्षा मंत्री (श्री कंवल पाल)** : उपाध्यक्ष महोदय, इनैलो के समय में भी अधिकारी लिखकर देते थे, कांग्रेस सरकार में भी अधिकारी लिखकर देते थे और हमारे समय में भी अधिकारी ही लिखकर देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटालाः** उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि अधिकारी लिखकर देते हैं और सरकार कहती है कि हम सारी की सारी पुरानी पम्पराओं को खत्म करेंगे और नई परम्पराओं की शुरूआत करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्रीमती गीता भुक्कलः** उपाध्यक्ष महोदय, हम अपनी तैयारी अच्छी तरह से करके आते थे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटालाः** उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की कथनी और करनी में तो बहुत बड़ा अंतर है। (घंटी) सरकार के मंत्री जी ने कहा था कि हम सारी परम्पराओं को खत्म करेंगे और नई परम्पराओं की शुरूआत करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री कंवर पालः** उपाध्यक्ष महोदय, हमने परम्पराओं में सुधार करने की बात कही थी, जो हम कर रहे हैं लेकिन परम्पराओं को खत्म करने की बात कभी नहीं कही थी। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला** : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार ने सुधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी । प्रदेश के 3300 स्कूलों में 1600 हैडमास्टर्स/प्रिंसिपल्स की कमी है । सरकार इससे बड़ा सुधार और क्या करेगी ? मेरे विचार से अगला जो बजट सत्र आएगा तब यह 1600 हैडमास्टर्स/प्रिंसिपल्स की संख्या 2000 के पार पहुंच जाएगी क्योंकि तब तक बहुत–से हैडमास्टर्स/प्रिंसिपल्स रिटायर हो जाएंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभय सिंह जी, अब आप वाइंड अप कीजिए ।

**श्री अभय सिंह चौटाला** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता था कि आप ऐसे ही बोलोगे क्योंकि मैंने आपकी घंटी की आवाज भी सुनी थी । मेरी सही बातों से सरकार को तकलीफ होती है । मेरी सही बात सुनने की बजाय आप भी कहीं–न–कहीं सत्ता पक्ष के लोगों का पक्ष लेते हो ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभय सिंह जी, मुझे तो आपका भी पक्ष लेना पड़ता है ।

**श्री अभय सिंह चौटाला** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी ज्यादा समय मिलने की उम्मीद नहीं कर सकता । अभी तो मैंने सिर्फ एक शिक्षा के इशू पर चर्चा की है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभय सिंह जी, आपको बोलते हुए 16 मिनट हो चुके हैं ।

**श्री अभय सिंह चौटाला** : उपाध्यक्ष महोदय, बजट में सरकार ने डिपार्टमैंटवाइज अलग–अलग राशि वितरित करके बता रखी है कि किस विभाग में क्या करने जा रहे हैं। अगर उनमें कुछ कमियां हैं और मैं उन कमियों को सरकार के सामने रखना चाहता हूं तो मेरे ख्याल से इसमें समय की सीमा नहीं होनी चाहिए । मैं सरकार को अच्छी बातें बता रहा हूं, इसलिए सरकार को मेरी बात को सुनना चाहिए और नोट करना चाहिए ताकि आम जनता का भला हो सके । अभी तक मैं शिक्षा की बात कर रहा था । अब मैं उद्योग और रोजगार पर बात करना चाहूंगा । इस विषय में रोजाना अखबारों में बड़ी–बड़ी स्टेटमैंट्स आती हैं । सरकार की सहयोगी पार्टी 70 परसैंट हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की बात करती है । वह पार्टी कहती है कि हम इसके लिए कानून बनाएंगे लेकिन हालत यह है कि हरियाणा बेरोजगारी में देश में अव्वल दर्जे पर है। 26–27 परसैंट ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है । सरकार केवल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करके इन सब पर लीपापोती नहीं कर सकती । सरकार को धरातल पर काम करना पड़ेगा कि युवाओं को कैसे रोजगार मिले इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा । युवाओं को रोजगार की गारण्टी देने के लिए भी एक कानून सरकार द्वारा बनाया जाना चाहिए । सत्ता में आने से पहले लोगों के सामने इनकी सहयोगी पार्टी ने बड़े–बड़े वायदे किये थे । यहां तक भी कहा गया था कि बेरोजगार रहने वाले युवाओं को 11 हजार रूपये रोजगार भत्ता दिया जाएगा । इसके अलावा यह भी कहा गया था कि हरियाणा के किसान का कर्ज माफ करेंगे, बुजुर्ग लोगों के लिए पैंशन प्राप्त करने की उम्र को 60 से घटाकर 58, महिलाओं की उम्र 55 करेंगे और कहा था कि उनको 5100 रूपये प्रति माह पैंशन देंगे । इन सारी चीजों को लागू करवाने की बजाय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का नाम देकर इन सब बातों पर लीपापोती की जा रही है । यह सरकार की हर सहयोगी पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई

भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को सहयोग देकर सरकार में आती है तो वह लोगों से किये हुए वायदों को पूरा करे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभय सिंह जी, आप हमें अपनी बातें लिखित में दे दो क्योंकि आपका टाइम पूरा हो चुका है । आपको बोलते हुए 18 मिनट हो गए हैं जबकि हर सदस्य के लिए 6 मिनट निर्धारित किये गए हैं ।

**श्री अभय सिंह चौटाला** : उपाध्यक्ष महोदय, आप टाइम की बात कर रहे हो जबकि मैं काम की बात कर रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अब सुभाष सुधा जी बजट पर बोलेंगे ।

**श्री सुभाष सुधा** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट सत्र में बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अभय सिंह चौटाला** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरी स्पीच पूरी नहीं हुई है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभय सिंह जी, हमें हर सदस्य को टाइम तो बंटवारे के हिसाब से देना पड़ता है । आप अपनी बात लिखकर दे दें उसको हाउस की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जाएगा ।

**श्री अभय सिंह चौटाला**: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी भी आ गये हैं। इनके महकमे से संबंधित मेरे पास बहुत सी बातें हैं, परन्तु मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगा। पिछले दिनों सरकार के मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर हुड्डा साहब ने टिप्पणी की थी। उन्होंने पूछा था कि मिनिमम प्रोग्राम कब लागू होगा ? विज साहब उस कमेटी के चेयरपर्सन हैं और उन्होंने प्रैस में एक ब्यान दिया था कि मीयां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी ? माननीय मंत्री जी को यह एक्सपीरियंस कब हो गया ? (हंसी)

**श्री अनिल विज**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हर कहावत के लिए एक्सपीरियंस करना जरूरी नहीं होता।

**चौधरी आफताब अहमद**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसलिए मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: आफताब जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री सुभाष सुधा जी अपनी बात रखेंगे।

**श्री अभय सिंह चौटाला**: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि इनकी सरकार में मीयां कौन है और बीबी कौन है ? मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूं, इसलिए मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय और दिया जाए।

**श्री उपाध्यक्षः** अभय सिंह जी, आपके बोलने का टाईम पूरा हो गया है। मुझे पुरानी लिहाज के हिसाब से आपको बोलने के लिए ज्यादा टाईम देना पड़ा।

**चौधरी आफताब अहमदः** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी 5 वीं बार एम.एल.ए. चुनकर आये हैं। हमारे सीनियर साथी हैं, परन्तु उनको बैठने के लिए पीछे की सीट दे रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारी पार्टी के किसी माननीय सदस्य की सीट में से इनको बैठने के लिए आगे की सीट दे दें। हमारी पार्टी का माननीय सदस्य पीछे बैठ जाएगा।

**श्रीमती गीता भुक्कलः** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी पांचवी बार विधान सभा के सदस्य चुनकर आये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट में भी जो सीनियर सदस्य होता है। यानी जो माननीय सदस्य 4 या 5 बार चुनकर आता है उसको भी आगे की सीट पर बैठाया जाता है। हमारी सरकार के समय में भी माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी को आगे की सीट पर बैठाया गया था। माननीय मंत्री जी की सीनियोरिटी के हिसाब से आगे की सीट पर बैठाया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री असीम गोयलः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसको पीछे बैठना है ? यह जनता तय करती है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अनिल विजः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि मैं उस समय अपने विधायक दल का नेता था। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के समय में दूसरे माननीय सदस्यों को भी सीनियोरिटी के हिसाब से आगे की सीटों पर बैठाया गया था। माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी पांचवी बार विधान सभा के सदस्य चुनकर आये हैं, इसलिए इनकी सीनियोरिटी का ख्याल रखना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप न तो माननीय सदस्य को बोलने के लिए समय दे रहे हैं और न ही बैठने के लिए आगे की सीट दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री धर्मपाल गोंदरः** उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** गोंदर साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं।

**श्री अमित सिहागः** उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** सिहाग साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं।

**श्री सुभाष सुधा (कुरूक्षेत्र):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2020–21 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट से पहले प्री बजट पर चर्चा के दौरान हरियाणा प्रदेश के सभी माननीय सांसदों, सभी माननीय विधायकों, सभी नगरपालिकाओं के अध्यक्षों और सभी सामाजिक संस्थाओं से बजट के ऊपर बहुत से विचार लिए हैं। इस दौरान तीन दिन का माननीय विधायकों का प्री बजट डिस्कशन पर सेमिनार चला था, उसमें हर एक पहलू पर विधायकों ने अपने–अपने सुझाव भी दिये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों के कल्याण व उनकी आय को दोगुना करने की योजनाओं पर काम कर रही है। इसी के तहत मेरी फसल– मेरा ब्यौरा पोर्टल लांच किया गया है, जिसके तहत हर किसान अपनी फसल का ब्यौरा पंजीकृत करवा सकता है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 70 प्रतिशत किसानों ने अपनी फसल का पंजीकरण करवा लिया है। इसके अतिरिक्त 'भावांतर भरपाई योजना' चलाकर सरकार ने 10 प्रकार की सब्जियों का मूल्य निर्धारित करके बहुत अच्छा काम किया है। इसी प्रकार सॉयल टैस्टिंग कार्ड योजना चलायी है जिसमें किसानों ने 36.36 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड बनवाए हैं। मंडियों में फसल बेचने आए किसानों व मजदूरों के भोजन की व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने किसानों को अटल किसान मजदूर कैंटीन के तहत 10 रुपये में भोजन की थाली देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार प्रदेश के हैफड और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सभी गोदामों में चोरी की समस्या से निपटने व सही रख–रखाव की निगरानी के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का प्रावधान भी रखा है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए बिजली बिल्ज 7.50 रुपये प्रति यूनिट से कम करके 4.75 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। गऊशालाओं के लिए गऊ सेवा आयोग का बजट 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मेरे हल्के में जितने भी आवारा पशु आते थे, उनके लिए 2 गऊशालाएं बनायी गयी हैं और इनमें एक गऊशाला में 1500 पशु हैं और दूसरी गऊशाला में 700 पशु हैं। आज हमारे शहर के अन्दर कोई भी गऊ बेसहारा नहीं है। ऐसा कार्य हमने अपने विधान सभा के हल्के में किया है।(विघ्न) मैं अपनी विधान सभा के हल्के में जो कार्य हुए हैं, उनके बारे में जिक्र कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से पिछले बजट से लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि की और प्रदेश में 4 हजार नए प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसी तरह से मिड–डे मिल की ओर से बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया और वर्ष 2020–21 में सभी स्कूलों में बच्चों के पीने के लिए आर.ओ. से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा और

गर्मियों में बिजली की समस्या से निपटने के लिए सभी विद्यालयों में सौर ऊर्जा पैनल लगवाएं जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्री बजट चर्चा के दौरान एक सुजैशन दिया था कि सभी विद्यालयों में इसी वर्ष चारदीवारी का निर्माण किया जाना चाहिए और साथ ही हर विद्यालय के गेट तक पक्का रास्ता भी बनाया जाये। इस सुझाव को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बजट में शामिल किया है। मैं इसके लिए इनका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा कि जिन परिवारों की 1.80 लाख रुपये से कम सालाना आमदन है उनके बच्चों से हरियाणा प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में फीस न ली जाए इस तरह की हमारी सरकार व्यवस्था करने जा रही है। हमारी सरकार ने खेल की दृष्टि से भी बहुत निर्णय लिए हैं। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ''खेलो इंडिया यूथ गेम्स–2019'' में हरियाणा 178 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आने वाले वित्तीय वर्ष में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनका रोजाना खुराक भत्ता 150 से बढ़ाकर 250 रुपये करने का निर्णय लिया है जिससे प्रदेश के 4 हजार खिलाड़ियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इस वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछली बार के बजट से 23.3 प्रतिशत अधिक बजट रखा गया है। हमारी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये सालाना से कम है उनका 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किया जायेगा। हमारी सरकार ने इस तरह की एक अच्छी व्यवस्था बनाने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में बाईपास बनवाने का भी प्रावधान किया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और बजट अभिभाषण में 5 फाटकों को खत्म करके ऐलिवेटिड ट्रैक बनाने का निर्णय लिया गया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पर्यटन के बारे में बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर कुरूक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां पर्यटकों के आने की बहुत संभावना रहती है। इसीलिए कुरूक्षेत्र को पर्यटन हब बनाने के लिए स्वदेशी दर्शन योजना में शामिल किया गया है, इस योजना के अंतर्गत कुरूक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर को विकसित करने के लिए कृष्णा सर्किट के तहत 97.50 करोड़ रुपये प्रथम चरण में खर्च किए गये और हमारी सरकार ने कृष्णा सर्किट फेस–2 के लिए भी 100 करोड़ रुपये और देने का काम किया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का

बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कुरूक्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने में लगी हुई है इसलिए भगवान श्रीकृष्ण जी के विराट स्वरूप की मूर्ति ज्योतिसर में बनाने की घोषणा की थी और इस बारे में हमारे माननीय सदस्य डॉ. कमल गुप्ता जी ने भी कहा था कि इसकी स्थापना जल्दी ही की जाये। हमारी सरकार ने एक अच्छा काम यह भी किया कि जो ब्रह्मसरोवर और ज्योतिसर का पानी रूका हुआ था, उस पानी को भी निकालने का काम किया जाए। अगर कांग्रेस पार्टी के सदस्य वहां पर जाकर देखेंगे तो इनको असली धरातल का पता लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पहले कुरूक्षेत्र में 5000 टूरिस्ट्स आते थे और आज वहां पर लगभग 25000 टूरिस्ट्स आते हैं इससे पता चलता है कि कुरूक्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र को बनाने के लिए हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की तरफ से 25 करोड़ रुपये और 15 करोड़ रुपये की लागत से दो सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट्स बनाने पर भी काम शुरू कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एजूकेशन की बात है तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में पहली आयुष यूनिवर्सिटी कुरूक्षेत्र जिले में खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने हमारे यहां पर नर्सिंग कॉलेज और गवर्नमैंट कॉलेज भी बनाने का काम किया है। मैं इसके लिए सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुरूक्षेत्र जिले की कुछ डिमांड्ज हैं मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर हुडा सैक्टर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 बने हुए हैं। इनमें लगभग 30 वर्ष पहले पीने के पानी की पाइप लाइन डाली गई थी, उसको चेंज करवाने का काम करवाया जाये क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा लीकेज है। पिछले दिनों बहुत से लोगों को वहां पर पीने के पानी से पीलिया हुआ था और मैंने इस बारे में सरकार से पहले भी अनुरोध भी किया था इसलिए इस काम को जल्दी से जल्दी करवाया जाये। इसी के साथ–साथ मैं यह कहूंगा कि कुरूक्षेत्र एक धार्मिक स्थल है, कुरूक्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से गीता स्थली ज्योतिसर से पिपली तक सरस्वती नदी में नौका चलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजैक्ट के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। उसके लिए भी मैं सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का जो विजन और सोच थी वह सराहनीय है। उसके लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता और अपनी तरफ से एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का तथा पूरी सरकार का बहुत–बहुत

धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका भी बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

**श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा)** : डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया सर्वप्रथम इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तमंत्री के रूप में जो बजट बनाने में मेहनत की है वह सराहनीय है। डिप्टी स्पीकर सर, यह काम छोटी टीम के साथ बैठकर जैसे आज तक होता था वैसे हो सकता था मगर जनप्रतिनिधियों सहित समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार–विमर्श के बाद हर डिपार्टमैंट की वर्किंग और योजनाओं के ऊपर चर्चा करने के बाद जो यह बजट बना है मैं समझता हूं कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही गम्भीर सोच है। मुझे तो तब हैरानी हुई जब कल विपक्ष के एक सम्मानित सदस्य ने इस बजट को वेस्टफुल एक्सरसाईज बोला है। मैं समझता हूं कि किसी भी अच्छे कार्य की सराहना जरूर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को एक बहुत अच्छी सोच और एक नई पहल इस बार के बजट को बनाते वक्त देखने को मिली है। डिप्टी स्पीकर सर, पांच वर्ष पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने "हरियाणा एक, हरियाणवी एक" का एक नारा दिया था तो उस समय हम यह बात सोचने के लिए मजबूर थे कि हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर क्या ऐसा हो सकता है कि एक राजनीतिक व्यक्ति सत्ता में आने के बाद "हरियाणा एक, हरियाणवी एक" की सोच के साथ काम कर सकता है। पर वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस नारे को सिद्ध किया और बिना किसी राजनीतिक फायदे नुक्सान को देखते हुए ऐसे बहुत से कड़े फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिये हैं जिससे हरियाणा प्रदेश की व्यवस्था सुधरी है। न केवल हरियाणा प्रदेश के आम जन को सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का लाभ हुआ बल्कि हरियाणा प्रदेश की छवि भी पूरे देश के स्तर पर निखरकर सामने आयी है। डिप्टी स्पीकर सर, पौने तीन घंटे के बजट भाषण के आखिर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की व्याख्या की है, जिसका अर्थ है कि – जो प्राप्त न हो, उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना और जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना। मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पिछले पांच वर्ष के शासनकाल की कार्यशैली और इस बजट को भी अगर हम देखें तो कौटिल्य की उपरोक्त पंक्तियों की झलक हमें बजट के सभी सैक्टर्ज में देखने को मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार का हमेशा से ही यह संकल्प रहा है कि आम आदमी का, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर निरंतर सुधरे। इसकी वर्तमान बजट के अंदर भी

अलग–अलग जगह झलक देखने को मिलती है। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के क्षेत्र की बात करें और चाहे सुचारू बिजली व्यवस्था स्थापित करने की बात करें, चाहे समय पर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले उसकी व्यवस्था तैयार करने की बात करें और हर घर में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करवाने की बात की जाये इस प्रकार से ये सभी संकल्प प्रदेश के आम आदमी के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर एक वरदान साबित हुए हैं। डिप्टी स्पीकर सर, चाहे मैं भावांतर भरपाई योजना के विस्तार की बात की जाए, चाहे हरियाणा प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात की जाये, चाहे वर्ष 2022 तक 1000 नये एफ.पी.ओज. बनाने के लक्ष्य की बात की जाये, चाहे अटल भू–जल योजना की बात की जाये, चाहे प्रदेश में स्थित शुगल मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण की बात हो या विशेष कृषि आधारित गतिविधियों के लिए बिजली की दर साढ़े सात रूपये से घटाकर पौने पांच रूपये प्रति यूनिट करने की बात की जाये और खेती के बेहतर प्रबन्धन के लिए मेरी फसल, मेरा ब्यौरा नामक योजना को बढ़ावा देने की बात की जाए, ये सभी कार्य बहुत सराहनीय है। इसके साथ ही साथ भविष्य में फसल बीमा योजना को ट्रस्ट मॉडल की रूपरेखा पर चलाने की जो योजना बनी है मैं समझता हूं कि यह सभी कुछ हरियाणा प्रदेश के किसानों के हितों के प्रति हमारी सरकार की गम्भीरता को ही दर्शाता है। डिप्टी स्पीकर सर,मौजूदा बजट में जहां एक ओर ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया है वहीं प्रदेश में पंचायती राज संस्थायें किस प्रकार से और ज्यादा मजबूत हों इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। प्रदेश का इंफ्रॉस्ट्रक्चर चाहे हाईवेज की बात करें और चाहे रेलवे की परियोजनाओं की बात करें हरियाणा सरकार के स्तर पर इन सभी पर भी निरंतर बल दिया जा रहा है। मैं खास तौर पर सरकार की एक प्रोफैसनल वर्किंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि पी.एस.यूज. का घाटा जो वर्ष 2014–15 में 2213 करोड़ रूपये का था वह वर्ष 2019–20 के अंत में घटकर केवल मात्र 52 करोड़ रूपये रह गया है। यह प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार की बहुत ही ज्यादा अच्छी वर्किंग का परिचायक है। डिप्टी स्पीकर सर, Housing for all नाम से जो एक नई योजना की घोषणा हमारी सरकार द्वारा की गई है मैं समझता हूं कि सभी विभागों या बोर्डस व निगमों के जितनी भी आवासीय योजनायें हैं उन सभी को एक छतरी के नीचे लाना ही इस योजना का मकसद है। हमारी सरकार का यह कदम आने वाले समय में आवासीय क्षेत्र के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक–दो सुझाव आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर देना चाहूंगा। जिस तरीके से प्री–बजट

डिस्कशन का सैशन पिछले दिनों में रखा गया था यह बहुत अच्छा काम था। इस सैशन के 6 महीने के बाद ये सभी स्कीम्स तथा घोषणाएं ठीक तरीके से इम्पलीमैंट हों तथा भविष्य की जो योजनाएं हैं वे भी समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतर सकें उसके लिए भी एक सैशन सभी विधायकों का बुलाना चाहिए क्योंकि विधायक ऐसे जन–प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं जो समाज के आखिरी व्यक्ति से जुड़े व्यक्ति होते हैं। जब भी विधायकों की ओर से कोई बात आती है तो वह निश्चित रूप से बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट होती है। अगर इस तरह का एक सैशन रखा जायेगा तो मैं समझता हूं कि जिस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट प्रस्तुत किया है उस सोच का लाभ ठीक तरीक से आम आदमी को मिलेगा। इसके साथ–साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तक सरकार की योजनाएं पहुंचती हैं उस स्तर तक अधिकारियों को भी एक्टिवली काम करना चाहिए । जिस तरीके से जन प्रतिनिधि आम आदमी से जुड़ कर काम करता है। यह भी एक टीम वर्क है अधिकारियों को भी इसी तरीके से न केवल दफ्तरों की मीटिंगों तक सीमित रहना चाहिए बल्कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि जो भी किसी योजना का पात्र व्यक्ति है उसको उस योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। मैं तो कहूंगा कि प्लस पोलियो अभियान जैसे पोलियो को जड़ से उखाड़ने के लिए एक अभियान होता है इसी तरीके से गरीब आदमी से जुड़ी हुई हर योजना के लिए डैडिकेटिडली एक महीना ऐसा अलॉट करना चाहिए जिसमें पूरा प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि इस योजना का एक भी पात्र व्यक्ति नहीं बचा जिसको इस योजना का लाभ न मिला हो। 100 प्रतिशत उस योजना का सक्सैस रेट होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा विषय आपके माध्यम से उठाना चाहूंगा जो रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। जब भी सड़कों की वाइडनिंग और स्ट्रैंथनिग की जाती है खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें बर्म ठीक तरीके से नहीं बनाए जाते हैं। यह आम तौर पर देखने को मिलता है कि सही तरीके से बर्म न बनने की वजह से जहां सड़क बहुत जल्दी टूटती है वहीं सड़क की चौड़ाई भी कम हो जाती है और एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इस चीज को चैक करवाया जाए कि जब भी कोई ऐस्टीमेट एप्रूव होता है तो क्या उस स्कोप ऑफ वर्क में बर्म को पूरा तैयार करना शामिल होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो इसकी चैकिंग करवाई जाए और जो भी ठेकेदार इस काम को ठीक तरीके से नहीं करते हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अंत में मैं अपने घरौंडा विधान सभा क्षेत्र में चल रही अनेकों विकास की परियोजनाओं जिनमें चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, चाहे एन.सी.सी.

अकेडमी है, चाहे शुगर मिल की बात हो या अन्य जितने भी इस तरीके के विकास के कार्य हैं उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का खास तौर पर आभार व्यक्त करता हूं और हाल ही के बजट में जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की बहुत पुरानी 10–12 गांवों की डिमांड थी नैशनल हाईवे के ऊपर कम्बोपुरा गांव के सामने अंडरपास बनाने की, उसकी मंजूरी मिली है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसी प्रकार से करनाल में जो बाईपास की अभी स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने दी है वह भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के बीच से ही गुजरेगा। इसके साथ ही साथ पी.पी.पी. मोडल पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जायेगा। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शानदार बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए भी मैं उनको बधाई देते हुए तथा इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**श्री धर्मपाल गोंदर(नीलोखेड़ी)** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपसे भी और आपके माध्यम से जितने भी साथी यहां पर बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरी बातों को अन्यथा न लें, मेरी बातों पर हंसें ना क्योंकि मेरी भाषा ऐसी ही टूटी–फूटी भाषा है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 90 विधान सभा क्षेत्र हैं और 90 विधान सभा क्षेत्रों में 74 उप–मण्डल बने हुए हैं और 16 उप–मण्डल अभी और बनने हैं। 16 विधायकों की डिमांड है कि उनके विधान सभा क्षेत्र में भी उप–मण्डल बनाए जाएं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन 16 विधान सभा क्षेत्रों में बिना विधायकों की डिमांड के उप–मण्डल बनाए जाएं। उप–मण्डल बनाने के लिए नाम न मांगे जाएं बल्कि स्वयं सरकार की तरफ से घोषणा कर दी जाए क्योंकि डिमांड करने पर भी उप–मण्डल नहीं बनाये जाते हैं। अगर सरकार उप–मण्डल के लिए डिमांड मांगेंगी तो हो सकता है अब हमें उप–मण्डल की जगह जिला बनाने की डिमांड करनी पड़ जाए इसलिए सरकार को उन विधान सभाओं में उप–मण्डल बनाने पड़ेंगे। मेरा गांव गोंदर है जो मेरी विधान सभा के गांवों में जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है। हमारे वहां जनसंख्या में सबसे बड़ा गांव सिसाय है, दूसरा स्थान पर सालवन और तीसरे स्थान पर गोंदर है। पहले हमारे गांव में बहुत ज्यादा जंगल होता था । वर्ष 1960 की बात है उस समय मैं 8 साल का था। पहले वहां बैलों और भैंसों की चोरी होती थी । हमारे वहां एक सरदार जी डेरे में रहता था। वह एक गरीब सरदार था जिसका एक ही बेटा था और वह बार–बार

कह रहा था कि पिता जी आप भी एक बन्दूक का लाईसैंस बनवा लो । वह सरदार जी बार–बार कहता रहा कि बेटा हमारे बस की बात नहीं है। हम गरीब आदमी का बन्दूक का लाईसैंस कौन बनाएगा? सरदार बड़ा दुःखी हुआ कि एक बेटा है पता नहीं क्या कर बैठेगा? वह करनाल जाकर लाईसैंस के लिए अप्लाई करके आ गया। डी.सी. साहब के पास जब फाईल गई तो डी.सी. साहब अचम्भित हो गये कि आज तक बन्दूक का लाईसैंस तो देखा था लेकिन यह तोप का लाईसैंस कौन भर गया है क्योंकि उस सरदार ने तोप का लाईसैंस अप्लाई कर दिया था। डी.सी. साहब ने तुरंत अपने किसी कर्मचारी को भेजा कि उस सरदार को बुलाकर लाईये। सरदार जी आ गये। डी.सी. साहब हाथ जोड़कर कहने लगे कि सरदार जी मैं बन्दूक का लाईसैंस तो दे दूंगा लेकिन तोप का लाईसैंस तो मैं नहीं दे सकता। उसी प्रकार हम भी सरकार से अपने विधान सभा में उप–मण्डल बनाने की मांग कर रहे हैं लेकिन वह मांग जिला बनाने में तबदिल न हो जाए क्योंकि अब तो हम उप–मण्डल बनाने की डिमांड कर रहे हैं कल को क्या पता हम जिला बनाने की मांग कर बैठें। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में अब तक कई पार्टी व कई दलों की सरकारें रही हैं। क्या उन सरकारों के समय में पहले कभी रेप नहीं हुए, क्या कभी गौ हत्या नहीं हुई, क्या नशे का कारोबार नहीं हुआ, क्या डकैती नहीं हुई? उन सभी सरकारों में 70 प्रतिशत सदस्य जीतने वाली सरकार में चले जाते हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि यह प्रथा आगे भी ऐसे ही बनी रहे। जैसे कि हम लोग उन अलग–अलग सरकारों की पार्टियों या दलों में घूमकर आते हैं तो सैशन में इस बात पर अंगुली उठती है। मेरी आप सभी सदस्यों से निवेदन है कि जो हम यहां सदन में झगड़ा करते हैं और एक दूसरे पर अंगुली उठाते हैं वह ठीक नहीं है क्योंकि हम यहां जनता की भलाई के लिए आए हैं। हमें एक–दूसरे से मिलकर, सलाहा मस्विरा करके हल्के की जो डिमांड्स हैं उनको सदन में रखना चाहिए क्योंकि जनता ने हमें चुनकर भेजा है इसलिए हम सब यहां अपने–अपने हल्के के लोगों के लिए उन डिमांड्स को मांगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे दानी हैं और विकास पुरूष हैं वे हमारी मांगों को जरूर मानेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी सदस्य बार–बार यह सोच रहे हैं कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो? यह सभी सदस्यों की इच्छा है क्योंकि किसान बहुत गरीब हालात की तरफ जा रहा है क्योंकि जमीन थोड़ी रह गई, खर्चे ज्यादा हो गये हैं इसलिए फसल ज्यादा होगी तभी देश का उद्धार होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जितने सदस्य यहां बैठे हैं उनके पास किसान की आय को दोगुना करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। मेरा निवेदन है कि किसानों के लिए एक तो खाद सस्ती कर दीजिये और दूसरा उनको खाद

ज्यादा डालने का मौका दे दीजिये, उन पर किसी प्रकार की रोक न लगाएं। इससे किसान की दोगुनी की बजाए चार गुणी फसल बढ़ जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरोना वायरस की बात हो रही थी कि यह वायरस विदेश से आया है। सर, जब लोग पशुओं को जानवरों को खायेंगे तो बीमारी तो पैदा ही होगी । अगर गलत करेंगे तो गलत भुगतना भी पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्षः** गोंदर जी, आप किसान को ज्यादा खाद प्रयोग करने की इजाजत देने की बात कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

**श्री धर्मपाल गोंदरः** उपाध्यक्ष महोदय, खाद तो देसी भी हो सकती है। (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विषय की बात है चाहे चॉयना से आने वाला सामान देश में आने से रूके या न रूके लेकिन जो यह चॉयना से आने वाली पतंग की डोर है, इस पर जरूर रोक लगाई जानी चाहिए। इस डोर की वजह से कई बच्चों के गले कट गए, किसी बच्चे का कान कट गया और बहुत से जानवर भी मारे गए हैं। अतः चॉयना डोर पर जरूर रोक लगाई जाये। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक विधायक डा. कमल गुप्ता जी ने कहा कि गुजरात की तर्ज पर कुरूक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान जी की 200 फीट उंची प्रतिमा बनाई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, धन्ना भक्त ने तो एक छोटे से पत्थर से ही भगवान के दर्शन कर लिए थे लेकिन अगर कुरूक्षेत्र में 200 फीट उंची प्रतिमा बनाई जायेगी तो इतनी बड़ी प्रतिमा के दर्शन केवल गोड्डे तक ही हो पायेंगे। (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हंसने की बात नहीं है क्योंकि इसमें जो करोड़ों रूपये खर्च होंगे उससे गरीबों के लिए घर बनवाये जायें। हमारे यहां तरावड़ी और नीलोखेड़ी में 200–250 आदमी बेघर हैं यदि उस मूर्ति के पैसे को इन लोगों के घर बनवाने पर खर्च किए जायें तो क्या गलत है? (शोर एवं व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** गोंदर जी, आपका समय पूरा हो गया है। प्लीज आप बैठें।

**श्री धर्मपाल गोंदरः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ। (विघ्न)

**श्री उपाध्यक्षः** गोंदर जी, आपकी जो बाकी बातें रह गई हैं आप उन्हें लिखकर दे दें। इस तरह सदन को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। शीशपाल जी अब आप अपनी बात रखें। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री धर्मपाल गोंदरः** उपाध्यक्ष महोदय, जो लिखित बात है वह सभी सदस्यों के पास नहीं पहुंचेगी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार एक मां ने अपने बेटे को उसके मामा के घर जाने को कहा और उसको 5 रूपये दे दिए और कहां कि किराया–भाड़ा खर्च होने के बाद सवा रूपया बचेगा और अगर भूख लगे तो इसमें से खर्च करके कुछ खा लेना। लड़का मामा के घर चला गया और मां ने उसको रास्ते के लिए चूरमा भी बांध दिया लेकिन जब मामा के घर से वापिस आ रहा था तो मामी उसको रास्ते में खाने के लिए कुछ बांधना भूल गई और जब वह लड़का घर के पास जो बस स्टैंड था वहां पर पहुंचा तो लड़के को भूख लग गई तो लड़के ने सामने हलवाई की दुकान देखी और मिठाई के भाव पूछने लगा। दुकानदार ने कहा कि लड्डू 5 रूपये किलो, लड़के ने कहा 1 किलो दे दो। फिर लड़के ने रसगुल्ले का रेट पूछा तो दुकानदार ने बताया कि इसका रेट भी 5 रूपये किलो है तो लड़के ने कहा कि रसगुल्ले भी 1 किलो दे दो। इसके बाद लड़के ने बर्फी का रेट पूछा, दुकानदार ने कहा कि यह भी 5 रूपये किलो है तो लड़के ने कहा कि इसे भी 1 किलो दे दो। इसी प्रकार लड़के ने और मिठाई भी ले ली जिनका 5 रूपये किलो रेट था। इस तरह 10–12 किलो मिठाई तुलवा ली तो लड़के ने दुकानदार को कहा कि इन सारे को मिक्स कर दो। लड़के के पास सारा सवा रूपया ही बचा हुआ था तो उसने दुकानदार को कहा कि जो यह सारा मिक्स किया है इसमें से बस मुझे पाइया दे दो। (हंसी) कहने का भाव यह है कि सदन में ज्यादा घुमाफिराकर बात कहने की बजाय अगर हम अपनी डिमांड को ध्यान में रखकर ही बात करें तो सदन का समय भी बचेगा और दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने का समय भी मिल जायेगा।

.....

## बैठक का समय बढ़ाना

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

**आवाजें:** ठीक है, सर।

**श्री उपाध्यक्षः** ठीक है, बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

## वर्श 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

**श्री भी□पाल सिंह (कालांवाली) (अ.जा.)** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बत्तौर वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सी0एम0 की परिभाषा कॉमन मैन से शुरू की थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एफ0एम0 की परिभाषा फेल्ड मैन के रूप में बताया था। उपाध्यक्ष महोदय, बजट के प्रारूप को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बजट को लेकर सी0एम0 कॉमन मैन न होकर कंफ्यूज मैन बनकर रह गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट के अंदर पिछले बजट में जो बातें थी, उनका जिक्र किया है। सरकार हमेशा कहती है कि 'हरियाणा एक –हरियाणवी एक' और दूसरी तरफ बजट को लेकर विपक्ष की आलोचना करती रहती है। इस प्रकार से भाजपा सरकार ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को हरियाणा का नागरिक मानना ही बंद कर दिया है। यह बहुत ही निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना बजट पेश करने के लिए 2 घंटे 32 मिनट का समय लिया, इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में देखें तो पूरे बजट का 32.01 प्रतिशत सरकार ने कर्जा लिया हुआ है। इस प्रकार से टोटल बजट में से लगभग 28 प्रतिशत पैसा तो ब्याज चुकाने में ही लग जायेगा। यह किस प्रकार का बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पेश किया है? कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 साल के शासनकाल में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विकास की ऐसी नींव रख कर हरियाणा को महल के रूप में बनाया था। लेकिन भाजपा सरकार ने इस महल को आज खण्डर का रूप दे दिया है। भाजपा सरकार कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश आगे बढ़े और दूसरी तरफ हरियाणा की जी0डी0पी0 7.5 प्रतिशत है और भारत की जी0डी0पी0 5 प्रतिशत से भी नीचे है। देश की जी0डी0पी0 नीचे होने का कारण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के भाजपा के सदस्यों को यह भी कहना चाहिए कि हम तो ठीक चल रहे हैं लेकिन देश ठीक नहीं चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे अच्छा बजट वही माना जाता है जिसका पूंजीगत व्यय सबसे ज्यादा हो। पिछले वर्षों के बजट के आंकड़ें देखेंगे तो वर्ष 2015–16 में 32 प्रतिशत पूंजीगत व्यय था, वर्ष 2018–19 में 30 प्रतिशत पूंजीगत व्यय था, वर्ष 2019–20 में 29 प्रतिशत पूंजीगत व्यय था, इस हिसाब से अब 3 प्रतिशत और नीचे आ गया है, इस प्रकार से पूंजीगत व्यय ही नहीं होगा तो किस विकास की बात हरियाणा सरकार आज कर रही है। ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है जो यह कह दे कि पूंजीगत व्यय घटेगा तो बजट भी अच्छा

होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम टैक्स संग्रह की बात करें तो यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। (विघ्न)

**श्री उपाध्यक्षः** शीशपाल सिंह जी, आप अपने हल्के की समस्याओं के बारे में जिक्र कर लें।

**श्री शीशपाल सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, लगातार बढ़ता हुआ कर्ज प्रदेश के लिए खतरे की घण्टी है । सरकार का टैक्स कलैक्शन घट रहा है और सरकार कर्ज पर कर्ज लेकर प्रदेश को और कर्जदार बनाने में लगी हुई है । सरकार ने प्रदेश को पहले से 3 गुना ज्यादा कर्जदार बना दिया है । अगर मैं हैल्थ की बात करूं तो इस पर सरकार ने बजट का 4.5 परसैंट प्रावधान किया है जबकि नीति आयोग कहता है कि यह 8 परसैंट से कम नहीं होना चाहिए । जब प्रदेश का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो फिर हम किस तरह से इस बजट को अच्छा बजट कह सकते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कहकर सत्ता में आई है । मेरा निवेदन है कि इस सरकार को प्रदेश पर राज करते हुए 6 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक इसने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया है । अभी एक माननीय सदस्य किसान की आय दोगुनी करने की बात पर पूछ रहे थे कि किसान की आय दोगुनी करने का दूसरा विकल्प क्या है ? मेरा कहना है कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देती तो किसान की आय अपने आप दोगुनी हो जाएगी । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करना चाहूंगा । मैंने देखा कि सदन में इसके आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे थे कि कम्पनियों को घाटा हुआ है । अगर आप पूरे देश के वर्ष 2016–17 की रबी और खरीफ की फसलों का आंकड़ा देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें 42,114 करोड़ रूपये किसानों से लिया गया और कम्पनियों को 8 हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा मुनाफा मिला है । (घंटी) मैं अपनी बात सिर्फ 2 मिनट में खत्म कर दूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी की दर सरकार के सामने है । इस बजट में नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई विजन नहीं है । सरकार ने कह दिया कि हम एक लाख युवाओं को रोजगार देंगे लेकिन बजट में न तो इंडस्ट्री लगाने की कोई बात है और न ही कोई और काम करने का प्रावधान है । आज प्रदेश के बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहे हैं लेकिन बजट में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है । सरकार पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन की बात करती है और इस पर बहुत जोर देती है लेकिन इसके लिए बजट में सिर्फ 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में हमारे प्रदेश के फरीदाबाद और गुरूग्राम दोनों ही शहर

आते हैं लेकिन इन शहरों का प्रदूषण दूर करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । यह किस प्रकार का बजट है ? अतः कोई भी इसको अच्छा बजट कैसे कहेगा ?

**श्री उपाध्यक्ष** : शिशपाल जी, आपका समय समाप्त हो गया है । प्लीज आप बैठें । आप अपनी बात लिखकर दे दो ।

**श्री शिशपाल** : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की बात करके अपना स्थान लेना चाहूंगा । कालावांली से सिरसा का कॉलेज 40 किलोमीटर दूर है । मैं चाहता हूं कि कालावांली में एक लड़कों का कॉलेज जरूर बनवाया जाए । उसको सब–डिविजन बने हुए 6 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनी है । इसके अलावा उसका ज्यूडिशियल कॉम्पलैक्स भी नहीं बना है । मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि उसको बना दिया जाए । सरकार कहती है कि पानी का पूरा बंटवारा होना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, घग्गर नदी पंजाब से होकर कालांवाली के 25 किलोमीटर क्षेत्र से निकलती है । मेरा निवेदन है कि इसके दोनों तरफ खरीफ चैनल निकाले जाएं ताकि वहां के किसानों को पानी मिल सके । वहां रोड़ी और बड़ा गुड्ढ़ा दो बड़े क्षेत्र है । हम उनके लिए पहले से ही उप–तहसील के दर्जे के लिए मांग कर रहे हैं । अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको उप–तहसील का दर्जा भी दे दिया जाए । मेरे क्षेत्र में जगीर सिंह कॉलोनी, मास्टर कॉलोनी, हिसार कॉलोनी, खुशीराम कॉलोनी अनधिकृत कालोनियां हैं । हमारा निवेदन है कि उनको भी रैगुलर कर दिया जाए । मैं इस बजट को देखकर एक अंतिम बात कहूंगा कि –

इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं दोस्त,
कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर ।

धन्यवाद । **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए ।)**

**श्री राम कुमार (इन्द्री)** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट चर्चा पर भाग लेने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा है । सभी क्षेत्रों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है । मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इस बजट से हरियाणा हर क्षेत्र में और भी तेजी से आगे बढ़ेगा । मैं 2–3 मुद्दों पर बात करके अपनी बात खत्म करूंगा । सबसे पहले मैं कृषि क्षेत्र पर बात करूंगा । इसके लिए बहुत सी योजनाएं बजट में लाई गई हैं । इसमें मुख्यतः जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की बात कही गई है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनता

की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए जैविक और प्राकृतिक खेती कराने की तरफ विशेष ध्यान दिया है। अगले 3 सालों में 1 लाख एकड़ भूमि पर जैविक और प्राकृतिक खेती करने का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। अब जो खेती हो रही है, उसमें बहुत– सी रासायनिक खाद और दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है जिसके कारण अनाज के साथ–साथ दूध की गुणवता भी कम हो रही है। इसके कारण हमारे प्रदेश में बहुत– सी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे कैंसर की बीमारी की बात की गयी थी। ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन चिंताओं को देखते हुए जैविक और प्राकृतिक खेती का प्रावधान किया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। साथ ही मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि जैसे एग्रीकल्चर साईंटिस्ट्स कहते हैं कि जब जैविक खेती की जाती है तो लगातार 3 साल तक संबंधित किसानों की आमदनी कम होगी। सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात कह रही है और कहीं ऐसा न हो कि इससे किसानों की आमदनी कम हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर इससे किसानों की आमदनी कम होती है तो किसानों के नुकसान की भरपाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है। इसके अतिरिक्त शिक्षा में सुधार के लिए भी बहुत सी योजनाएं चलायी गई हैं। मैं देख रहा हूं कि यह बहुत बढ़िया योजना बनायी है कि अबकी बार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आठवीं की परीक्षाओं के लिए बोर्ड का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। जहां तक मेरा आईडिया है, यह सुझाव भी माननीय सदस्यों ने प्री बजट से पहले दिया था, इसलिए मैं उन माननीय विधायकों को भी सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने यह सुझाव दिया था। इस योजना के आने से निश्चित तौर से हमारे प्रदेश के स्कूल्ज में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। सरकारी स्कूल्ज में ज्यादातर एस.सी./बी.सी. कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं। अब आठवीं का बोर्ड बन जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई में रूचि बढ़ेगी। उनको पता चल जाएगा कि अगर वे पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। इसमें संबंधित टीचर्ज की जिम्मेवारी हो जाएगी कि वे भी बच्चों को पूरी लगन के साथ पढ़ाएं। निश्चित तौर से इसके रिजल्ट बढ़िया आएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आठवीं की बोर्ड की परीक्षाओं के साथ–साथ पहले की तरह पांचवी की परीक्षाएं भी बोर्ड के माध्यम से ली जाएं और ब्लॉक लेवल पर भी परीक्षाएं आयोजित की जाएं। ऐसा करने से निश्चित तौर पर आठवीं की बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। जैसे शिक्षा बोर्ड के पिछले आंकड़े

कहते हैं कि दसवीं और बाहरवीं की परीक्षाओं का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। वर्ष 2018 में दसवीं कक्षा की परीक्षा का रिजल्ट 43 प्रतिशत और वर्ष 2019 में 52 प्रतिशत रिजल्ट रहा, परन्तु बारहवीं कक्षा की परीक्षा का रिजल्ट वर्ष 2017 में 64 प्रतिशत रहा, वर्ष 2018 में 61 प्रतिशत और वर्ष 2019 में 76 प्रतिशत रहा। इस प्रकार अगर हम इन सभी को कम्पयेर करें तो बारहवीं कक्षा का रिजल्ट 5 प्रतिशत बढ़ा है क्योंकि बारहवीं कक्षा से पहले दसवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। इसलिए बाहरवीं कक्षा के बच्चों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। इस प्रकार अगर आठवीं कक्षा से पहले पांचवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं हो जाएंगी तो आठवीं कक्षा का रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। आठवीं कक्षा का रिजल्ट बढ़िया आएगा तो दसवीं कक्षा का रिजल्ट भी बढ़िया आएगा और दसवीं कक्षा का रिजल्ट बढ़िया आएगा तो बाहरवीं कक्षा का रिजल्ट बढ़िया आएगा। इस प्रकार से हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा। इसके अतिरिक्त सदन में आश्वासन दिया गया है कि संबंधित टीचर्ज की कमी को पूरा किया जाएगा। अगर ये दोनों बातें पूरी हो जाएगीं तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।

**श्री अध्यक्षः** रामकुमार जी, आपके बोलने का समय पूरा हो गया है। प्लीज, आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

**श्री राम कुमारः** अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं पर्यावरण के ऊपर अपनी बात कहना चाहूंगा। हमारा पर्यावरण दूषित हो गया है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमारी हरेक की जिम्मेवारी है। सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। हमारा वन क्षेत्र 6 प्रतिशत है और इसको 10 प्रतिशत तक लाने के लिए प्रबन्ध किया गया है और इसके लिए पेड़ लगाये जाएंगे। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। ये पेड़ पार्कज, स्कूल्ज और सड़कों के किनारों पर लगाये जा सकते हैं। जब ऐसा होगा तो हमारा पर्यावरण निश्चित रूप से दूषित होने से बच जाएगा। माननीय वन मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी से एक रिकवेस्ट करना चाहूंगा कि अब गर्मियों का सीजन आ गया है और इस सीजन में लिंक रोड्ज और हाईवेज पर पेड़ों में आग लग जाती है। लेकिन वहां पर पेड़ों की आग को बुझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। फायर ब्रिगेड नगरपालिकाओं के अंडर हैं और जब कोई व्यक्तिगत लॉस होता है तब उनको बुलाया जाता है। वे इस काम के लिए पैसा भी लेते हैं, इसलिए प्रदेश के हर जिले में पेड़ों की आग बुझाने के लिए फायर बिग्रेड की सुविधा होनी चाहिए। चाहे पेड़ों

की आग बुझाने के काम को जिला परिषदों को दे दें, लेकिन फायर ब्रिगेड की सुविधा होनी चाहिए।

**श्री अध्यक्षः** रामकुमार जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

**श्री राम कुमारः** अध्यक्ष महोदय, यह मेरी मेडन स्पीच है। इसलिए मुझे बोलने के लिए थोड़ा सा समय और दे दें। अध्यक्ष महोदय, लास्ट में, मैं अपने हल्के की दो–तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरा इन्द्री हल्का है और इसके कुछ गांवों के एरियाज में से यमुना नदी बहती है। जब यह नदी बहती है तो इसमें शहरों और फैक्टरीज का गंदा पानी भी आता है, इसलिए यह जो गंदा पानी आता है वह खेती और नागरिकों के स्वास्थ्य को भी खराब करता है। जब यमुना नदी में पानी आता है तो लोग उस पानी से अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, जिससे उनकी खेती खराब हो जाती है। इस गन्दे पानी में गंदी स्मैल भी आती है जिसकी वजह से वहां के लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। यहां पर दो गांव टापू और ढकौली कलां हैं इनमें भी कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे हल्के के 12–13 गांव यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं इसलिए यमुना नदी के दूषित को पानी रोककर ट्रीट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे हल्के के कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो डार्क जोन के अंडर आते हैं और डार्क जोन में आने के कारण इन ब्लॉक्स के किसानों को टयूबवैल के कनेक्शन लेने के लिए बहुत समस्याएं आती हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन ब्लॉक्स को डार्क जोन से बाहर करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यही कहना चाहता हूं कि जो करनाल से वाया इंद्री गांव धुम्सी तक फॉर लेन का काम लगभग पूरा होने वाला है। इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि लाडवा हल्के को यह 6 किलोमीटर का टुकड़ा जोड़ता है और यह सड़क लाडवा हल्के से यमुनानगर तक जाती है। मुझे यह नहीं पता है कि यह 6 किलोमीटर सड़क का टुकड़ा क्यों छोड़ दिया गया? अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस 6 किलोमीटर सड़क के टुकड़े को जल्दी से जल्दी से बनवाने का काम किया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : राम कुमार जी, प्लीज आप सम–अप कीजिए।

**श्री राम कुमार** : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले वर्ष 1950 में एक अमर फिल्म आई थी उसकी एक कली इस महान सदन में सुनाना चाहता हूं।

इन्साफ का मंदिर है ये भगवान का घर है,

कहना है जो कह दे तुझे किस बात का डर है।

**(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)**

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

**श्री राके□ा दौलताबाद (बाद□ाहपुर)** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बहतरीन बजट तैयार करने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्री बजट सत्र का आयोजन किया था तब उसमें सभी सदस्यों ने अपने–अपने सुझाव दिए थे और सभी सदस्यों को अपने–अपने हल्के की छोटी से बड़ी समस्याओं को बजट अभिभाषण में डलवाने का मौका दिया था। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश के लिए बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जब से बजट सत्र की शुरूआत हुई है तब से मैं देख रहा हूं कि सदन में शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी सभी विधायकों से और सभी माननीय मंत्रियों से अधिक समय तक उपस्थित रहे हैं। मुझे इनकी यह बात बहुत अच्छी लगी है, मैं इसके लिए इनका भी बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के लिए शिक्षा ही ऐसी नींव है, जिसके माध्यम से डिवैल्पमैंट की जा सकती है और मैं समझता हूं कि एजूकेशन से बढ़कर कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। मैं यह भी मानता हूं कि हमारी सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा के नाते एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा। मैं इसके बारे में यही बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में पिछले 5 साल में करीब 1 करोड़ 30 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में अपना दाखिला करवाया है। मैं समझता हूं कि उनका सरकारी स्कूलों से विश्वास कम हुआ है। ए.सी.आर. (एक्टिविटी कम्पलीशन रिपोर्ट) के अनुसार सरकारी स्कूल का 10वीं क्लास के सिलेबस का लैवल प्राइवेट स्कूल के 10वीं क्लास से 3–4 स्टैंर्डड डाउन का सिलेबस होता है। यही वजह है कि 10वीं क्लास के बच्चे से कोई क्वैश्चन पूछो तो वह उसका जवाब नहीं दे पाता है। मान लो सरकारी स्कूल के किसी भी बच्चे को इंग्लिश में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वैश्चन हल करने के लिए देते हैं तो वे बच्चे इंग्लिश में अच्छी तरह से किसी सेंटेंस को भी नहीं पढ़ पाते हैं। हरियाणा में 75 परसेंट लिट्रेसी लैवल है इस बात के लिए हमें जरूर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि

85 परसेंट हमारे इंजीनियर ग्रेजुएट्स को जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है? मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट कम्पनीज हैं वे हमारे इंस्टीट्यूट में जाकर कैंपस क्यों नहीं कर रही हैं? मैं समझता हूं कि सरकार को इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसी तरीके से इन सवालों का जवाब यही है कि हम वैज्ञानिक पद्धति के गुलाम होते जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के सरकारी स्कूल बच्चों को नॉलेज देने के बजाय उनको पास करवाने की मशीन बन चुके हैं। सरकार टीचर्ज पर दवाब बनाती है कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। इस प्रकार टीचर और प्रिंसीपल मजबूर हो जाते हैं और रिजल्ट को मैन्यूपलेट करने के लिए अपने यहां की लिट्रेसी रेट को चमकाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वे स्कूल सर्टीफिकेशन के संस्थान बनकर रह गये हैं। यहां पर मैं बार–बार यह सुन रहा था कि हमने जो एजुकेशन पॉलिसी तैयार की है उसमें यह कहा गया है कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज की दूरी के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर का मापदण्ड रखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद और गुरूग्राम के लिए यह पॉलिसी वॉयेबल नहीं है क्योंकि इन दोनों शहरों के अंदर पॉपूलेशन बहुत ही ज्यादा है। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र की पॉपुलेशन भी 10 लाख क्रॉस कर गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के जिन इलाकों की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर एजुकेशन पॉलिसी के लिए पॉपुलेशन को ही मापदण्ड बनाया जाये न कि दूरी को। हरियाणा प्रदेश में एजुकेशन के सिस्टम को सुधारने के लिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो प्राईवेट इण्डस्ट्रियल स्मॉर्ट क्लासिज का कांसैप्ट है हम उसके बिना अपने प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर पायेंगे लेकिन हमारी सरकार अभी तक भी स्मॉर्ट क्लासिज के तरीके को फाईनल नहीं कर पाई है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीच्युट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग जो है उससे हमने जिस प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद की थी वह उस तरीके के रिजल्ट नहीं दे पा रही है। सी.एम. साहब ने भी इस पर फोक्स किया हुआ है और सी.एम.जी.जी.ए. की टीम इस कांसैप्ट पर काम करने में लगी हुई है लेकिन इसके बावजूद भी वह रिजल्ट नहीं दे पा रही है। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर यह अपील है कि एक हाई पॉवर कमेटी बनाई जाये जिसमें आई.ए.एस. अधिकारी न हों बल्कि इंटरनेशनल और नेशनल लैवल के प्राईवेट जगत के दिग्गज भी उस कमेटी में हों जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम और मैथ्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए अपना खून पसीना दिया हुआ है। उनमें जैसे मोहन दास पाई हैं, बाई यूजी राजीव धर्म जी हैं और महादेव चौहान जी हैं। जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र

में अच्छे रिजल्ट दिये हैं उन लोगों को भी सरकार के साथ जोड़ा जाये। उनकी एक कमेटी बनाई जाये और उन लोगों को एक अच्छी सैलरी भी दी जाये। तीन महीने में यह कमेटी सारे नये मैथ्ड्स को और इनोवेशन के तरीकों का रात दिन मंथन करके एक नई शिक्षा नीति तैयार करे जिसको हम अगले पांच साल मेहनत करके इम्पलीमैंट करें और हरियाणा में जो सरकारी स्कूल सिस्टम है उसको पूरे इंडिया के स्कूल सिस्टम में एक बैस्ट सिस्टम बनाया जाये। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में एजुकेशन के सिस्टम को कम्पलीटली इम्प्रूव करने के लिए पूरी ताकत लगायें। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी इस दिशा में जरूर कदम आगे बढ़ायेंगे। स्पीकर सर, इसी के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मेरी एक आपसे स्पैशल रिकवैस्ट है कि मैं हरियाणा प्रदेश की पॉपुलेशन के हिसाब से एक सबसे बड़े विधान सभा क्षेत्र से आता हूं लेकिन आज तक मेरा एक भी प्रश्न नहीं लगा है। जो ड्रॉ के माध्यम से क्वैश्चंज को लगाने की प्रक्रिया है यह तो एक प्रकार से तुक्के वाली बात है। अगर यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं होगी। मैं तो यही चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके ईलाके की कोई समस्या हो और वह क्वैश्चन के माध्यम से उसको यहां पर न उठा पाये। इस प्रक्रिया के चलते अगर पूरे पांच साल भी ड्रा में मेरा नाम नहीं आया तो मैं अपने हल्के की समस्याओं को कैसे उठा पाउंगा?

**श्री अध्यक्ष** : राकेश जी, ऐसी बात नहीं है कि किसी भी मैम्बर का क्वैश्चन ड्रॉ में न निकला हो। हां, यह अवश्य हो सकता है कि आपका कोई क्वैश्चन लगा हो और वह कवैश्चन लिस्ट में 15वें या 16वें नम्बर पर हो। मेरा यही कहना है कि कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसका एक या दो क्वैश्चन लिस्टिड न हुए हों। (शोर एवं व्यवधान) जो भी माननीय सदस्य इसकी जानकारी लेना चाहे मैं उसको दिखा दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) इसके बावजूद भी अगर आप सभी मैम्बर्स क्वैश्चन को सिलैक्ट करने की वर्तमान प्रक्रिया को बदलने के लिए अपने सुझाव देंगे तो उसके ऊपर विचार कर लिया जायेगा। इसमें मुझे तो कोई समस्या नहीं है।

**श्री राकेश दौलताबाद** : ठीक है सर। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

**डॉ. बिशन लाल (रादौर)** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि यहां हाउस में मच्छर बहुत ज्यादा हैं और काट रहे हैं इसलिए हाउस में

मच्छरों की दवाई का स्प्रे करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में एक इच्छा थी कि जब भी मुझे बजट पर बोलने के लिए समय मिले तो उस समय उप–मुख्यमंत्री श्री दुष्यन्त चौटाला जी सदन में उपस्थित हों और वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई है। सौभाग्य से उप–मुख्यमंत्री जी यहां सदन में उपस्थित हैं। अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले उप–मुख्यमंत्री जी मेरे जिले में विजिट करके आये हैं। मुझे इनकी जानकारी नहीं मिल पाई नहीं तो मैं इनका बुके देकर अच्छी तरह से स्वागत करता, खाना खिलाता और इनके स्वागत में कुछ आदमी भी इकट्ठे करता। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मुझे सेवा का दोबारा मौका दें। मैं आपके माध्यम से इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जैसे उप–मुख्यमंत्री जी वहां पर आयेंगे तो मैं इनको मेरे विधान सभा क्षेत्र की 100 सड़कों के नाम लिख कर दूंगा ये उन पर भी जा कर देख लें। सड़कों का सदन में बहुत जिक्र हुआ है। नैशनल हाईवे का भी जिक्र हुआ है तथा स्टेट हाईवे का भी जिक्र हुआ है। ये अभी वहां पर विजिट करके आए हैं तो ये अच्छी–अच्छी सड़कों पर घूम कर आए हैं। इनको जहां–जहां भी जाना था अधिकारी इनको अच्छी सड़कों से लेकर गये हैं और जहां पर सड़कें टूटी हुई भी थी वहां पर भी अधिकारियों ने रातों–रात बोर्ड लगा दिए कि कार्य प्रगति पर है। मैं इनको 100 सड़कों के नाम दूंगा ये एक सड़क को सलैक्ट कर लें और 15–20 मिनट का चक्कर लगा कर आएं और अपनी गाड़ी के चारों शीशे खुले रखें। जब ये घूम कर आयेंगे उस समय अगर इनके कपड़ों, बालों, गाड़ी और चश्में पर एक–एक सेंटीमीटर धूल न जम जाए तो मेरा नाम बदल देना।

**शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि यमुनानगर जिले में ऐसी एक भी सड़क नहीं है। ऐसी सड़कें कांग्रेस सरकार के समय में होती थी।

**डॉ. बिशन लाल:** अध्यक्ष महोदय, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कलाकारी के साथ रखी हैं उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी की सराहना करता हूं। इसी प्रकार से ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर लाने के लिए भी चिन्ता व्यक्त की गई है तथा इसके लिए जगह–जगह पर गड्ढे खोदे जायेंगे और इन गड्ढों में जो पानी इकट्ठा होगा उससे ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर लाने के लिए प्रयास किए जायेंगे। तालाबों की सफाई भी की जायेगी तथा उसके लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक हमारी दादूपुर–नलवी नहर है जिसका सिलसिला आज से शुरू

नहीं हुआ है। जब 1980 में चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी तब से यह सिलसिला चला आ रहा है। उस समय शाहबाद से हमारे एक विधायक होते थे कॉमरेड हरनाम सिंह उन्होंने यह बात रखी थी कि ग्राउंड वाटर लेवल नीचे से नीचे जा रहा है। आज हमारे एरिया में ग्राउंड वाटर का लेवल 130 से 170 फीट नीचे चला गया है। यह एक सोचने का विषय है। इस दादूपुर–नलवी नहर का सिलसिला पुराना चला आ रहा है। चौटाला साहब ने अपनी सरकार के समय में इस नहर के लिए सर्वे करवाया था और 830 एकड़ जमीन एकवायर करवाई थी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं भी मानता हूं कि इस नहर के लिए यह जमीन शुरू में चौधरी देवी लाल के समय में ही एकवायर हुई थी। उसके बाद यह 830 एकड़ जमीन चौटाला साहब के समय में ही एकवायर हुई थी। (शोर एवं व्यवधान) मेरे पास सारी आर.टी.आई. है लेकिन उसमें किसी किसान को पैसा नहीं दिया गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। उस समय मैं चौटाला साहब की पार्टी में था। कांग्रेस सरकार ने फिर दोबारा सर्वे करवाया और उसमें किसानों को एकड़ के हिसाब से पैसे दिये गये । किसान कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट ने किसानों के हक में यह फैसला कर दिया कि किसानों को उस जमीन का जो 5,84,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था वह कम था । उसके बाद अब बी.जे.पी. की सरकार ने उस जमीन का मुआवजा देने का फैसला 2883 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कर दिया कि किसान को 2883 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। सर, यह बी.जे.पी. की सरकार तो किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार ने किसानों को पैसे देने की बजाए इस नहर को बन्द करने का निर्णय ले लिया है।

15:00 बजे

**िक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल)** : अध्यक्ष महोदय, कैग ने भी यह कह दिया है कि यह योजना निष्फल है। क्या कैग भी हमारी पार्टी की है? सैनी साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में इस नहर के लिए 2247 एकड़ जमीन चाहिए थी और उस समय सरकार ने 1020 एकड़ जमीन एकवायर की थी। जो आगे पानी बंटना था उसके लिए आपकी सरकार ने जमीन एक्वायर ही नहीं की तो वह पानी कहीं गया ही नहीं। वहां किसानों ने ये कहा कि आप बरसात में पानी दे रहे हैं। बरसात में तो हमारे पास पर्याप्त पानी है तो फिर सरकार पानी किस लिए दे।

**श्री बि□ान लाल सैनी** : अध्यक्ष महोदय, मैं भी वहीं रहता हूं। मंत्री जी ने इस नहर को बन्द करने के कारण नहीं बताए कि वह बन्द क्यों की गई है? सरकार ने उस नहर को बन्द करने के तीन कारण बताए हैं। मेरे पास भी यह रिकॉर्ड इरीगेशन विभाग से आर.टी.आई. के माध्यम से आया है। इसमें पहला कारण लिखा है कि इस नहर को ज्यादा तोड़

मरोड़ कर बनाया गया है। जबकि जो कच्ची नहर होती है वह ग्राउंड वाटर लैवल को ऊपर बढ़ाने में सहयोगी होती है उसमें जितना तोड़ मरोड़ होगा उतना ही ज्यादा वाटर रिचार्जिंग होता है। यह नहर खेतों में पानी देने के लिए नहीं थी। यह नहर जमीन के चौवा के लैवल को बढ़ाने के लिए थी। इसका दूसरा कारण यह बताया गया कि ब्योहली गांव के लोगों ने इस पर एतराज किया है जबकि उस गांव की न तो कोई जमीन इस नहर में एकवायर हुई है और न उनको पैसे चाहिएं तथा न उनको एतराज है। इस तरह से झूठे–मुठे किसान पेश करके उनका एतराज लिखवा लिया। यह कारण रहा है। इसको बन्द करने का असली कारण यह है कि कोर्ट के आदेशों के मुताबिक सरकार को ज्यादा पैसे किसानों को देने पड़ेंगे। मैंने यह रिकॉर्ड आर.टी.आई. के माध्यम से इरीगेशन विभाग से लिया है। उन्होंने लिखा है कि इस नहर के बनने से जलाब नगर, बटौली, हरिपुर जाटान, अटैल खेड़ा, सुडेल इत्यादि बहुत से गांवों में भूमि के जल स्तर में सुधार हुआ है।

**श्री कंवर पाल** : अध्यक्ष महोदय, हमने हुड्डा साहब से पूछा था कि लोगों में इस नहर के प्रति क्या प्रतिक्रिया है? आज इस नहर के बन्द होने से लोग बिल्कुल खुश हैं।

**श्री बि□ान लाल सैनी** :अध्यक्ष महोदय, इस नहर के होने से भू–जल नीचे जाने से रूका है। जब इस नहर का लोगों को फायदा है तो सरकार इस नहर को बन्द क्यों कर रही है?

**श्री अध्यक्ष** : सैनी साहब, आप सम अप कीजिए।

**श्री बि□ान लाल सैनी** :अध्यक्ष महोदय, यह नहर तो हमारे तीनों–चारों जिलों की एक लाईफ लाईन है जिसको सरकार ने बन्द कर दिया है। जहां–जहां से भी इस नहर ने जाना था वह रादौर, सढ़ौरा, शाहाबाद और लाडवा का एरिया है। वहां के लोगों ने बी.जे. पी. की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया है क्योंकि इस नहर को बन्द करके सरकार ने वहां के लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया है। इसलिए तो वहां के लोगों ने सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया है। सरकार ने इस बनी बनाई नहर को बन्द किया है। मेरा इस बात का दावा है ।

**श्री कंवर पाल** : अध्यक्ष महोदय, दादूपुर यमुनानगर विधान सभा क्षेत्र में है और तेलीपुरा मेरे जगाधरी विधान सभा क्षेत्र में है।

**श्री बि□ान लाल सैनी** :स्पीकर सर, एक दिन ऐसा आएगा कि यह नहर दोबारा फिर से चलेगी। देख लेना और सरकार ही इसको चलायेगी क्योंकि डार्कजोन में ग्राउंड वाटर लैवल को ऊपर उठाने का इससे बढ़िया साधन नहीं है और हमारा एरिया डार्कजोन में आता है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मेरे हल्के की कुछ डिमांड्स हैं। एस.के. रोड को फोर लेन किया जाए। जठलाना गांव को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए।गुमथला या जठलाना में पी.एच.सी. बनाई जाए और वहां ट्रामा सैंटर भी बनाया जाए। गुंदियाना गांव को रादौर तहसील से हटाकर मुस्तफाबाद तहसील के साथ लगाया जाए। किसानों का बैंकों का ब्याज भी माफ किया जाए। गरीबों के 100–100 गज के प्लॉट दोबारा से कटने शुरू होने चाहिएं और रादौर शहर में 100 बैड का होस्पिटल मुख्यमंत्री जी ने अनाऊंस किया हुआ है उसको भी बनाया जाए। धन्यवाद।

**श्री प्रमोद कुमार विज (पानीपत भाहर):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मुझे थोड़ी देर पहले यहां पर बैठे हुए मुन्ना भाई एम.बी.बी.एम मूवी का वह सीन याद आ रहा था जिसमें एक स्टूडेंट प्रिंसिपल से कहता है कि what is the procedure to change the room और उसी परिपेक्ष्य में मैं यह सोच रहा था कि what is the procedure to speak in this House? अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले तीन दिन से लगातार आपको बोलने संबंधी इजाजत देने के लिए प्रार्थना कर रहा था लेकिन मुझे यह मौका नहीं मिल रहा था जबकि सदन के एक नए सदस्य को सदन में बोलने का मौका जरूर देना चाहिए था। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** प्रमोद जी, आप सदन में पहले भी बोल चुके हैं और इसका मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, इसलिए आप मुझ पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री प्रमोद कुमार विज:** अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के उपर बोलने के बारे में कह रहा था। अब मैं विषय पर आता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री होने के नाते एक बहुत सुंदर बजट इस सदन में पेश किया। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा। चाहे कृषि क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो सभी को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है और इस बजट में सभी विषयों को डाटा के साथ प्रस्तुत किया गया है परन्तु बावजूद इसके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा उप मुख्यमंत्री जी जोकि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी हैं, का ध्यान इंडस्ट्रीज जैसे एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर हैरानगी हो रही है कि सदन के किसी

भी सदस्य ने इस अति महत्वपूर्ण विषय पर अब तक कोई बात नहीं रखी है। ठीक है कि प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां पर सबसे बड़ा रोजगार कृषि क्षेत्र से ही आता है लेकिन बावजूद इसके इंडस्ट्रीज इसके बाद नम्बर दो पर आने वाला वह क्षेत्र है जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं पानीपत से संबंध रखता हूँ। पानीपत अपनी टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत विख्यात है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं बजट पढ़ रहा था तो पाया कि इसमें 349.30 करोड़ रूपये का प्रावधान इंडस्ट्रीज सैक्टर के लिए किया गया है तो उद्योगपति होने के नाते मुझे लगा कि शायद प्रिंटिंग प्रैस की मशीन की गलती से बजट में यह खामी तो नहीं रह गई जिसकी वजह से एक जीरो या दो जीरो इस फीगर के पीछे लगना रह गई हो। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि चॉयना में जिस तरह से कोरोना वायरस की प्राब्लम चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में पानीपत के उद्योगों को उबारने में यह अवसर किसी महत्वपूर्ण अवसर से कम नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, पानीपत ही नही बल्कि प्रदेश में सभी जगह जो एक्सपोटर्ज हैं इनको फ्रेट सब्सिडी दी जाती है लेकिन बहुत ही सिलेक्टिड लोगों को यह सब्सिडी दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, पानीपत से या हरियाणा से बंदरगाह पर माल भेजने का किराया बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हम लोग उन स्टेट्स के लोगों के साथ कंपीट नहीं कर पाते जोकि बंदरगाह के बहुत नजदीक होते हैं क्योंकि बंदरगाह पर माल भेजने से लगभग 4 से 5 परसेंट टैक्स का खर्चा बढ़ जाता है। अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि निर्यातक को कम से कम 1 परसेंट की सब्सिडी फ्रेट पर दी जाये ताकि हम और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकें। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1966–67 में हरियाणा का एक्सपोर्ट 4.45 करोड़ रूपये था जो आज बढ़कर 98000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। अतः अध्यक्ष महोदय, इस परिपेक्ष्य में मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पानीपत को एक विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि औद्योगिक नगरी पानीपत को 500 करोड़ का पैकेज दिया जाये तो मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूँ कि अगले तीन साल के अंदर पानीपत का उद्योग हर साल आपको 5 से 7 हजार करोड़ का एक्स्ट्रा टैक्सिज, चाहे यह जी.एस.टी. के रूप में हो चाहे इंकम टैक्स के रूप में हो, वापिस करके लोटाने का काम करेगा। औद्योगिक नगरी, पानीपत इस समय सरकार के इस योगदान की अपेक्षा रखता है। इसके अतिरिक्त मैं उद्योग से जुड़े एक अति महत्वपूर्ण विषय की और भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह यह है कि हमारे यहां पर एग्जिबिशन सैंटर नहीं है। अगर विदेश से मशीनरी से संबंधित लोग हमारे यहां आते हैं तो हम

अनाज मंडी में टैंट लगाकर एग्जिबिशन का प्रावधान करते हैं जबकि जरूरत इस बात की है हमारे पास बहुत सुंदर एग्जिबिशन सैंटर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब पानीपत से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो पायेंगे कि यहां का जो औद्योगिक क्षेत्र है वह सारा का सारा लैफ्ट हैंड साइड है जबकि हमारे यहां जो फॉयर स्टेशन है वह बहुत पुराना है और राइट हैंड साइड पर है और इस जगह से यदि फॉयर स्टेशन से गाड़ियों को बुलाना पड़ जाये तो ट्रैफिक की समस्या के कारण फॉयर स्टेशन की गाड़ियां समय पर घटना स्थल पर नहीं पहुंच सकेंगी। अतः मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि पानीपत में एक नया फायर स्टेशन ऐसी जगह पर बनाया जाये जहां से आपातकाल की अवस्था में फॉयर स्टेशन की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंच सकें। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं अब एक और प्रार्थना करना चाहूंगा और वह यह है कि जो ऐंकर यूनिट्स होती है अर्थात जो यूनिट्स 100 करोड से ज्यादा की इंवेस्टमेंट करती हैं उनको कैपिटल सब्सिडी दी जाती है जबकि मेरी प्रार्थना यह है कि यह सब्सिडी उन उद्योगों को भी दी जाये जोकि 25 से 50 करोड़ की इंवेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ साथ मैं यह प्रार्थना भी करूंगा कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसको देखते हुए असंध–गोहाना रोड पर जो आर0यू0बी0 है उसका नव निर्माण किया जाये या उसको रैनोवेट किया जाये। इसी तरह से जाटर रोड पर आर0यू0बी0 है उसका भी नवनिर्माण किया जाये। एन0एच0ए0आई0 की पानीपत की सड़क का बहुत बुरा हाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी किस भी तरह से एन0एच0ए0आई0 वालों से बातचीत करके वहां की समस्या को सुलझाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पानीपत की ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए बजट में पानीपत के 500–600 करोड़ रुपये का प्रावधान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिन्द।

**श्री जोगी राम सिहाग (बरवाला)** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से समय के अभाव के कारण बजट पर न बोलकर सबसे पहले अपने हल्के की समस्याओं के बारे में सदन को बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय 'सबका साथ–सबका विकास' की नीति के तहत सवा पांच वर्ष से लगातार विकास के काम कर रहे हैं। पिछली टर्म में माननीय मुख्यमंत्री महोदय दो बार बरवाला गए थे और करोड़ों रुपये की विकास की सौगातें देकर गए थे। अब दूसरी बार 100 करोड़ रुपये की विकास की सौगातें देकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री

महोदय से कहना चाहता हूँ कि बरवाला हल्के के विकास के लिए जो ग्रांटें दी हैं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने हल्के की जनता की तरफ से बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा कि बरवाला शहर की आबादी लगभग 50–60 हजार है और वहां पर कोई भी महिला कॉलेज नहीं है। सरकार की पॉलिसी के मुताबिक 20 किलोमीटर के दायरे में भी कोई भी महिला कॉलेज नहीं है, इसलिए हमारे हल्के में महिला कॉलेज जरूर से जरूर बनवाया जाये। बरवाला शहर के अंदर बरसात के दिनों में बस स्टैण्ड पूरी तरह से पानी से भर जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए बरवाला में नया बस स्टैण्ड का निर्माण होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में नगर पालिका की बिल्डिंग ऐसी है अगर आदमी एक घंटा भी बैठ जाता है तो यह सोचने लग जाता है कि कहीं छत गिर न जाये, इसलिए नगर पालिका की नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की बात करूं तो उसका भी बहुत बुरा हाल है। हमारे यहां किसी कारण से 5–7 दिन नहर बंद हो गई और पानी के लिए हाहाकार मच गया। सरकार की पॉलिसी के अनुसार 135 एम0एल0डी0 पानी मिलना चाहिए लेकिन हमारे बरवाला हल्के में 55 एम0एल0डी0 पानी भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपयों की सौगातें देने के बाद भी बरवाला क्षेत्र विकास के मामले में अभी भी पीछे है। बरवाला क्षेत्र के प्रत्येक गांव के जल घरों की मुरम्मत करवाई जाये। आज से 5–6 दिन पहले थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, हमारे क्षेत्र के लोगों ने अखबारों के माध्यम से तंज कसे थे कि देखो बरवाला क्षेत्र का विकास जिसमें करोड़ों रुपयों की सौगातें देने के बाद भी शहर में पानी बह रह है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे बरवाला शहर में मेन लाइन 6 फुट डलवाने का काम करें ताकि आने वाले समय में बारिश का पानी आसानी से उतर जाए । अब मैं शिक्षा पर बात करना चाहूंगा । मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि बरवाला में रविदास बस्ती में पिछले 8–10 सालों से बना हुआ एक स्कूल है । उस स्कूल को अपग्रेड करने की बात तो बहुत दूर है उस स्कूल की आज तक चारदीवारी भी नहीं की गई है । वह स्कूल शुरूआत में जैसा बना था वह आज भी वैसा ही है । उस स्कूल को आज तक किसी भी प्रकार की ग्रांट नहीं मिली है । इसका कारण यह है कि उस स्कूल को आज तक कोड नंबर नहीं मिला है । इस बारे में मैंने माननीय मंत्री जी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी बात की है कि उस स्कूल को कोड नंबर दिलवा दीजिए ताकि उसको फंड मिल सके और उसका सुधार हो सके तथा वह अपग्रेड हो सके ।

वहां पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं । मेरी प्रार्थना है कि उसको बनवा दिया जाए । अब मैं बजट पर आता हूं । मैं केवल एक इशू पर बोलना चाहूंगा ।

**श्री अध्यक्ष** : जोगी राम जी, आपको बोलते हुए 5 मिनट हो गए हैं ।

**श्री जोगी राम सिहाग** : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने एक काम ऐसा किया है जो हिन्दुस्तान में आज तक पहले कभी नहीं हुआ था । माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में सरकार द्वारा प्री–बजट डिस्कशन पर सभी माननीय सदस्यों से सुझाव मांगे गए। यह बहुत अच्छी बात थी । उसकी वजह से सभी विधायकों को बजट पर अपने सुझाव रखने का समय मिला इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद करता हूं । उन्होंने एक नई परम्परा चलाकर इस देश में एक उदाहरण पेश किया है ।

**श्री अध्यक्ष** : जोगी राम जी, अब आप बैठिये ।

**श्री जोगी राम सिहाग** : अध्यक्ष महोदय, अब मैं लाल डोरे पर बोलना चाहता हूं । इस विषय पर सदन में कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोला है । मैं इसके लिए सिर्फ एक मिनट लूंगा । यह बात इस प्रदेश के आने वाले भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है । जो ग्रामीण आंचल में लाल डोरा था सरकार ने पता नहीं किस अधिकारी की सलाह से उसको कैंसिल कर दिया है । मेरा आग्रह है कि लाल डोरे को पुनः लागू किया जाए नहीं तो ग्रामीण आंचल में रहने वाली जनता का बहुत बुरा हाल हो जाएगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं । आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए । सत्ता पक्ष का काम बजट की बढ़ाई करना होता है और विपक्ष का काम बजट पर नोकझोंक करना होता है । अध्यक्ष महोदय, आप अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : जोगी राम जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है । अतः अब आप बैठिये ।

**श्री लक्ष्मण नापा (रतिया) (अ.जा.)** : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सबका साथ सबका विकास के तहत सदन में एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है । सरकार ने बजट बहुत अच्छा बनाया है क्योंकि इसमें कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है । बजट में एक बहुत ही अच्छा प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में पराली खरीद केंद्र बनाए जाएंगे । यह सरकार का एक अच्छा कदम है । मैं अब अपने हल्के की बात रखूंगा । मेरे क्षेत्र रतिया में प्रदेश में धान की सबसे

ज्यादा फसल होती है । अब प्रदेश में 4 हजार प्ले स्कूल खोलने की बात कही गई है जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों का दाखिला किया जाएगा । सरकार का यह भी एक अच्छा कदम है । पहले 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होता था । अब प्रदेश में 4 हजार प्ले वे स्कूल खोलने की बात कही गई है । सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत प्रतिदिन दूध, लड्डू, पिन्नी आदि दी जाएगी । अध्यक्ष महोदय, जो हमारा रतिया शहर है वह घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है । उस नदी में बहुत ही प्रदूषित पानी बहाया जा रहा है लेकिन अब हरियाणा सरकार ने बजट में भी प्रावधान किया है कि उस पानी को साफ किया जाएगा। अभी नगरपालिका ने 24.2 एकड़ का एक नहरी जलघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करूंगा कि संबंधित जलघर बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2012 में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी और उसके लिए साढ़े 6 एकड़ जमीन खेल विभाग के नाम भी हो चुकी है। उसको भी बनाया जाए। रतिया में बाईपास का निर्माण करवाया जाए क्योंकि वहां पर ट्रैफिक काफी बढ़ चुका है। हमारे वहां पर डनसिंग चौक है जहां पर ट्राफिक की अव्यवस्था के कारण रोज लड़ाई–झगड़े होते रहते हैं। कल भी वहां पर एक झगड़ा हुआ था, इसलिए चाहे रतिया में टोहाना रोड पर या बुढ़लाडा रोड से एक बाईपास बनाया जाए। रतिया में एक एडिशनल मंडी बनायी जाए। एक अनाज मंडी का प्रोसैस पहले से चल रहा है और संबंधित विभाग के अधिकारी श्री जे. गणेशन जी भी यहां पर बैठे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्कम 2–3 मंडियों से होती है। उसमें रतिया की मंडी भी शामिल है, लेकिन वहां पर सफाई और बाथरूम का बहुत बुरा हाल है। वहां पर किसानों के बैठने की सुविधा नहीं है। अभी नागपुर नया ब्लॉक बना है। वहां पर गर्ल्ज कॉलेज के लिए पंचायत ने रिजोल्यूशन पास करके भेज दिया है, इसलिए वहां पर एक गर्ल्ज कॉलेज बनाया जाए। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण विषय है, जो किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं उठाया। हमारे माननीय सदस्य श्री ईश्वर सिंह जी ने संबंधित विषय को उठाया है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 प्रतिशत बजट बढ़ना चाहिए। यह कम से कम 27,000–28,000 करोड़ रुपये का बजट होना चाहिए और इसमें हमारी यही मांग है कि एस.सी. कैटेगरी के स्पैशल कम्पोनेंट प्लान को लागू किया जाए। तेलंगाना राज्य में जब श्री सी.एस. राव मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि एस.सी. कैटेगरी के बजट खर्च क्यों नहीं किया गया ? इसके बाद तेलंगाना की सरकार ने एक्ट बनाकर विधान सभा में पास किया और उसको लागू किया। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मुख्य

मंत्री जी ये सब बातें कर देंगे तो अगली बार 75 के पार सीटें हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने सबके लिए आवास योजना बनायी है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं जो गरीबों के लिए, अनुसूचित जातियों और घूमंतू जाति के लोगों की भलाई के लिए भी काम करते हैं। (घंटी) माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी गरीब लोगों के लिए आवास बनाने की घोषणा की है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं।

**श्री आफताब अहमदः** अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी पार्टी की तरफ से भी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए मौका दिया जाए।

**श्री अध्यक्षः** आफताब जी, आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया जाएगा। प्लीज, आप बैठ जाएं।

**श्री घनश्याम सर्राफ (भिवानी):** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। सरकार ने बजट बनाने से पहले प्री बजट सम्मिट करवायी थी, उसमें एक दिन तो 55 से 65 की संख्या में माननीय विधायकगण उपस्थित हुए थे। सभी माननीय विधायकों ने अपनी–अपनी बात रखी। इससे हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा चरितार्थ होता है और सभी माननीय विधायकों के सुझाव इस बजट में शामिल किये गये हैं। कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं कह सकता है कि उसके सुझाव को काम बजट में शामिल नहीं किया गया। सबका साथ, सबका विकास, के नारे को लेकर हम पूरे प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला समय सुनहरा होगा। हमारे धर्म गुरूओं ने बताया है कि 'वसुधैव कुटुम्बकम'। यह ऐसा नारा है जिसमें सारे विश्व के बारे में यह कहा गया है कि सारा विश्व एक परिवार के रूप में है। जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी काम कर रहे हैं वह अति सराहनीय काम है। मैं किसानों के बारे में बताना चाहूंगा कि आज भी उनको मुआवजा देने की बात चल रही थी। हमारी सरकार ने 5 वर्ष में 3500 करोड़ रुपये के लगभग मुआवजा सीधे किसानों के खाते में डाला है। इसमें कुछ मुआवजा पिछली सरकारों का भी पैंडिंग था और कुछ उससे पिछली सरकारों का भी पैंडिंग था। मैं किसानों के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि जिसके पास 5 एकड़ तक जमीन है, उनको आयुष्मान योजना में शामिल किया गया है और 3 लाख रुपये तक के ऋण में ब्याज माफी की घोषणा की गयी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने का निर्णय लिया है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार

इसमें दो कदम आगे बढ़ी है। इसी तरह से हमारी सरकार ने बाजरे के रेट भी दोगुने से भी अधिक देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, पहले सरसों के रेट 3100 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल हुआ करते थे लेकिन आज हमारी सरकार ने सरसों के रेट में 4000 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया है। हमारे कृषि मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल जी ने माईक्रो इरीगेशन के लिए एक सिस्टम बनाया है इस सिस्टम के तहत किसानों को सिंचाई करने के लिए ड्रिप (टपका विधि) और स्प्रिंकल (फव्वारा विधि) के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना भी सरकार ने बनाई है। इस योजना का पूरा फायदा प्रदेश के सभी किसानों को मिल पायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कक्षा आठवीं को बोर्ड पैटर्न पर करने का काम करें और अभी हाउस में श्री राम कुमार जी ने एक बात कही थी कि कक्षा पांचवीं के विद्यार्थियों की परीक्षा ब्लॉक स्तर पर करने का काम किया जाये। मैं समझता हूं कि इस प्रकार हमारे बच्चों की शिक्षा में काफी सुधार आयेगा क्योंकि आज पढ़े लिखे का जमाना है और जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार हमारी सरकार ने पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन करने का काम भी किया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रदेश में तीन से पांच वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए 4000 प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का एक पायलट प्रोजैक्ट 25 दिसम्बर, 2019 को करनाल जिले के गांव सिरसी से शुरू किया था। जिन व्यक्तियों की लाल डोरा के अंदर भूमि या सम्पति आयेगी उसकी रजिस्ट्री उनके मालिकों को देने का काम किया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : घनश्याम जी, अब आप सम–अप कीजिए।

**श्री घन□याम सर्राफ** : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। हमारे भिवानी अस्पताल में पहले प्रतिदिन लगभग 500 मरीज ओ.पी.डी. के लिए आते थे लेकिन आज उन मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 2500 हो चुकी है। मैं समझता हूं कि इसमें भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

**श्री अध्यक्ष** : घनश्याम जी, प्लीज आप बैठ जायें।

**श्री घन□याम सर्राफ** : अध्यक्ष महोदय, मेरी अभी कुछ बातें कहने से रह गई हैं।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है घनश्याम जी, आप उनको लिखकर दे दीजिए, उनको प्रोसीडिंग्स का पार्ट बना दिया जायेगा।

***श्री घन□याम सर्राफ :** ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा स्वास्थ्य के बारे में सदन में यह बताना चाहूंगा कि कैथ लैब सेवाएं चार जिला अस्पतालों में, एम.आई.आर.

---

***चेयर के आदे□ानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया गया।**

की सेवाएं, चार जिला अस्पतालों में तथा सी.टी. स्कैन की सुविधा 17 जिला अस्पतालों में उपलब्ध करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हू। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा जिला भिवानी, जींद, महेन्द्रगढ़ तथा गुरूग्राम में चार और सरकारी मैडिकल कॉलेज खोलने का काम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि लघु सचिवालय के सामने बासिया भवन से जी.एम.एच., सड़क का निर्माण करवाया जाये, वहां पर जे.बी.टी. का सैंटर भी खोलने का काम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारे भिवानी जिले का नाम खेलों के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर अंकित है इसलिए वहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये। इसी तरह से मत्स्य फार्म की जगह गौ–संवर्धन एवं लोहारु रोड सीमैन सैंटर में जिला स्तरीय पशु अस्पताल तक सड़क का निर्माण करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं भिवानी विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख मांग रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे भिवानी जिले में सीवर व्यवस्था वर्ष 1972–1974 से बनी हुई है, इसलिए वहां पर नई सीवर व्यवस्था बनाने का काम जल्दी से जल्दी किया जाये। वहां पर पेयजल की समस्या भी बहुत गंभीर है इसलिए वहां पर पेयजल की आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने का भी काम किया जाये। मेरे भिवानी शहर में ऑटो मार्किट और मीट की दुकानें बनी हुई हैं उनको हटाने की व्यवस्था करने का काम किया जाये। इसी तरह से वहां पर कच्ची गलियों को भी पक्का करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिले में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाने की घोषणा की थी इसलिए वहां पर सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाने का भी काम किया जाये। वहां पर कुछ जगह खाली पड़ी हुई है इसलिए वहां पर पार्क या दुकानें बनाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिले में कोई उद्योग नहीं है वहां पर ऐसा उद्योग स्थापित करने का काम किया जाये जिसमें 5000 से 6000 मजदूरों को रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं भिवानी विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कों के बारे में बताना चाहूंगा कि तिगड़ाना मोड़ से निनाणा तक बाईपास बनाने का काम किया जाये, लोहारू रोड तक का बाईपास बनाने का काम किया जाये, रिंग रोड एन.एच. 709–ई. का कार्य पूर्ण रूप से

करवाया जाये, नालों का निर्माण या जो मुख्य मार्ग हैं उनका निर्माण करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मानेहरू रेलवे स्टेशन से मधमाधी तक नई सड़क का निर्माण करवाया जाये, भिवानी शहर की सभी रोड्ज की कारपेटिंग करवाने का काम किया जाये, शिक्षा बोर्ड से लेकर अग्रसैन चौक, रोहतक गेट तक सड़क के दोनों और फुटपाथ बनवाये जायें। जो एन.एच.ए.आई. जींद के अंतर्गत आती है, उसका निर्माण करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बैंक स्कवेयर का निर्माण किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसके लिए हमारे पास नेहरू पार्क में टैक्सी स्टैंड की जगह उपलब्ध है इसलिए वहां पर बैंक स्कवेयर बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट अभिभाषण पर बोलने का समय दिया मैं उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

**श्रीमती रेनु बाला (सढ़ौरा) (ए.सी.)** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं लेकिन मेरे मन में एक निराशा है, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूं, मैंने सदन में चार क्वैश्चन लगाये थे, उसमें से मेरा एक भी क्वैश्चन नहीं लगा। जिस दिन से सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, उस दिन से आपने मुझे बोलने का कोई मौका नहीं दिया जबकि मेरा नाम लिस्ट में डेली भेजा जाता था। अध्यक्ष महोदय, आपके मुख से मेरा नाम सुनने के लिए कान तरस गये थे आखिर आज आपने मुझे बोलने का मौका दे ही दिया। मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : रेनु बाला जी, मुझे जिस क्रम में सदस्यों के नाम संबंधित पार्टी के लीडर लिखकर भेजते हैं, मैं सदस्यों को उसी क्रम के अनुसार बोलने का मौका देता हूं।

**श्रीमती रेनु बाला** : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम तो आपको हमेशा ही भेजा जाता था लेकिन आपके पास पहुंचते–पहुंचते पता नहीं कहां गुम हो जाता था।

**श्री अध्यक्ष** : रेनु बाला जी, आपकी पार्टी के कुछ सदस्य लगातार 35 मिनट तक बोले हैं और मैंने उनको यह भी कहा था कि आपकी पार्टी के बाकी सदस्यों को आगे दिक्कत आयेगी लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया।

**श्रीमती रेनु बाला** : अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के बारे में बाद में बात करूंगी लेकिन मेरे हल्के की कुछ समस्याएं हैं, उनको आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बताना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं हल्के सढौरा से चुनकर आई हूं। यह एक पिछड़ा हुआ एरिया है लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रदेश में ही

नहीं बल्कि देश में भी अपनी पहचान बनाये हुए है। मेरे क्षेत्र में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चाहे वह कपाल मोचन हो, चाहे वह लोहगढ़ गुरूदवारा साहिब हो, चाहे वह आदिबद्री हो, चाहे वह सरस्वती नदी हो और चाहे वह उद्गम जैसे पवित्र स्थल आदि हो, ये सब स्थल हमारे प्रदेश की शान बढ़ाते हैं लेकिन क्षेत्र की जनता अभी भी अपनी मूलभूत जरूरतों से वंचित है, इस क्षेत्र के दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बरसात के दिनों में कस्बों व शहरों से कट जाते हैं और उनको अपनी दिनचर्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए मीलों दूर तक का सफर करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को अवगत करना चाहती हूं कि मेरे हल्का सढ़ौरा में गांव राजपुर, शहजादपुर तथा मद्दीपुर के पास नदी पर पुल बनाया जाये। वहां पर पुल न होने की वजह से लोगों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी भी भली प्रकार से वाकिफ हैं।

.....

## बैठक का समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्ष** : यदि हाउस की सहमति हो सदन की बैठक का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

**आवाजें** : ठीक है जी।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है, सदन की बैठक का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

## वर्श 2020–21 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

**श्रीमती रेनु बाला** : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने अपने हल्के के उपरोक्त गांवों के पास नदी के ऊपर पुल का निर्माण करने की बात कही है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि वहां पर मात्र एक किलोमीटर की एक सड़क का भी निर्माण करवाया जाये जिससे वहां पर दर्जनों गांवों को आपस में जोड़ा जा सकता है। वहां पर पुल और सड़क बनने से बरसात के दिनों में भी वहां के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहां पर पुल न होने से लोगों को बड़ी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर बीमारी के ईलाज के लिए और गर्भवती महिला अगर उनको कहीं जाना पड़े तो उनको 20 किलोमीटर ज्यादा का चक्र काटकर जाना पड़ता है इसलिए मेरी सरकार से बार–बार यही मांग है कि वहां पर पुल का निर्माण करवाना बेहद जरूरी है। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री अपनी सरकार के पहले कार्यकाल में 16 फरवरी, 2016 मेरे हल्के साढ़ौरा में गये थे और उस समय उन्होंने वहां पर 50 बैड का एक हॉस्पिटल बनाने की

उन्होंने घोषणा की थी लेकिन वहां पर जगह की कमी होने के कारण वहां पर 50 बैड के बजाये केवल 30 बैड का हॉस्पिटल ही बनाने की घोषणा की गई थी लेकिन वहां पर 30 बैड का हॉस्पिटल बनाने की बाबत भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करती हूं कि इस ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। साढ़ौरा में जो हॉस्पिटल अनाउंस किया हुआ है उसका निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाये। अध्यक्ष जी, जगाधरी से अम्बाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 पर थाना–छप्पर के पास जो चोराहा बना हुआ है वहां पर आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं जिससे वहां पर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वहां पर जल्द से जल्द फ्लाई ओवर का निर्माण करवाया जाये ताकि लोगों के जान माल की सुरक्षा हो सके। इसी प्रकार से जगाधरी से सढ़ौरा वॉया बिलासपुर सड़क जोकि स्टेट हाईवे है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अभी दो दिन पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी वहां पर गये थे यह बात डॉ. बिशन लाल सैनी जी ने भी बोली है कि उनको अंदर वाले रोड से ले जाया गया। अगर उनको बाहर वाले रोड से ले जाया जाता तो उनको मेरे हल्के की सड़कों के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाता। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव सरावा है। (विघ्न) वहां पर किसानों की पानी की वजह से 150 से 200 एकड़ जमीन में कटाव हो गया और उस पर खड़ी फसल भी खराब हो गई है। वहां पर एक महेश्वरी गांव है जिसमें बरसात के पानी की निकासी न होने के कारण फसल खराब हो रही है और खेतों का भी कटाव हो रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि मैंने अपने हल्के की जो समस्याएं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाने का काम किया है उनका जल्दी से जल्दी निवारण करवाया जाये। अध्यक्ष जी, अब मैं थोड़ा सा बजट पर बोलना चाहूंगी।

**श्री अध्यक्ष** : रेनु जी, अगर आपकी कोई बात रह गई है तो आप कृपया करके उसको लिखकर दे दें उसको हाउस की प्रोसीडिंग्स का पार्ट बना दिया जायेगा। अब आप कृपया करके बैठ जायें।

***श्रीमती रेनु बाला** : ठीक है जी। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि सढ़ौरा के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरा मैडीकल स्टॉफ उपलब्ध करवाया जाये। खास करके वहां पर एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति अवश्य की जाये। अध्यक्ष महोदय, सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बात करती है लेकिन मेरे हल्के के स्कूलों में आज भी अध्यापकों की भारी कमी है। कमी के बावजूद भी अध्यापकों से पढ़ाई के अलावा

अन्य कार्य जैसे कभी सर्वे, कभी चुनाव ड्यूटी तो कभी मिड–डे मील आदि कार्यों को करवाया जाता है। इससे साल में कम से कम तीन महीने यूं ही निकल जाते हैं।

---

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनाया गया।**

अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि अध्यापकों से पढ़ाई का ही कार्य करवाया जाये और पढ़ाई से अलग कार्य के लिए अलग स्टॉफ की भर्ती की जाये ताकि शिक्षा का कार्य बाधित न हो। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार यह भी सुनिश्ति करे कि जो लोक सरकारी नौकरी की मांग करते हैं या सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं चाहे वे चपरासी ही क्यों न हो, कर्मचारी हों या अधिकारी सभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ायें जिससे सरकारी स्कूलों में संख्या भी बढ़ेगी और शिक्षा में भी सुधार होगा। अध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार हर वर्ष एच.टैट. और सी.टैट. की परीक्षा लेती है लेकिन उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की भर्ती की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जे.बी.टी. की भर्ती कांग्रेस की हुडडा सरकार के समय में की गई थी लेकिन उसके बाद कोई भर्ती नहीं की गई जबकि बहुत से युवाओं ने एच.टैट पास किया हुआ है और उसकी वैधता भी समाप्ति पर है। अध्यापक पात्रता परीक्षा का तभी फायदा है जब भर्ती भी की जाये। अध्यक्ष महोदय जी, तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार युवाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। सक्षम युवा योजना के तहत जिन युवाओं को महीने में 100 घंटे का काम दिया जाता है जिससे उनको खुशी तो मिलती है लेकिन उनकी यह खुशी ढ़ाई–तीन महीने बाद ही कापूर हो जाती है क्योंकि ढ़ाई–तीन महीने बाद ही उनको हटा दिया जाता है। इससे उनको मानसिक पीड़ा होती है। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि युवाओं की गरिमा बनाये रखने के लिए उनको स्थाई नौकरी प्रदान की जाये।

**श्री लीला राम (कैथल) :** अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम तो आपने जो मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर चर्चा में विपक्ष के माननीय साथी भी चर्चा कर रहे थे परन्तु माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बड़े खुले दिल से इसी सम्मानित सदन के अंदर खड़े होकर कहा कि फलां मद पर श्री अमित सिहाग जी ने सुझाव दिया था, फलां मद

पर राव दान सिंह जी ने सुझाव दिया था, फलां मद पर वरूण चौधरी जी ने सुझाव दिया था। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधायकों का नाम लेकर के हरियाणा प्रदेश के बजट को जनोपयोगी बनाने के लिए उनके योगदान के बारे में सदन में जानकारी दी। ऐसा करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वह पूरे हिन्दुस्तान में अपनी तरह का पहला उदाहरण है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह काम काबिले तारीफ और सराहनीय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बजट के ऊपर चर्चा में सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का जो सपना है कि आने वाले पांच वर्षों में हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था फाईव ट्रिलियन डॉलर हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश का योगदान उसमें पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा होगा। वर्ष 2018–19 में 98,570. 24 करोड़ रुपये का निर्यात में हरियाणा का योगदान रहा है तथा वित्त वर्ष 2019–20 में हरियाणा का निर्यात बढ़ कर एक लाख करोड़ से भी अधिक हो जायेगा। निर्यात के मामले में आने वाले समय में सबसे बड़ी भूमिका हरियाणा प्रदेश की होगी इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में हाउस में बहुत लम्बी–चौड़ी चर्चा हुई है। हमारी सरकार का जो बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ का नारा था उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी बेटियों को कॉलेज से घर तथा घर से कॉलेज तक लाने और ले जाने के लिए बसों की जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से आठवीं और दसवीं के लिए बोर्ड की परीक्षा करवाने का जो प्रावधान किया है वह भी सराहनीय कार्य किया है और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि पांचवीं की परीक्षा भी बोर्ड के माध्यम से करवाई जानी चाहिएं। हरियाणा में हमने वह दौर भी देखा है जब पिता द्वारा अपने बच्चों को यह कहा जाता था कि बेटा एक बार दाखिला ले लो उसके बाद न क्लास होगी, न पेपर देने पड़ेंगे और न फेल होगे। इस प्रकार की व्यवस्था करके हरियाणा प्रदेश की शिक्षा का भट्ठा बैठाने का काम हमसे पहले की सरकारों ने किया है। हमारी सरकार ने जो आठवीं और दसवीं की कक्षाओं के लिए बोर्ड की परीक्षा अनिवार्य की है उससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस की सरकार का एक और करिश्मा बताना चाहता हूं। मैं एक सच्ची घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मैं वर्ष 2000 में इसी सम्मानित सदन का सदस्य था और उस समय हमारे विधान सभा क्षेत्र के गांव गूहणा में लड़कियों के लिए आठवीं तक का स्कूल खोला गया था। अभी कुछ दिन पहले उसी गांव के लोग यहां चंडीगढ़ आए हुए

थे उनको शिक्षा मंत्री जी से मिलना था। उनका कहना था कि हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल शुरू किया जाए। मैंने उनसे पूछा कि आपके गांव में तो लड़कियों का स्कूल 20 साल पहले खुल चुका था तब उन लोगों ने बताया कि जब कांग्रेस की सरकार आई तब हमारे उस लड़कियों के स्कूल को बंद कर दिया गया था। इस प्रकार से कांग्रेस सरकार में लड़कियों के सकूल बंद किए गए और आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य हमारे बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ के नारे के बारे में चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से पंजाबी भाषा के बारे में भी हाउस में बहुत चर्चा हुई और हमारी सम्मानित बहन गीता भुक्कल भी पंजाबी में बोली थी और भी एक सम्मानित साथी ने भी पंजाबी में बोला था। मैंने एक स्कूल देखा था जिसमें पंजाबी पढ़ाई जाती थी और दुर्भाग्य से परीक्षा से पहले इस स्कूल से पंजाबी भाषा के शिक्षक का तबादला हो गया था लेकिन उसकी जगह दूसरा पंजाबी भाषा का शिक्षक वहां पर नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ सभी बच्चों को परीक्षा में पंजाबी की जगह संस्कृत का पेपर दे दिया गया तथा पेपर करवाने के लिए उनको गाइड मुहैया करवाई गई। वह हाल हमने अपनी आंखों से देखा है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अब मैं कृषि पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मुझे आज इस बात की खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में किसानों को गन्ने का जो रेट दिया गया है वह पूरे हिन्दुस्तान में सबसे अधिक है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

**श्री अध्यक्षः** लीला राम जी, आपको बोलते हुए पांच मिनट हो गये हैं इसलिए अब आप बैठ जाइये। आपके पास जो लिखित सामग्री है वह आप दे दीजिए हम उसको सदन की कार्यवाही का पार्ट बनवा देंगे।

***श्री लीला राम** : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के लिए जो 10 करोड़ रुपये की ग्रांट रिलीज होनी है उसका कोड लगा कर वह ग्रांट रिलीज करवाई जाए। इसके अतिरिक्त कैथल में एक सरकारी कन्या महाविद्यालय खोला जाए ताकि हमारी बेटियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। कैथल में एक तरणताल की सख्त जरूरत है इसलिए तरणताल का निर्माण करवाया जाये। कैथल में पटियाला रोड़ से ड्रेन के साथ–साथ खुराना रोड़ तक नई सड़क का निर्माण करवाया जाए। कैथल में मिल्क प्लांट के लिए जमीन पहले ही दी जा चुकी है इसलिए मिल्क प्लांट का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाया जाए। कैथल में मुगलकालीन बनी हुई बावड़ी का जीर्णोधार किया जाए। गांव माणस से अटेला तथा गांव माणस से फर्श माजरा तक भी सड़कें बनाई जाएं। गांव पाडला से गांव बाबा लदाना तक कच्चे रास्ते को पक्की सड़क बनाया जाए। इसी प्रकार से गांव गुहणा से सांधन तक सड़क बनाई जाये। गांव

सजुमा से गांव लाम्बा खेड़ी तक सड़क बनाई जाए। मेरी अंतिम मांग यह है कि कैथल में कुरूक्षेत्र रोड़ पर सम्राट मिहीरभोज चौंक बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

---

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को कार्यवाही का पार्ट बनाया गया।**

**श्री दूड़ा राम (फतेहाबाद)** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही शानदार बजट है जिसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैंने बजट पर बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन आपने समय की कमी को दर्शाया है। आपके समय के मुताबिक तो अपने हल्के की ही चार–पांच बातें रख सकूंगा। इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। यह बहुत शानदार बजट है इसलिए बजट की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। मैं अपने हल्के में जो दिक्कतें है उनके बारे में बताना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद जिले में शहर के अन्दर बहुत ही पुरानी सीवरेज लाईन है क्योंकि जब वह सब–डिविजन था उस समय की ही सीवरेज लाईन है। अब जिले लेवल पर बहुत आबादी बढ़ गई है। मेरी मंत्री जी से यही प्रार्थना है कि वहां नये सिरे से सीवरेज लाईन की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा फतेहाबाद से भूना और फतेहाबाद से भट्ठू वाली रोड़ को चौड़ा किया जाए क्योंकि उस रोड़ से लोगों का बहुत ज्यादा आना–जाना लगा रहता है जिससे उस रोड़ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में मोहम्मदपुर, गोरखपुर, पिलीमंदरी बड़े–बड़े गांव हैं जिनमें बिजली की बहुत भारी समस्या है इसलिए वहां पर नया बिजली घर बनाया जाए। इसके अलावा भूना जो एक बहुत बड़ा कस्बा है उसके अन्दर बाई पास बनाया जाए। इसी के साथ फतेहाबाद हल्के में बसों की संख्या बहुत कम है। लड़कियाँ गांवों से जब स्कूल्ज या कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाती हैं तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए वहां पर डिमांड के हिसाब से बसों की सुविधा की जाए ताकि लड़कियों को कोई दिक्कत न हो। इसी के साथ मेरे हल्के में पीने के पानी की सप्लाई 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है इस पानी की मात्रा को भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा मेरे हल्के की कुछ और मांगे भी हैं जिनको मैं लिख कर दे रहा हूं। मेरी इन मांगों को भी पूरा किया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

**श्री बलबीर सिंह (इसराना) :** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं अपने हल्के इसराना के कई गांवों की समस्या के बारे में बताना चाहता हूं। गांव मतलौडा जिसकी आबादी लगभग 18 हजार है। वह गांव एक छोटे शहर का रूप धारण कर चुका है। इस गांव में बस स्टैंड की बहुत भारी समस्या है जिससे वहां कई–कई घण्टों तक जाम लगा रहता है। उससे महिलाओं को पुरूषों को, बीमार मरीजों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहां के बस स्टॉप पर बहुत भीड़ रहती है और वहां पर महिलाओं व पुरूषों के लिए शौचालय का प्रबंध भी नहीं है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि गांव मतलौडा में पहले स्ट्रीट लाईट लगी थी लेकिन पिछले काफी समय से वहां पर स्ट्रीट लाईट बन्द है जिसका चालू होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मतलौडा गांव बहुत बड़ा गांव है लेकिन उसमें पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि वहां सीवरेज लाईन और अन्य बातें जो मैंने कही हैं उनको सरकार उपलब्ध कराए। मेरे हल्के में एक गांव खुखराना है जिसके एक तरफ बहुत बड़ी राखी की झील है और दूसरी साईड में थर्मल प्लांट है। उस गांव की एक साईड में एक सीमेंट फैक्ट्री भी है। इस तरह से इस गांव में तीनों साईडों से धूल, मिट्टी और कोयले की राख उड़कर लोगों के घरों में गिरती है। इन तीनों चीजों के कारण इस गांव में लोगों को अपने घरों में खाना बनाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कपड़े धोने में भी परेशानी है और वहां पीने का पानी भी खराब है। जिससे वहां के लोग बीमार हो जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी वर्ष 2013 में जब वे मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस गांव को सिफ्ट करने के लिए लगभग 39 एकड़ 5 कनाल जमीन एकवायर की थी परंतु उसके बाद मौजूदा सरकार ने वहां पांच चौपालों व एक आंगनबाड़ी के लिए ग्रांट तो दी थी और जिला प्रशासन ने उस गांव की गलियों के निर्माण के लिए एस्टीमेट भी हरियाणा सरकार को भेजे थे परंतु इस गांव को बदलने की प्रक्रिया वहीं की वहीं रूकी हुई है। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि सरकार इस गांव को बदलने का काम जल्द से जल्द करे। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि स्कूल एजुकेशन विभाग की कमेटी की मीटिंग में सरकार द्वारा एक जवाब आया था कि ग्रुप–डी की लगभग 12266 पोस्टें भरी होनी चाहिएं थी जबकि 31.10.2019 तक उन पोस्टों पर केवल 5519 कर्मचारी ही कार्यरत हैं और अभी भी 6747 पद रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, गुजारिश है कि इन रिक्त पदों को भी जल्दी से भरा जाए ताकि और भी गरीब बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें नीचे दरी–टाट बिछाकर न बैठना पड़े उनके लिए डैस्क का प्रबंध किया जाए। इसके साथ ही मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश नौकरियों में में एस.सी, एस.टी. का जो भी बैकलॉग है उसको भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मैं एक यह भी निवेदन करता हूं कि सफाई कर्मचारी आयोग बनाया जाये ताकि सफाई कर्मचारियों की जो समस्यायें हैं, उन समस्याओं को ये लोग सफाई कर्मचारी आयोग के समक्ष रख सकें। इसके अतिरिक्त हरियाणा प्रदेश में एस.सी./एस.टी. आयोग का होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार निचले स्तर पर दबंग या प्रभावशाली लोगों की वजह से गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है और यदि यह आयोग बना दिया जायेगा तो समाज के दबे कुचले लोगों को सही ढंग से न्याय मिल सकेगा। धन्यवाद

**श्री देवेन्द्र सिंह बबली (टोहाना):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बजट निश्चित रूप से सभी वर्गो का ध्यान रखने वाला एक ऐसा बजट है जोकि सबका साथ–सबका विकास की अवधारणा को मूर्त रूप देने पर ज्यादा बल देता हुआ दिखाई देता है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं किसान की बात करूंगा क्योंकि मेरे से पहले काफी माननीय सदस्यों ने कृषि प्रधान प्रांत होने की वजह से किसान हित की अनेकों बातें सदन में रखी हैं। सरकार की भी प्राथमिकता है कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो और इसके लिए सरकार द्वारा बहुत से सराहनीय प्रयास किए भी गए हैं। जहां तक बागवानी की बात है, बागवानी के लिए किसानों को प्रोत्साहन मिले इसके लिए बजट में पहले दिए जाने वाले 16000 रूपये की प्रति एकड़ सब्सिडी की जगह जो सरकार ने यह 20000 रूपये की सब्सिडी देने का काम किया है इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। यह बहुत सराहनीय है। जहां तक सब्जी मंडियों को आधुनिक करने की बात है, के संदर्भ में मेरा निवेदन है कि सब्जी मंडियों में सब्जियों को निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए ताकि किसानों को उनकी सब्जियों के सही भाव मिल सकें। अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों की इंकम को दोगुना करने की बात करती है लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूंगा जिससे किसान की आय दोगुनी नहीं बल्कि चौगुनी भी हो सकती है। सबसे पहले तो जो स्कीमें पेपर्ज पर हैं उनको धरातल पर लाने की बहुत जरूरत है। आज किसान की क्या–क्या मजबूरियां व जिम्मेवारियां हैं उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यक्ता है। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा

कि सबसे पहले किसान के सामने उसके परिवार के पालन पोषण की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आज एक किसान के हिस्से में मुश्किल से पांच–दस एकड़ जमीन ही आती है। अगर मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट टोहाना हल्के की बात करूं तो यहां पर भाखड़ा नहर का पानी आता है। जमीन का पानी भी यहां पर ठीक–ठाक है। अमूमन गेहूं और धान की जो फसल किसान उगाते हैं उससे उनको पूरे साल में प्रति एकड़ करीबन 70000 के आस पास ही इंकम जैनरेट होती है। अगर किसान बागवानी को अपनाता है या अपने खेत में वेजीटेबल उगाना चाहता है तो उसके मन में एक तरह से श्योरिटी नहीं होती थी कि प्रति एकड़ में जो उसकी लागत लगेगी उसका प्रतिफल उसको मिल भी पायेगा या नहीं। इस क्षेत्र में ज्यादा खर्च की वजह से किसान इसको अपनाने से डरता था लेकिन सरकार ने जो यह प्रावधान किया है कि यदि किसान बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है या फलों की खेती करना चाहता है तो उस किसान को सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 20000 रूपये की सब्सिडी दी जायेगी। निःसंदेह सरकार का यह बेहतर प्रयास ही माना जायेगा। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि सरकार को अपने बजट के हिसाब से प्रदेश के सभी 90 हलकों में ब्लॉक लैवल पर तथा जिला लैवल पर कुछ 10–20 गांव को चिन्हित करके वहां के किसानों को बागवानी तथा वेजिटेबल की खेती के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया जाये और उन्हें इंश्योर किया जाये कि अगर आप इस क्षेत्र को चुनते हैं तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस दिशा में अपने गांव में एक छोटा सा प्रयास शुरू किया था और यही कारण है कि आज मेरे इस प्रयास के फलस्वरूप मेरे गांव के काफी किसानों की अमरूद की बागवानी के क्षेत्र में प्रति वर्ष अढ़ाई लाख रूपये की इंकम जैरनेट हो रही है। अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल में मैंने अपने यहां के पांच–पांच एकड़ के काफी जमींदारों को बागवानी के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया। यही नहीं मैंने खुद भी अपने 25–30 एकड़ जमीन में बागवानी का कार्य शुरू किया है और इसका नतीजा यह निकलकर सामने आया है कि आज मेरे गांव में लगभग 300 एकड़ भूमि पर अमरूदों के बाग लगने शुरू हो गए हैं। अतः इस परिपेक्ष्य में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जैसे बिल्डर्ज अपना प्रोजेक्ट बेचने से पहले एक सैंपल फ्लैट बनाते हैं, ठीक उसी तर्ज पर यदि हम ब्लॉक लैवल पर करीबन 500 एकड़ में किसानों को बागवानी क्षेत्र के बारे में एक्सपैरीमैंट करके दिखाए कि यदि वे बागवानी को अपनायेंगे तो उनकी इतनी इंकम जैनरेट होगी तो निश्चित रूप में आगामी भविष्य में इसके अच्छे परिणाम निकलकर सामने आयेंगे। इसके अतिरिक्त किसानों को वे

सारी सुविधायें भी देनी चाहिए जिसकी वजह से किसान की फसल चक्र के प्रति रूचि बढ़े। यदि ऐसा होगा तो किसान की आय दोगुनी के स्थान पर चौगुनी बढ़ेगी।

**श्री अध्यक्ष** : बबली जी, आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। लेकिन बाकी सदस्यों को भी बजट पर बोलना है, इसलिए आप अपनी स्पीच जल्दी से जल्दी कंक्लूड कीजिए या फिर आप अपनी लिखित स्पीच सदन के पटल पर रख दीजिए, इस स्पीच को सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायेगा।

**श्री देवेन्द्र सिंह बबली** : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समय के अभाव के कारण केवल किसानों के 3–4 मुद्दे हैं उन्हीं का सदन में जिक्र करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 142 मुकद्दमें बिजली को लेकर दर्ज हैं, उन किसानों को रिलिफ मिलना चाहिए क्योंकि उन किसानों का कोई कसूर नहीं है। जिन किसानों के टयूबवैल्ज नहर के पास लगे हुए हैं उन्हें नोटिस इशू कर रखे हैं। उस नोटिस को वापिस लिया जाये क्योंकि अगर वे टयूबवैल हटा दिए गए तो किसान बर्बाद हो जायेंगे। हमारे क्षेत्र में 35 एकड़ की जमीन खाली पड़ी हुई है, इसलिए उस जमीन पर पराली से बिजली बनाने का संयंत्र लगाना चाहिए, इससे पराली भी कंज्यूम हो जायेगी और सरकार को ज्यादा रेवेन्यू जरनेट होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो कॉलेज है, उसके अंदर स्टाफ की कमी है, उस स्टाफ को भी तुरंत भरा जाना चाहिए। धन्यवाद।

**डॉ0 कृश्ण लाल मिड्ढा (जीन्द)**: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि बजट से पूर्व जिस तरह प्रदेश का हर वर्ग, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ–साथ वित्तमंत्री श्री मनोहर लाल जी की तरफ एक आशा और उम्मीद के साथ टकटकी लगाए देख रहा था। अध्यक्ष महोदय, बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए वित्त वर्ष 2020–2021 का यह बजट हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ।

अयम् निज, परोवेति गणना, लद्युचेतसाम्।
उदारचिताम् तु वसुधैव कटुम्बकम्

अर्थात् यह मेरा है और यह पराया है, ऐसी गणना छोटे हृद्य के लोग करते हैं। महान दिल के लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना घर होती है। अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रदेश का हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का आधारभूत

ढांचा ही किसी भी प्रदेश के विकास की रफ्तार का पैमाना होता है। लेकिन पता नहीं क्यों पूर्व की सरकारें प्रदेश के आधारभूत ढांचें को मजबूत करने में असफल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जहां शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सही दिशा में काम किया, वहीं किसान और खेती के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, कहने का मेरा भाव यह है कि–

'आम हो चाहे खास हो, रोजगार सबके पास होगा।
बजट ने दिया सबको हौंसला, किसान–कमेरा ना उदास होगा।'

अध्यक्ष महोदय, बजट से पूर्व पंचकूला में तीन दिवसीय प्री–बजट चर्चा में जिस तरह विधायकों के सुझाव लिए गए और लगभग 70 प्रतिशत सुझावों की जब बजट में व्यवस्था हुई तो हर किसी विधायक को चाहे वो सता पक्ष से है या विपक्ष से जब वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री जी बजट पेश कर रहे थे तो सबको यह वित्त वर्ष 2020–21 का बजट अपना सा बजट महसूस हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की बहन–बेटियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करके हमारी सरकार ने 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' के नारे को सार्थक किया है। अध्यक्ष महोदय, बजट में नए प्ले स्कूल के प्रावधान का सुझाव बजट से पूर्व मेरे द्वारा दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, डिजीटल पुस्तकालय और विज्ञान संकाय के 1487 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालयों में तब्दील कर, इसी के साथ 18 और नए राजकीय महाविद्यालयों की घोषणा इसी बजट में करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने साबित कर दिया है कि–

'शिक्षा पूंजीपतियों की बपौती नहीं रहेगी,
पढ़ी लिखी हर बेटी, अब बस यही कहेगी,
ज्ञान की ज्योति, अभाव से नहीं बुझेगी,
ज्ञान की गंगा, अब हरियाणा से होकर बहेगी।'

अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों ने जहां क्षेत्रवाद के वंशीभूत होकर निजी और राजनैतिक स्वार्थों के चलते शिक्षा को भी विशेष क्षेत्रों में समेटने का काम किया है। इसके विपरीत हमारी सरकार ने 1000 नए अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक स्कूल्ज खोलकर माननीय मनोहर लाल जी ने यह साफ कर दिया है कि–

पढ़ी लिखी होगी अगली पीढ़ी,
हमने आस यही जगाई है।

ज्ञान से हो रोशन हरियाणा,

अज्ञानता से छेड़ी लड़ाई है।

अध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार वास्तव में किसान हितैषी है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य पर बात करना चाहूंगा । मैं एक डॉक्टर हूं और अगर मैं चिकित्सा पर चर्चा न करूं तो यह मेरे पेशे के साथ बेइमानी होगी । अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि पूर्व की सरकारों ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य किये उनका भी भौगोलिक दृश्य प्रदेश में देखते हैं तो यहां भी क्षेत्रवाद की बू आती है । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हर जिले में एक मैडिकल कॉलेज बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है ।

**श्री अध्यक्ष** : कृष्ण जी, आप जो पढ़ रहे हैं वह हमें दे दें । हम इसको प्रोसीडिंग्ज में एड करवा देंगे । अतः आप सम अप कीजिए ।

**डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, किसी शायर ने देशभक्ति के विषय में बड़ा ही खूबसूरत लिखा है –

अगर मैं देश से बाहर मर जाऊँ तो मेरी इतनी सी पहचान रख देना

मेरे कफन के चारों कोनों पर हिन्दुस्तान लिख देना ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको जीन्द की समस्या बताना चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : कृष्ण जी, अब आप बैठ जाइये । आप अपने हल्के की समस्याएं हमें लिखकर दे दें ।

.....

## सदस्यगण को लैपटॉप उपलब्ध करवाने से संबंधित सूचना

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, जैसाकि आपको मालूम है कि नई असैम्बली गठित होने के उपरान्त सभी विधायकों को विधान सभा में लैपटॉप वितरित करने की परम्परा है, इसलिए आज विधान सभा सत्र के उपरान्त कमेटी रूम में सभी विधायकों को एसर कम्पनी के लैपटॉप, डी.वी.डी. राइटर वितरित किये जाएंगे जोकि मेड इन इण्डिया है । माननीय सदस्यों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट कंफिगरेशन, लाइट वेट और टच स्क्रीन लैपटॉप उपलब्ध करवाये गए हैं । प्रिंटर एल.ए.एन. कन्वर्टर कार्ड अभी तक आये नहीं हैं । इनके आने के पश्चात् सभी माननीय सदस्यों को इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा । इसके अलावा आज जो माननीय सदस्य बोल नहीं पाए हैं उनको बजट की मांगों पर चर्चा के समय बोलने का अवसर दिया जाएगा ।

.....

## वर्ष 2020–21 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ

**श्री जगदीश नायर (होडल) (अ.जा.)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का उसके लिए धन्यवाद करता हूं । चाहे कृषि क्षेत्र की बात हो, चाहे बागवानी की बात हो, चाहे पशु–पालन डेयरी विकास की बात हो, चाहे मछली पालन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो चाहे औद्योगिक विकास, बिजली, औद्योगिक प्रशिक्षण की बात हो, चाहे रोजगार, रेल, खेल एवं युवा मामले, पंचायत एवं शहरी विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण विभाग की बात हो यह बजट सभी वर्गों के लिए बहुत बड़ा हितकारी है । यह बजट लोकहित में पेश किया गया है । मैं इसका समर्थन करता हूं । इसमें सरकार ने चाहे अपना फोकस किसान पर डाला हो, चाहे स्वास्थ्य पर डाला हो, चाहे सड़क पर डाला हो माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में किसानों की आय को दोगुनी करने पर इस बजट में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है कि किसान की आय कैसे दोगुनी हो । किसान की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 5 लाख किसानों को 127 करोड़ रूपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए हैं जोकि सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । सरकार ने 14 हजार किसानों को एकमुश्त निपटान योजना के तहत 88 लाख रूपये के ब्याज की राहत दी है । अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अनाज मण्डियों का किसान संगठनों का इस तरीके का विकास किया जाए ताकि किसान उन्नत हों और किसान अपनी हालत को सुधार सके । मेरी फसल मेरा ब्यौरा, राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसानों को फसल के अच्छे भाव देना, फूल मंडी, मसाला मंडी, फल मंडी बनवाना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से सरकार ने किसान को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को 2,97.54 करोड़ रूपये का क्लेम मिला है । इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है । इसके अतिरिक्त 'भावान्तर भरपाई योजना' के तहत 3,60,477 किसानों को 309.53 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। यह बजट में किसानों के लिए अच्छी सुविधा की गयी है। इसके अतिरिक्त हमारी महिला किसानों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित करके अच्छा काम किया है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए बिना ब्याज के 3 लाख रुपये का ऋण देने की योजना बनायी है। इस योजना से किसानों की दशा सुधारने का काम किया गया है।

.....

## बैठक का समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

**आवाजें:** ठीक है, जी।

**श्री अध्यक्षः** ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढाया जाता है।

.....

## वर्ष 2020–21 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

**श्री जगदीश नायरः** अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त पहले किसानों को 13,000 क्यूसिक नहरी पानी प्रति एकड़ दिया जाता था, जो बढ़ाकर 17,530 क्यूसिक पानी प्रति एकड़ करके हरियाणा प्रदेश के किसानों की उन्नति करने के लिए अच्छा रास्ता अपनाया है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। पहले की सरकारों ने रावी, व्यास और एस.वाई.एल. नहरों के लिए बजट देने का प्रावधान नहीं किया। पहले कितनी सरकारें आयी और कितनी सरकारें गयीं, परन्तु उन्होंने इनके लिए बजट की कोई व्यवस्था नहीं की। हमारी सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके किसान की दशा सुधार करने की कोशिश की है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैंने बातें तो बहुत कहनी थी, परन्तु सदन का समय सीमित है। इसलिए मैं अपने हल्के की मांगों पर आ जाता हूं।

**श्री अध्यक्षः** नायर जी, दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपने–अपने हल्के की बातें कहनी हैं। इसके अतिरिक्त आपकी जो भी डिमांड्स हैं, उनके बारे में लिखित में दे दें, उनको प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनवा दिया जाएगा।

**श्री जगदीश नायरः** अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी हथीन हल्के में गये थे और वहां पर दिल खोलकर हमारे हल्के के लोगों को तौहफा देकर आये थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ मांग रखना चाहूंगा। हमारे एरिया में रैनीवैल की व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसके साथ बंचारी, सौन्द, लोहीना, सेवली, सराय, खटेला, तूमसरा, औरंगाबाद, गढ़ी, होडल, पैगलतू आदि गांवों को जोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त होडल का बस अड्डा बनाने के लिए अनुरोध करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हसनपुर यमुना नदी पर पुल बनाने की बात कही है, उस पर काम शुरू करवाया जाए। होडल में बड़ा पार्क बनवाया जाए। गोडोता, भुलवाना, बंचारी, डकोरा, मरौली के लिए रेल अंडर पास बनाया जाए। हसनपुर के अस्पताल भवन का निर्माण

कार्य दोबारा किया जाए। **(घंटी)** खिरबी गांव में उजीना ड्रेन पर रेगुलेटर बनाया जाए, जिससे गढ़ी गांव के किसानों को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी।

**श्री अध्यक्षः** नायर जी, आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

**श्री जगदीश नायरः** अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ तीन मांगे कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। होडल के हॉस्पिटल्ज में डॉक्टर एवं स्टॉफ को पूरा किया जाए क्योंकि स्टॉफ की कमी के कारण वहां के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। होडल नगर परिषद् में सफाई के लिए 100 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए क्योंकि होडल की आबादी एक लाख तक पहुंच चुकी है। गांव भिड़ूकी में पंचायत 40 एकड़ जमीन पर गऊशाला खोलना चाहती है और इसके लिए जमीन भी दे रही है, इसलिए इस मांग को भी पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

**चौधरी आफताब अ**हमदः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों को भी बोलने के लिए समय दिया जाए।

**श्री अध्यक्षः** आफताब जी, आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों को कल डिमांड्स पर बोलने का मौका दे देंगे। आपकी पार्टी का एक ही सदस्य 35 मिनट तक बोला है। इस प्रकार से एक ही माननीय सदस्य ने 7–8 माननीय सदस्यों के बोलने का समय ले लिया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि अगर आपकी पार्टी का एक ही सदस्य इतने समय तक बोलेगा तो दूसरे सदस्यों को बोलने के लिए कैसे मौका मिलेगा ?

**श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः** अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के 2–3 और माननीय सदस्यों को तो बजट बोलने का मौका दिया जाए।

**श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों को कल अपनी बात रखने के लिए मौका दे देंगे।

————————————————

## नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 121 के अधीन नियम 231, 233, 235 व 266 को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :–

(i) लोक लेखा समिति;

(ii) प्राक्कलन समिति;

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति; तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2020–21 के लिए निलंबित किया जाए।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि यह सदन अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020–21 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें।

**श्री अध्यक्षः** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :–

(i) लोक लेखा समिति;

(ii) प्राक्कलन समिति;

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति; तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2020–21 के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020–21 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करे।

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :–

(i) लोक लेखा समिति;

(ii) प्राक्कलन समिति;

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति; तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2020–21 के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020–21 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करे।

**(प्रस्ताव पारित हुआ।)**

## विधान कार्य

## (i) दि हरियाणा एप्रोप्रिय□ान (नम्बर–1) बिल, 2020

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे और यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है –

कि हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्षः** अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

**क्लॉज–2**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज–3**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**भिाड्यूल**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि शिड्यूल विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लॉज–1**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**इनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**टाईटल**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्ष** : अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

————————————

## (ii) दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2020

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अब शिक्षा मंत्री, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

**शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर)(अ.जा.)** : स्पीकर सर, मैं कोशिश कर रही थी समझने की लेकिन फिर भी इस बिल को समझ नहीं पाई कि ओ.पी. जिन्दल प्राईवेट

यूनिवर्सिटी जोकि हमारी प्राईवेट यूनिवर्सिटीज में लिस्टिड थी उसको विद्ड्रा करके Institution of Eminence deemed to be University Regulation, 2017 डिक्लेयर कर दिया जाये अर्थात् कहा गया है कि deemed to be University एड कर दिया जाये। मैं इसमे थोड़ी सी यह बात समझना चाह रही हूं कि क्यों वह प्राईवेट यूनिवर्सिटी विद्ड्रा करके deemed to be the Eminence University बना रहे हैं। बहुत जरूरी है कि शिक्षा के मामले में चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हो या प्राईवेट यूनिवर्सिटी हो उसमें ग्रॉस एनरोलमैंट रेशो का जो हमारा टारगैट है जोकि 30 परसैंट निर्धारित है वह हर हाल में फुलफिल होना चाहिए। इसमें यह है कि what are the reasons behind it? जो ओ.पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी है वह अच्छी और ग्लोबल यूनिवर्सिटी है उसके पीछे क्या कारण हैं कि उसको प्राईवेट यूनिवर्सिटी बनाकर क्या फायदा होने वाला है?

**श्री कंवर पाल** : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि ओ.पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी की तरफ से ही यह डिमाण्ड प्राप्त हुई थी कि हमें इसमें शामिल किया जाये।

**श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक)** : स्पीकर सर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि ओ. पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी की तरफ से ही यह रिकवैस्ट प्राप्त हुई थी और मंत्री जी ने उनकी रिकवैस्ट मान ली और यह बिल लेकर आये हैं। Why a Minister should not explain the Statement of Objects and Reasons of the Bill? Some procedure must be there. सरकार ऐसा कैसे करेगी हमें यह तो बताया जाये।

**डॉ. अभय सिंह यादव** : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री भारत भूषण बतरा जी को यह बताना चाहूंगा कि ओ.पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी ने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को एप्लाई किया है। उसके बाद गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि पहले इस मामले में स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से रेज्योल्यूशन चाहिए।

**श्री भारत भूषण बतरा** : स्पीकर सर, जब बिल हमारे पास सदन में प्रस्तुत होने से आधा घंटा पहले आयेगा तो हम Statement of Objects and Reasons को कैसे पढ़ पायेंगे?

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी, यह बिल सभी मैम्बर्ज को पांच दिन पहले सर्कूलेट हो चुका था।

**श्री भारत भूषण बतरा** : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह वायदा किया था कि सदन में प्रस्तुत होने वाला बिल सदन में प्रस्तुत होने से पांच दिन पहले सभी माननीय सदस्यों के पास पहुंच जायेगा। (विघ्न) स्पीकर सर, अगर आप इस हाउस में

हैल्दी डिसकशन की परम्परा कायम रखना चाहते हैं तो किसी भी बिल पर अपने विचार रखने के लिए सभी माननीय सदस्यों को पूरा–पूरा समय दें। Why a Minister should not explain the Statement of Objects and Reasons of the Bill. जब हम उनसे इस बारे में पूछ रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि सदन में प्रस्तुत होने से पांच दिन पहले बिल सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हो जायेंगे ताकि हम यहां पर प्रस्तुत होने वाले सभी बिलों की अच्छी प्रकार से स्टडी कर सकें।

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी, आपके पास यह बिल निर्धारित समय से पहले पहुंच चुका था।

**Shri Bharat Bhushan Batra** : Speaker Sir, you don't defend the Government.

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको यह बता देता हूं कि यह बिल आपके पास कौन सी डेट को गया है। हमने आपकी सरकार के समय में यह देखा है कि माननीय सदस्यों के पास बिल देर रात को पहुंचता था।

**Shri Bharat Bhushan Batra :** Speaker Sir, it was announced by the Hon'ble Chief Minister कि पांच दिन पहले माननीय सदस्यों को बिलों की कॉपी मिलेगी। मंत्री जी इस बिल के ऑब्जैक्ट्स के बारे में बतायें। इसके बाद अगर यह पॉलिसी बन रही है तो इससे सरकार को क्या फायदा है। इसका क्या कोई प्रोसीजर भी है या सरकार के पास ओ.पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी से एक सिम्पल एप्लीकेशन आ गई और सरकार ने उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया।

**श्री कंवर पाल** : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री बतरा जी को यह बताना चाहूंगा कि हमें ओ.पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी ने ही रिकवैस्ट दी थी इसलिए हम उनको अण्डरटेकिंग देने जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी, यह बिल 15 फरवरी, 2020 को हमारे पास आया और उसी दिन अर्थात् 15 फरवरी, 2020 को ही सभी मैंबर्ज के पास भेज दिया गया था।

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, आपकी बात ठीक है, मैं मान लेता हूं कि 15 फरवरी, 2020 को यह बिल मेरे पास पहुंच गया था लेकिन क्या हम इस पर आज सवाल नहीं पूछ सकते हैं?

**श्री अध्यक्षः** आप आज भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा।

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है? जिन्दल यूनिवर्सिटी पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी अब वह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि वे डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों बनना चाहते हैं? सरकार ने बिल पेश कर दिया तो क्या उसको इग्जामिन भी न किया जाए? उन्होंने एप्लीकेशन दे दी और आपने मंजूर कर ली, इस प्रकार से बात नहीं बनती है।

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद यह अच्छी बात है कि उसमें एडमिशन के साथ–साथ बच्चों को फीस में भी रिलैक्सेशन मिलेगी। ओ.पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और उसमें फीस भी बहुत ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद जिन्दल यूनिवर्सिटी में हरियाणा के बच्चों को मिलने वाला 10 प्रतिशत रिजर्वेशन जारी रहेगा या नहीं? इसके अलावा फीस में कोई कमी आयेगी या इतनी ही फीस रहेगी?

**श्री कंवर पाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद यह यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिज एण्ड डिवैल्पमैंट के अधीन चली जायेगी और हम उनके रूल्ज ही फोलो करेंगे।

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जब यह यूनिवर्सिटी एम.एच.आर.डी. के अधीन चली जायेगी तो क्या हरियाणा के बच्चों को मिलने वाला 10 प्रतिशत रिजर्वेशन समाप्त हो जायेगा या चलता रहेगा?

**डॉ. अभय सिह यादवः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी ने एम.एच.आर.डी. में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के लिए आवेदन किया था और उसके लिए हरियाणा सरकार का प्रोपोजल जरूरी था इसलिए सरकार यह बिल लेकर आई है।

**श्री आफताब अहमद :** अध्यक्ष महोदय, हम तो यह जानना चाहते हैं कि जब यह यूनिवर्सिटी एम.एच.आर.डी. के अधीन चली जायेगी तो क्या इस पर हरियाणा सरकार का कोई नियंत्रण रहेगा या नहीं?

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद यह केन्द्र सरकार के अधीन आ जायेगी, यह केन्द्र की यूनिवर्सिटी हो जायेगी।

**श्री नीरज शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, हमारे एरिया में अलफला यूनिवर्सिटी है जिसमें अल्पसंख्यकों का कोटा होता है तो क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद मुस्लिम, सिख तथा जैन इत्यादि का वह कोटा इसी तरह से रहेगा या उसमें कुछ बदलाव आयेगा?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष** : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

**क्लॉज 2**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**क्लॉज 3**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**क्लॉज–1**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**इनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**टाईटल**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**श्री अध्यक्ष** : अब शिक्षा मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

**शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

## (iii) दि हरियाणा स्टेट हायर एजुके□ान काउंसिल (अमैंडमैंट) बिल, 2020

**श्री अध्यक्ष** : अब शिक्षा मंत्री हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**□ाक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

**श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (अ.जा.)** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से जानना चाह रही हूं कि हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल जिसका गठन पहले हो गया था। उसमें अमैंडमैंट के लिए आज यह बिल आया है जिसमें चेयरपर्सन के सलैक्शन को लेकर विषय आया है। पिछले दिनों हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरपर्सन सलैक्शन को लेकर और उन पर जो नम्बर ऑफ केसिज थे इस बात को लेकर बहुत बड़ा बवाल उठा था जिसकी वजह से वह विषय काफी पैंडिंग रहा था। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आज सरकार जो ये बिल लेकर आई है उसका क्या परपज है? जिस समय यह हायर एजुकेशन काउंसिल की बैठक में बैंगलौर में रूसा को लेकर बात आई थी उस समय भी मैंने एज ए मिनिस्टर इसका विरोध किया था कि इसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका क्या रोल है? हायर एजुकेशन काउंसिल के गठन में आप चीफ सैक्रेटरी, सैक्रेटरी, डायरैक्टर व बाकियों को भी ले रहे हैं और गवर्नर साहब भी इनकी मीटिंग्ज लेते हैं। इसमें जब भी कोई दिक्कत आती है तो उसमें अकाउंटेब्लिटी और रिस्पोंसिब्लिटी मंत्री की फिक्स हो जाती है । वैसे एज ए मिनिस्टर हमने देखा है कि हायर एजुकेशन काउंसिल की जितनी भी मीटिंग्ज हुई हैं उनमें मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को बुलाया भी नहीं जाता है। पिछले दिनों जो भी हायर एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें जिस भी चेयरपर्सन की नियुक्ति हुई थी इस समय मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। Number of cases are registered against him और उस चेयरपर्सन को भगोड़ा तक घोषित कर दिया गया था। इस तरह से जब इतने बड़े काउंसिल बनाए जाते हैं तो चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए हम कहते हैं कि इसमें चेयरपर्सन की जगह to be appointed by the State Government करें। अगर स्टेट गवर्नमैंट चेयरपर्सन की नियुक्ति करेगी तो उसमें भी हम बहुत ज्यादा विजिलेंट रहें। यह अच्छी बात है क्योंकि हमें सैंटर गवर्नमैंट से ग्रांट मिलनी होती है। रूसा के तहत यह इसलिए अनिवार्य है कि हम इस एजुकेशन काउंसिल का गठन करें और उसको हम अलग से हायर एजुकेशन का काम करने की जिम्मेवारी जरूर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी यह बड़ा गंभीर विषय है और इस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि जिस समय सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

अस्तित्व में आये तो उस समय भी इनके लिए स्टेट गवर्नमैंट को कभी 1500 करोड रूपये तो कभी 2000 करोड़ रूपये भारत सरकार की तरफ से दिए जाते थे। स्टेट गवर्नमैंट को जो यह पैसा मिलता है इस पर कंट्रोल रखने के लिए अब तो एस.पी.डी. बनाया गया है जिसके हैड के तौर पर ब्यूरोक्रेटेस को लगाया जाता है और पैसे पर कंट्रोल करने के लिए यही व्यक्ति उत्तरादायी होता है अर्थात he is only responsible. इस सारे प्रकरण में मिनिस्टर की भूमिका तो महज इतनी होती है कि देखिए जी फलां प्लॉन भारत सरकार के पास जानी है अतः आप इस पर केवल मात्र साइन कर दो जबकि न तो मिनिस्टर ने इस संबंध में कोई फाइल देखी होती है न कोई उससे बात पूछी जाती है अर्थात मिनिस्टर का कोई लेना–देना नहीं और बावजूद उसके मिनिस्टर से साइन करवाकर उसे बिना किसी जानकारी के ही जिम्मेदार ठहराने का काम किया जाता है। यह कोई बात हुई? इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की तरह एक और अभियान है जिसका रूसा अर्थात राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। इसके तहत हॉयर एजुकेशन के तहत जितने भी संस्थान हैं, कॉलेजिज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, इनको 30 प्रतिशत ग्रोस एनरोलमेंट रेशों के निर्धारित टारगेट के आधार पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। अच्छी बात है लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि हॉयर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन या चेयरपर्सन की नियुक्ति के समय हमें ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि यहां पर जो फाइलें होती हैं या अन्य कुछ कार्य होते हैं उनमें संबंधित मिनिस्टर को शामिल नहीं किया जाता है। हमारे समय में भी हम इन बातों के लिए विरोध करते रहे थे। मुझे याद है कि हमारे समय में जब एच.आर.डी. मिनिस्टर पल्लम राजू जी इस संबंध में एक बिल लेकर आये थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि this is Geeta and Bible and no amendment will be required now. तो ऐसी परिस्थिति में जबकि बिल पास ही हो गया था तो संभव है कि उस समय चर्चा का कोई विषय ही नहीं रह गया था। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि जब भी इस विषय पर भारत सरकार से मीटिंग्ज हो तो आप यह आपत्ति जरूर दर्ज करवायें कि हॉयर एजुकेशन काउंसिल के गठन के लिए स्टेट को बाध्य न किया जाये और यह डर न दिखाया जाये कि अगर ऐसा नहीं किया तो ग्रांट्स रोक ली जायेंगी। It should be a continuous process और हमारा यह बराबर प्रयास बना रहना चाहिए कि हम अपनी यूनिर्वसिटीज व दूसरे एजुकेशनल संस्थानों के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रांट्स मिनिस्ट्री

ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिज से लाते रहें और हॉयर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन/चेयरपर्सन की नियुक्ति के समय उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंज, उसका करेक्टर और तमाम प्रकार की दूसरी बातें अर्थात वह कोई बड़ा शिक्षाविद्ध है या नहीं इन सब बातों को जरूर एंश्योर कर लिया जाये।

**डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी):** अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी हॉयर एजुकेशन काउंसिल के विषय पर बात कर रही हैं। मैं समझता हूँ हॉयर एजुकेशन काउंसिल जो है it is for the betterment of education क्योंकि इसमें हॉयर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन तथा अन्य फिल्ड्स से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स का बहुत योगदान होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय गीता भुक्कल जी कह रही थी कि एजुकेशन के संबंध में जो यह हॉयर एजुकेशन काउंसिल बनाई जा रही है, इस काउंसिल में जहां तक मंत्री की रिस्पॉंसिबिलिटी की बात है, मंत्री को शामिल नहीं किया जाता है और बिना किसी जानकारी के ही मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है, के संदर्भ में मेरा निवेदन है कि गर्वनमैंट का जो गवर्नेंस सिस्टम होता है वह इस प्रकार से सैट होता है कि पॉलिटिकल एग्जिक्यूटिव पॉलिसी डिसाइड करते हैं और ब्यूरोक्रेट्स एग्जिक्यूटिव, पॉलिसी को लागू करने का काम करते है। जहां तक माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार से मिलने वाले पैसे पर कंट्रोल करने के लिए जो एस. पी.डी. बनाया गया है तो इस तरह की चीजों पर कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमैंट की तरफ से जो हैड आफिसर लगाया जायेगा वह स्वाभाविक ही है कि ब्यूरोक्रेट्स ही होगा क्योकि एग्जिक्यूटिव डिसिजन तो हमेशा डिपार्टमैंट के हैड आफिसर्ज ही लेंगे और ऐसी अवस्था में Minister is only politically Head of the Department.

**Smt. Geeta Bhukkal:** Speaker Sir, Ministers are not only political persons but also they are the Government. So, being government they should take the decision. They are sitting here in the political capacity.

**डॉ. अभय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि एक multiple tier system होता है जिसके अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम बना हुआ है और इसी सिस्टम के हिसाब से सारी प्रक्रिया होती है और मेरा पर्सनल ओपीनियन है कि जो यह हायर एजुकेशन काउंसिल है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, it will definitely contribute to the betterment of education.

**Smt. Geeta Bhukkal:** Speaker Sir, I am not against it that is why Government has constituted the Higher Education Council. My query is only that when Government appointed a Chairman/Chairperson, Government should be vigilant enough whether the Chairman/Chairperson should be educationist or not. Let the bureaucracy do the things whatever they want to do but some intervention should be there from the Minister side also. He is not a political person. He is a Government. He should execute each and everything. My query is only that when Government appoint a Chairman/Chairperson, he should be an educationist. His qualifications and all his whereabouts should be known to each and every person.

**Dr. Abhe Singh Yadav:** Speaker Sir, Madam Bhukkal have been a Minister and she knows the whole system. Everything is in the knowledge of the Minister.

**Smt. Geeta Bhukkal:** Speaker Sir, that is why I am telling one thing. When I was Education Minister I had opposed it. Our Government was there and even as a Minister also at that time I was there and I was totally against it.

.....

## बैठक का समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाये।

**आवाजें:** ठीक है, जी।

**श्री अध्यक्षः** ठीक है, बैठक का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

.....

## विधान कार्य (पुनरारम्भ)

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बहुत सी चीजें लिखी गई हैं। हायर एजुकेशन काउन्सिल के बारे में बहुत वर्षों से उसमें लिखा गया है बल्कि कई वर्षों तक तो हायर एजुकेशन काउन्सिल बनाई ही नहीं गई थी। अध्यक्ष महोदय, सभी को पता है

कि इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा हुई थी, कुछ माननीय सदस्य इसके पक्ष में थे और कुछ माननीय सदस्य इसके विरोध में थे। लेकिन जब अल्टीमेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह बात आई कि हायर एजुकेशन पॉलिसी बनायेंगे तो उसमें इन्सेन्टिव भी दिए जायेंगे, इस कारण फंड भी साथ में जोड़ दिए गये। अध्यक्ष महोदय, हमें भी यह लगा कि जो यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन के एक्सपर्टज हैं उनको मिलाकर एजुकेशन के सुधार के लिए एक बॉडी बननी चाहिए। इस विषय में ब्यूरोक्रेट्स और सरकार का अलग काम है। इसलिए हमने यह प्रावधान किया और हमने हायर एजुकेशन काउन्सिल बनाई। सरकार ने हायर एजुकेशन काउन्सिल बनाई और सरकार ने पॉलिसी के मुताबिक ही चेयरपर्सन की नियुक्ति कर दी थी। अध्यक्ष महोदय, आगे से चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और उस कमेटी के आधार पर ही चेयरपर्सन की नियुक्ति होगी। इस बिल के क्लॉज 5 में साफ लिखा है कि–

> "In sub-section (1) of section 5 of the principal Act, for the words "the selection", the words "preparing a panel for the selection committee for the appointment" shall be substituted."

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, पहली बार जो चेयरपर्सन नियुक्त हुए थे, उसकी वजह से हरियाणा की काफी बदनामी हुई थी।

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है –

कि हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्षः** अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

**क्लॉजिज 2 से 9**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 9 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज 1**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

## इनैक्टिंग फार्मूला

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

## टाईटल

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्षः** अब शिक्षा मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

**[ाक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्षः** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

---

## (iv) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2020

**श्री अध्यक्ष** : अब परिवहन मंत्री हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

**परिवहन मंत्री (श्री मूल चन्द शर्मा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष** : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

**क्लॉज 2**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लॉज 1**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**इनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**टाईटल**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाईटल हो ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्ष** : अब परिवहन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

**परिवहन मंत्री (पं. मूल चन्द शर्मा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(विधेयक पारित हुआ ।)**

———————

## (V) दि हरियाणा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमैंडमैंट) बिल, 2020

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अब कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

**कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

**श्री भारत भूषण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, We are New Members. इस बार विधान सभा में लगभग 46 माननीय सदस्य नये चुनकर आए हैं । मैं आपकी इजाजत से रूल 129 के विषय में बोलना चाहूंगा । आप प्रस्ताव करते हैं और वह पास हो जाता है । नये माननीय सदस्यों को पता नहीं चलता कि क्या पेश किया और क्या पास हुआ है । मैम्बर्स को बिल्स का नॉलेज भी नहीं होता है । इसके अलावा हर व्यक्ति नई चीजें सीखता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती । (विघ्न) It is my right to speak under rule 129 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. We have so many new members. They are approximately 46. अध्यक्ष महोदय, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं 2–4 मिनट बोलूंगा। अगर आप मुझे परमिशन नहीं देंगे तो रूल्स में भी बिल पर माननीय सदस्यों द्वारा अपने विचार रखना लिखा हुआ है और हम उसके तहत बोलेंगे । अतः हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता । माननीय सदस्यों के लिए यह प्रावधान है कि वे रूल 127 के तहत बोलने की इजाजत मांगते हैं कि हमें बिल पर बोलने दिया जाए । उसके बाद रूल 129 के तहत बिल इंट्रोड्यूज करते हैं और कहते हैं कि इसको कंसीड्रेशन के लिए तुरंत रखा जाए । अध्यक्ष महोदय, फिर रूल 131 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है । इसके तहत आपने बिल पर उसी समय सबको एज ए हॉल बोलने के लिए इजाजत देनी होती है । माननीय

सदस्य अमैंडमैंट पार्ट पर नहीं बोल सकते । जब आप क्लॉज बाई क्लॉज बिल पास करते हैं तो माननीय सदस्य उस समय नहीं बोल सकते हैं । जब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ दि बिल आते हैं तो उस समय यदि हम माननीय मंत्री जी से कुछ पूछते हैं तो वे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते । (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : बतरा साहब, ऐसा नहीं है । आप माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है ।

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, यह प्रोविजन रूल 131 में है।

**श्री अध्यक्षः** बतरा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित बिल पर कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सभी नये माननीय सदस्य भी बैठे हैं। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि यह जनरल प्रिंसिपल होता है और साथ में यह प्रॉसीजर भी होता है कि immediately whether it should be referred to the Select Committee or not ? परन्तु हमारे यहां पर यह ट्रेडिशन नहीं है। इसमें संबंधित मिनिस्टर या गवर्नमैंट सिलेक्ट कमेटी के पास संबंधित बिल्ज को भेज सकती है और डिसकसन के बाद उस पर क्लॉज बाई क्लॉज अमैंडमेंट के लिए सुझाव मांगते हैं। यह बात रिडिंग टू में आती है और फिर थर्ड में डिवीजन मांगते हैं। डिवीजन के ऊपर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्लॉज बाई क्लॉज डिसकसन करेगें तभी कुछ हो सकता है। 2 स्टेजिज हरेक मैम्बर को बिल्ज पर बोलने के लिए मिलती हैं। जिसमें एक तो प्रिंसिपल स्टेज पर और दूसरा अमैंडमेंट करके संबंधित बिल्ज को पास करते समय बोल सकते हैं। इन दोनों स्टेजिज पर सभी मैम्बर्ज को तैयारी करके बोलना चाहिए। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी बिल्ज पर ज्यादा बोलना चाहिए और इनको संबंधित बिल्ज की तारीफ करनी चाहिए।

**श्री अध्यक्षः** बतरा जी, यह बात आपकी ठीक है। जब बिल इन्ट्रोड्यूस होता है, तभी आप उसके ऊपर बोल सकते हैं क्योंकि बिल इन्ट्रोड्यूस इसीलिए होता है।

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों को बिल्ज पर दो–दो लाईंज बोलनी चाहिए। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को बोलना चाहिए कि संबंधित बिल लाया गया है और इसमें हमारी सरकार फलां अच्छा काम कर रही है।

**श्री अध्यक्षः** बतरा जी, इसमें माननीय सदस्यों को डायरेक्ट बोलने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि यह तो माननीय सदस्यों की मर्जी है कि वे बिल पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे।

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल बता रहा हूं। I am telling procedure.

**श्री अध्यक्षः** बतरा जी, अगर आप संबंधित बिल पर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को संबंधित बिल्ज को एक्सप्लेन करने के लिए तो पूछ सकते हैं।

**श्री जगबीर सिंह मलिकः** अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार हो, उसमें माननीय सदस्य अच्छे सुझाव ही देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि माननीय मंत्री जी ने बिल बना दिया और वही फाईनल है। इसमें कोई भी माननीय सदस्य अपना सुझाव दे सकता है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी अपना सुझाव दे सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** मलिक साहब, यह कन्वैंशन कोई नयी नहीं है बल्कि यह पहले से ही बनी हुई है।

**श्री भारत भूषण बतराः** अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लालः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** बतरा जी, मैंने तो यही कहा है कि अगर इस बिल से संबंधित कोई विषय है तो आप उसके बारे में बोलें।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है और जो पुराने साथी हैं। यानी जो पिछली टर्म के दौरान भी चुनकर आये थे और अबकी बार भी चुनकर आये हैं। उन सभी माननीय सदस्यों को इस बात का पता होगा कि हमने पिछली टर्म के पहले ही सत्र में कहा था कि सदन में बैठकों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए और सदन का समय भी बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ यह भी कहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को तैयारी करके सदन में बोलना चाहिए। अन्यथा ऐसा लगेगा कि हम अपना एक दस्तूर निभा रहे हैं कि साल में 2 बार विधान सभा का सत्र बुलाया जाए और सीटिंग करके चले जाएं। मैंने पिछले 8–10 सालों के सैशन की बैठकों का अध्ययन किया। मैंने इस बात का जिक्र पहले भी यहां किया था। इस प्रकार पिछले पांच सालों में हमारी सैशन की बैठकों की संख्या धीर–धीरे बढ़कर 83 हो गयी है और हमने कहा था कि अगले पांच सालों के दौरान

बैठकों की संख्या बढ़ाकर 100 कर देंगे। इसमें 100 बैठकों के लिए मसाला तो होना चाहिए क्योंकि अगर हमारे पास 100 बैठकों के लिए मसाला नहीं होगा तो हम बैठकें कैसे करेंगे ? माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि सभी माननीय सदस्यों को बिल्ज को पढ़कर तैयारी करके आना चाहिए और उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्ज के aims and objects क्या हैं, और जो बिल्ज पास हो रहे हैं उनका क्या होगा ? उसकी सभी सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सभी माननीय सदस्य बिल्ज पर तैयारी करके बोलेंगे तो उसका लाभ होगा। माननीय सदस्यों को इन सभी चीजों पर तैयारी करके आना चाहिए। मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हम जिस प्रकार प्रतिदिन क्वैश्चन ऑवर की तैयारी के लिए अधिकारियों के साथ ब्रिफिंग करते हैं। इस बार का सैशन तो आज और कल का ही बचा है। अब तो जो चल रहा है, उसी प्रकार से चलने दें, लेकिन अगली बार से मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सता पक्ष के माननीय सदस्यों की बिल्ज पर अलग से ब्रिफिंग करवाकर लाएंगे। चाहे इसके लिए 2 दिन का ज्यादा समय ही लग जाए। इसके अतिरिक्त विपक्ष के माननीय सदस्यों को बिल्ज के ऊपर तैयारी करनी है या नहीं करनी है। यह बात तो उनके ऊपर निर्भर करती है।

**श्री जगबीर सिंह मलिकः** अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** मलिक साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं।

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, संबंधित मंत्री जी बिल्ज पर तैयारी करके आएं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** गीता जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

**श्री जगबीर सिंह मलिकः** अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए, किसी बिल में and और are को डिलीट करना है, परन्तु हमारे पास कोई बिल नहीं आएगा तो हम उस पर तैयारी कैसे करेंगे ? इसके लिए हमें टाईम चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो संबंधित बिल्ज सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। हमें बिल्ज पर कन्सैल्ट करने के लिए टाईम चाहिए क्योंकि इसमें एक शब्द का अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है।

**श्री अध्यक्षः** मलिक जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। यह पहली बार हुआ है कि माननीय सदस्यों के पास संबंधित बिल्ज 5 दिन पहले भेजे गये हैं। पहले तो रात के समय ही बिल्ज माननीय सदस्यों के पास भेजे जाते थे।

**श्री जगबीर सिंह मलिकः** अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो संबंधित बिल्ज कल ही आए हैं।

**श्री अध्यक्षः** मलिक जी, हमने संबंधित बिल्ज पांच दिन पहले भेजे थे। मेरे पास सभी माननीय सदस्यों द्वारा प्राप्त किये गये संबंधित बिल्ज की रिसीट्स हैं। इसमें किस दिन और किस माननीय सदस्य ने रिसीट किया है, हमने कब भेजा है, इन सब चीजों का चार्ट बना रखा है। आपको अपनी डाक प्रत्येक दिन चैक करनी चाहिए।

**श्री भारत भूशण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मलिक साहब ने कहा है, मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम सरकार से पूरा एक्ट नहीं मांग रहे हैं। हम यह नहीं चाहते कि किसी बिल के एक्ट में 500 सैक्शन हैं और किसी बिल के एक्ट में 150 सैक्शन हैं तो वह हमें पूरा दिया जाये। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो relevant provision सरकार एक्ट के अंदर ला रही है या कोई अमैंडमैंट की बात कर रही है, उसकी जानकारी हमें कम से कम पहले पता होनी चाहिए ताकि उसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर सकें। हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि पुराने बिल के पेज अमैंडमैंट बिल के साथ लगे होने चाहिएं और समय पर सदस्यों को मिलने चाहिएं। सदन में बैठकर इन बिलों को पढने से कैसे पता चलेगा कि इस एक्ट के अंदर पहले क्या लिखा हुआ है और आज सरकार इस बिल में क्या अमैंडमैंट करने जा रही है?

**श्री मनोहर लाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये बहुत पुराने बिल्ज़ हैं और कई एक्ट बने हुए हैं और इसमें काफी चैप्टर भी होते हैं। बत्तरा जी, आप अगर एक–एक एक्ट की अपेक्षा करेंगे कि हरेक एक्ट की धाराएं सभी सदस्यों को भेजी जायें तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इन सबकी व्यवस्थाएं हरेक विधायक को अपने आप करनी चाहिए। जब कोई विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं तो उनको इन सबकी तैयारी करनी चाहिए, चाहे वह कहीं से भी तैयारी करके लायें। बत्तरा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि यह सामान्य व्यक्तियों की क्लास नहीं है। सभी विधायकों को अपनी–अपनी तैयारी करके ही आनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी, हमने विधेयकों 5 दिन पहले भेजने का समय निर्धारित किया हुआ है।

**श्री भारत भूशण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, बहुत से विधेयक मेरे पास 5 दिन पहले नहीं आये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी, मैं आपको बता देता हूं कि ये विधेयक कौन सी तारीख में आपके पास भेजे गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री मनोहर लाल** : मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि भविष्य में जब सभी प्रतिनिधियों को विधेयक की कॉपीज भेजी जाएं तो उनके स्टाफ के साइन लेकर आने चाहिएं कि कब और कौन सी तारीख को इन विधेयकों की कॉपीज उनको भेजी गई हैं। मेरा यह भी कहना है कि इन विधेयकों को डाक की तरह न बांटा जाये। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री भारत भूशण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक मेरे पास 5 दिन पहले नहीं आये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये विधेयक आपको दिनांक 28.02.2020 को भेजे गये थे और आज दिनांक 03.03.2020 हो गई है।

**श्री भारत भूशण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 28.02.2020 के बाद दो दिन की छुट्टियां भी तो आई थीं।

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी, अगर दो दिन की छुट्टियां आ गई थीं तो क्या इन बिलों को पढ़ने की भी छुट्टी थी, आपको इन बिलों को छुट्टियां में पढ़ने से कौन रोकता है? आप इन बिलों को आसानी से छुट्टियों में पढ़ सकते थे।

**श्री भारत भूशण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को लाने में सबसे पहले मुझे इस बात का एतराज है कि इस अमैंडमैंट बिल में कम से कम 8 पेज ऐसे हैं जिनमें डिफ्रेंट धाराओं में अमैंडमैंट की गई है। मेरा कहना यही है कि जब तक इस बिल को हम पूरा न पढ़ लें तब तक सरकार इस बिल को पास न करे। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि इस बिल को सरकार पास न करवाये क्योंकि हम इस बिल को पूरा पढ़ना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, कल हाउस में इस बिल को दो चार मिनट में पास करवा लेना जिससे हमें कोई एतराज भी नहीं होगा। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी, यह कोई बात नहीं है कि कोई सदस्य इस महान सदन में बिलों को पढ़कर न आए और इस बात के लिए बिल पास न किया जाए।

**श्री भारत भूशण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से सरकार को इन बिलों को लाने का क्या फायदा हुआ? इस विधान सभा का और विधान पालिका का काम क्या रह गया है? ऐसा नहीं है कि हम यहां पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके यहां से चलते बने।

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी, ऐसा नहीं है। मैं इस संबंध में यही कहना चाहूंगा कि आप इस महान सदन के बहुत अनुभवी सदस्य हो, आपको तो विधान सभा की कार्यप्रणाली की इतना अनुभव है कि जो इस बार नये सदस्य चुनकर आयें हैं उन सदस्यों को आप एजुकेट कर सकते हो। बतरा जी, आपको तो कम से कम इन बिलों को पढ़कर आना चाहिए था।

**श्री भारत भूशण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, आपने हमें इतने सारे काम सौंप रखे हैं जैसे बजट, कॉलिंग अटैंशन मौशंज, क्वैश्चंज और भी ऐसे अनेक कार्य हैं जिनकी हमें इस महान सदन में तैयारी करनी पड़ती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें इन बिलों को पढ़ने के लिए समय देना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी ठीक है। हम इस बात का आगे से ध्यान रखेंगे।

**श्री भारत भूशण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हम इन बिलों को किसी भी हालत में पढ़ नहीं सकते हैं और न ही इन पर डिस्कशन कर सकते है। इस संबंध में मेरा सिर्फ यही एतराज है कि इस बिल को पास करवाने के बजाय कल तक डैफर कर दिया जाये। हम इस बिल को पास करवाने के लिए आपसे एक दिन से ज्यादा का समय नहीं मांगते हैं। अध्यक्ष महोदय, बाकी आपकी मर्जी है। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : बतरा जी, ऐसा नहीं हो सकता है। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है–

कि हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्ष** : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा।

**क्लॉजिज 2 से 12**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 12 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज–1**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**इनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**टाईटल**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्ष** : अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

**कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

**(vi) दि प्रोहिबिशन ऑफ चाईल्ड मैरिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2020**

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अब महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (श्रीमती कमलेश ढाण्डा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं–

कि बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्ष** : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

**क्लॉज 2**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज 1**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**इनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**टाईटल**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्ष** : अब महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए।

**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (श्रीमती कमलेश ढाण्डा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

————————

## (vii) दी हरियाणा ग्रुप डी इम्पलाईज (रिक्रूटमैंट एण्ड कंडीशन्ज ऑफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 2020.

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, अब मुख्यमंत्री हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)**: अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

**श्री भरत भूषण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस संशोधन का उद्देश्य क्या है? इस संशोधन की जरूरत क्यों महसूस की गई?

**श्री मनोहर लाल** : अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत से सुधारों की ओर पिछले 5 वर्ष में भी काम किया है और अगला वर्ष हमने खास करके 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। भर्तियों के समय जो हमको ध्यान में आया और वह पिछली सरकारों के भी ध्यान में आता है कि भर्तियों की प्रक्रिया इतनी लम्बी हो जाती है कि हम चाहते हुए भी, ऐसा नहीं है कि सरकारें चाहती नहीं हैं लेकिन उसमें तरह–तरह की कठिनाइयां आती थी जिसके कारण भर्ती पक्रिया पूरी नहीं हो पाती थी। पिछली बार ग्रुप डी की 18218 भर्तियां हमने एक साथ हरियाणा में की और उसका एक प्रोसैस बनाया। प्रोसैस बनाने के बाद उन भर्तियों के बाद जिन–जिन विभागों की रिक्विजीशन थी उन–उन विभागों को नाम भेजे गये। उनकी अप्वाइंटिंग अथॉरिटी वे बने। बाद में उसमें कई तरह की कठिनाइयां आई। कुछ लोगों ने समय से ज्वाइन करवाया और कुछ ने लेट ज्वाइन करवाया। ज्वाइनिंग के समय सभी लोगों से अपनी–अपनी ऑप्शन्ज पूछी गई और वे अपने–अपने विभागों में चले गये लेकिन जितनी वैकेन्सीज थी वे तो ज्वाइन कर गये, लेकिन उसके बाद जो बच गये उनको फिर जहां खाली जगह थी वहां भेजा गया। उस जगह से ऐतराज आया कि एक सिख लड़का था उसको नाई की पोस्ट पर भेज दिया गया। इसी तरह से ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उनको काम करने में कठिनाइयां आने लगी। शिकायतें बहुत आई हमने उनको ऑप्शन दी कि जो–जो अपने विभाग बदलना चाहते हैं, अपनी पोस्ट बदलना चाहते हैं वे अप्लाई करें। इसके बाद लगभग 3000–3500 लोगों ने अप्लाई किया जिसमें से लगभग 700 लोग ऐसे थे जिनको हमने ऐडजस्ट भी किया। इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह विचार आया कि ग्रुप डी का पूरे स्टेट में एक ही काडर बना दिया जाए। एक काडर बनाने के लिए जो एक समय भर्ती हो गये हैं उनकी एक सिनियोरिटी बनानी है या उनकी और कठिनाइयां हैं या विभाग बदलते हैं तो बाद में भी आने वाली कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के

लिए हम कुछ संशोधन लाए हैं ताकि आने वाले ग्रुप डी के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी ये कठिनाइयां दूर हो जाएं। वे आसानी से विभाग बदलना चाहते हैं तो विभाग बदल सकें इसलिए ये कुछ संशोधन इस बिल में लाए गये हैं।

**श्री जगबीर सिंह मलिकः** अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा एक सुझाव है। जैसे पहली ग्रुप डी की भर्ती हुई। किसी के फादरलैस के नम्बर थे, किसी के परिवार में सरकारी नौकरी नहीं थी उसके नम्बर थे, इस प्रकार के बहुत सारे केसिज हाई कोर्ट में गये होंगे जिनको सरकार डिफेंड कर रही होगी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका सिलैक्शन होने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं कर पाए। इसके लिए एक कमेटी बना दी जाए और उसके इन्ज एण्ड आउट देख कर इसको फिर पास किया जाए, इसमें जल्दबाजी न की जाए ताकि लोगों को हाई कोर्ट के चक्कर न काटने पड़ें। मेरा इस बारे में यही सुझाव है कि एक सिलैक्ट कमेटी बना कर उसमें इग्जामिन करने के बाद ही इस बिल को पारित करवाया जाए। जैसे आपने ग्रुप डी की भर्ती जल्दबाजी में की थी उसी का नतीजा है कि हाई कोर्ट में बहुत सारे केसिज हुए हैं इसलिए इस बिल को सिलैक्ट कमेटी बना कर उसमें रेफर करना चाहिए।

**राव दान सिंहः** अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात बताई है वह ठीक है कि जिस लक्ष्य को लेकर जिस ट्रेड के लिए उनको भर्ती किया गया था उनमें से कुछ ज्वाइन कर पाए कुछ ज्वाइन नहीं कर पाए लेकिन कुछ अनदेखियां ऐसी रही हैं जो बड़ी ऐपारेंट रही हैं। एक उदाहरण मैं जानता हूं। एक आदमी को मैकेनिक भर्ती कर दिया जो कि ब्लाइंड था। बाद में जब ज्वाइनिंग का समय आया तो वह मेरे से कहने लगा कि राव साहब मेरे को तो मैकेनिक लगा दिया है मैं तो ज्वाइन कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो ब्लाइंड हूं। मैंने जी.एम. से बात की तो जी.एम. साहब ने कहा कि राव साहब मैं भी इनको ज्वाइन नहीं करवा सकता क्योंकि ये ब्लाइंड हैं और ब्लाइंड मैकेनिक कैसे काम करेगा? उसके बाद मैंने जी.एम. साहब से कहा कि इसको आप अनाउंसर लगा लें, नेत्रहीन है तो क्या बात हुई अनाउंसर का काम तो ये कर ही सकते हैं। यह महेन्द्रगढ़ जिले का मामला है आप देख सकते हैं।

**श्री रामकुमार गौतम** : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने यह जो ग्रुप डी की भर्ती का तरीका अपनाया है यह लाजवाब है। इसका कोई मुकाबला नहीं है। जिन घरों में रोजगार नहीं था उन घरों में रोजगार गए हैं। जिस किसी आवेदक के माता या पिता या

दोनों गुजरे हुए हैं उनको 5 नम्बर अतिरिक्त मिले हैं। इस प्रकार से एक गरीब आदमी को नौकरी मिली है।

17:00 बजे

मैं तो यह कहता हूं जिसके बारे में मैंने पिछली बार मुख्यमंत्री जी को सुझाव भी दिया था कि बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं खास तौर से एस.सी. वर्ग में ईश्वर सिंह भाई बुरा न मान जाए। एक ही परिवार से एस.पी., डी.सी. और सैशन जज लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, कोई ऐसा कानून बना दीजिए जिससे एस.सी. वर्ग के सभी गरीबों के घर में भी दीया जल जाए । मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ऐसा काम जरूर करेंगे क्योंकि दीन दयाल उपाध्याय जी की जो अन्त्योदय की एक सोच थी उसी सोच पर ये काम कर रहे है। मैं इनकी इस बात का बहुत कायल हूं।

.....

## बैठक का समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

**आवाजें** : ठीक है, जी ।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है, सदन का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

.....

## विधान कार्य (पुनरारम्भ)

**श्री भारत भूशण बतरा** : अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल पर डिस्कशन तो हो रहा है ना। हमारा विपक्ष का तो काम ही डिस्कशन करने का है। हम यह तो जानते हैं कि कोई भी बिल पास तो हो ही जाना है लेकिन इसमें मेरा मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि आपने पिछली बार भी सदन के अन्दर कहा था कि सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि जिस बच्चे के माता–पिता नहीं होते हैं उस बच्चे को सरकारी नौकरियों में 5 नंबर अलग से दिये जाते हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये 5 नंबर सभी बच्चों के लिए हैं जो हरियाणा में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या केवल हरियाणा के बच्चों

के लिए है। मुख्यमंत्री जी, इन 5 नंबर को केवल हरियाणा के बच्चों तक सीमित क्यों नहीं रख सकते हैं? इन्होंने इसको जनरल क्यों रखा हुआ है? इससे हरियाणा के बच्चों को क्या फायदा होगा? इन्होंने बाहर के उन बच्चों से एफिडेविट मांगे, उनसे डैक्लरेशन मांगी, सब कुछ मांगा। इन्होंने कहा कि आपके वहां नौकरी नहीं है तो यहां ले लो। इन्होंने साथ में सैंटरल गवर्नमैंट का भी इसमें मैंशन कर दिया कि जो सैंटरल गवर्नमैंट के स्कूलों में पढ़ते हैं वे भी यहां नौकरी ले सकते हैं। हम सीधा–सीधा यह जानना चाहते हैं कि जो यह 10 नंबर का कन्सेशन है, is it available to the Haryana boys or is it available to all?

**श्री मनोहर लाल** : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं दो विषय स्पष्ट करना चाहता हूं। पहले जो नीति बनाई गई थी वह नीति यह थी कि जो फादर लैस बच्चे हैं उन्हीं के लिए 5 नंबर अलग से देने के लिए एक स्कीम बनाई गई थी क्योंकि मदर की डैथ हो गई है और फादर जिन्दा है तो थोड़ा बहुत फिर भी परिवार के सिस्टम को चला सकते हैं जिसमें एक–दो शर्तें पिता की आयु या बच्चे की आयु ऐसा कुछ करके हैं लेकिन उसकी नोटिफिकेशन में कहीं गलती हो गई थी। उस नोटिफिकेशन में फादर लैस की जगह ओर्फन लिखा गया था और जो हमारा डिपार्टमैंट भर्ती का नोटिफिकेशन है उसमें गलती को सुधार करने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन फाईनल वही होता है जो नोटिफाई हो जाता है। पोलिसी में अगर कोई चीज गलत हो जाए और वह नोटिफाई हो जाए तो वही फाईनल है। इसलिए उस नोटिफिकेशन में फादर लैस की जगह ओर्फन करके हो गया था। अब हमने उसको बदल कर नोटिफिकेशन में भी फादर लैस कर दिया है और उस गलती को सुधार दिया गया है। दूसरा नौकरी में भी चाहे वह हरियाणा की हो, चाहे वह केन्द्र सरकार की हों, चाहे कोई भी नौकरी हो लेकिन ये 5 नंबर अप्लाई केवल हरियाणा के बच्चों के लिए ही होंगे। यह कन्सेशन केवल हरियाणा के बच्चों के लिए है जिनका हरियाणा का डोमिसाईल है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। मानो किसी प्रावधान में कोई गलती है और आप उसका ध्यान कराएंगे तो हम उसको भी ठीक करेंगे।

**श्री भारत भूशण बतरा** : मुख्यमंत्री जी, आपने हाऊस की जो स्टेटमैंट दी है। It is a very good statement. लेकिन यह बेनिफिट सभी बच्चों को दिया जा रहा है। केवल हरियाणा के बच्चों को ही स्पेशल नहीं दिया जा रहा है बल्कि दूसरी स्टेट के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। आप इसको चाहे कल ही एग्जामिन करवा लें क्योंकि केवल हरियाणा के बच्चों को यह 10 नंबर का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यह बेनिफिट सभी को दिया जा रहा है।

**श्री मनोहर लाल :** बतरा जी, अगर इसमें मानो कहीं प्रावधान में कमी है तो इसको हम ठीक करेंगे क्योंकि यह बेनिफिट केवल हरियाणा के बच्चों को ही दिया जाएगा, बाहर के बच्चों को नहीं दिया जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार के जो प्रावधान है वह सारे सोच समझकर किये हैं। देखिये जो लगातार चलने वाली चीजें हैं अगर उनमें कहीं कोई कठिनाईयां आती हैं, उसको पोलिसी में चेंज करेंगे। जैसा आप ध्यान करवाते रहेंगे और जो हरियाणा के हित में होगा वह सब हम करेंगे।

**श्री राम कुमार गौतम :** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी कि यह बेनिफिट हरियाणा के बच्चों के लिए ही है। बतरा जी, ने भी अपने सुझाव में कहा है कि यह बेनिफिट केवल हरियाणा के बच्चों के लिए होना चाहिए। इसमें मेरी यह सोच है कि क्या हरियाणा के बच्चे किसी दूसरी स्टेट में जाकर नौकरी नहीं कर सकते हैं? मैं तो यह कहता हूं कि आप सभी बच्चों को यह कन्सेशन दें क्योंकि सारा भारत देश अपना है। जब भारत माता एक है और हम दूसरे राज्य के बच्चों को अपने यहां बेनिफिट नहीं देंगे तो फिर भारत माता की जय कैसे कहेंगे? मैं तो यह कहता हूं कि इस कानून को ऐसा बना दें न तो इसमें किसी जाति का पता लगे, न स्टेट का पता लगे। सारा देश हमारा है। मैं माननीय सदस्यों को कहता हूं कि आप इतनी छोटी व संकीर्ण बात क्यों करते हो। मैं तो यह कहता हूं कि कहीं का बच्चा कहीं भी जाकर नौकरी करे। मैं तो कहता हूं कि केरला के बच्चे यहां आकर बस जाएं। उनका किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी जाति का है। आप ऐसा माहोल बनाईये।

**चौधरी मामन खान (फिरोजपुर झिरका):** अध्यक्ष महोदय, जो ग्रुप–डी के लिए एप्लीकेशनंज इंवाइट की जाती हैं उसके लिए क्वॉलिफिकेशन बाहरवीं की योगयता फिक्स की जाती है लेकिन इन पोस्ट्स के लिए हमारे जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं, इजीनियर्ज हैं या दूसरी उच्च योग्यता रखते हैं, वे भी इन पोस्ट्स के लिए फार्म भरते हैं और ऐसी परिस्थिति में बाहरवीं पास योग्यता के कंडीडेट्स कहां तक इन उच्च योग्यता प्राप्त कंडीडेट्स के आगे खड़ा हो पायेंगे? क्या इंजीनियर्ज व ग्रेजुएट्स से कप–प्लेट धोने या चादर बिछवाने का काम ही करवाया जायेगा? यह किस प्रकार से क्राइटेरिया बनाया हुआ है? अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस क्राइटेरिया को इस तरह से बनाया जाये ताकि हमारे बाहरवीं पास युवाओं को कम से कम ग्रुप–डी की नौकरी तो प्राप्त हो ही सके।

**श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद) (एन.आई.टी):** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि जैसे फादरलैस बच्चों की बात चल रही है, मैं समझता हूँ कि इसमें मदरलैस बच्चों को भी जरूर शामिल करना चाहिए। व्यावहारिक तौर देखें तो पायेंगे कि मां में इतनी ताकत होती है कि यदि पिता नहीं है तो भी हमारी मातृ शक्ति बच्चों को आगे बढ़ा सकती है लेकिन यदि नहीं है तो पिता चाहकर भी अपने बच्चों को आगे नहीं ले जा पाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर प्रावधान करना है तो फादरलैस बच्चों के साथ मदरलैस बच्चों के लिए भी नौकरी में प्रावधान करना चाहिए। यह व्यावहारिक पहलू है। अध्यक्ष महोदय, यदि किसी के पिता जी गुजर जायें तो मां जानवर बांध कर भी अपने बच्चे पढ़ा देगी लेकिन यदि किसी की घरवाली गुजर जाये तो शायद पिता अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पायेगा जितना की एक मां अपने बच्चों को दे सकती है। अब जैसे–जैसे ग्रुप–डी की भर्ती है यदि इस भर्ती के तहत सिरसा का कोई बच्चा फरीदाबाद एप्वॉयंट होकर आ जाता है तो उसको रहने खाने पीने की बड़ी दिक्कत होती है और चूंकि ग्रुप–डी के तहत छोटी नौकरी होती है जैसे चपरासी की है या बारबर की है तो ऐसी अवस्था में उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि जब ग्रुप–डी के तहत जो भर्ती होती हैं इनमें जिलावाईज भर्ती करने का प्रावधान होना चाहिए। जैसे हमारे जिले में सभी डिपार्टमैंट्स को मिलाकर कुल 500 विकेंसीज हैं और अगर गृह जिले का बच्चा अपने गृह जिले में ही एप्वॉयंट हो जाये तो बहुत अच्छी बात हो जायेगी और ऐसी अवस्था में सरकार ऐसे प्रश्नों से भी बच सकती है कि फलां जिले के 800 बच्चे लगे और फलां जिले में 5 बच्चे भी नहीं लगे और जहां ज्यादा बचे लगे क्या प्रदेश में उसी जगह टेलेंट ज्यादा है। इन प्रश्नो से भी सरकार को निजात मिल जायेगी।

**श्री लक्ष्मण नापा (रतिया) (एस.सी.)** : अध्यक्ष महोदय, अभी जो पांच अंक की बात चल रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि घुमंतु जातियों के बच्चों को भी पांच अंक मिलेंगे लेकिन इस संबंध में जो नोटिफिकेशन हुआ वह गलत हुआ कि जो जातियां एस.सी. और बी.सी. में नहीं है उनको ये पांच अंक मिलेंगे जिसकी वजह से घुमंतु जातियों के बच्चों को इन पांच अंकों से वंचित कर दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ धुमंतु जातियों के बच्चों को भी 5 अंक दिए जाए।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न है–

कि हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्षः** अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

**क्लॉजिज 2 से 6**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 2 से 6 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**क्लॉज–1**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**इनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**टाईटल**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री अध्यक्षः** अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्षः** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

---

## (viii) दि हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनजमैंट अथॉरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2020

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

**कृशि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रका□ा दलाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

**श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (अ.जा.)**: अध्यक्ष महोदय, पहले से ही दि हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनजमैंट अथॉरिटी का गठन हो चुका है। यह बहुत ही अच्छा कदम है, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन हमें एक साल के बाद लग रहा है कि इसके गठन होने के बाद भी कहीं न कहीं हमें टैक्निकल ऑफिसर्ज या इंजीनियर्ज की आवश्यकता है। यह बात ठीक है कि इसमें टैक्निकल पर्सनज जो होंगे उनको शामिल किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस बिल को लेकर मेरी 2–3 क्वैरीज हैं। अध्यक्ष

महोदय, हमारे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें तालाब कई वर्षों से यूज़ नहीं हो रहे हैं। उसमें पुराने कुएं भी हैं, जिसकी किसी प्रकार की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि वे तालाब डिक्लेयर हो चुके हैं। उनको न तो बंद किया जा रहा है और न ही उनका उपयोग किया जा रहा है। उनके कारण काफी दिक्कतें आ रही हैं और तालाबों में काफी सारे हादसे भी हो रहे हैं। खुंभी वगैरह होने के कारण न जाने कितने इन्सीडैंट और ऐक्सीडैंट हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि which is the Nodal Department for this pond authority? Whether it will be done by the Panchayat Department, Irrigation Department or any other Departments क्योंकि इसमें यदि पंचायत भूमि पर कोई तालाब है तो हमने उसकी ब्यूटीफिकेशन, सुरक्षा और डिवैल्पमैंट के लिए पॉन्ड अथॉरिटी का निर्माण किया है। इस बिल के अनुसार हमें पंचायत, सिंचाई व कृषि कौन से विभाग से बातचीत करनी पड़ेगी और इसमें फंडिंग का क्या तरीका है? इस बिल में कुछ भी क्लीयर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना है कि गांवों और शहरों में कुछ तालाब ऐसे हैं जिसे पुरातत्व विभाग द्वारा यह कहा गया है कि हम उनको सुरक्षित और संजोकर रखेंगे अर्थात् उनमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे क्योंकि वे हमारे धरोहर हैं। उन धरोहरों के रखरखाव करने के लिए कचरा वगैरह न डाले, उसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि शहरों का क्षेत्रफल ज्यादा हो गया है और उनके बीच में तालाब आ गए हैं, उनका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। हमने इस बारे में अधिकारियों से बात की थी और कहा था कि इनमें मिट्टी वगैरह भरकर पार्क का निर्माण कर दें। उन्होंने हमें यह जवाब दिया कि यह पॉन्ड लैंड है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाएं ऐसी होती हैं, जिनमें सरकार की तरफ से तो बनाने की घोषण कर दी जाती है लेकिन किसी कारण से बन नहीं पाती हैं। जैसे मान लो कॉलेज बनाने की घोषणा होती है और इसके लिए जमीन गांव या शहर ने दे दी है, लेकिन बाद में इसकी फिजिबिलिटी चैक करने जाते हैं तो यह पॉन्ड लैंड या फॉरेस्ट लैंड निकलती है। उस प्रोजैक्ट के लिए सरकार से फंड वगैरह अलॉट होने के बावजूद भी नॉन फिजिबल डिक्लेयर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो तालाब लगभग 40–50 वर्षों से बने हुए हैं और अब वे यूज़ नहीं हो रहे हैं, क्या इस पॉन्ड अथॉरिटी के तहत कोई योजना बनाई जायेगी। इस प्रकार के कुएं भी हैं। जो

देखने में तो बहुत सुन्दर लगते हैं लेकिन उनका पानी पीने के लायक नहीं है। क्या उनके संरक्षण के लिए भी सरकार ने कोई प्रावधान किया है? अध्यक्ष महोदय, कौन सा नोडल डिपार्टमैंट पॉन्ड अथॉरिटी को हैंडल करेगा, माननीय मंत्री जी यह बात भी सदन को बताने की कृपा करें।

**श्री जय प्रका□ा दलालः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि इसका नोडल डिपार्टमैंट सिंचाई विभाग है। अध्यक्ष महोदय, जो अथॉरिटी बनाई है वह आईडैंटिफाई करेगी कौन से तालाब को यूज़ करना है और कौन से तालाब को यूज़ नहीं करना है। जो तालाब यूज़ करने वाले हैं उनमें पानी का भण्डारण करेंगे और उस पानी को साफ करके खेती–बाड़ी में यूज़ करने का हमारा उद्देश्य है। हमारे विभाग में इन पोस्ट्स के मुताबिक उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहे थे जिस कारण कुछ पोस्ट्स खाली रह गई थी । अतः अब हमने इसका थोड़ा–सा स्कॉप बढ़ाया है । अब हम केन्द्र सरकार से भी अच्छे इंजीनियर्स ले सकेंगे । (विघ्न) अब हम सी.पी.डब्ल्यू.डी., एम.ई.एस. आदि से भी आदमी ले सकेंगे । अतः अच्छे आदमी हमें जहां से भी मिलेंगे हम उन्हें ले सकेंगे ।

**Smt. Geeta Bhukkal:** Whichever is on the higher side.

**श्री जय प्रकाश दलाल** : अध्यक्ष महोदय, इसके हायर साइड विभाग बढ़ा दिए गए हैं । अब यह विचार किया गया है कि इसमें एक नहीं बल्कि बहुत–से विभाग हों ।

**Shri. Aftab Ahmed:** Secretary and other officers are on the higher side.

## बैठक का समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्ष** : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

**आवाजें** : जी हां ।

**श्री अध्यक्षः** ठीक है, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

.....

## विधान कार्य (पुनरारम्भ)

**श्री जय प्रकाश दलाल** : अध्यक्ष महोदय, पहले यह लिमिटेड था । हमारे यहां पर पहले इंजीनियर इन चीफ की रिस्ट्रिक्शन थी और आदमी अवेलेबल नहीं थे लेकिन अब सी.पी.डब्ल्यू.डी., एम.ई.एस., कई इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट और गवर्नमैंट की अंडरटेकिंग्स के आदमियों को मौका देने का विचार किया गया है ।

**श्रीमती गीता भुक्कल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सरकार ने पोंड अथॉरिटी कांस्टीच्यूट कर दी और सरकार इसमें टैक्नीकल ऑफीसर भी लगा रही है । मेरी क्यूरी इसलिए है क्योंकि वे अनयूज्ड तालाब हैं, उनमें पानी भी नहीं है और उनमें सिवाय दुर्घटनाएं होने के और कुछ नहीं हो रहा है । इसके अतिरिक्त यह गांव वालों की भी मांग है । इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगी कि उनके संरक्षण के लिए जो 114 करोड़ रूपये रखे गए हैं क्या वे काफी हैं ?

**श्री जय प्रकाश दलाल** : अध्यक्ष महोदय, जो तालाबों की भूमि है उनमें चाहे पानी की कमी है, पानी ज्यादा है या वे बिल्कुल खाली हैं उनको अथॉरिटी प्रयोग में लाएगी और उनसे जल संचयन तथा सिंचाई का काम करेगी ।

**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार इस अथॉरिटी का पूरा नाम सबको ध्यान करवाना चाहता हूं । इसका पोंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमैंट अथॉरिटी पूरा नाम है । इसका अर्थ है कि यह अथॉरिटी वेस्ट वाटर से भरे हुए तालबों की भी मैनेजमैंट देखेगी । इन तालाबों की मल्कियत बेशक विकास एवं ग्राम पंचायत विभाग के पास रहेगी । हमारे प्रदेश में कुल 14,000 तालाब हैं । इनमें से वेस्ट वाटर के तालाबों का वर्गीकरण करके उनके प्रबंधन के लिए उन्हें इस अथॉरिटी को दिया जाएगा और हमने इसके लिए 1000 करोड़ रूपये बजट में रखे हैं । इस बजट से हम इन तालाबों का काम अलग–अलग विभागों से करवायेंगे । एस.टी.पी. का काम, रूरल डिवैल्पमैंट का काम, मनरेगा का काम, इरीगेशन का काम, पावर के कनैक्शन लेने का काम, तालाबों की सुन्दरता के लिए काम इत्यादि काम डिपार्टमैंटवाइज अलग–अलग करवाये जाएंगे । पोंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमैंट अथॉरिटी तालाबों की एक रैगुलेटिंग अथॉरिटी है । इसके तहत हर विभाग अपना काम करेगा ।

**श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध)** : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में तालाबों पर विचार किया जा रहा है । मेरा प्रश्न है कि यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा क्योंकि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी आई.सी.यू. में भर्ती हुआ कोई व्यक्ति । अतः सरकार इसकी कमेटियां, प्राधिकरण आदि बनाने में ज्यादा समय न लगाए । मेरी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से रिकवैस्ट है कि जिस तरह कोई सड़क बन जाती है और उसके बीच में पेड़ और खम्भे आदि खड़े रह जाते हैं उसी तरह इस अथॉरिटी में कई विभागों के इनवॉल्व होने से इसकी भी हालत खराब न हो जाए । इस अथॉरिटी के लिए अलग–से फंड्स जैनरेट कीजिए क्योंकि इसके लिए रखे गए 1000 करोड़ रूपये से कुछ नहीं होगा। अगर तालाबों में ताजा पानी आता–जाता रहेगा तो वे साफ रहेंगे । मेरा

कहना है कि 8–10 गांवों का एक कलस्टर बनाकर अगर वहां पर वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाया जाए तो उससे पीने का स्वच्छ पानी, सिंचाई के लिए पानी, खाद की प्राप्ति और सरकार का रिवैन्यू भी जैनरेट होगा ।

**डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में बोलना चाहूंगा । आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इण्डिया (ए.एस.आई.) तालाबों में पानी भरने से मना करता है । हमारे नारनौल के जल–महल में पिछले 4–5 साल से लगातार पानी भरा जा रहा था । इससे वह बहुत सुन्दर लगता था जिससे वहां पर बहुत–से लोग भी आते थे। ए.एस.आई. ने वहां पर यह कहते हुए पानी भरने पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे यह तालाब डैमेज होता है । अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि तालाब पानी भरने के लिए ही बनाए जाते हैं और अगर वे पानी से ही डैमेज होंगे तो फिर उनका औचित्य ही नहीं रह जाता है उनको लेवल में लाकर पानी आदि के लिए यूज कर लिया जाए । अतः इस विषय को उनके साथ टेक अप किया जाना चाहिए । इसके अलावा अभी माननीय सदस्या कह रही थी कि जोहड़ों को पानी से भरा नहीं जाता है । इसके लिए मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है जिसके तहत किसी भी जोहड़/तालाब की नेचर ऑफ लैण्ड को बदलना प्रतिबंधित है । अतः हम किसी जोहड़/तालाब को मिट्टी से भरकर उसे किसी अन्य काम में प्रयोग नहीं कर सकते ।

**श्री सुधीर कुमार सिंगला (गुरूग्राम)** : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमैंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि pond should always be remained pond. तालाब की नेचर चेंज नहीं की जा सकती। माननीय सदस्या कह रही हैं कि जिन तालाबों का यूज नहीं हो रहा है उनमें मिट्टी वगैरह भरकर पार्क का निर्माण करवा दें या किसी और परपज के लिए यूज कर लें। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट के अनुसार तालाब की नेचर चेंज नहीं की जा सकती।

**Smt. Gita Bhukkal**: Speaker Sir, as per the direction of the Hon'ble Supreme Court माननीय सदस्य डॉ0 अभय सिंह यादव जी ने कहा है कि we cannot change the nature of the ponds.

**डॉ0 अभय सिंह यादवः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि यह बिल तालाबों की नेचर चेंज करने के लिए नहीं है बल्कि तालाबों को इन्प्रूव करने के लिए है।

**श्रीमती गीता भुक्कलः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी यही कहा था कि for beautification of ponds.

**डॉ0 अभय सिंह यादवः** अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा है कि यह बिल तालाबों की नेचर चेंज करने के लिए नहीं है। इसमें तो तालाबों के पानी की सफाई करके इम्प्रूव किया जाएगा। यानी तालाबों को रिहैबिलिटेट किया जा रहा है।

**श्री जय प्रकाश दलालः** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि तालाबों को मिट्टी से नहीं भर सकते।

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्षः** अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

**क्लॉज 2**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज 3**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**क्लॉज 1**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**इनैक्टिंग फार्मूला**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**टाईटल**

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अध्यक्षः** अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें कि विधेयक पारित किया जाए।

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्षः** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्षः** प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**(विधेयक पारित हुआ।)**

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, अब सदन बुधवार, दिनांक 04.03.2020. प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*5:23 बजे

(तत्पश्चात् सभा बुधवार, दिनांक 04.03.2020. प्रातः 11:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

————————————